



36^{वीं}

वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012



निगम का दृष्टिकोण

पर्यावरण के प्रति पूर्णतः सचेत रहते हुए
जल विद्युत तथा जल संसाधनों का स्थायी विकास
करने वाला विश्वस्तरीय, बहुविध एवं
अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना।

निगम का लक्ष्य

- जल विद्युत एवं बहुविध व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत पर और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तौर-तरीके अपनाते हुए तथा सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए करना।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा ज्ञान-विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना।
- नवीन अनुसंधान व विकास के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धति को अपनाना।
- कारपोरेट शासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा सशक्त निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था अपनाना।
- आंतरिक निधि जुटाकर तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम धन की व्यवस्था करना।

विषय सूची



एनएचपीसी

निदेशक मण्डल	2
कारपोरेट रूपरेखा	4
महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (10 वर्ष)	6
अध्यक्षीय वक्तव्य	9
निदेशकों की रूपरेखा	11
निदेशकों की रिपोर्ट	16
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	67
वार्षिक लेखे	70

समेकित

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	111
वित्तीय विवरण	112

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट	153
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	162
वित्तीय विवरण	164

एलडीएचसीएल

निदेशकों की रिपोर्ट	194
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	202
वित्तीय विवरण	204



श्री. जी. साइ प्रसाद
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मण्डल 31.08.2012 को



श्री. ए. बी. एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)



श्री डी. पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)



श्री जे. के. शर्मा
निदेशक (परियोजनाएं)



श्री राधेश्याम मीना
निदेशक (कार्मिक)



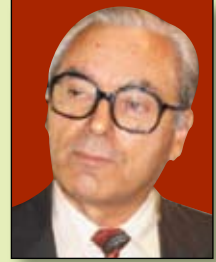
श्री. ए. एस. बक्शी
चेयरपर्सन (सीईए)



श्री. ए. गोपालकृष्णन
स्वतंत्र निदेशक



श्री. गुरदेव सिंह वेदी
स्वतंत्र निदेशक



श्री. अरुण कुमार मागो
स्वतंत्र निदेशक



श्री आर. जयसीलन
स्वतंत्र निदेशक



श्री अशोक कुमार दत्ता
स्वतंत्र निदेशक



श्री अतुल कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक



श्री शांतिकाम हज़ारिका
स्वतंत्र निदेशक



श्री विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर
सेक्टर- 33, फरीदाबाद- 121003
हरियाणा

कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर
सेक्टर- 33, फरीदाबाद- 121003
हरियाणा

कंपनी सचिव

श्री विजय गुप्ता

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

इक्विटी शेयर
कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.
प्लॉट नं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर
माधपुर, हैदराबाद- 530081
फोन : 040-23420815 से 824
Email: einwrd.ris@karvy.com
Website: www.karvycomputershare.com

बांड्स

मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लि.
बी- 106, सेक्टर- 2
नोएडा- ए- 231301 (उत्तर प्रदेश)
फोन : 0120-4015880
Email: info@rcmc Delhi.com

शेयर सूचीबद्ध

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

डिपॉजिटरीज

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि.
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लि.

वैधानिक लेखा-परीक्षक

मैसर्स एस. एन. नंदा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
सी- 43, पम्पोस एन्क्लेव
ग्रेटर कैलाश-1
नई दिल्ली-110048

मैसर्स बवेजा एंड कौल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
हाउस नं. 32, सेक्टर- 8,
त्रिकुटा नगर, जम्मू,
जम्मू- कश्मीर -180012

मैसर्स सिंधी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
1-बी, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट
कोलकाता- 700 001
पश्चिम बंगाल

मैसर्स तिवारी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
टी-8, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110 016

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इंडिया
डच बैंक
एक्सिस बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
एचडीएफसी बैंक लि.
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ भूटान

कारपोरेट प्रोफाइल

	2011-12	2010-11	2009-10
वित्तीय			
बिक्री	** 5509.65	4046.59	4218.90
विविध आय	@ 1274.62	885.52	673.19
ब्याज, मूल्यहास तथा कर से पूर्व लाभ	\$ 4752.02	4160.75	3892.41
ब्याज तथा मूल्यहास के पश्चात लाभ	3517.04	2877.41	2402.08
ब्याज, मूल्यहास तथा कर के पश्चात लाभ	2771.77	2166.67	2090.50
लाभांश	861.05	738.04	676.54
आरक्षित तथा अधिशेष (संचित)	14052.79	12279.94	10972.45
निगम के स्वामित्व वाली			
सकल अचल परिसंपत्तियां	23060.93	22874.93	21302.37
मूल्यहास	6692.61	5774.04	4907.44
निवल अचल परिसंपत्तियां	16368.32	17100.89	16394.93
चालू पूंजीगत कार्य	19190.05	15797.04	12802.50
निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	1133.25	1325.42	1222.52
निवेश	2749.88	2913.55	4394.05
अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू अस्तित्वां (पूँजी अग्रिमों को छोड़ कर)	1636.99	1332.24	
वर्तमान परिसंपत्तियां निवल	6259.47	3832.58	3903.95
पश्च लेखन न किया गया विविध व्यय	-	-	-
	47337.96	42301.72	38717.95
निगम द्वारा देय			
निवल मूल्य			
- शेयर पूंजी	12300.74	12300.74	12300.74
- आरक्षित	14052.79	12279.94	10972.45
अग्रिम तौर पर प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम के रूप में)	1359.39	1406.55	1437.44
अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	1779.86	1583.90	
ऋण	17641.14	14569.26	13868.22
स्थगित कर देयता (निवल)	204.04	161.33	139.10
	47337.96	42301.72	38717.95
प्रचालन कार्य-निष्पादन	2011-12	2010-11	2009-10
उत्पादन (एम.यू.)	18683	18604	16960
मशीन उपलब्धता (%)	83.30	85.20	84.10
बिक्री (करोड़ रुपए में)	5509.65	4046.59	4218.90
जनशक्ति (संख्या)	11036	11420	11712

** बिक्री टैरिफ समायोजन और मूल्यहास के प्रति अग्रिम के पश्चात निवल है।

@ संविदाओं के प्रति प्राप्तियां शामिल हैं

\$ पूर्वावधि समायोजन के पश्चात

इन लाइनों के अंतर्गत दिए गए आंकड़े वर्ष 2009-10 तक की शुद्ध चालू परिसंपत्तियों में शामिल किए गए थे।

वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

(करोड़ रुपये में)

2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03
2671.85	2243.73	1754.12	1614.11	1449.98	1276.09	1172.23
589.64	911.77	433.38	359.55	393.80	551.69	302.96
2201.76	2201.93	1610.04	1454.71	1438.86	1477.37	1153.39
1178.34	1146.65	1087.74	812.16	777.53	643.48	555.00
1075.22	1004.09	924.80	742.75	684.58	621.38	510.50
325.00	300.00	278.00	223.00	140.00	120.00	75.00
6798.13	6093.34	5367.05	4709.89	4168.49	3594.27	3065.70
21460.08	20639.51	12943.64	12755.52	10876.28	10342.71	8280.95
3816.27	3262.66	2850.92	2527.83	2148.20	1882.95	1672.19
17643.81	17376.85	10092.72	10227.69	8728.08	8459.76	6608.76
9401.77	6318.64	11399.92	8844.19	8787.19	6975.83	7078.00
1096.85	1077.34	856.43	778.95	770.14	805.55	621.74
2793.60	3049.22	3322.75	3832.81	3769.43	3660.87	2415.66
605.76	713.03	-345.60	-225.34	138.69	107.76	1889.77
2.33	0.34	25.80	24.55	1.18	0.71	1.20
31544.12	28535.42	25352.02	23482.85	22194.71	20010.48	18615.13
11182.49	11182.49	11207.04	10576.09	9933.27	8629.03	7240.61
6798.13	6093.34	5367.05	4709.89	4168.49	3594.27	3065.70
1329.47	1303.26	1245.98	1030.18	1071.15	939.40	801.06
12234.03	9956.33	7531.95	7166.69	7021.80	6847.78	7507.76
-	-	-	-	-	-	-
31544.12	28535.42	25352.02	23482.85	22194.71	20010.48	18615.13
<u>2008-2009</u>	<u>2007-2008</u>	<u>2006-2007</u>	<u>2005-2006</u>	<u>2004-2005</u>	<u>2003-2004</u>	<u>2002-2003</u>
16689	14813	13049	12567	11286	11046	9863
93.61	96.13	94.11	98.16	95.30	96.82	96.62
2671.85	2243.73	1754.12	1614.11	1449.98	1276.09	1172.23
12028	12341	12768	13118	13470	13648	13017

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (10 वर्ष)

वित्तीय		2011-12	2010-11
ए ऊर्जा की बिक्री	\$	5462.49	3999.63
बी मूल्यहास के प्रति अग्रिम		(47.16)	(46.96)
सी अन्य आय (निर्माण एवं परामर्शी आय और अपवाद स्वरूप वस्तुओं सहित)		1274.62	885.52
डी कुल आय (ए)-(बी)+(सी)		6784.27	4932.11
ई उत्पादन एवं अन्य व्यय (संविदा एवं परामर्शी व्यय सहित.)		2032.25	771.36
एफ सकल अंतर (डी)-(ई)		4752.02	4160.75
जी मूल्यहास		892.74	916.74
एच सकल लाभ (एफ)-(जी)		3859.28	3244.01
आई ब्याज एवं वित्त प्रभार		342.24	366.60
जे निवल लाभ (एच)-(आई)		3517.04	2877.41
के कर		745.27	710.74
एल कर उपरान्त निवल लाभ(जे)-(के)		2771.77	2166.67
एम आंतरिक संसाधन सृजित (जी)+(एल)+(बी)		3617.35	3036.45
एन प्राधिकृत पूंजी		15000.00	15000.00
ओ इक्विटी चुकता पूंजी	**	12300.74	12300.74
पी आरक्षित एवं अधिशेष		14052.79	12279.94
क्यू ऋण निधि		17641.14	14569.26
आर-1 मूल्यहास के प्रति अग्रिम के रूप में अग्रिम तौर पर प्राप्त आय (एएडी)		1359.39	1406.55
आर-2 अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान		1779.86	1583.90
एस सकल अचल परिसंपत्तियां		23060.93	22874.93
टी मूल्यहास		6692.61	5774.04
यू निवल अचल परिसंपत्तियां (एस)-(टी)		16368.32	17100.89
वी चालू पूंजीगत कार्य		19190.05	15797.04
डब्ल्यू निर्माण भण्डार तथा अग्रिम		1133.25	1325.42
एक्स निवेश		2749.88	2913.55
वाई अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू आस्तियां(पूंजी अग्रिमों को छोड़ कर)		1636.99	1332.24
जेड कार्यशील पूंजी		6259.47	3832.58
जेड-1 लेखे में न लिया गया विविध व्यय		-	-
एए सकल पूंजी नियोजित(यू)+(वी)+(डब्ल्यू)+(एक्स)+(वाई)+(जेड)-(आर-2)		45558.10	40717.82
एबी निवल मूल्य (ओ)+(पी)-(जेड)		26353.53	24580.68
एसी पावर स्टेशन में मालसूची उपभोग		10.14	3.94
एडी मूल्यवर्धन (ए)-(बी)-(एसी)		5499.51	4042.65

\$ टैरिफ समायोजन, व्हीलिंग प्रभार तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान शामिल हए

** इक्विटी में समायोजन योग्य शेयर जमा तथा भारत सरकार की निधि शामिल हए

अनुपात	2011-12	2010-11
1 नियोजित सकल पूंजी पर प्रतिफल (एच) / (एए)	8.47%	7.97%
2 निवल मूल्य पर प्रतिफल (एल)/(एबी)	10.52%	8.81%
3 नियोजित सकल पूंजी पर निवल बिक्री ((ए)-(बी))/(एए)	12.09%	9.94%
4 निवल बिक्री पर मूल्यवर्धन (एडी)/((ए)-(बी))	99.82%	99.90%
5 ऋण तथा इक्विटी अनुपात (क्यू)/((आ)+(पी))	0.67	0.59
6 निवल बिक्री पर निवल लाभ (एल)/ ((ए)-(बी))	50.31%	53.54%

वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

(करोड़ रुपये में)

2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03
4326.87	2698.06	2301.00	1969.93	1661.99	1581.73	1414.43	1324.86
107.97	26.21	57.27	215.81	47.88	131.75	138.34	152.63
673.19	589.64	911.77	433.38	359.55	393.80	551.69	302.96
4892.09	3261.49	3155.50	2187.50	1973.66	1843.78	1827.78	1475.19
999.68	1059.73	953.57	577.46	518.95	404.92	350.41	321.80
3892.41	2201.76	2201.93	1610.04	1454.71	1438.86	1477.37	1153.39
1033.25	518.24	443.74	290.55	269.57	248.97	208.14	140.36
2859.16	1683.52	1758.19	1319.49	1185.14	1189.89	1269.23	1013.03
457.08	505.18	611.54	231.75	372.98	412.36	625.75	458.03
2402.08	1178.34	1146.65	1087.74	812.16	777.53	643.48	555.00
311.58	103.12	142.56	162.94	69.41	92.95	22.10	44.50
2090.50	1075.22	1004.09	924.80	742.75	684.58	621.38	510.50
3231.72	1619.67	1505.10	1431.16	1060.20	1065.30	967.86	803.49
15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	10000.00
12300.74	11182.49	11182.49	11207.04	10576.09	9933.27	8629.03	7240.61
10972.45	6798.13	6093.34	5367.05	4709.89	4168.49	3594.27	3065.70
13868.22	12234.03	9956.33	7531.95	7166.69	7021.80	6847.78	7507.76
1437.44	1329.47	1303.26	1245.98	1030.18	1071.15	939.40	801.06
21302.37	21460.08	20639.51	12943.64	12755.52	10876.28	10342.71	8280.95
4907.44	3816.27	3262.66	2850.92	2527.83	2148.20	1882.95	1672.19
16394.93	17643.81	17376.85	10092.72	10227.69	8728.08	8459.76	6608.76
12802.5	9401.77	6318.64	11399.92	8844.19	8787.19	6975.83	7078.00
1222.52	1096.85	1077.34	856.43	778.95	770.14	805.55	621.74
4394.05	2793.60	3049.22	3322.75	3832.81	3769.43	3660.87	2415.66
3903.95	605.76	713.03	-345.60	-225.34	138.69	107.76	1889.77
-	2.33	0.34	25.80	24.55	1.18	0.71	1.20
38717.95	31541.79	28535.08	25326.22	23458.30	22193.53	20009.77	18613.93
23273.19	17978.29	17275.49	16548.29	15261.43	14100.58	12222.59	10305.11
4.28	8.92	6.15	6.56	12.02	7.73	2.67	2.65
4214.62	2662.93	2237.58	1747.56	1602.09	1442.25	1273.42	1169.58
2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03
7.38%	5.34%	6.16%	5.21%	5.05%	5.36%	6.34%	5.44%
8.98%	5.98%	5.81%	5.59%	4.87%	4.85%	5.08%	4.95%
10.90%	8.47%	7.86%	6.93%	6.88%	6.53%	6.38%	6.30%
99.90%	99.67%	99.73%	99.63%	99.26%	99.47%	99.79%	99.77%
0.60	0.68	0.58	0.45	0.47	0.50	0.56	0.73
49.55%	40.24%	44.75%	52.72%	46.02%	47.21%	48.69%	43.55%

690 मेगावाट सलाल पावर स्टेशन
(जम्मू व कश्मीर) - कंक्रीट डैम



एनएचपीसी लिमिटेड

अध्यक्षीय वक्तव्य

अध्यक्षीय वक्तव्य



प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल के अपने साथियों की ओर से मैं कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षित वित्तीय ब्यौरे सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर सीएंडएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां आप सभी को पहले ही भेजी जा चुकी हैं। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ समझता हूँ।

मुझे अपने सभी महत्वपूर्ण शेयरधारकों के समक्ष 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

भारतीय विद्युत परिदृश्य

किसी भी देश के आर्थिक विकास में विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 31 जुलाई 2012 तक की स्थिति के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारतीय विद्युत क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और देश की कुल संस्थापित क्षमता 206456 मेगावाट हो गई है। इसमें तापविद्युत, जलविद्युत, नाभिकीय विद्युत तथा नवीकरणीय विद्युत का हिस्सा क्रमशः 137386 मेगावाट, 39291 मेगावाट, 4780 मेगावाट तथा 24998 मेगावाट है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान जलविद्युत क्षेत्र की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है तथा जलविद्युत का अनुपात घटकर 19% रह गया है। अब तक कुल जलविद्युत संभाव्यता अर्थात् 148700 मेगावाट में से इसके मात्र 26% भाग का ही दोहन किया जा सका है और शेष भाग का विकास किया जाना अभी बकाया है।

वित्तीय निष्पादन

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक कर पश्चात शुद्ध लाभ 2771.77 करोड़ रूपए प्राप्त किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 27.93% अधिक है। यद्यपि, कुछ लाभभोक्ताओं द्वारा भुगतान में देरी हो रही है जिसपर ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं। आपकी कंपनी के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने इस अवधि की लिए प्रति शेयर 0.70 रूपए का लाभांश दिए जाने की संस्तुति प्रदान की है।

विद्युत उत्पादन

आपकी कंपनी ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट रिकार्ड को कायम रखते हुए 18683 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है, जो कि समझौता ज्ञापन में उत्कृष्ट रेटिंग के लिए निर्धारित लक्ष्य 18500 मिलियन यूनिट से अधिक है।

क्षमता अभिवृद्धि

मैं इस अवसर पर आपको सूचित करना चाहता हूँ कि 4 जुलाई 2012 को हिमाचल प्रदेश की 231 मेगावाट चमेरा-III परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया जा चुका है। इस समय आपकी कंपनी की कुल संचालित क्षमता बढ़कर 5526 मेगावाट हो गई है। इसमें आपकी सहयोगी कंपनी एनएचडीसी के माध्यम से जोड़ी गई 1520 मेगावाट की क्षमता भी शामिल है। आपकी कंपनी अपनी महत्वाकांक्षी क्षमता अभिवृद्धि योजनाओं पर सक्रियता से कार्य कर रही है तथा इस समय कुल 4271 मेगावाट की नौ परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें तीस्ता लौ डैम-III, निम्मो बाजगो, चुटक, उड़ी-II व पार्वती-III नामक पांच परियोजनाएं पूर्ण होने के अग्रिम चरणों में हैं तथा इनके वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 5115 मेगावाट क्षमता की पांच परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। कंपनी राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से 3686 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि पर भी कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में 330 मेगावाट की दो जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन हमें प्राप्त हुआ है।

मैं विशेष तौर पर इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि आपकी कंपनी अपनी 2000 मेगावाट की सुबानसिरी लोअर परियोजना के कार्य को जारी रखने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। इसका कार्य स्थानीय नागरिकों के आंदोलन के कारण दिसंबर 2011 से प्रभावित चल रहा है। आपकी कंपनी द्वारा इस मुद्दे को विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। आशा है कि जल्द ही इसका कुछ समाधान निकलेगा।

विविधिकरण

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी को भारत और विदेश में परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के माध्यम से अपने बलबूते विद्युत के सभी पक्षों में एकीकृत विकास की आयोजना, प्रोत्साहन और संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। हम सक्रियता से तापीय विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु प्रयासरत हैं। इस संबंध में शुरुआती गतिविधियों पर कार्य चल रहा है।

परामर्श और व्यापार विकास

आपकी कंपनी जलविद्युत के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध करा रही है। आपकी कंपनी के मुख्य परामर्शी कार्यों में देश के केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की एजेंसियों के साथ-साथ दूसरे पड़ोसी देशों जैसे भूटान, म्यांमार तथा तजाकिस्तान में कार्य करना शामिल है। आपकी कंपनी ने भूटान में 770 मेगावाट की चमखारछू-1 जलविद्युत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मसौदा मार्च 2012 में तथा कुरी गोंगरी नदी घाटी परियोजनाओं के लिए भी पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट मई 2012 में भूटान की शाही सरकार/ भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है। आपकी कंपनी भूटान में 720 मेगावाट की मांगदेछू जलविद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए डिजाइन व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। आपकी कंपनी ने म्यांमार में 1200 मेगावाट की तमंथी व 642 मेगावाट की स्वेजाए जलविद्युत तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए अन्वेषण तथा अद्यतन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य पूरा कर लिया है, जो आपको विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक परामर्शी कार्य के रूप में सौंपा गया था। आपकी कंपनी ने नाईजीरिया में मैसर्स डैंगोटे इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए शिरोर जलविद्युत पावर स्टेशन का तकनीकी परामर्शी अध्ययन कार्य भी किए हैं।

पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलू

मुझे आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि एनएचपीसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक ढांचागत योजना के तहत उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। एनएचपीसी ने सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कर पश्चात लाभ का 0.5% बजट उपलब्ध कराया था तथा तदनुसार ही लक्ष्य निर्धारित किया गया था। देश के पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि के ग्रामीण क्षेत्रों व पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपकी कंपनी विभिन्न सामाजिक विकास संबंधी गतिविधियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य कुशलता वर्धन, वोकेशनल ट्रेनिंग आदि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आपकी कंपनी ने लेह-लद्दाख में भारी वर्षा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्यों तथा अन्य सहायता के लिए बड़-चढ़ कर कार्य किया है तथा इसी प्रकार सिक्किम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आए भारी भूकंप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कार्य किया है। कंपनी ने इस क्षेत्र में मानवता निभाते हुए भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि का योगदान दिया है।

आपकी कंपनी सही मायने में पर्यावरण के प्रति सजग एवं एक उत्तरदायी संगठन है। कंपनी के प्रतिष्ठानों के आसपास सामाजिक वृक्षारोपण तथा वनरोपण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाता है।

मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित अपने पावर स्टेशनों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों का विकास एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करना है। कंपनी अपने कर्मिकों के हितों को प्राथमिकता देती है और उनके विकास के लिए कंपनी कार्य करती है। आपकी कंपनी ने देश में स्थापित शीर्षस्थ शिक्षण संस्थानों के साथ अपने कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान संवर्धन तथा कार्यकुशलता को विकसित करने के लिए लर्निंग वेंचर्स स्थापित किए हैं। कंपनी ने आईआईएम/एक्सएलआरआई/आईआईटी जैसे शीर्षस्थ संस्थानों के साथ एक चरणबद्ध प्रशिक्षण नीति को अपनाते हुए नवीनतम प्रबंधन एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़क कार्य

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर, ओड़ीशा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के 27 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य आपकी कंपनी को सौंपा गया है, जिसके तहत 2900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गैर विद्युतीकृत/निरविद्युतीकृत एवं आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को सर्विस कनेक्शन प्रदान करना शामिल है। 31 मार्च 2012 तक एनएचपीसी ने 2041.15 करोड़ रुपये के कार्य पूरे कर लिए हैं।

आपकी कंपनी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बिहार राज्य के छः जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण करने और पांच वर्षों तक उनके अनुरक्षण का कार्य भी सौंपा गया है। 1763.49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली कुल लंबाई 3242.58 किलोमीटर लंबी 762 सड़कों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। 31 मार्च 2012 तक 2701.24 किलोमीटर लंबी 564 सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है।

पुरस्कार एवं सम्मान

यह बड़े हर्ष की बात है कि विभिन्न मंचों से आपकी कंपनी की उपलब्धियों की सराहना हुई है और राष्ट्र में जलविद्युत विकास के प्रति किए जा रहे कठिन परिश्रम, निष्ठा और प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आपकी कंपनी को सम्मानित किया गया। पावर लाइन अवार्ड्स 2012 में आपकी कंपनी को बेस्ट परफार्मिंग जनरेशन कंपनी (जलविद्युत) से तथा एमिटि इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल द्वारा नव-प्रवर्तनकारी प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन पद्धतियों के लिए एमिटि कारपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट-रोल्टा अवार्ड 2010 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कंपनी के योगदान को देखते हुए इसे विद्युत क्षेत्र की शीर्षस्थ भारतीय कंपनी माना गया है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को देखते हुए आपकी कंपनी को विद्युत उपक्रमों के अंतर्गत 2010-11 हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2009-10 के लिए 'क' क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वर्ग में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी कंपनी को पुनः वर्ष 2010-11 हेतु इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपकी कंपनी को पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड्स-2011 में बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अवार्ड तथा एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड्स-2010 में निर्माण क्षेत्र के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है।

आभार

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से मैं अपने सम्मानित शेयरधारकों का उनके समर्थन व सहयोग के लिए निष्ठापूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, जो कि हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के विभिन्न विभागों विशेषतः विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, कंपनी मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं केंद्रीय जल आयोग का उनके निरंतर समर्थन व मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं राज्य सरकारों, क्षेत्रीय व राज्य बिजली बोर्डों, हमारे पावर स्टेशनों से विद्युत प्राप्त करने वाले लाभभोक्ताओं और परामर्श सेवा के उपभोक्ताओं का हमारे कार्यक्रमों में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विदेशी संस्थाओं सहित अपने बैंकरों एवं ऋणदाताओं का हमारी कंपनी में भरोसा जताने के लिए भी आभारी हूं।

मैं बोर्ड के सभी साथी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इनके बहुमूल्य योगदान के कारण ही कंपनी ने नई ऊचाईयां प्राप्त की हैं। इस अवसर पर मैं एनएचपीसी के सभी कर्मिकों के निरंतर कठिन परिश्रम, निष्ठा व प्रतिबद्धता के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने सभी शेयरधारकों के निरंतर समर्थन के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि सभी हितधारकों के समर्थन व मार्गदर्शन से कंपनी समृद्धि की राह पर आगे बढ़ती रहेगी।

जी. साह प्रसाद

(जी. साह प्रसाद)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक : 17 सितंबर 2012

एनएचपीसी लिमिटेड
निदेशकों की रूपरेखा

निदेशकों की रूपरेखा

श्री जी. साइ प्रसाद



श्री जी. साइ प्रसाद (डीआईएन संख्या 00325308), आयु 46 वर्ष, एनएचपीसी बोर्ड में हमारे सरकारी नामित निदेशक हैं। आपने आईआईटी दिल्ली से स्नातक उपाधि और इयूक यूनिवर्सिटी, अमरीका से अंतरराष्ट्रीय विकास नीति में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। श्री प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी भी हैं। वे कई पदों पर काम कर चुके हैं, जिनमें उप-कलेक्टर (पादेरू), परियोजना अधिकारी (आईटीडीए पादेरू), नगर आयुक्त (गुंटूर), संयुक्त कलेक्टर (कडप्पा) और कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (कुरनूल एवं चित्तूर) जैसे पद शामिल हैं। बिजली मंत्रालय में नियुक्ति से पहले श्री प्रसाद सेन्ट्रल पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड और इस्टर्न पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर रह चुके हैं। वे विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हाइड्रो) के पद पर कार्यरत हैं और 24/07/2012 से एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास है। एनएचपीसी बोर्ड में उन्होंने 20/12/2011 को कार्यभार संभाला था।

ए बी एल श्रीवास्तव



श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव (डीआईएन : 001601682) आयु 57 वर्ष, हमारे निदेशक (वित्त) हैं। आप व्यापार वित्त और कामर्स में स्नाकोत्तर डिग्री धारक हैं। श्री श्रीवास्तव इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सदस्य भी हैं। श्री श्रीवास्तव ने एनएचपीसी के विकास और उसकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। आप परियोजना वित्त पोषण के दायित्व का निर्वाह करते रहे हैं, जिसमें संसाधन जुटाना, वित्तीय पुनर्व्यवस्थापन और घरेलू एवं अंतराष्ट्रीय स्रोतों से धन उगाहना तथा उसका अनुकूलतम उपयोग करना शामिल है। श्री श्रीवास्तव समुचित विभागीय नियंत्रण प्रणालियां तैयार करने में सक्रिय रहे हैं जिससे एनएचपीसी कारपोरेट अभिशासन पद्धतियों को अपनाने में सक्षम रही है। एनएचपीसी में आने से पहले श्री श्रीवास्तव ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) में विभिन्न पदों पर काम किया। वे आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के बोर्ड में भी रह चुके हैं। श्री श्रीवास्तव मई 2008 से पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव आरईसी और एनएचपीसी लिमिटेड, दोनों के विनिवेश कार्यक्रम में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार **स्पेशल अचीवर अवार्ड-2010** प्राप्त करने वालों में शामिल हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी विशिष्ट व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए दिया गया। श्री श्रीवास्तव 1.1.2011 से 30.06.2012 तक एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल चुके हैं। उनके पास एनएचपीसी में प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है। श्री श्रीवास्तव ने 11 फरवरी, 2008 में निदेशक (वित्त) के रूप में एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार संभाला।

श्री डी. पी. भार्गव



श्री डी. पी. भार्गव (डीआईएन : 01277269) आयु 56 वर्ष, हमारे निदेशक (तकनीकी) हैं। आपविविध गतिविधियों के प्रभारी हैं, जिनमें निर्माणाधीन परियोजनाओं के डिजाइन और इंजीनियरी, वाणिज्यिक, परामर्शी एवं व्यापार विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, बिजलीघरों का निरीक्षण, प्रचालन और रखरखाव संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

श्री भार्गव रुड़की विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक हैं। आपको जल विद्युत क्षेत्र में लगभग 33 वर्षों का अनुभव है। श्री भार्गव ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाथपा झाकरी जल विद्युत केन्द्र में काम किया है और वे एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। श्री भार्गव ने एनएचपीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के रूप में भी काम किया है। आपने 26 मार्च, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की रूपरेखा

श्री जे. के. शर्मा



श्री जे. के. शर्मा (डीआईएन : 00387785) आयु 54 वर्ष, हमारे निदेशक (परियोजनाएं) हैं। आप वर्तमान में निर्माण परियोजनाओं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) और निर्माण उपस्कर आयोजना (सीईपी) के प्रभारी हैं।

श्री शर्मा इंदौर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री धारक हैं। आप अमेरिकी सिविल इंजीनियरी सोसायटी के एक सदस्य हैं। आप इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) एंड चार्टर्ड इंजीनियर, के भी सदस्य हैं। आपको भारत तथा विदेश में मुख्य रूप से जल विद्युत के क्षेत्र में 32 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

एनएचपीसी में कार्य भार ग्रहण करने से पहले आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में निदेशक (सिविल) के रूप में काम किया है। आप राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार और मदर टेरेसा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आपने 10 अप्रैल, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया। आप 27 सितम्बर, 2011 से प्रमाणित परियोजना निदेशक, आईपीएमए लेवल-ए हैं।

श्री राधेश्याम मीना



श्री राधेश्याम मीना (डीआईएन : 00149956) आयु 55 वर्ष, हमारे निदेशक कार्मिक हैं। वर्तमान में आप मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, राजभाषा, विधि, कारपोरेट संचार, सम्पदा और सुविधा प्रबंधन सेवाओं के प्रभारी हैं।

श्री मीना मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (एमएनआईटी के रूप में विख्यात), भोपाल से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता के साथ व्यापार विकास में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं।

श्री मीना को बिजली क्षेत्र में 31 वर्ष के अनुभव सहित 32 वर्ष से अधिक का अनुभव है। डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण, कार्यान्वयन, परीक्षण एवं ट्रांसमिशन लाइनों तथा जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने जैसे तकनीकी कार्यों के अलावा श्री मीना ने एनएचपीसी लिमिटेड में विभिन्न पदों पर काम किया है। इससे पहले उन्होंने 1 मई, 1981 से 18 नवम्बर, 1991 तक एनएचपीसी में काम किया और इसके बाद आपने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यभार संभाल लिया था।

श्री मीना ने 18 दिसम्बर 1998 को फिर से एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया। एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री मीना कार्यपालक निदेशक (परामर्शी एवं व्यापार विकास) और कार्यकारी निदेशक, क्षेत्र-III, कोलकाता में भी कार्य कर चुके हैं। आपने 28 अप्रैल, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री ए एस बख्शी



श्री ए एस बख्शी (डीआईएन : 05175439) आयु 59 वर्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। आप इंजीनियरी में स्नातक हैं और आपने एमबीए डिग्री भी प्राप्त की है। आपको बिजली क्षेत्र में 37 वर्ष से अधिक का सर्वातोमुखी अनुभव है और ताप बिजली इंजीनियरी एवं विद्युत उत्पादन आयोजना जैसे क्षेत्रों में आपने विशेषज्ञता हासिल की है। श्री बख्शी ने सीईजीबी, ब्रिटेन (1987) और एनआईई, आयरलैंड, ब्रिटेन (1981) से ताप संयंत्र परिचालन और ऊर्जा लेखा-परीक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

श्री बख्शी ने अनेक ताप बिजली संयंत्रों में ऊर्जा संरक्षण/ऊर्जा लेखापरीक्षण के क्षेत्रों में काम किया है। आपने संगठन में निदेशक (ए-1) का कार्यभार संभाला और कम्पनी के प्रशासनिक कार्य की देखरेख की। 2004 में आपको मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया और आप देश की विद्युत उत्पादन आयोजना (लघु एवं दीर्घावधि, दोनों) से संबद्ध रहे हैं। श्री बख्शी का राष्ट्रीय विद्युत योजना 2007 को तैयार करने में विशेष योगदान रहा है। आपने 28 अक्टूबर, 2010 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (आयोजना) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। आपने 17/01/2012 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार संभाला।

निदेशकों की रूपरेखा

श्री ए. गोपाल कृष्णन



श्री ए. गोपाल कृष्णन (डीआईएन : 02880344) आयु 60 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आप सनदी लेखाकारों की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक अत्यंत प्रतिष्ठित संगठन मैसर्स वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी में वरिष्ठ पार्टनर हैं, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। आपने मई, 1974 में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सी ए फाइनल परीक्षा में 13वां और सी ए इंटरमीडिएट में 36वां स्थान प्राप्त किया था। आप भारतीय उद्योग परिषद की राज्य परिषद, केरल क्षेत्र और कराधान अध्ययन केन्द्र तिरुवनंतपुरम के सदस्य रहे हैं। आप एर्नाकुलम के चिन्मय मिशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट नाम के शैक्षिक न्यास के साथ मुख्य सेवक के रूप में सम्बद्ध रहे हैं। आप चिन्मय विद्यालय, कोट्टायम के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। आप इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की कोट्टायम शाखा के अध्यक्ष (1999-2000) भी रह चुके हैं। श्री कृष्णन सी ए इंटरमीडिएट और सी ए फाइनल की कोचिंग बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रशिक्षक भी रहे हैं। आप वर्ष 2007-08 के लिए सीआईआई, केरल क्षेत्र के आर्थिक मामलों और कराधान पैनल के संयोजक और दिसम्बर 2009 तक देना बैंक के निदेशक तथा देना बैंक बोर्ड की लेखा-परीक्षक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं।

श्री ए. गोपाल कृष्णन विभिन्न विषयों पर लेख आदि लिखते रहे हैं और आईसीआईआई जैसे व्यावसायिक निकायों द्वारा आयोजित सम्मेलनों और सेमिनारों में निबंध प्रस्तुत कर चुके हैं। आपने 15 दिसम्बर, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री गुरुदेव सिंह वेदी



श्री गुरुदेव सिंह वेदी (डीआईएन : 002286126) आयु 62 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आपने विज्ञान में स्नातक उपाधि और कला में स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। आपने नवम्बर 1969 में पंजाब एंड सिंध बैंक में सेवा प्रारंभ की और तेजी से तरक्की करते हुए 2004 में बैंक के महा प्रबंधक पद पर पहुंच गए।

आपको देश भर में बैंकिंग उद्योग में प्रशासनिक कार्यालयों तथा प्रचालनगत कार्यालयों, दोनों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर काम करने का 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आपने मुम्बई, चण्डीगढ़, जयपुर और गुवाहाटी में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के विभिन्न आंचलिक कार्यालयों के प्रमुख के रूप में काम किया है। श्री वेदी विदेशी मुद्रा, कार्मिक, निरीक्षण एवं मर्चेन्ट बैंकिंग के क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। महा प्रबंधक के रूप में आपने लेखा, ट्रेजरी, सूचना प्रौद्योगिकी और आयोजना एवं विकास प्रभागों के प्रमुख के रूप में काम किया। आपने पंजाब एंड सिंध बैंक को तेजी से विकास करने वाले और लाभ कमाने वाले संस्थान के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

भारत सरकार ने श्री वेदी को 07 नवम्बर 2007 को केनरा बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। केनरा बैंक में काम करते हुए वे ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों, सूचना प्रौद्योगिकी, वसूली, लेखा, आयोजना एवं विकास, सामान्य प्रशासन, निरीक्षण और कार्मिक सहित बैंक के लगभग सभी प्रमुख विभागों के प्रभारी के रूप में काम किया।

अक्टूबर, 2008 में श्री वेदी को एक बार फिर से पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया और बाद में भारत सरकार द्वारा उन्हें 26 अगस्त 2009 को बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान बैंक ने हर वर्ष अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करते हुए अपने कार्यव्यापार में 35 प्रतिशत से अधिक का इजाफा किया, जबकि बैंकिंग उद्योग की औसत वृद्धि करीब 20 प्रतिशत थी। श्री वेदी ने बैंक में कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स प्रारंभ करने और बैंक को एनएसई के साथ सूचीबद्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक/भारत सरकार की मंजूरी हासिल करने में भी सक्रिय भूमिका अदा की।

श्री वेदी एमएमटीसी बोर्ड के भी सदस्य हैं। उन्होंने 08/11/2011 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार संभाला।

निदेशकों की रूपरेखा

श्री अरुण कुमार मागो



श्री अरुण कुमार मागो (डीआईएन : 01624833) आयु 67 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आपको प्रशासन एवं प्रबंधन में 37 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आपने भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और सामाजिक विज्ञान में एम.फिल. उपाधि प्राप्त की है। श्री मागो ने पेरिस से प्रबंधन एवं सार्वजनिक वित्त में डिप्लोमा और दिल्ली से लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। श्री मागो ने 1967 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला और प्रशासन एवं प्रबंधन में 37 वर्ष का दीर्घावधि अनुभव प्राप्त किया।

श्री मागो ने केन्द्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत ऊर्जा, बिजली, बंदरगाह, शहरी ढांचा, उद्योग, पर्यावरण एवं वन जैसे अनेक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर काम किया है। आपने बिजली, बंदरगाहों और शहरी ढांचे के क्षेत्र में नीति, आयोजना एवं कार्यान्वयन जैसे विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है। श्री मागो महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप महाराष्ट्र पैट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त पद पर रह चुके हैं। आप मैसर्स येस बैंक में भी स्वतंत्र निदेशक हैं और इंटर-कनेक्टिड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के जन-प्रतिनिधि निदेशक भी हैं। श्री मागो 2004 में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए और 09/11/2011 को उन्हें फिर से एनएचपीसी बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

श्री आर जयसीलन



श्री आर जयसीलन (डीआईएन : 02143850) आयु 66 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आपको 37 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आपने मद्रास विश्वविद्यालय से बीई (सिविल इंजीनियरी) डिग्री, आईआईटी (मद्रास) से एम.टेक (स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग) डिग्री और नॉर्वेजियन टेक्निकल इंस्टिट्यूट से स्नातकोत्तर डिप्लोमा (जल-विद्युत) प्राप्त किया है।

श्री जयसीलन ने दिसम्बर 1969 में केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यभार संभाला था और 37 वर्ष से अधिक के सेवाकाल में विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने चार वर्ष तक भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष पद पर काम किया है। आप भारत के अलावा लाओस, म्यांमार, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक, ओमान और रवांडा में जल संसाधन विकास से संबंधित कई परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। श्री जयसीलन इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज (आईसीआईडी) के उपाध्यक्ष, जल संसाधन डिविजन काउंसिल, बीआईएस के अध्यक्ष और तोक्यो, जापान में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं।

श्री जयसीलन सरकारी शिष्टमंडलों के सदस्य के रूप में और व्याख्यान देने तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए 25 से अधिक देशों की यात्राएं कर चुके हैं। श्री जयसीलन जल संसाधन, विशेषकर विभिन्न जल विद्युत विकास परियोजनाओं के सिविल पहलुओं के बारे में भारत और विदेश में सलाहकार/परामर्श दाता के रूप में भी काम कर रहे हैं। आप एपीजीईएनसीओ, आंध्र प्रदेश सरकार और एसएसएनएनएल, गुजरात सरकार के लिए कुछ तकनीकी समितियों के अध्यक्ष भी हैं।

श्री जयसीलन की 12/11/2011 को एनएचपीसी बोर्ड में पुनः नियुक्ति हुई।

निदेशकों की रूपरेखा

श्री अशोक कुमार दत्ता



श्री अशोक कुमार दत्ता (डीआईएन : 00045170) आयु 65 वर्ष हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। भारत में सबसे पुराने बिजनेस स्कूल, इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर सोशल वेल्फेयर एण्ड बिजनेस मैनेजमेंट, का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद प्रोफेसर दत्ता ने मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री दत्ता ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, भारतीय व्यापार घरानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 40 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव प्राप्त किया है। जहाजरानी और परिवहन, तेजी से चलन में आने वाले उपभोक्ता उत्पादों, फार्मास्युटिकल्स, मीडिया और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आपने व्यापक अनुभव प्राप्त किया है।

श्री दत्ता आईआईटी खड़गपुर स्थित बिजनेस स्कूल के संस्थापक डीन रहे हैं। वर्तमान में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार परिषद के सदस्य, श्री दत्ता अनेक बिजनेस ग्रुपों में सलाहकार रह चुके हैं। इनमें मितल इस्पात, जवाहर उषा मार्टिन ग्रुप, एसके बजोरिया ऑफ द मेकलियोड्स ग्रुप, पीयरलेस और सेलवेल शामिल हैं। वर्तमान में आप खादिम्स इंडिया लिमिटेड और एबीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्डों में सेवारत हैं और इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारत सरकार की कई विशेषज्ञ समितियों में काम कर चुके हैं।

प्रोफेसर दत्ता ने हाल ही में डीसेल्स यूनिवर्सिटी, यूएसए के ट्रस्टी के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ किया है। आप असम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईएम) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और आईआईएम लखनऊ की सोसायटी के सदस्य हैं। श्री दत्ता वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय प्रत्यक्षकर सलाहकार परिषद के भी सदस्य हैं। आप दिनांक- 30/03/2012 को एनएचपीसी बोर्ड में शामिल हुए हैं।

श्री अतुल कुमार गर्ग



श्री अतुल कुमार गर्ग (डीआईएन : 02281287) आयु 62 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आपने 1976 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में राजस्थान काडर के अंतर्गत कैरियर की शुरुआत की। आपने राजनीति विज्ञान और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। आप ब्रिटेन की हुली यूनिवर्सिटी से एमबीए हैं। आप राजस्थान वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक, राजस्थान के राज्यपाल के सचिव और राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सचिव/विशेष सचिव सहित विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

सीएडी कमिशनर, चम्बल कमान कोटा, के रूप में कार्य करते हुए श्री गर्ग को दो बार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का प्रथम पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त हुआ।

श्री गर्ग ने कनाडा की सहायता से बड़े पैमाने पर सिंचाई नहर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को समयबद्ध रूप में पूरा करने का दायित्व निभाया। कनाडा की सहायता से चलाया गया यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम था और इसके अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र देश में किसी भी एजेंसी के कार्य क्षेत्र से बड़ा था।

श्री गर्ग ने दिनांक. 30/03/2012 को एनएचपीसी बोर्ड में पद भार ग्रहण किया है।

श्री शांतिकाम हज़ारिका



श्री शांतिकाम हज़ारिका (डीआईएन : 00523656) आयु 64 वर्ष हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आपने बिट्स, पिलानी से स्नातक उपाधि और आईआईएम अहमदाबाद से स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है।

वर्तमान में आप असम के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप डॉक्टर बी. बरूआ केंसर इंस्टिट्यूट, की प्रबंधन परिषद और असम राज्य परिषद/पूर्वोत्तर परिषद, सीआईआई के सदस्य हैं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ (फिनेर), के निदेशक असम राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के निदेशक हैं।

श्री हज़ारिका असम इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गुवाहाटी के संस्थापक निदेशक हैं और इस पद पर उन्होंने 22 वर्ष तक काम किया है। आप ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान, असम के वरिष्ठ कार्यकारी और असम राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य (वित्त) भी रहे हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री हज़ारिका असम राज्य वेतन आयोग के सदस्य और गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे हैं। आप हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक भी रहे चुके हैं। श्री हज़ारिका के अन्य अनुभवों में असम पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक और प्रीमियर क्रायोजेनेक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यानुभव शामिल हैं। आपने दिनांक- 24/05/2012 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

एनएचपीसी लिमिटेड,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखों का लेखा-परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को सारणी 1 में सार रूप में दर्शाया गया है।

सारणी 1 वित्तीय विशिष्टताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
बिक्री	5509.65	4046.59
मूल्यहास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ	4752.02	4160.75
मूल्यहास	892.74	916.74
मूल्यहास के उपरान्त परन्तु ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	3859.28	3244.01
ब्याज एवं वित्त प्रभार	342.24	366.60
मूल्यहास और ब्याज के उपरान्त परन्तु कर से पूर्व लाभ	3517.04	2877.41
कर	745.27	710.74
मूल्यहास, ब्याज और कर-उपरान्त लाभ	2771.77	2166.67
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखों का अधिशेष	4336.18	3150.50
बांड विमोचन रिजर्व से पथ लिखित राशि	14.25	14.25
स्व बीमा रिजर्व से पथ लिखित राशि	-	0.04
लाभांश पर कर-पथ लिखित	3.25	1.80
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	7125.45	5333.26
विनियोजन		
बांड विमोचन रिजर्व को अंतरण	129.13	100.00
स्व-बीमा निधि को अंतरण	32.48	39.31
अंतरिम लाभांश	-	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	861.06	738.04
प्रस्तावित लाभांश पर कर	139.68	119.73
रिजर्व एवं अधिशेष में अग्रणीत शेष राशि	5963.10	4336.18

* इसमें पिछले वर्ष का रु. 0.01 करोड़ का शून्यान्त अंतर भी शामिल है।

2. विद्युत उत्पादन

देश के विभिन्न भागों में स्थित और प्रचालित एनएचपीसी के 12 पावर स्टेशनों ने 2011-12 के दौरान 18,683 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया। यह उत्पादन समझौता ज्ञापन में उत्कृष्ट रेटिंग के लिए दिए गए 18,500 मि. यू. के लक्ष्य से 183 मि.यू. अधिक रहा, पिछले वर्ष के उत्पादन के मुकाबले वर्ष 2011-12 में विद्युत का उत्पादन 0.42 प्रतिशत अधिक रहा है।

उपरोक्त के अलावा हिमाचल प्रदेश में 231 मेगावाट (77x3) क्षमता की चमेरा-III जल विद्युत परियोजना से 4 जुलाई, 2012 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। चमेरा-III जल विद्युत परियोजना के चालू हो जाने के साथ ही एनएचपीसी की संस्थापित क्षमता बढ़कर 5526 मेगावाट हो गई है, जिसमें हमारी अनुषंगी कंपनी यानी एनएचपीसी लिमिटेड के जरिए 1520 मेगावाट क्षमता भी शामिल है।

3. प्रस्तावित लाभांश :

आपके निदेशकों ने वर्ष 2011-12 के लिए रु. 0.70 प्रति शेयर लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर) की सिफारिश की है, जो अब तक घोषित कंपनी का सर्वाधिक लाभांश है। लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के बाद किया जायेगा। वर्ष के लिए लाभांश का कुल भुगतान रु. 861.05 करोड़ बैठता है, जो कर उपरान्त 31.06 प्रतिशत लाभ दर्शाता है।



जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण व अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार मुद्दे और चुनौतियां में भाग लेते हुए।

4. पूंजीगत ढांचा

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु. 12300.74 करोड़ रही है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निवल मालियत रु. 26,353.53 करोड़ पर पहुंच गयी, जो पिछले वर्ष के अंत में रु. 24,583.89 करोड़ की थी।

5. वर्तमान में जारी परियोजनाओं की स्थिति

वर्ष के दौरान कंपनी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भूवैज्ञानिक बाधाएं, प्राकृतिक आपदाओं और स्थानीय समस्याएं शामिल थीं, किन्तु, इन सभी चुनौतियों के बावजूद निर्माण गतिविधियां बेहतर गति से जारी रहीं और परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में आपकी कंपनी 4502 मेगावाट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी है, जिनका विवरण सारणी 2 में दिया गया है। इनमें से छह परियोजनाएं- तीस्ता लो डैम- III, चमेरा-III, निम्मो बाजगो, चुटक, उड़ी-II, और और पार्वती-III, ऐसी हैं, जो निर्माण के अग्रिम चरणों में पहुंच गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी लोवर जल-विद्युत परियोजना का कामकाज दिसम्बर, 2011 से बाधित रहा है, किन्तु, अब कार्य की गति में तेजी आयी है और संविदाकारों ने संसाधन जुटाने प्रारंभ कर दिए हैं।

सारणी 2 : निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्योरा

जल विद्युत परियोजना	राज्य	प्रस्तावित संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
तीस्ता लो डैम- III	पश्चिम बंगाल	132
उड़ी- II	जम्मू-कश्मीर	240
चमेरा- III	हिमाचल प्रदेश	231**
तीस्ता लो डैम- IV	पश्चिम बंगाल	160
निम्मो बाजगो	जम्मू-कश्मीर	45
पार्वती-III	हिमाचल प्रदेश	520
पार्वती-II	हिमाचल प्रदेश	800
चुटक	जम्मू-कश्मीर	44*
सुबानसिरी लोवर	असम/अरुणाचल प्रदेश	2,000
किशनगंगा	जम्मू-कश्मीर	330
कुल		4,502

नोट : * वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जम्मू कश्मीर में चुटक एचईपी (44 मेगावाट) की दो यूनिटें एक साथ (प्रत्येक 22 मेगावाट क्षमता की) चालू की गईं।

** जुलाई 2012 में हिमाचल प्रदेश में चमेरा- III एचईपी की सभी तीन यूनिटें (प्रत्येक 77 मेगावाट क्षमता की) चालू की गईं।

6. वाणिज्यिक निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान आपकी कंपनी का वाणिज्यिक निष्पादन अत्यंत संतोषजनक रहा है। वर्ष के दौरान बिक्री से 4,415 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई जबकि पिछले वर्ष 3,619 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। कुल 6,101 करोड़ रुपये के बिल पेश किए गए (जिनमें शुल्क, कर आदि संशोधन होने के कारण पिछले वर्ष की बकाया राशि के 2605.40 करोड़ रुपये के बिल भी शामिल हैं), जबकि पिछले वर्ष 3,553 करोड़ रुपये के बिल पेश किए गए थे। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने 2009-14 की अवधि के लिए सभी 12 पावर स्टेशनों के संदर्भ में शुल्क (टैरिफ) आदेश जारी कर दिया है। 31.03.12 की स्थिति के अनुसार 60 दिन से अधिक लंबित बकाया राशि 1176.02 करोड़ रुपये थी। आपकी कंपनी ने बकाया शुल्कों की वसूली के लिए, चूक करने वाली कंपनियों को विद्युत की आपूर्ति नियंत्रित करने सहित सभी उपाय किए हैं। लाभार्थी राज्यों में से अधिकतर अब बकाया राशि की अदायगी क्रिस्तों में कर रहे हैं।

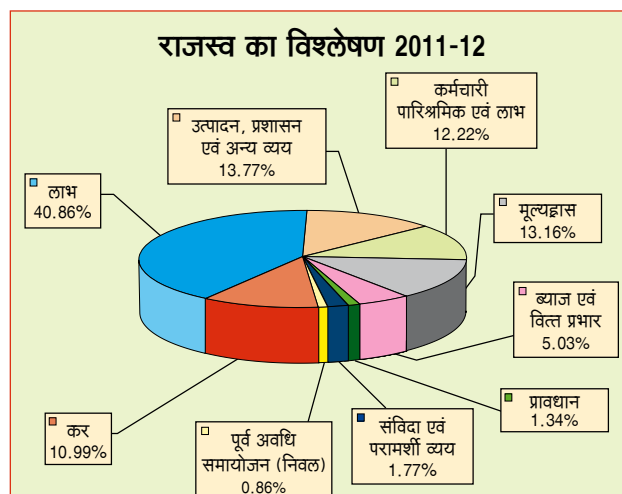
7. परियोजना प्रबंधन :

कारपोरेट कार्यालय में एक ऑन लाइन परियोजना निगरानी केन्द्र की स्थापना की गयी है ताकि वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा सके और निर्माणाधीन परियोजनाओं के महत्वपूर्ण ठिकानों पर लगाए गए कैमरों से लाइव वीडियो फीड्स उपलब्ध कराए जा सकें। इससे मौके पर प्रगति का विश्लेषण किया जा सकता है।

8. नई स्कीमें

स्वीकृति/अनुमोदन चरण के अंतर्गत परियोजनाओं का विवरण सारणी-3 में दिया गया है।

भावी विस्तार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आपकी कंपनी की 5,115 मेगावाट क्षमता की पांच परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। इन पांच परियोजनाओं के अतिरिक्त 3,686 मेगावाट की दो परियोजनाएं राज्य सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के ज़रिए निष्पादित की जायेंगी।



सारणी 3 : स्वीकृति/अनुमोदन चरण के अंतर्गत परियोजनाएं एनएचपीसी द्वारा अकेले निष्पादित की जाने वाली परियोजनाएं

क्र.स.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	कोटली भेल I-ए उत्तराखंड	195
2	तीस्ता IV, -सिक्किम	520
3	दिबांग, अरुणाचल प्रदेश	3,000
4	तवांग-I, अरुणाचल प्रदेश	600
5	तवांग-II, अरुणाचल प्रदेश	800
योग		5,115 मेगावाट

संयुक्त उद्यमों के ज़रिए निष्पादित की जाने वाली परियोजनाएं

6	लोकतक डाउनस्ट्रीम, मणिपुर	66
7	पकल दुल और अन्य, जम्मू-कश्मीर	2120
8	तिपाईमुख, मणिपुर	1,500
योग		3,686 मेगावाट
कुल योग		8,801 मेगावाट

उपरोक्त सभी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर्स) तैयार कर ली गई हैं और उनमें से अधिकतर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी की प्रतीक्षा है। एनएचपीसी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को यह मंजूरी मिलते ही निर्माण गतिविधियां शुरू हो जायेंगी।

मणिपुर में तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु माननीय सुशील कुमार शिंदे, केन्द्रीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार, तथा मणिपुर सरकार की ओर से ओकरन इबोबी सिंह, मुख्य मंत्री, मणिपुर सरकार की उपस्थिति में एनएचपीसी लिमिटेड तथा एसजेवीएन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मणिपुर में लोकतक डाउनस्ट्रीम और जम्मू-कश्मीर में पकल दुल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसीज) की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

उपरोक्त के अलावा उत्तराखंड में दो परियोजनाओं (मंजूरी चरण के अंतर्गत) - कोटली भेल स्टेज-1बी (320 मेगावाट) और कोटली भेल चरण-II (530 मेगावाट) - को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वनभूमि के रूपांतरण की अनुमति प्रदान नहीं की गई। इसके अतिरिक्त कोटली भेल-1बी को प्रदान की गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी भी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वापस ले ली गई। इसके पश्चात् एनएचपीसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील दाखिल की है।

9. डीपीआर/एफआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने जिन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर्स), व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआर्स) तैयार करने और सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का काम शुरू किया है, ये परियोजनाएं मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं। विवरण सारणी 4 में दिया गया है।

तालिका-4 डीपीआर, एफआर, और सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

क्र.स.	परियोजनाएं	क्षमता (मेगावाट)
1	बरसर, जम्मू-कश्मीर	1,020
2	चुंगर चल, उत्तराखंड	240
3	गरबा तवाघाट, उत्तराखंड	630
4	करमोली लूमटी तुल्ली, उत्तराखंड	55
5	लाचेन, सिक्किम	210
कुल		2155 मेगावाट

10. परामर्शी एवं व्यापार विकास सेवाएं

एनएचपीसी के प्रमुख परामर्शी कार्यों में भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों तथा भूटान, म्यांमार और ताजिकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से मिलने वाले कार्य शामिल हैं। ये परामर्शी सेवाएं जल विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं, जैसे नदी घाटी अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन एवं इंजीनियरी, भू-वैज्ञानिक और भू-तकनीकी अध्ययन, जलीय क्षणभंगुरता अध्ययन (हाइड्रोलिक ट्रैन्सिअन्ट स्टडीज), जलविज्ञान अध्ययन, संविदा प्रबंधन, निर्माण प्रबंधन, उपस्कर नियोजन, भूमिगत निर्माण, संयंत्र परीक्षण और उत्पादन प्रारंभ कराना तथा प्रचालन एवं रखरखाव। आपकी कंपनी अभी तक 84 परामर्शी कार्य पूरे कर चुकी है और 18 कार्य प्रगति पर हैं। आपकी कंपनी विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत कोष और केन्द्रीय जल आयोग के साथ जल विद्युत परामर्शदाता के रूप में पंजीकृत है।

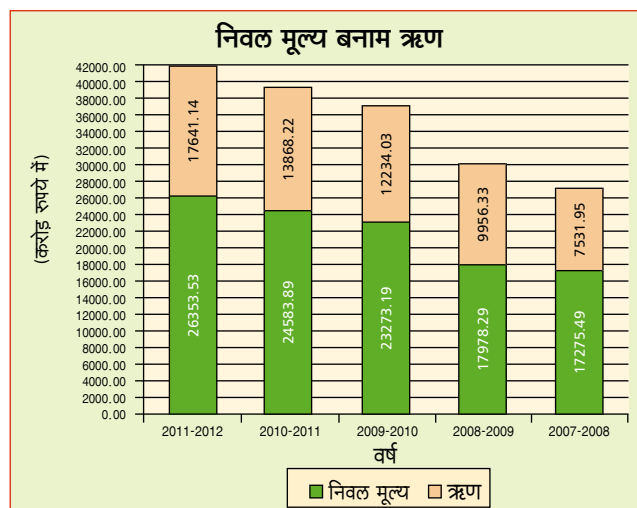
आपकी कंपनी राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों के ज़रिए गैर-आवंटित विद्युत परियोजनाएं शुरू करने के लिए भी प्रयास कर रही है।

11. वैश्विक प्रयास

2020 तक 10,000 मेगावाट जल विद्युत विकास के लिए भारत-भूटान सहयोग के बारे में एक 'कार्य योजना' के अंतर्गत भूटान में चमखरचू-1 जल विद्युत परियोजना (770 मेगावाट) की विस्तृत योजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और कुरी गोंगरी जलाशय परियोजनाओं की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने का काम एनएचपीसी को सौंपा गया है। चमखरचू-1 जल विद्युत परियोजना (770 मेगावाट) की विस्तृत योजना रिपोर्ट का मसौदा मार्च 2012 में भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार को सौंपा गया। कुरी गोंगरी बेसिन परियोजनाओं की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) का मसौदा भी मई 2012 में भूटान की शाही सरकार/भारत सरकार को सौंपा गया।

आपकी कंपनी ने भूटान में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) के निर्माण के लिए इंजीनियरी एवं डिजाइन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए मंगदेछू जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने निम्नांकित परामर्शी सेवाएं भी प्रारंभ की :-

- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्शी कार्यों के रूप में म्यांमार में 1200 मेगावाट की ताम्थी और 642 मेगावाट की श्वेजल जल विद्युत परियोजना और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए अन्वेषण किया गया और अद्यतन डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की गई। ताम्थी जल विद्युत परियोजना और बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए अंतिम रिपोर्ट भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और म्यांमार सरकार को सौंपी गई।
- ताजिकिस्तान में वारज़ोब-1 जल विद्युत परियोजना के आरएमयू कार्य विदेश मंत्रालय, भेल और एनएचपीसी के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत एनएचपीसी को सौंपे गए हैं।
- नाइजीरिया में मैसर्स डांगोटे इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए शिरोरो हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का तकनीकी दृष्टि से अपेक्षित अध्ययन (टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस स्टडी)।



12. आरजीजीवीवाई-ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

आपकी कंपनी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और ओडिशा) में फैले 27 जिलों में करीब 2,900 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं संचालित कर रही है।

इस काम के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत/पुनः अविद्युतीकृत (यूई/डीई) गांवों और आंशिक विद्युतीकृत (पीई) गांवों का विद्युतीकरण और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को विद्युत के कनेक्शन प्रदान करना शामिल है।

2011-12 के दौरान एनएचपीसी ने 460 यूई/डीई गांवों के विद्युतीकरण का काम पूरा किया और 1.9 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को विद्युत के कनेक्शन प्रदान किए। 2011-12 के दौरान 2,020 पीई गांवों के विद्युतीकरण का काम भी पूरा किया गया।

31 मार्च, 2012 तक संचयी उपलब्धियों में 9,092 यूई/डीई गांवों और 16,439 पीई गांवों का विद्युतीकरण और 18.2 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को विद्युत के कनेक्शन देना शामिल है।

13. ग्रामीण सड़क परियोजना

आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इन सड़कों का रखरखाव पांच वर्ष तक आपकी कंपनी द्वारा किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1,763.49 करोड़ रुपये की लागत से 3,242.58 किलोमीटर लम्बी 762 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। 31 मार्च, 2012 तक 2,701.24 किलोमीटर लम्बी 566 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (आईटी एंड सी)

ईआरपी के सभी मॉड्यूल्स निष्पादित करने के बाद संगठन के महत्वपूर्ण कार्य अब पूरी तरह आईटी सक्षम बन गए हैं, जिनमें निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रबंधन और पावर स्टेशनों के रखरखाव पर प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

आईटी पर बढ़ती निर्भरता की जरूरतें पूरी करने के लिए 50 से अधिक स्थानों पर आईटी और संचार ढांचे का उन्नयन किया गया है। मल्टी-मोड, एमपीएलएस-वीपीएन (ओएफसी) का इस्तेमाल करते हुए फेल-सेफ कम्युनिकेशन लिंक और वीएएसएटी आधारित सेटलाइट नेटवर्क के जरिए सभी स्थानों को कारपोरेट कार्यालय से जोड़ दिया गया है। इन्ट्रानेट, इन्टरनेट, ई-मेल और ईआरपी जैसे अनुप्रयोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस नेटवर्क को सशक्त बनाया जा सके।

आपकी कंपनी ने सभी स्थलों पर ई-प्रोक्वोरमेंट उपायों की भी शुरुआत की है ताकि भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यों, वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सक्षम बनाया जा सके और साथ ही लागत में कमी लायी जा सके। संगठन की सभी सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य आईटी सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।

आईटी प्रणालियों और परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क स्थापित किया है ताकि उनका सुरक्षित ढंग से अनुकूलतम इस्तेमाल किया जा सके।

15. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण और विकास के प्रति वचनबद्धता के हिस्से के रूप में आपकी कंपनी ने विभिन्न पावर स्टेशनों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। कंपनी ने सभी वर्गों के कर्मचारियों के कौशल एवं जानकारी को और बढ़ाने के लिए देश में प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के साथ प्रशिक्षण उद्यमों का भी विकास किया है। विद्युत क्षेत्र की मौजूदा और उभरती हुई, दोनों ही तरह की प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार एवं संचालित किए जाते हैं। एनएचपीसी कर्मचारियों के लिए आधुनिक

प्रबंधन और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों हेतु आईआईएम/एक्सएलआरआई/आईआईटी आदि संस्थानों के साथ कार्यनीतिक अनुबंध किए गए हैं।

16. कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं/स्टेशन/यूनिटों में औद्योगिक संबंध सद्भाव एवं सामंजस्य पूर्ण रहे। किन्तु, कुछ स्थानों पर कार्मिकों ने एक दिन की राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल में हिस्सा लिया जिसका आह्वान सेन्ट्रल ट्रेड वर्कर्स यूनियन्स ने अपनी मांगों के समर्थन में किया था। किन्तु, इस हड़ताल का विद्युत उत्पादन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा।

17. अनुसंधान एवं विकास

आपकी कंपनी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियों पर विशेष ध्यान देती है ताकि अपने प्रचालन के क्षेत्रों में नवाचार और परिष्कार लाया जा सके।

कुछ विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान एवं विकास किया गया है, के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :

- जलाशयों/संरचनाओं में रिसाव रोकने की तकनीकें।
- हार्ड कोटिंग फैसिलिटी का विकास जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।
- तीस्ता-V पावर स्टेशन के सर्ज और प्रेशर शॉफ्ट्स तथा सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना के डैम-स्पिलवे से बहने वाले फ्लुइड का कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स (सीएफडी) विश्लेषण किया गया।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी)-“हाईड्रो जेनरेटर्स की टरबाइन के लिए सिल्ट एरोजन प्रतिरोधी सामग्री का विकास”।
- “उच्च हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों में सुरंगें बनाने” में अनुसंधान एवं विकास के लिए सीपीआरआई द्वारा प्रायोजित एनपीपी परियोजनाएं शुरू करना।

18. स्वच्छ विकास क्रियाविधि (क्लीन डिवेलपमेंट मेकेनिज्म-सीडीएम) के लाभ

स्वच्छ विकास क्रियाविधि लाभ यानी सीडीएम बेंचिफिट्स के अंतर्गत पंजीकृत एनएचपीसी की परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट्स की उम्मीद की जाती है।

जम्मू कश्मीर में निम्नो-बाजगो (3x15 मेगावाट) और चुटक (4x11 मेगावाट) परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन संबंधी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के सीडीएम यानी क्लीन डिवेलपमेंट मेकेनिज्म के कार्यकारी बोर्ड की स्वच्छ विकास क्रियाविधि (सीडीएम) के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इन परियोजनाओं से उत्पादन प्रारंभ होने पर हर वर्ष क्रमशः 1,87,893 और 1,66,831 मीट्रिक टन कार्बनडाईआक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी आयेगी। वेरिफाइड एमिशन रिडक्शन स्कीम यानी सत्यापित उत्सर्न कमी कार्यक्रम के जरिए तीस्ता-V जैसी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों से भी कार्बन क्रेडिट्स की उम्मीद की जा रही है।

19. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर)

एनएचपीसी ने विभिन्न पक्षों के परामर्श से राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 की तर्ज पर स्वयं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति 2007 तैयार की है। कंपनी अपनी नीति में राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 में प्रस्तावित लाभों से कुछ अधिक लाभ प्रदान करती है। आपकी कंपनी की नीति का लक्ष्य किसी परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित परिवारों की भूमि, मकानों, अन्य संसाधनों, जीवन निर्वाह के साधनों या सामाजिक सहायता प्रणालियों, आदि की हानि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया जाता है। एनएचपीसी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार किसी भी परियोजना की लागत का 0.75 प्रतिशत हिस्सा पुनर्वास जोन और प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली समुदाय एवं सामाजिक विकास योजना (सीएसडीपी) के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति को उसकी मूल भावना के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन गतिविधियों के प्रभावकारी निष्पादन हेतु एक प्रचालनगत नियमावली तैयार की गयी है।

20. कार्यनीतिक विविधीकरण

एनएचपीसी लिमिटेड, भारतीय जल विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है, जिसका जल विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता में 14 प्रतिशत योगदान है। 2011-12 के दौरान एनएचपीसी ने 18,683 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया, जो कंपनी की स्थापना के बाद से सबसे अधिक है। जल विद्युत के अलावा, ताप और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार करने की भी एनएचपीसी की योजना है।

21. नई परियोजनाओं का वित्त पोषण

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण में ऋण और इक्विटी का अनुपात 70 : 30 का होना चाहिए। आपके निदेशकों का मानना है कि आपकी कंपनी की आंतरिक प्राप्तियां नई परियोजनाओं के इक्विटी घटक को वित्त-पोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। सामान्य इक्विटी मूल्य में कंपनी की ऋण पूंजी का अनुपात कम होने और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ऊंची होने को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में आपकी कंपनी की स्थिति बेहतर है।

इक्विटी घटक का वित्त-पोषण इनिशेल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ प्राप्तियों/आंतरिक संसाधन प्राप्तियों से किया जा रहा है।

कंपनी योजनाबद्ध क्षमता विस्तार कार्यक्रम के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने हेतु द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण हासिल करने के विकल्प तलाश कर रही है।

22. स्थायी विकास नीति

2010-11 से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने ‘गैर-वित्तीय मानदंड’ के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए स्थायी विकास को एक अनिवार्य तत्त्व बनाया है। डीपीई ने सितम्बर, 2011 में स्थायी विकास के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस नीति का मुख्य प्रयोजन स्थायी विकास का लक्ष्य



चमेरा III (231 मेवा) के पूरा होने पर दिनांक 4 जुलाई 2012 को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्पष्ट करते हुए सीपीएसईज द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों का क्षेत्र निर्धारित करना है ताकि सभी प्रकार की संदिग्धता दूर की जा सके और स्थायी विकास की प्रक्रिया में एकरूपता लायी जा सके।

एनएचपीसी ने स्थायी विकास के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वयं की स्थायी विकास नीति तैयार की है।

2011-12 के दौरान एनएचपीसी ने स्थायी विकास की दिशा में पहल करते हुए हिमाचल प्रदेश में पार्वती-III और पार्वती- II जल विद्युत परियोजनाओं में डम्पिंग स्थलों के पुनर्वास/जीर्णोद्धार के लिए ढाल स्थिरीकरण और वृक्षारोपण जैसे उपाय किए। जम्मू-कश्मीर में सलाल पावर स्टेशन के निकट बिह्रा क्षेत्र में पवन विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई और हिमाचल प्रदेश में पार्वती- II, पार्वती- III, तथा चमेरा-I परियोजना और जम्मू-कश्मीर में निम्नो बाजगो परियोजना स्थलों पर पवन विद्युत निगरानी केन्द्र स्थापित करने के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई।

2011-12 के दौरान वन-रोपण अभियान के अंतर्गत एनएचपीसी के विभिन्न परियोजना स्थलों पर एक लाख से अधिक पौधे लगाए गए।

23. सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता विभाग ने नियमित अंतराल के बाद आकस्मिक निरीक्षणों का आयोजन किया। आवश्यक सत्रणों को लागू करने के लिए परियोजना सतर्कता अधिकारियों द्वारा पहचान किए गए कार्रवाई बिन्दुओं की जानकारी समय-समय पर परियोजना प्रमुखों को दी गई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा भी समय-समय पर निर्माणाधीन कार्यों की गहन जांच की गई। सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सभी निर्माण कार्यों और 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सामान एवं सेवाओं की खरीद के लिए निष्ठा समझौता सफलतापूर्वक लागू किया गया।

निवारक सतर्कता पर विशेष बल देने के लिए निरीक्षणों/गहन जांचों पर आधारित परिपत्र/दिशा-निर्देश जारी किए गए। कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी के मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान सतर्कता अधिकारियों के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ताकि उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा सके और उसमें सत्रण लाया जा सके।

24. जालसाजी निवारक नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी में जालसाजी निवारक नीति तैयार की गयी है और इसे लागू किया जा रहा है।

25. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का कंपनी में अनुपालन किया गया। भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के ईमानदार प्रयास किए गए।

संसदीय राजभाषा उपसमिति द्वारा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सलाल परियोजना का निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन की सराहना की गई। कारपोरेट कार्यालय और पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षण आयोजित किए गए। कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन डॉ. नरेन्द्र मोहन ने किया। एनसीयूआई ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पद्मविभूषण डॉ. गोपालदास नीरज सहित प्रतिष्ठित हिन्दी कवियों ने कविता पाठ किया।

कंपनी में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गईं।

आपकी कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष “इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना” के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने प्रदान किया। कंपनी ने विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिन्दे से विद्युत क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन में विशिष्ट योगदान के लिए एनटीपीसी राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत 2010-11 के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड और प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त किया।

26. जन-संपर्क अभियान/जागरूकता गतिविधियां

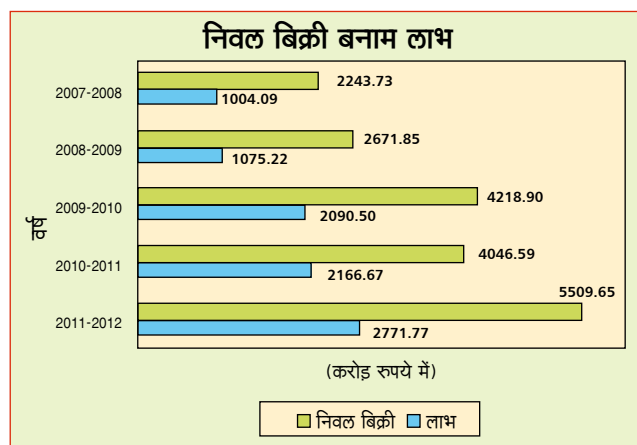
प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कंपनियों की उपलब्धियों को देश भर में समुचित रूप से प्रचारित किया गया ताकि जल विद्युत के विकास में एनएचपीसी की शक्ति और क्षमताओं के प्रति लोगों में जागरूकता लायी जा सके।

आपकी कंपनी ने भारत और विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में खेल संबंधी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। वर्ष 2011-12 के दौरान एनएचपीसी ने 16 वें इंटर-सीपीएसयू ब्रिज और 17वें इंटर-सीपीएसयू चेस टूर्नामेंट का फरीदाबाद में सफलतापूर्वक आयोजन किया।

एनएचपीसी के बारे में कारपोरेट फिल्मों और पर्यावरण के बारे में एक फिल्म का प्रदर्शन अनेक मंचों पर किया गया।

द्विमासिक पत्रिका 'एनएचपीसी न्यूज' और मासिक विज्ञापित का इस्तेमाल आंतरिक संचार के कारगर साधनों के रूप में जारी रहा।

ऊर्जा संरक्षण दिवस 2011 के प्रचार के प्रयासों के हिस्से के रूप में एनएचपीसी के समन्वय से राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसका आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएसी (बीईई) और विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया।



27. पुरस्कार और उपलब्धियां

2011-12 के दौरान एनएचपीसी ने अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- ऐमिटी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, नोएडा द्वारा 'नवीन प्रशिक्षण और मानव संसाधन पद्धतियों के लिए ऐमिटी कारपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार' प्रदान किया गया।
- कंपनी ने 'सबसे बड़े जल विद्युत विकासक (सार्वजनिक क्षेत्र)' के लिए भारत विद्युत पुरस्कारों के अंतर्गत 24 नवम्बर 2011 को 'भारत विद्युत पुरस्कार 2011' प्राप्त किया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड्स-2010 के अंतर्गत 19 अक्टूबर 2011 को 'प्रशंसा पत्र' प्रदान किया गया।
- मिनीरल और अन्य श्रेणी में 'सर्वोत्कृष्ट मानव संसाधन प्रबंधन' के लिए 'सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम उत्कृष्टता पुरस्कार 2011' प्रदान किया गया।
- माननीय विद्युत मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा विद्युत क्षेत्र पुरस्कार 2012 के अंतर्गत कंपनी को 'सर्वोत्कृष्ट निष्पादक कंपनी (जल विद्युत)' का पुरस्कार प्रदान किया गया।



15 मई 2012 को नई दिल्ली में आयोजित पावर लाईन अवार्ड्स 2012 के दौरान माननीय विद्युत मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे बेस्ट परफार्मिंग कंपनी (हाइड्रो) का पुरस्कार प्राप्त करते हुए निदेशक (वित्त), तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक एनएचपीसी श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव

28. कारपोरेट सामाजिक दायित्व

एनएचपीसी ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत ग्रामीण भारत और जम्मू कश्मीर, हिमाचलप्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचलप्रदेश और असम जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित किया। कारपोरेट सामाजिक दायित्व और शिष्ट व्यवहार के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का निर्वहण करते हुए एनएचपीसी ने आंतरिक और बाहरी पक्षों तथा व्यापक सामाजिक स्तर पर आर्थिक विकास एवं जीवन की गुणवत्ता में सन्नधन लाने में योगदान किया। अपने व्यापक सीएसआर उपायों के जरिये एनएचपीसी ने देश भर में पावर स्टेशनों/परियोजनाओं के आसपास रहने वाले समुदायों के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने के प्रयास किए। सीएसआर के बारे में लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एनएचपीसी ने 2010-11 से एक औपचारिक कार्यक्रम शुरू किया है। 2011-12 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए पीएटी का 0.5 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया गया और तदनुसार गतिविधियों के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। एनएचपीसी ने समुदाय विकास के लिए अनेक उपाय किए और निम्नांकित क्षेत्रों में करीब दस करोड़ रुपये खर्च किए :



सीएसआर पहल

शिक्षा

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आसपास रहने वाले लोगों के कौशल एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके।

जम्मू कश्मीर, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पावर स्टेशनों/परियोजना/टाउनशिपों के आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले आठ सौ से अधिक अज्ञात/अज्ञात विद्यार्थियों को वर्ष 2011-12 में छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं। इसके पीछे प्रयोजन यह था कि युवा विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो और वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। दुलहस्ती पावर स्टेशन, टनकपुर पावर स्टेशन और तीस्ता-V पावर स्टेशन के आसपास रहने वाले निर्धन और जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री जैसे पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल बैग और स्कूल की वर्दी/स्वेटर/जूते वितरित किए गए। सुबानसिरी लोवर परियोजना के आसपास स्थित कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने वाली अनेक बालिकाओं

के लिए करीब 4.39 लाख रुपये की लागत से साइकिलें प्रदान की गयीं।

स्वास्थ्य

एनएचपीसी की परियोजनाओं और पावर स्टेशनों के निकट स्थित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बीमारियों से बचाव के लिए अनेक टीकाकरण कार्यक्रम और स्वास्थ्य-जांच कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।

अन्य

एनएचपीसी राष्ट्रीय आपदाओं के समय हमेशा अग्रणी योगदान करती रही है। कंपनी ने अनेक बार प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को मदद प्रदान की है और विभिन्न राहत एवं पुनर्वास उपायों में योगदान किया है। आपकी कंपनी ने सिक्किम में भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए। कंपनी ने ग्रामीण खेलों को भी प्रोत्साहित किया और गांवों में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कीं, जिनमें साज-सामान और अन्य सुविधाएं प्रदान की गयीं। कंपनी ने मवेशियों के लिए पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया। पर्यावरण संरक्षण के उपायों के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठानों के आसपास समुदाय वृक्षारोपण और वानिकी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया।

29. कारपोरेट अभिशासन

कारपोरेट अभिशासन पर एक अलग विवरण अनुपालन प्रमाण पत्र सहित निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में संलग्नक-I में दिया गया और इस रिपोर्ट पर प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट को संलग्नक-II में दिया गया है।

30. सूचना अधिकार अधिनियम 2005

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की। इस जानकारी तक राष्ट्रव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पावर स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय/यूनिट के स्तर पर सहायक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गयी। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का निपटान किया गया और आवेदकों को अपेक्षित जानकारी प्रदान की गयी। मुख्य अभियंता श्री एस के दूबे को केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी निर्दिष्ट किया गया है।

31. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (च), जिसे कंपनी (निदेशक मंडल सम्बन्धी विवरण का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के साथ पढ़ा जाता है, के संदर्भ में अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय सम्बन्धित जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के संलग्नक-III में दी गयी है।

32. कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (2क) जिसे कंपनी (निदेशक मंडल सम्बन्धी विवरण का प्रकटीकरण) नियमावली, 1975, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाता है, के तहत अपेक्षित सूचना निदेशकों की रिपोर्ट के संलग्नक-IV में दी गयी है। कम्पनी (संयुक्त उद्यमों एवं अनुषंगियों को छोड़कर) में 31 मार्च 2012 को 11,037 कर्मचारी थे। पूरे वर्ष के दौरान 60 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला कोई कर्मचारी नहीं था और वर्ष के किसी एक भाग में पांच लाख रुपये महीना से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 167 थी।

33. सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है। वित्त वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स एस एन नन्दा एण्ड कम्पनी, मैसर्स सिंधी एण्ड कम्पनी, मैसर्स बवेजा एण्ड कौल और मैसर्स तिवारी एण्ड एसोशिएट्स को संयुक्त रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

34. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कम्पनी द्वारा टिप्पणी संख्या 14.1 तथा 35 द्वारा लागू की गई विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां से संबंधित हैं, जो स्वतः स्पष्ट हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां क्रमशः संलग्नक-V और संलग्नक-VI में दी गयी हैं। कम्पनी का समेकित वित्तीय विवरण संलग्नक- VII में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ दिया गया है।

35. लागत लेखा परीक्षक

लागत लेखांकन रिकार्ड (विद्युत उद्योग) नियमावली 2001 के अंतर्गत निर्धारित लागत लेखों का रखरखाव कंपनी के सभी पावरस्टेशनों द्वारा 2002-03 से रखा जा रहा है। 2011-12 के लिए लागत लेखा-परीक्षा प्रगति पर है। लागत लेखा परीक्षक की निम्न लिखित फर्मों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-ख के तहत वित्त वर्ष 2011-12 के लिए प्रत्येक फर्म के सामने दर्शाए गए पावर स्टेशन के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखा-परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है।

फर्म का नाम	पावर स्टेशन का नाम
मैसर्स रामनाथ अय्यर एंड कंपनी, नई दिल्ली	उडी-1 पावर स्टेशन और दुलहस्ती पावर स्टेशन
मैसर्स आर एम बंसल एंड कम्पनी, कानपुर (उत्तरप्रदेश)	सेवा- II पावर स्टेशन और चमेरा- II पावर स्टेशन
मैसर्स चन्द्रा वधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली	धौलीगंगा पावर स्टेशन और टनकपुर पावर स्टेशन
मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क, फरीदाबाद, (हरियाणा)	बैरास्थूल पावर स्टेशन एवं चमेरा- II पावर स्टेशन
मैसर्स डी दत्त एंड एसोशिएट्स, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	रंगीत पावर स्टेशन और तीस्ता- V पावर स्टेशन
मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी नई दिल्ली	सलाल पावर स्टेशन और लोकतक पावर स्टेशन

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए प्रस्तुत की गयी लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट, जिसकी निर्धारित तारीख 27.09.11 थी, का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं	पावर स्टेशन	लागत लेखा परीक्षक	सदस्यता संख्या	पता	लागत लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख
1	उडी I	के. एल. जयसिंह एंड कंपनी,	1222	जे-7, सैक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा-201301	25.08.2011
2	दुलहस्ती	के. एल. जयसिंह एंड कंपनी,	1222	जे-7, सैक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा-201301	25.08.2011
3	सलाल	आर एम बंसल एंड कंपनी	3323	ए-201, दिवन टावर्स, लखनपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208024	26.08.2011
4	चमेरा- I	के. जी. गोयल एंड एसोशिएट्स,	10884	4-ए, पॉकेट-2, मिक्स हाउसिंग, न्यू कोंडली, मयूर विहार-3, नई दिल्ली- 110096	26.08.2011
5	बैरा स्थूल	जुगल के. पुरी एंड एसोशिएट्स,	3703	के-19 (ग्राउंड फ्लोर) साउथ एक्सटेंशन भाग-2, नई दिल्ली-110049	29.08.2011

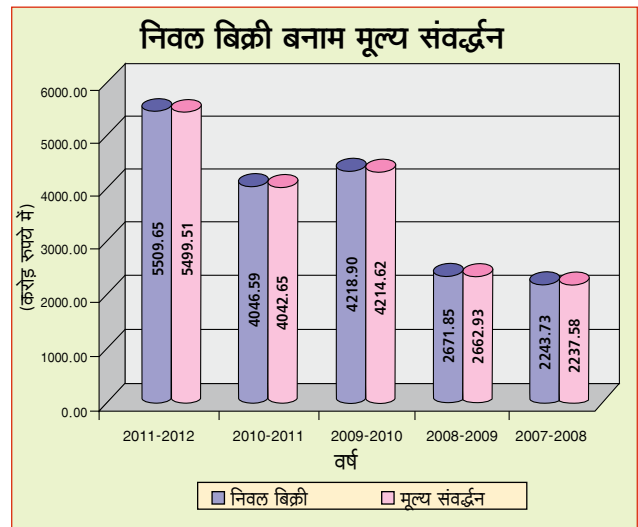
क्र. सं	पावर स्टेशन	लागत लेखा परीक्षक	सदस्यता संख्या	पता	लागत लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख
6	चमेरा- II	जुगल के. पुरी एंड एसोशिएट्स,	3703	के-19 (ग्राउंड फ्लोर) साउथ एक्सटेंशन भाग-2, नई दिल्ली-110049	29.08.2011
7	लोकतक	डी. दत्त एंड एसोशिएट्स,	11633	58, क्रीक रो, कोलकाता-700014	29.08.2011
8	रंगित	डी. दत्त एंड एसोशिएट्स	11633	58, क्रीक रो, कोलकाता- 00014	29.08.2011
9	तीस्ता- V	आर एम बंसल एंड कंपनी	3323	ए-201, दिवन टावर्स, लखनपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208024	26.08.2011
10	धौलीगंगा	एस. के. अडिया एंड कंपनी,	765	1158/ सेक्टर- 14, फरीदाबाद - 121007, हरियाणा	26.08.2011
11	टनकपुर	एस. के. अडिया एंड कंपनी,	765	1158/ सेक्टर- 14, फरीदाबाद - 121007, हरियाणा	26.08.2011
12	सेवा- II	के. जी. गोयल एंड एसोशिएट्स,	10884	4-ए, पॉकेट-2, मिक्स हाउसिंग, न्यू कोंडली, मयूर विहार-3, नई दिल्ली- 110096	26.08.2011

36. समेकित वित्तीय विवरण :

लेखांकन मानक एस-21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण, जिसे एसोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन मानक एस-23 और संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में लेखांकन मानक एस-27 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिपोर्ट में लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अंतर्गत दिया गया है। होल्डिंग कंपनी का अनुषंगी कंपनी में हित संबंधी विवरण रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

37 अनुषंगी कंपनियां

आपकी कंपनी की दो अनुषंगी कंपनियां हैं-एनएचडीसी लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड। इन कंपनियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रबंधन और विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है। एनएचडीसी लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे कंपनी के तुलन-पत्रक के साथ संबद्ध नहीं किए गए हैं। भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र के अनुसार कोई भी शेयरधारक, जो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित इन रिपोर्टों की प्रति प्राप्त करने का इच्छुक हो, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को पत्र लिख सकता है। यह जानकारी एनएचपीसी वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध है।



अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक लेखे निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी रखे गए हैं। कंपनी द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण में अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

38. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक एतद द्वारा निम्न की पुष्टि करते हैं :

- वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;
- निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल-साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं; और
- निदेशकों ने "अनवरत संबंध" आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

39. निदेशक मंडल

वर्तमान निदेशक मंडल का विवरण कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

पिछली रिपोर्ट के बाद निम्नांकित निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो गया है।

क्र.स.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	कार्यकाल पूरा होने की तारीख
1	श्री के धर्मराजन	स्वतंत्र निदेशक	03.09.2011
2	श्री सुधीर कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक	01.12.2011
3	श्री राकेश जैन	सरकार द्वारा नामित निदेशक	03.01.2012

पिछली रिपोर्ट के बाद निम्नांकित निदेशक बोर्ड में शामिल हुए।

क्र.स.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	श्री जी एस वेदी	स्वतंत्र निदेशक	08.11.2011
2	श्री ए के मागो	स्वतंत्र निदेशक	09.02.2011
3	श्री आर जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक	12.11.2011
4	श्री जी साइ प्रसाद	सरकार द्वारा नामित निदेशक	20.12.2011
5	श्री ए एस बख्शी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.01.2012
6	श्री अशोक कुमार दत्ता	स्वतंत्र निदेशक	30.03.2012
7	श्री अतुल कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक	30.03.2012
8	श्री शांतिकम् हज़ारिका	स्वतंत्र निदेशक	24.05.2012

40. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, के विभिन्न स्कन्धों, विशेष कर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग के साथ-साथ राज्य सरकारों, क्षेत्रीय तथा राज्य विद्युत बोर्डों, हमारे पावर स्टेशनों से विद्युत प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और परामर्श कार्यों से सम्बद्ध अन्य बहुमूल्य ग्राहकों का कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और भारतीय वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, ऋणदाताओं और निवेशकों से मिले सहयोग एवं एनएचपीसी पर किए गए विश्वास के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल कंपनी के वांछित लक्ष्यों को हासिल करने में ठेकेदारों, विक्रेताओं, परामर्शदाताओं और अन्य लोगों द्वारा दिए गए योगदान की भी सराहना करता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता है तथा उनसे प्राप्त सतत सहायता एवं सहयोग हेतु कृतज्ञता व्यक्त करता है।

इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल एनएचपीसी के सभी कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और अथक प्रयासों की सराहना करता है, जिनसे आपकी कंपनी सफलता के शिखर पर पहुंची है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

जी. साइ प्रसाद

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.07. 2012

जी. साइ प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 00325308

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. अभिशासन संहिता पर कंपनी का विचार :

एनएचपीसी में कारपोरेट अभिशासन से अभिप्राय है किसी व्यापार के शिष्टाचारपूर्वक संचालन के लिए अपनायी जाने वाली सर्वोत्कृष्ट पद्धतियां, जिनमें शेयरधारकों की सम्पत्ति में अधिकतम वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। प्रबंधन शेयरधारकों के अक्षुण्ण अधिकारों को इस रूप में स्वीकार करती है कि वे कंपनी के वास्तविक मालिक हैं और उनकी स्वयं की भूमिका शेयरधारकों की ओर से न्यासी की है तथा वह व्यापक स्तर पर शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर कारपोरेट अभिशासन पद्धतियों को इस्तेमाल कर रही है। एनएचपीसी में कारपोरेट अभिशासन मूल्यों के प्रति प्रबंधन की ऐसी वचनबद्धता है, जिसमें किसी कंपनी के प्रबंधन में व्यक्तिगत और कारपोरेट निधि के बीच भेद समझने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। इसमें प्रबंधन की निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित की जाती है। एनएचपीसी में इन सिद्धांतों पर अमल करना वैधानिक मजबूरी मात्र नहीं है, बल्कि उन्हें एक जीवन शैली के रूप में अपनाया जाता है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के प्रावधानों को अपनाने के अलावा, हम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करते हैं।

2. निदेशक मंडल

- बोर्ड का आकार :** एनएचपीसी कंपनी अधिनियम, 1956, की धारा 617 के अर्थों के तहत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 निदेशकों से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी, परंतु, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में बोर्ड की वास्तविक संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।
- बोर्ड का गठन :** वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड (निदेशक मंडल) में 12 निदेशक हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा छह स्वतंत्र निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त श्री शांतिकुमार हजारी ने 24 मई 2012 को एनएचपीसी निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। निदेशकों के नाम तथा उनकी श्रेणी और वर्ष के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति और सूचीबद्ध करार के तहत निदेशकों की संख्या और विभिन्न समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति और अंशधारक शिकायत समिति में उनके द्वारा धारित पदों का ब्योरा नीचे तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका-1 : निदेशकों की श्रेणियां और निदेशकशिप तथा उनके द्वारा धारित समिति पद

निदेशक का नाम	निदेशकों से सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या, जिनमें हिस्सा लिया	अंतिम एजीएम (19.09.11 को हुई) में उपस्थिति	31.03.2012#को धारित अन्य निदेशकशिप		31.03.2012##को अन्य समितियों की संख्या, जिनकी सदस्यता धारित की हो	
				सार्वजनिक	निजी	अध्यक्ष	सदस्य
कार्यपालक निदेशक							
श्री ए बी एल श्रीवास्तव @	13	13	हां	3	शून्य	शून्य	शून्य
श्री डी पी भार्गव	13	13	-	शून्य	1	शून्य	शून्य
श्री जे के शर्मा	13	13	हां	शून्य	1	शून्य	शून्य
श्री आर एस मीना	13	13	हां	शून्य	शून्य		शून्य
गैर कार्यपालक निदेशक							
श्री राकेश जैन*	9	9	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुधीर कुमार*	8	8	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जी साइ प्रसाद***	4	4	-	4	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए एस बख्शी***	4	2	-	-	-	-	-

निदेशक का नाम	निदेशकों से सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या, जिनमें हिस्सा लिया	अंतिम एजीएम (19.09.11 को हुई) में उपस्थिति	31.03.2012#को धारित अन्य निदेशकशिप		31.03.2012##को अन्य समितियों की संख्या, जिनकी सदस्यता धारित की हो	
				सार्वजनिक	निजी	अध्यक्ष	सदस्य
स्वतंत्र निदेशक							
श्री ए के मागो**	7	7	-	2	शून्य	शून्य	1
श्री आर जयसीलन**	8	5	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. कुरियाकोसे ममकुट्टम*	2	2	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के धर्मराजन*	6	5	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री ए गोपालकृष्णन	13	11	हां	1	1	2	शून्य
श्री जी एस वेदी**	7	7	-	1	शून्य	शून्य	2
श्री अशोक कुमार दत्ता**	13	-	-	3	1	शून्य	1
श्री अतुल कुमार गर्ग**	-	-	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री शांतिकम् हजरिका**	लागू नहीं	लागू नहीं	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी:

- @ श्री ए बी एल श्रीवास्तव के पास निदेशक (वित्त) के प्रभार के अलावा दिनांक 30.06.2012 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार भी है।
- * श्री के ममकुट्टम, श्री के धर्मराजन, श्री सुधीर कुमार और श्री राकेश जैन क्रमशः 17-06-2011, 03-09-2011, 01-12-2011 और 03-01-2012 से निदेशक पद से कार्य मुक्त हो गए।
- ** श्री जी एस वेदी, श्री ए के मागो, श्री आर जयसीलन, श्री अशोक कुमार दत्ता, श्री अतुल कुमार गर्ग और श्री शांतिकम् हजरिका ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में क्रमशः 08-11-2011, 09-11-2011, 12-11-2011, 30-03-2012 और 24-05-2012 को कार्यभार संभाला।
- *** श्री जी साइ प्रसाद, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), - विद्युत मंत्रालय और श्री ए एस बख्शी, सदस्य (हाइड्रो), - विद्युत मंत्रालय और अध्यक्ष (केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण) ने सरकार से नामित निदेशक के रूप में क्रमशः 20-12-2011 और 17-01-2012 को कार्यभार संभाला।
- # इस सारिणी में उल्लिखित निदेशकों की निदेशकशिप में वैकल्पिक निदेशकशिप, बाहरी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत कंपनियों में निदेशकशिप को शामिल नहीं किया गया है।
- ## अन्य समिति सदस्यता के अंतर्गत केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति की सदस्यता शामिल है।

कंपनी के निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है। निदेशकों की संक्षिप्त रूप रेखा वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गयी है।

- iii) **निदेशकों की आयु सीमा और कार्य अवधि :** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए होती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यतः 3 वर्ष तक के लिए की जाती है।

iv) गैर कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा और प्रकटीकरण :

कंपनी ने गैरकार्यकारी सरकारी नामिती निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया है। तथापि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के निदेशक मंडल तथा समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15,000 रुपये प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2: स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का ब्योरा

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क (रुपये में)*		कुल (रुपये)
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
डॉ. कुरियाकोस ममकुट्टम	30,000	30,000	60,000
श्री के धर्मराजन	75,000	75,000	1,50,000
श्री ए गोपाल कृष्णन	1,65,000	1,80,000	3,45,000
श्री आर जयसीलन	75,000	90,000	1,65,000
श्री ए के मागो	1,05,000	75,000	1,80,000
श्री जी एस वेदी	1,05,000	90,000	1,95,000

* बैठक शुल्क में निदेशक मंडल द्वारा गठित सभी समितियों का शुल्क शामिल है।

31 मार्च 2012 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों का ब्योरा तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3 : 31 मार्च 2012 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों का ब्योरा :

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री एबीएल श्रीवास्तव	49,875
श्री डी पी भार्गव	20,000
श्री जे के शर्मा	4,550
श्री आर एस मीना	42,000
श्री ए एस बख्शी	-
श्री जी साइ प्रसाद	शून्य
श्री ए गोपाल कृष्णन	-
श्री जी एस वेदी	शून्य
श्री ए के मागो	शून्य
श्री आर जयसीलन	शून्य
श्री अशोक कुमार दत्ता	शून्य
श्री अतुल कुमार गर्ग	शून्य
श्री शांतिकम् हजारिका	शून्य

v) बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और प्रक्रिया विधि :

(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया : कंपनी ने समस्त कारपोरेट मामलों के व्यावसायीकरण की संवीक्षा के साथ निदेशक मंडल के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों का लक्ष्य बोर्ड की बैठकों में निर्णय करने की प्रक्रिया को विवेकपूर्ण एवं सक्षमतापूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित करना है।

(ख) बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त का निर्धारण और चयन :

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के उपरांत संगत नोटिस जारी करने के बाद बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा परिपत्र द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति के कारण अथवा विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, किसी अतिरिक्त अथवा पूरक दस्तोवज को कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यावहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में टेबल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्य सूची दस्तावेज कार्यात्मक निदेशक/सीएमडी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।

- वित्त, कार्य प्रणाली, मानव संसाधन इत्यादि से संबंधित मामलों पर अभ्यावेदनों को बोर्ड/समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है ताकि सदस्य विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ग) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना :

बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त-पुस्तिका में रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त अगली बोर्ड की बैठक में पुष्टि के लिए सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

(घ) अनुवर्ती तंत्र :

बोर्ड/समिति के मार्ग दर्शन के तहत, बोर्ड/समिति के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को अगली बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रभावी अनुवर्ती, संवीक्षा एवं रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

(ङ) अनुपालन करना :

कार्यवृत्त टिप्पणी तैयार करते समय हमारा यह प्रयास होता है कि विधि के प्रावधानों, नियमों, और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी दिशा-निर्देशों, सूचीबद्ध करार एवं विभिन्न अन्य कानूनों के तहत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हो। निदेशक मंडल कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली विधि अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

बोर्ड को निम्नांकित जानकारी नियमित रूप से प्रदान की जाती है :

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही परिणाम।
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- कारण बताओं, मांग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, यदि कोई हो, जो भौतिक रूप में महत्वपूर्ण हो।
- घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/प्रतिष्ठानों में उनके द्वारा धारित किए गए निदेशक पदों और समिति पदों के बारे में उनके हितों का प्रकटीकरण।
- संयुक्त उद्यमों/सहभागिता करारों, आदि का विवरण।
- बड़ी संविदों प्रदान किया जाना।
- नामांकन आधार पर प्रदान किए गए खरीद/निर्माण/अनुबंधों के संदर्भ में तिमाही जानकारी।
- विधि एवं लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य मद।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड की 13 बैठकें हुईं। कंपनी ने प्रत्येक 3 माह के दौरान बोर्ड की कम से कम एक बैठक की और बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं रहा। बोर्ड की बैठकों का ब्योरा नीचे तालिका-4 में दिया गया है :

तालिका-4 : समीक्षा के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	08 अप्रैल, 2011	10	10
2	27 मई, 2011	09	08
3	24 जून, 2011	08	07
4	30 जून, 2011	08	08
5	10 अगस्त, 2011	08	08
6	24 अगस्त, 2011	08	08
7	28 अक्टूबर, 2011	07	07
7*	15 नवम्बर, 2011	10	09
8	25 नवम्बर, 2011	10	10
9	14 दिसम्बर, 2011	09	08
10	19 जनवरी, 2012	10	09
11	27 जनवरी, 2012	10	08
12	15 फरवरी, 2012	10	08
13	06 मार्च, 2012	10	10

नोट : * 28 अक्टूबर 2011 को हुई बोर्ड की 338वीं बैठक 15 नवम्बर 2011 तक विस्तारित की गई।

- (vi) **आचार संहिता** : कंपनी व्यापार नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यापार करने और प्रचलित कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एतद द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए निर्धारित कार्य व्यापार आचार संहिता तथा नैतिकता सभी संबंधित पक्षों के बीच परिचालित की गयी और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उन सभी का अनुपालन किया गया।

सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित घोषणा :

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर

(ए बी एल श्रीवास्तव)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या : 01601682

दिनांक: 15. 06.2012

- (vii) **धोखाधड़ी निवारण और जोखिम प्रबंधन नीति** : जोखिम प्रबंधन प्रणाली कारपोरेट एवं प्रचालनगत उद्देश्यों के अनुरूप एवं एकीकृत है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यापार प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाता है और विभिन्न समयों पर एक अलग कार्य के रूप में नहीं देखा जाता। जालसाजी निवारण और जोखिम प्रबंधन के बारे में कंपनी ने अलग से नीतियां निर्धारित की हैं।
- (viii) **बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण** : जब भी बोर्ड द्वारा नए निदेशकों की नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें कंपनी के लक्ष्य, रणनीतिक दिशा, वित्तीय मामलों सहित बुनियादी मूल्यों और व्यापार प्रचालनों के संबंध में औपचारिक प्रारंभिक एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं और पद्धतियों को समझने में मदद पहुंचाने के लिए आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर्स, रिपोर्ट तथा विभागीय नीति दस्तावेज भी मुहैया कराए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के लिए कार्यस्थल निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने पर विचार किया जाता है।
- (ix) **एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता** : भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 1992 की अपेक्षा के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड ने अपनी प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग के लिए एक व्यापक संहिता कार्यान्वित की है।

3. निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियां :

बोर्ड ने व्यापार के विभिन्न पहलुओं की देख-रेख के लिए समितियों का गठन किया है। बोर्ड द्वारा निम्नांकित समितियों का गठन किया गया है :

1. लेखा-समिति
2. शेयरधारक शिकायत समिति
3. परियोजनाएं एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति
4. संविदाओं से संबंधित निदेशक समिति
5. पारिश्रमिक समिति
6. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशक समिति
7. आईपीओ की निवेश प्राप्तियों से संबंधित निदेशक समिति
8. स्वबीमा निधि से संबंधित निदेशक समिति

(i) लेखा-परीक्षा समिति :

लेखा-परीक्षा समिति का संविधान, कोरम, कार्य क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 1956 तथा सूचीबद्ध समझौते के अनुरूप है। 31 मार्च, 2012 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| i) श्री ए गोपाल कृष्णन | स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष |
| ii) श्री ए के मागो | स्वतंत्र निदेशक |
| iii) श्री जी एस वेदी | स्वतंत्र निदेशक |

लेखा समिति का पुनर्गठन 25 मई 2012 को किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| i) श्री ए गोपाल कृष्णन | स्वतंत्र निदेशक |
| ii) श्री ए के मागो | स्वतंत्र निदेशक |
| iii) श्री जी एस वेदी | स्वतंत्र निदेशक |
| iv) श्री अतुल कुमार गर्ग | स्वतंत्र निदेशक |

बैठकें और उपस्थिति: समिति की बैठक वर्ष में सात बार यानी 18 अप्रैल, 2011; 25-27 मई, 2011; 30 जून, 2011; 09-10 अगस्त, 2011; 27 अक्टूबर, 2011; 27 जनवरी, 2012; और 14 फरवरी, 2012 को हुई। लेखा समिति की बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्योरा नीचे तालिका-5 में दिया गया है :

तालिका-5: लेखा समिति की बैठकें

क्र.स.	2011-12 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री राकेश जैन	05	04
2	श्री कुरियाकोस ममकुट्टम	02	02*
3	श्री ए गोपाल कृष्णन	07	06
4	श्री के धर्मराजन	02	02
5	श्री आर एस मीना	01	01
6	श्री ए के मागो	02	02
7	श्री जी एस वेदी	02	02

नोट: लेखा समिति की 56वीं बैठक 25 मई 2011 को हुई जिसे 26 मई 2011 और 27 मई 2011 तक विस्तारित किया गया। श्री कुरियाकोस ममकुट्टम ने 25 मई 2011 को बैठक में हिस्सा नहीं लिया।

लेखा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त) और विभागीय लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष/प्रतिनिधि और सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया। लेखा-परीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच 3 महीने से अधिक समय का अंतराल कभी नहीं रहा। कंपनी सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में काम किया।

लेखापरीक्षा समिति का क्षेत्र : कंपनी अधिनियम, 1956 और सूचीबद्ध करार, समय-समय पर यथा संशोधित, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार समिति के विचारणीय विषयों में निम्नांकित शामिल हैं :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय हैं।
2. लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना :
 - क) कंपनी अधिनियम की धारा 217 के खंड (2कक) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के दायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
 - ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
 - ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
 - घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित वैधानिक अपेक्षाओं को अनुपालन;
 - च) संबंधित पक्ष लेन-देन से संबद्ध कोई प्रकटीकरण; और
 - छ) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें (क्वालिफिकेशन्स)।
5. तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
6. आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।
8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
9. ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाजी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।
10. कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखापरीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयर होल्डरों और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।
12. व्हीशल ब्लोवर मेकेनिज्म यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ चेताने वाली व्यवस्था, यदि यह कायम की जाये, तो उसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा करना।
13. लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

14. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
16. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।
17. कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को पूर्व-मंजूरी देना और उसकी समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा समिति, किसी सदस्य का नाम निर्दिष्ट कर सकती है, जो सम्बन्धित पक्ष के कारोबार को पूर्व-मंजूरी प्रदान करेगा।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ मिलकर लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लायी जा सके, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।
19. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :
 - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
 - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।
20. निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करना:
 - पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
 - अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।

(ii) शेयर धारक शिकायत समिति :

संघटन : 31, मार्च 2012 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

1. श्री ए के मागो स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री ए बी एल श्रीवास्तव निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी
3. श्री ए गोपाल कृष्णन स्वतंत्र निदेशक

शेयर धारक समिति का पुनर्गठन 25 मई 2012 को किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है:

1. श्री शांतिकम हजारीका स्वतंत्र निदेशक
2. श्री ए बी एल श्रीवास्तव निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी
3. श्री अशोक कुमार दत्ता स्वतंत्र निदेशक

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव सूचीबद्ध समझौते के खंड के 47 के संदर्भ में समिति के अनुपालन अधिकारी हैं।

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें- 09 अगस्त, 2011; 14 दिसम्बर, 2011 और 29 मार्च 2012 को हुई। शेयर धारक शिकायत समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-6 में दिया गया है।

तालिका-6: शेयर धारक शिकायत समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा:

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री के धर्मराजन	01	01
2	श्री ए के मागो	02	02
3	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	03	03
4	श्री ए गोपालकृष्णन	03	02

शेयर धारकों से प्राप्त शिकायतों का ब्योरा : वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्योरा तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका-7: शेयर धारकों की शिकायतें:

शिकायत का विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारंभिक शेष	31, मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष की अवधि में प्राप्त शिकायतें	31, मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31, मार्च 2012 को लंबित शिकायतें
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	278	278	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य	2,826	2,826	शून्य
सेबी शिकायतें	शून्य	42	41	01
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	शून्य	18	18	शून्य
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	02	01	0	03
वकील के नोटिस	शून्य	05	055	शून्य
कुल	02	3,170	3,168	04

बकाया शेयर ट्रांसफर अनुरोध : 31, मार्च 2012 को शेयर ट्रांसफर सम्बन्धी कोई अनुरोध बकाया नहीं था। सभी शेयर अंतरण स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किए गए और कार्यकारी कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे गए।

संदेहास्पद खाते में विद्यमान शेयरों का ब्योरा:

संदेहास्पद खाते में विद्यमान शेयरों का ब्योरा तालिका-8 में दिया गया है।

तालिका-8: संदेहास्पद खाते में शेयर:

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में संदेहास्पद खाते में शेयर धारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	594	2,56,231
वर्ष के दौरान संदेहास्पद खाते से शेयरों के ट्रांसफर के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयर धारकों की संख्या	83	45,106
उन शेयर धारकों की संख्या, जिन्हें वर्ष के दौरान संदेहास्पद खाते से शेयर ट्रांसफर किए गए	83	45,106
वर्ष के अंत में संदेहास्पद खाते में शेयर धारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	511	2,11,125

नोट : इन शेयरों के संदर्भ में वोटिंग का अधिकार तब तक प्रतिबंधित रहेगा जब तक कि सही मालिकों द्वारा ऐसे शेयरों पर दावा नहीं किया जाता।

समिति का कार्य क्षेत्र : शेयर धारक शिकायत समिति को अन्य बातों के अलावा शेयर धारकों और/या निवेशकों की शिकायतों और/या शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश भुगतान, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र न मिलने सम्बन्धी शिकायतों, शेयरों के ट्रांसमिशन (कानूनी प्रतिनिधि के साथ या के बिना) और अन्य विविध शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार होगा।

शेयर धारक शिकायत समिति की बैठक, जब भी समिति उपयुक्त समझेगी, समय-समय पर होगी। समिति की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, की उपस्थिति कोरम के लिए अनिवार्य होगी।

(iii) परियोजनाएं एवं निष्पादन समीक्षा समिति :

संघटन : परियोजना एवं निष्पादन समिति का 19 जनवरी, 2012 को पुनर्गठन किया गया। 31, मार्च 2012 को परियोजनाएं एवं निष्पादन समीक्षा समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) श्री आर जयसीलन | स्वतंत्र निदेशक |
| 2) श्री जी साइ प्रसाद | सरकारी नामित निदेशक |
| 3) श्री ए एस बख्शी | सरकारी नामित निदेशक |
| 4) श्री ए बी एल श्रीवास्तव | निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी |
| 5) श्री डी पी भार्गव | निदेशक (तकनीकी) |
| 6) श्री जे के शर्मा | निदेशक (परियोजनाएं) |
| 7) श्री ए के मागो | स्वतंत्र निदेशक |

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें- 24 मई 2011 और 28-29 फरवरी 2012 को हुई। परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-9 में दिया गया है :

तालिका-9: परियोजना और कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें:

क्र. स.	2011-12 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
01	श्री सुधीर कुमार	01	01
02	श्री के धर्मराजन	01	01
03	श्री आर जयसीलन	01	01
04	श्री जी साइ प्रसाद	01	01
05	श्री ए एस बख्शी	01	-
06	श्री ए के मागो	01	01
07	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	02	02
08	श्री डी पी भार्गव	02	02
09	श्री जे के शर्मा	02	02

समिति का कार्य क्षेत्र : परियोजनाएं और कार्य निष्पादन समीक्षा समिति के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित विषयों की जांच एवं समीक्षा करना है:

- (क) मानक कार्य निष्पादन मानदंडों से महत्वपूर्ण विचलन
- (ख) परियोजना कार्यान्वयन में विचलन
- (ग) निर्माण बजट
- (घ) प्रचालन एवं रख-रखाव बजट
- (ङ) लेखा परीक्षा समिति के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों को छोड़कर ऐसे मामलों की जांच, जो बोर्ड द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे गए हों।
- (च) कोई अन्य मामला, जो प्रबंधन की राय में इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति को सौंपा जाये।

(iv) संविदाओं के बारे में निदेशकों की समिति

संघटन : समिति का 31 मार्च, 2012 को पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2012 को समिति का संघटन इस प्रकार था :

- | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| 1 | श्री ए बी एल श्रीवास्तव | निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी |
| 2 | श्री डी पी भार्गव | निदेशक (तकनीकी) |
| 3 | श्री जे के शर्मा | निदेशक (परियोजनाएं) |
| 4 | श्री ए गोपालकृष्णन | स्वतंत्र निदेशक |
| 5 | श्री आर जयसीलन | स्वतंत्र निदेशक |

इस तथ्य को देखते हुए कि 06 जुलाई 2012 में चार स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो गया, समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है :

- | | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| 1 | श्री ए बी एल श्रीवास्तव | निदेशक (वित्त) |
| 2 | श्री डी पी भार्गव | निदेशक (तकनीकी) |
| 3 | श्री जे के शर्मा | निदेशक (परियोजनाएं) |
| 4 | श्री आर जयसीलन | स्वतंत्र निदेशक |

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें- 10 अक्टूबर 2011, 27 जनवरी, 2012 और 07 मार्च 2012 को हुई। संविदाओं पर निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-10 में दिया गया है :

तालिका-10: संविदाओं पर निदेशकों की समिति की बैठकें:

क्र.स.	2011-12 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	03	03
2	श्री डी पी भार्गव	03	03
3	श्री जे के शर्मा	03	03
4	श्री ए गोपालकृष्णन	03	02
5	श्री आर जयसीलन	02	02

समिति का क्षेत्र : संविदाओं पर निदेशकों की समिति के विचारणीय विषय निम्नांकित हैं :

- (क) एलओआई/संविदा सौंपना अथवा वादा करना जो 100 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 200 करोड़ रुपये के कम मूल्य के हैं, ये संलग्नक- क (सीएमडी, एनएचपीसी लिमिटेड को सौंपे गए अधिकारों से बाहर/के सिवाय अधिकार) के मद संख्या 5 (क) (1), (2) एवं (3) में दिए गए हैं।
- (ख) संविदा समझौते के बीओक्यू में इंगित मात्राओं के सम्बन्ध में मात्रा विविधता, नई मदों को शुरू करना, बीओक्यू के एक मद के स्थान पर दूसरे मद को प्रतिस्थापित करना, संविदा शर्तों से विचलन जिससे बोर्ड द्वारा अनुमोदित संविदाओं के संविदा मूल्य में 25 प्रतिशत से अधिक या 75 करोड़ रुपये से अधिक संचयी वृद्धि परन्तु यह 200 करोड़ रुपये सीमा के अंदर होगी, मूल्य विविधता के कारण संविदा समझौते में पहले से ही हुई बढ़ोतरी को छोड़कर जो भी कम है, आकस्मिकता के प्रावधान इत्यादि तथा नई सांविधिक आवश्यकताओं या वर्तमान सांविधिक आवश्यकताओं के कारण मूल्य विविधता।
- (ग) ठेकेदारों की वजह से न होने वाले विलम्बों हेतु ठेकेदारों को निरर्थक शुल्कों, भाड़ा शुल्क तथा ब्याज का भुगतान जो 10 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य का नहीं होगा, जिसे फोर्स मूल्य में शामिल नहीं किया गया हो।
- (घ) विवादित दावों की स्वीकृति, जो 10 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के न हो।

(v) पारिश्रमिक समिति

किसी भी केन्द्रीय लोक उद्यम के लिए निदेशकों की नियुक्तियां, उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से बैठक शुल्क अदा किया जाता है, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर और सरकार द्वारा स्वीकृत होता है। यह शुल्क बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए किया जाता है। निष्पादन सम्बन्धित वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष उसके विचारार्थ प्रस्तुत की गयी है। 2011-12 के दौरान कम्पनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्योरा नीचे तालिका-11 में दिया गया है।

तालिका-11 : 2011-12 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक

निदेशक	पदनाम	वेतन/भत्ते (रु.)	लाभ * (रु.)	निष्पादन से सम्बन्धित प्रोत्साहन (रु.)	कुल योग (रु.)
श्री ए बी एल श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)	22,88,036	3,26,996	97,523	27,12,555
श्री डी पी भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	20,08,405	2,83,399	94,700	23,86,504
श्री जे के शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)	20,25,745	8,77,486	94,464	29,97,695
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)	22,15,696	2,66,446	94,464	25,76,060

नोट : * लाभों के अंतर्गत चिकित्सा/एलटीसी/लीज रेंट, ईपीएफ (एमसी), पेंशन निधि सम्बन्धी लाभ शामिल हैं।

निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए पारिश्रमिक समिति का गठन किया है :

31 मार्च, 2012 को समिति के सदस्य इस प्रकार थे :

1. श्री ए गोपाल कृष्णन स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री जी एस वेदी स्वतंत्र निदेशक
3. श्री आर जयसीलन स्वतंत्र निदेशक

25 मई, 2012 को पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है:

1. श्री अशोक कुमार दत्ता स्वतंत्र निदेशक
2. श्री जी एस वेदी स्वतंत्र निदेशक
3. श्री शांतिकाम हज़ारिका स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें- 13 जनवरी, 2012; 27 जनवरी, 2012; और 07 मार्च, 2012 को हुई। पारिश्रमिक समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-12 में दिया गया है।

तालिका-12 : पारिश्रमिक समिति की बैठकें

क्र.स.	2011-12 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
01	श्री ए गोपाल कृष्णन	03	02
02	श्री जी एस वेदी	03	03
03	श्री आर जयसीलन	03	03

समिति का क्षेत्र

- (i) वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण सम्बन्धी नीति की अनुशंसा करना।
- (ii) अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना।

(vi) एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों से सम्बद्ध निदेशकों की समिति

संघटन : एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों से संबद्ध समिति का पुनर्गठन 19 जनवरी, 2012 को किया गया।

31 मार्च, 2012 समिति ने निम्नांकित सदस्य थे :

1. श्री ए बी एल श्रीवास्तव निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी-अध्यक्ष
2. श्री डी पी भार्गव निदेशक (तकनीकी)
3. श्री आर एस मीना निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की 12 बैठकें - 26 अप्रैल, 2011; 15 जून 2011; 12 अगस्त, 2011; 08 सितम्बर, 2010; 14 सितम्बर, 2011; 20 सितम्बर, 2011; 20 अक्टूबर, 2011; 08 दिसम्बर, 2011; 09 जनवरी, 2012, 21 फरवरी, 2011; 19 मार्च, 2012; और 29 मार्च, 2012 को हुई। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों के बारे में निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-13 में दिया गया है।

तालिका-13 : एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों के बारे में निदेशकों की समिति की बैठकें:

क्र.स.	2011-12 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
01	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	12	12
02	श्री डी पी भार्गव	12	11
03	श्री आर एस मीना	12	12

समिति का क्षेत्र : समिति के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं

1. शेयर प्रमाण पत्र जारी करना
2. शेयरों का ट्रांसफर और ट्रांसमिशन
3. शेयर प्रमाण पत्रों का री-मेटीरियलाइजेशन
4. डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना
5. एचएचपीसी शेयरों का समेकन/पृथक्करण

(vii) आईपीओ प्राप्तियों के निवेश सम्बन्धी निदेशकों की समिति

समिति का संघटन : 31 मार्च, 2012 को आईपीओ प्राप्तियों के निवेश संबंधी निदेशकों की समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

1. श्री ए बी एल श्रीवास्तव निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष
2. श्री जी एस वेदी स्वतंत्र निदेशक
3. श्री डी पी भार्गव निदेशक (तकनीकी)

25 मई, 2012 को समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है :

1. श्री ए बी एल श्रीवास्तव निदेशक (वित्त)
2. श्री अतुल कुमार गर्ग स्वतंत्र निदेशक
3. श्री डी पी भार्गव निदेशक (तकनीकी)

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें- 29 अगस्त 2011 और 14 मार्च, 2012 को हुई। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों के बारे में निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-14 में दिया गया है।

तालिका-14 : एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों के बारे में निदेशकों की समिति की बैठकें:

क्र.स.	2011-12 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री जी एस वेदी	01	01
2	श्री के धर्मराजन	01	01
3	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	02	02
4	श्री डी पी भार्गव	02	01

(viii) स्व-बीमा निधि के निवेश सम्बन्धी निदेशकों की समिति

संघटन : स्व-बीमा निधि के निवेश के बारे में समिति का पुनर्गठन 19 जनवरी, 2012 को किया गया। 31 मार्च, 2012 को समिति में निम्नांकित सदस्य थे :

1. श्री ए बी एस श्रीवास्तव निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी-अध्यक्ष
2. श्री डी पी भार्गव निदेशक (तकनीकी)
3. श्री जे के शर्मा निदेशक (परियोजनाएं)
4. श्री आर एस मीना निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक - 24 नवम्बर, 2011 को हुई। स्व-बीमा निधि के निवेश के बारे में निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-15 में दिया गया है।

तालिका-15 : स्व-बीमा निधि के निवेश के बारे में निदेशकों की समिति की बैठक :

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री ए बी एस श्रीवास्तव	01	01
2	श्री डी पी भार्गव	01	01
3	श्री जे के शर्मा	01	01
4	श्री आर एस मीना	01	01

समिति का क्षेत्र: समिति को स्व-बीमा निधि में उपलब्ध राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बांड्स, और राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा योजनाओं में करने के लिए अधिकृत किया गया है। समिति को ऐसे निवेश की बिक्री/वसूली के लिए भी अधिकृत किया गया है ताकि वह उठाई गयी हानियों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होने पर निवेश किया जा सके।

4. अनुषंगी कम्पनियां

- (i) **एनएचडीसी लिमिटेड :** एनएचडीसी लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है जिसमें एनएचपीसी के 51 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर हैं। वर्ष के दौरान, सहायक कम्पनी के कार्यवृत्त को एनएचपीसी बोर्ड के समक्ष रखा गया। सहायक कम्पनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं की जानकारी समय-समय पर एनएचपीसी बोर्ड के सदस्यों को दी गई। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार (चूंकि 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार एनएचडीसी की शुद्ध सम्पत्ति तथा टर्न ओवर एनएचपीसी लिमिटेड की शुद्ध सम्पत्ति तथा टर्न ओवर के 20 प्रतिशत से अधिक है) एनएचडीसी "सहायक कम्पनी" की परिभाषा के अंतर्गत आती है। तदनुसार, एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक श्री ए गोपालकृष्णन को एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त किया गया।
- (ii) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड :** लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) की स्थापना 23 अक्टूबर, 2009 को हुई थी। यह कंपनी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी। कंपनी को व्यापार शुरू करने का प्रमाणपत्र 25 फरवरी, 2010 को प्राप्त हुआ। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह कंपनी प्रमुख "सहायक कम्पनी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। एलडीएचसीएल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त एनएचपीसी लि. बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

5. आम सभा बैठक :

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों का ब्योरा तालिका-16 में दिया गया है।

तालिका-16 : वार्षिक आम बैठकें :

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2008-09	31.07.2009	पूर्वाह्न 10 : 30 बजे	पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद
2009-10	22.09.2010	पूर्वाह्न 11 : 00 बजे	नगर निगम प्रेक्षागृह, फरीदाबाद
2010-11	19.09.2011	अपराह्न 03: 30 बजे	मैग्पाई ट्रिस्ट रिजॉर्ट, सेक्टर-16ए मथुरा रोड़, फरीदाबाद

पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित किए गए विशेष प्रस्तावों का ब्योरा : पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

डाक मतपत्र द्वारा जारी प्रस्ताव का विवरण : आपकी कम्पनी ने थर्मल यानी तापक्षेत्र में विद्युत उत्पादन के जरिए विस्तार की योजना बनायी है। तदनुसार संगम अनुच्छेद के लक्ष्य खंड में उपयुक्त संशोधन डाक मत प्रक्रिया के जरिए विशेष प्रस्ताव पारित करते हुए किया गया। 19 अप्रैल, 2012 का नोटिस सभी शेयर धारकों को मतदान के लिए भेजा गया। यह प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 192ए के प्रावधानों, जिन्हें कम्पनी (डाक मतपत्र के जरिए प्रस्ताव पारित करना), नियमावली, 2011 के साथ पढ़ा जाता है, के अनुरूप पूरी की गई और उक्त प्रस्ताव वित्त वर्ष 2012-13 में 07 जून, 2012 को शेयर धारकों द्वारा मंजूर किया गया। डाक मतपत्र का परिणाम 09 जून, 2012 समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया गया। डाक मतपत्र के संचालन के लिए सुश्री सविता ज्योति, कम्पनी सचिव, को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। मतदान का ब्योरा नीचे दिया गया है।

प्राप्त मतपत्रों की कुल संख्या: 15062

क्र. सं.	विवरण	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	मतों की संख्या	परिणाम
01	पक्ष में प्राप्त मत	13877	10718354462	10718354462	विशेष प्रस्ताव के लिए अपेक्षित बहुमत के साथ प्रस्ताव परित
02	विरोध में पड़े मत	321	56183952	56183952	
03	अवैध मत	866	1537195	1537195	
04	मतदान में शामिल न होने वाले मत		17335	17335	

6. प्रकटीकरण :

- (i) **संबंधित पक्ष कारोबार :** प्रोमोटर अथवा निदेशकों अथवा प्रबंधन वर्ग, संयुक्त उद्यम कंपनी/सहायक कंपनी आदि में भौतिक प्रकृति वाले ऐसे कोई कारोबार नहीं थे, जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध होता हो। संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के ब्योरों को कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित किए गए लेखांकन मानक-18 के अनुसार लेखाओं का भाग होने वाली टिप्पणियों में शामिल किया गया है। कंपनी कानून के प्रावधानों और सेबी सहित नियामक प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या सरकार द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के लिए कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है। कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले सभी मदों को स्वीकार कर लिया है। परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर प्रकाशित की जाती हैं। निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस रिपोर्ट में अपेक्षित विवरण शामिल किए गए हैं। गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को स्वीकार (का अनुपालन करने)/अस्वीकार करने संबंधी सूचना संलग्नक-क में प्रदान की गई है।

(ii) लेखांकन व्यवहार : कंपनी ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का पालन किया है। किन्तु, विचलनों, यदि कोई हों, का उल्लेख टिप्पणियों में किया गया है, जो लेखों का अभिन्न अंग हैं।

7. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण समझौते के खंड-49 की अपेक्षा के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए बी एल श्रीवास्तव और कार्यपालक निदेशक (वित्त) श्री आर के तनेजा द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

8. संचार के साधन

कम्पनी के आवधिक वित्तीय परिणामों को सूचीकरण समझौते के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम राष्ट्रीय एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी आवधिक परिणाम/रिकॉर्ड प्रत्येक शेयरधारक को नहीं भेजती बल्कि ये परिणाम कम्पनी के वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं। कम्पनी ने महत्वपूर्ण निगमित निर्णयों और कार्यकलापों पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और उन्हें अपनी वेबसाइट पर भी डाला। प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का अंग है।

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का ब्योरा तालिका-17 में दिया गया है।

तालिका-17 : लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम इस प्रकार है :

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30.06.2011	30.09.2011	31.12.2011	31.03.2012
फाइनेंशियल एक्सप्रेस (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	-	29.10.2011	28.01.2012	26.05.2012
टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी)	11.08.2011	29.10.2011	-	-
नवभारत टाइम्स (हिन्दी)	11.08.2011	29.10.2011	-	-
द इकॉनॉमिक्स टाइम्स (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	11.08.2011	29.10.2011	-	-
मेल टूडे (अंग्रेजी)	-	29.10.2011	28.01.2012	-
जनसत्ता (हिन्दी)	-	-	28.01.2012	-
हिन्दुस्तान टाइम्स (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	-	-	-	26.05.2012
बिजनेस लाइन (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	-	-	-	26.05.2012
मिंट (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	-	-	-	26.05.2012
दैनिक जागरण (दिल्ली/एनसीआर, हिन्दी)	-	-	-	26.05.2012
हिन्दुस्तान (सभी संस्करण/हिंदी)	-	-	-	26.05.2012

ससंस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को दिए गए प्रस्तुतीकरण का ब्योरा निम्न प्रकार है :

9. शेयरधारकों की सूचना

(i) वार्षिक आम सभा :

दिनांक: 17 सितम्बर, 2012

समय : 11:00 बजे

स्थान : म्यूनिसिपल कारपोरेशन आडिटोरियम एनआईटी-नजदीक बीके चौक फरीदाबाद-121001

(ii) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय कलेंडर :

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012
30 जून 2011 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	10 अगस्त 2011 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गयी।
30 सितम्बर 2011 को समाप्त छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	28 अक्टूबर 2011 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गयी।
31 दिसम्बर 2011 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	27 जनवरी 2012 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गयी।
31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	25 मई 2012 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गयी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक)-2012	

(iii) खातों का बंद किया जाना/रिकॉर्ड की तिथि

क) लाभांश के भुगतान के लिए : सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बुक को दिनांक 04.09.2012 से 17.09.2012 (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) तक बंद रखा जायेगा।

ख) बांडों पर ब्याज का भुगतान :

बांड सीरीज	ब्याज भुगतान की नियत तिथि	रिकॉर्ड तिथि
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योरिटी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-डी से स्ट्रुप-जे)	30.06.2011	10.06.2011
एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्योरिटी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'पी' सीरीज बांड	28.02.2012	09.02.2012

ग) बांडों का विमोचन: वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान विमोचित किए गए बांडों का विवरण नीचे दिया गया है :

बांड सीरीज	आईएसआईएन	स्क्रिप कोड	विमोचन की नियत तिथि	रिकॉर्ड तिथि
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योरिटी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-डी)	आईएनई 848ई 08060	एनएचपीसी 12	31.03.12	16.03.12

(iv) लाभांश इतिहास:

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया।	लाभांश भुगतान की तिथि
2006-07	278 (72 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	07.08.2007	14.08.2007
2007-08	300 (100 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	05.08.2008	13.08.2008
2008-09	325 (125 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	31.07.2009	13.08.2009
2009-10	676.54	22.09.2010	01.10.2010
2010-11	738.04	19.09.2011	28.09.2011

(v) स्टॉक एक्सचेंजों का सूचीकरण :

क) इक्विटी शेयर :

कम्पनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
स्क्रिप कोड :533098 ISIN :INE848E01016	स्क्रिप कोड :NHPCEQ ISIN : INE848E01016

ख) बांड : एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योरिटी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड और एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्योरिटी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'पी' सीरीज बांड को निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया गया है:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डब्ल्यूडीएम सेगमेंट, एक्सचेंज प्लाजा, भूतल,

बांद्रा-कुर्ला परिसर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई।

स्टॉक कोड :

सिक्योरिटी का नाम	एनएसई स्क्रिप कोड	आईएसआईएन
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योरिटी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-ई)	एनएचपीसी13	INE848E08078
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योरिटी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-एफ)	एनएचपीसी14	INE848E08086
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योरिटी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-जी)	एनएचपीसी15	INE848E08094

सिक्क्योरिटी का नाम	एनएसई स्क्रिप कोड	आईएसआईएन
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रूप-एच)	एनएचपीसी16	INE848E08102
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रूप-आई)	एनएचपीसी17	INE848E08110
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रूप-जे)	एनएचपीसी18	INE848E08128
एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'पी' सीरीज बांड्स	एनएचपीसी25	INE848E07047
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-ए)	एनएचपीसी16	INE848E07054
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-बी)	एनएचपीसी17	INE848E07062
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-सी)	एनएचपीसी18	INE848E07070
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-डी)	एनएचपीसी19	INE848E07088
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-ई)	एनएचपीसी20	INE848E07096
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-एफ)	एनएचपीसी21	INE848E07104
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-जी)	एनएचपीसी22	INE848E07112
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-एच)	एनएचपीसी23	INE848E07120
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-आई)	एनएचपीसी24	INE848E07138
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-जे)	एनएचपीसी25	INE848E07146
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-के)	एनएचपीसी26	INE848E07153
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड्स (स्ट्रूप-एल)	एनएचपीसी27	INE848E07161

(vi) बाजार मूल्य डाटा:

(क) इक्विटी शेयर:

एनएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 11	26.30	24.60	25.90
मई, 11	26.00	23.35	24.90
जून, 11	25.40	22.45	24.00
जुलाई, 11	27.00	23.00	24.65
अगस्त, 11	25.90	23.05	24.30
सितम्बर, 11	25.10	22.95	23.50
अक्तूबर, 11	25.40	23.00	25.05
नवम्बर, 11	25.40	21.85	22.45
दिसम्बर, 11	23.60	17.65	18.05
जनवरी, 12	21.15	17.50	20.60
फरवरी, 12	22.90	20.15	21.20
मार्च, 12	21.80	19.10	19.70

बीएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल, 11	26.30	24.70	25.85
मई, 11	25.95	24.00	24.90
जून, 11	25.40	22.45	24.00
जुलाई, 11	25.50	23.75	24.60
अगस्त, 11	25.85	23.00	24.30
सितम्बर, 11	25.10	23.10	23.45
अक्तूबर, 11	25.35	22.80	25.10
नवम्बर, 11	25.25	21.95	22.55
दिसम्बर, 11	23.10	17.65	18.05
जनवरी, 12	21.20	17.90	20.60
फरवरी, 12	22.95	20.20	21.20
मार्च, 12	21.75	19.10	19.65

ख) बांड (ओ सीरीज):

एनएसई			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल, 11	शून्य	शून्य	शून्य
मई, 11	शून्य	शून्य	शून्य
जून, 11	शून्य	शून्य	शून्य
जुलाई, 11	शून्य	शून्य	शून्य
अगस्त, 11	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 11	शून्य	शून्य	शून्य
अक्टूबर, 11	शून्य	शून्य	शून्य
नवम्बर, 11	शून्य	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 11	शून्य	शून्य	शून्य
जनवरी, 12	शून्य	शून्य	शून्य
फरवरी, 12	शून्य	शून्य	शून्य
मार्च, 12	शून्य	शून्य	शून्य

01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि में किसी स्ट्रप में कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई।

ग) बांड : (पी सीरीज)

एनएसई			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल, 11	शून्य	शून्य	शून्य
मई, 11	शून्य	शून्य	शून्य
जून, 11	शून्य	शून्य	शून्य
जुलाई, 11	शून्य	शून्य	शून्य
अगस्त, 11	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 11	शून्य	शून्य	शून्य
अक्टूबर, 11	शून्य	शून्य	शून्य
नवम्बर, 11	शून्य	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 11	शून्य	शून्य	शून्य
जनवरी, 12	शून्य	शून्य	शून्य
फरवरी, 12	शून्य	शून्य	शून्य
मार्च, 12	शून्य	शून्य	शून्य

दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान पी-सीरीज बांड में कोई खरीद-फरोख्त नहीं हुई।

घ) बांड : (क्यू सीरीज)

एनएसई			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मई, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जून, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जुलाई, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अगस्त, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सितम्बर, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अक्टूबर, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नवम्बर, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दिसम्बर, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जनवरी, 12	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
फरवरी, 12	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मार्च, 12	शून्य	शून्य	शून्य

दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान क्यू-सीरीज बांड में कोई खरीद-फरोख्त नहीं हुई।

(vii) सूचकांक की तुलना में निष्पादन:

इक्विटी शेयर

बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी मूल्य :

सेंसेक्स			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल, 11	19,811.14	18,976.19	19,135.96
मई, 11	19,253.87	17,786.13	18,503.28
जून, 11	18,873.39	17,314.38	18,845.87
जुलाई, 11	19,131.7	18,131.86	18,197.2
अगस्त, 11	18,440.07	15,765.53	16,676.75
सितम्बर, 11	17,211.8	15,801.01	16,453.76
अक्टूबर, 11	17,908.13	15,745.43	17,705.01
नवम्बर, 11	17,702.26	15,478.69	16,123.46
दिसम्बर, 11	17,003.71	15,135.86	15,454.92
जनवरी, 12	17,258.97	15,358.02	17,193.55
फरवरी, 12	18,523.78	17,061.55	17,752.68
मार्च, 12	18,040.69	16,920.61	17,404.20

बीएसई पर एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल, 11	26.30	24.70	25.85
मई, 11	25.95	24.00	24.90
जून, 11	25.42	22.45	24.00
जुलाई, 11	25.50	23.75	24.60
अगस्त, 11	25.85	23.00	24.30
सितम्बर, 11	25.10	23.10	23.45
अक्टूबर, 11	25.35	22.80	25.10
नवम्बर, 11	25.25	21.95	22.55
दिसम्बर, 11	23.10	17.65	18.05
जनवरी, 12	21.20	17.90	20.60
फरवरी, 12	22.95	20.20	21.20
मार्च, 12	21.75	19.10	19.65

निफ्टी और एनएचपीसी मूल्य :

निफ्टी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल, 11	5,944.45	5,693.25	5,749.50
मई, 11	5,775.25	5,328.70	5,560.15
जून, 11	5,657.90	5,195.90	5,647.40
जुलाई, 11	5,740.40	5,453.95	5,482.00
अगस्त, 11	5,551.90	4,720.00	5,001.00
सितम्बर, 11	5,169.25	4,758.85	4,943.25
अक्टूबर, 11	5,399.27	4,728.30	5,326.60
नवम्बर, 11	5,326.24	4,639.10	4,832.05
दिसम्बर, 11	5,099.25	4,531.15	4,624.30
जनवरी, 12	5,217.00	4,588.05	5,199.25
फरवरी, 12	5,629.95	5,159.00	5,385.20
मार्च, 12	5,499.40	5,135.95	5,295.55

एनएससी पर एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल, 11	26.30	24.60	25.90
मई, 11	26.00	23.35	24.90
जून, 11	25.40	22.45	24.00
जुलाई, 11	27.00	23.00	24.65
अगस्त, 11	25.90	23.05	24.30
सितम्बर, 11	25.10	22.95	23.50
अक्टूबर, 11	25.40	23.00	25.05
नवम्बर, 11	25.40	21.85	22.45
दिसम्बर, 11	23.60	17.65	18.05
जनवरी, 12	21.15	17.50	20.60
फरवरी, 12	22.90	20.15	21.20
मार्च, 12	21.80	19.10	19.70

बबांड : चूंकि 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि में एनएचपीसी ऋण प्रतिभूतियों में कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई इसलिए बांड सूचकांक के संदर्भ में तुलनात्मक निष्पादन प्रासंगिक नहीं है।

(viii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट तथा शेयर अंतरण प्रणाली:

क) इक्विटी शेयर :

मेसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड.

प्लट नं. 17-24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद- 500081

दूरभाष सं.: +91 40 23420818

फैक्स सं. +91 40 23420814

ई-मेल : mailmanager@karvy.com

ख) बांड : कम्पनी ने नॉन रिडीमेबल क्यूमुलेटिव बांडों हेतु निम्नलिखित को रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट नियुक्त किया है :

मेसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड.

बी- 106, सेक्टर-2

नोएडा- 201301 (उत्तरप्रदेश)

दूरभाष सं.: 0120-4015880

ई-मेल : info@rcmcdelhi.com

(ix) शेयर/बांड अंतरण प्रणाली : शेयर/बांड के अंतरण के रूटीन मामलों, की देखरेख करना संबंधित रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट की जिम्मेदारी है,

परंतु यह निदेशक मंडल/निदेशक समिति के निरीक्षण, नियंत्रण एवं अनुमोदन के अधीन होता है।

(x) शेयर पूंजी के वितरण का पैटर्न :

(क) इक्विटी शेयर 31 मार्च 2012 को शेयर धारकों के पास विभिन्न श्रेणियों के शेयर तथा शेयर पूंजी के अनुसार उनका आकार :

i) आकार के अनुसार : 31 मार्च 2012 को शेयर पूंजी के आकार तथा प्रतिशत के अनुसार उनका वितरण:

शेयरों की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत
1-5,000	7,01,583	60.86	15,98,35,454	1.30
5,001-10,000	3,35,694	29.12	25,03,83,445	0.04
10,001-20,000	63,810	5.54	9,52,68,316	0.77
20,001-30,000	19,743	1.71	5,06,41,346	0.41
30,001-40,000	8,271	0.72	2,96,48,522	0.24
40,001-5,0000	6,664	0.58	3,15,11,474,	0.26
50,001-1,00,000	9,738	0.85	7,06,22,074	0.57
1,00,001 और उससे ज्यादा	7,194	0.62	11,61,28,32,142	94.41
कुल	11,52,697	100	12,30,07,42,773	100

ii) 31 मार्च 2012 को शेयर धारण पैटर्न :

श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	10,62,33,68,758	86.36
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	17,01,93,315	01.38
भारतीय जनता	81,48,20,636	06.62
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	24,95,41,484	02.03
कारपोरेट निकाय	22,85,94,521	01.86
म्यूचल फंड्स/यूटीआई	14,69,82,420	01.19
एनआरआई/ओसीबीज	1,73,14,339	0.14
अन्य :		
न्यास	30,46,797	0.02
क्लिअरिंग सदस्य	41,49,351	0.03
कुल	12,30,07,42,773	100

iii) 31 मार्च 2012 को प्रमुख शेयरधारण : 31 मार्च 2012 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर रखने वालों का विवरण इस प्रकार है :-

शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	श्रेणी
राष्ट्रपति के माध्यम से भारत सरकार	10,62,33,68,758	86.36	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार

ख) बांड : (ओ सीरीज)

i) आकार के अनुसार : 31 मार्च 2012 को आकार एवं प्रतिशत के आधार पर बांड रखने का विवरण निम्न प्रकार है :

बांडों की संख्या	बांड धारकों की संख्या	बांड धारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5,000	67	100.00	342	100.00
5,001-10,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10,001-20,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20,001-30,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30,001-40,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40,001-50,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50,001-1,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1,00,001 और उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	67	100.00	342	100.00

ii) 31 मार्च 2012 को बांड धारण पैटर्न :

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	शून्य
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	शून्य
भारतीय जनता	शून्य	शून्य
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	21	6.14
प्राइवेट कारपोरेट निकाय	शून्य	शून्य
म्युचल फंड्स/यूटीआई	शून्य	शून्य
एनआरआई/ओसीबीज	शून्य	शून्य
अन्य :		
(i) बीमा कम्पनियां	142	41.52
(ii) भविष्य निधि/न्यास आदि	179	52.34
कुल	342	100.00

(ii) 31 मार्च 2012 को प्रमुख बांड धारक : 31 मार्च 2012 को कम्पनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांड धारकों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	बांड धारक का नाम	बांडों की संख्या	बांड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
1.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5	1.46	बीमा कम्पनी
2	मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	5	1.46	बीमा कम्पनी
3	आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	5	1.46	बीमा कम्पनी
4	बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	11	3.22	बीमा कम्पनी
5	तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि	4	1.17	पीएफ फंड/ट्रस्ट
6	आईपीसीएल ईपीएफ ट्रस्ट	5	1.46	पीएफ फंड/ट्रस्ट
7	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि	5	1.46	पीएफ फंड/ट्रस्ट
8	एक्सिस बैंक लि.	5	1.46	बैंक और वित्तीय संस्थान
9	भारतीय खाद्य निगम सीपीएफ ट्रस्ट	17	4.94	पीएफ फंड/ट्रस्ट
10	पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी भविष्य निधि	13	3.8	पीएफ फंड/ट्रस्ट
11	पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी ग्रेजुइटी निधि	10	2.92	पीएफ फंड/ट्रस्ट
12	पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी पेंशन निधि	12	7.02	पीएफ फंड/ट्रस्ट
13	बैंक ऑफ इंडिया भविष्य निधि, बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई, पिन-400051	24	3.51	पीएफ फंड/ट्रस्ट
14	भारतीय सामान्य बीमा निगम	70	20.47	बीमा कम्पनी
15	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	15	4.39	बीमा कम्पनी
16	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	30	8.77	बीमा कम्पनी
17	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. का इंडियन प्रोविडेंट फंड	5	1.46	पीएफ फंड/ट्रस्ट
18	कृष्ण कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	5	1.46	पीएफ फंड/ट्रस्ट
19	टाटा मोटर्स लिमिटेड प्रोविडेंट फंड	8	2.34	पीएफ फंड/ट्रस्ट
20	पॉवर ग्रिड सेल्फ कंट्रीब्यूटरी सेवा निवृत्ति लाभ पेंशन निधि ट्रस्ट	5	1.46	पीएफ फंड/ट्रस्ट
21	द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रोविडेंट फंड	5	1.46	पीएफ फंड/ट्रस्ट
22	द पीयरलेस जनरल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	5	1.46	बैंक, वित्तीय संस्थान

(ग) बांड : (पी सीरीज)

i) आकार के अनुसार : 31 मार्च 2012 को होल्डिंग के आकार और प्रतिशतता के अनुसार बांड होल्डिंग का वितरण निम्नलिखित है :

बांडों की संख्या	बांडधारकों की संख्या	बांडधारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5001-10000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10001-20000	1	100.00	20000	100.00
20001-30000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30001-40000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40001-50000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50001-100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
100001 एवं उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1	100.00	20000	100.00

ii) 31 मार्च 2012 को बांड होल्डिंग पैटर्न :

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	शून्य
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	शून्य
भारतीय जनता	शून्य	शून्य
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य
प्राइवेट कारपोरेट निकाय	शून्य	शून्य
म्युचल फंड्स	शून्य	शून्य
एनआरआई/ओसीबीज	शून्य	शून्य
अन्य :		
(i) बीमा कंपनियां	20000	100.00
(ii) भविष्य निधि/न्यास आदि	शून्य	शून्य
कुल	20000	100.00

iii) 31 मार्च 2012 को प्रमुख बांड होल्डिंग पैटर्न : 31 मार्च 2012 को कंपनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांडधारकों का विवरण निम्न प्रकार है :

बांडधारक का नाम	बांडों की संख्या	कुल बांडमूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
भारतीय जीवन बीमा निगम	20000	100.00	अन्य (बीमा कंपनियां)

(घ) बांड : (क्यू सीरीज)

i) आकार के अनुसार : 31 मार्च 2012 को होल्डिंग के आकार और प्रतिशतता के अनुसार बांड होल्डिंग का वितरण निम्नलिखित है :

बांडों की संख्या	बांडधारकों की संख्या	बांडधारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5000	13	68.43	30285	23.92
5001-10000	1	5.26	7056	5.57
10001-20000	4	21.05	66219	52.31
20001-30000	1	5.26	23040	18.20
30001-40000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40001-50000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50001-100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
100001 एवं उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	19	100.00	126600	100.00

ii) 31 मार्च 2012 को बांड होल्डिंग पैटर्न :

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	शून्य
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	शून्य
भारतीय जनता	शून्य	शून्य
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	3564	2.82
प्राइवेट कारपोरेट निकाय	शून्य	शून्य
म्यूचल फंड्स	5004	3.95
एनआरआई/ओसीबीज	शून्य	शून्य
अन्य :		
(i) बीमा कंपनियां	5306	4-19
(ii) भविष्य निधि/न्यास आदि	112726	89.04
कुल	126600	100.00

iii) 31 मार्च 2012 को प्रमुख बांड होल्डिंग पैटर्न : 31 मार्च 2012 को कंपनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांडधारकों का विवरण निम्न प्रकार है :

बांडधारक का नाम	बांडों की संख्या	कुल बांड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी रिलायंस इंकम फंड	3564	2.82	म्यूचल फंड
भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि	7056	5.57	भविष्य निधि/ट्रस्ट
एक्सिस बैंक लिमिटेड	4586	3.62	बीमा कंपनी
केनरा बैंक	3564	2.82	बैंक और वित्तीय संस्थान
सीबीटी ईपीएफ-11-डी-डीएम	4026	3.18	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-05-डी-डीएम	14190	11.21	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-11-ए-डीएम	23040	18.20	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-05-ए-डीएम	4248	3.36	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-11-बी-डीएम	2544	2.01	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-05-बी-डीएम	18816	14.86	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-11-सी-डीएम	15187	12.00	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-05-सी-डीएम	18026	14.24	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-25-सी-डीएम	3286	2.26	भविष्य निधि/ट्रस्ट
नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	1800	1.42	भविष्य निधि/ट्रस्ट

(xi) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन : कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में जमाकर्ताओं के पास डीमैटीरियलाइजेशन रूप में उपलब्ध कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा पूंजी के समाधान के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी कंपनी सचिव से प्राप्त की गई और उसे निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराया गया।

कंपनी के बांड भी अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। एनएसडीएल/सीडीएसएल में सूचीबद्ध कुल स्वीकृत बांडों और कुल जारी तथा सूचीबद्ध बांडों के समाधान के प्रयोजन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी सनदी लेखाकारों से प्राप्त की गई।

(xii) बकाया जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रुमेंट्स, कंवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव : एनएचपीसी ने जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रुमेंट्स जारी नहीं किए हैं।

(xiii) संयंत्र स्थल

बैरास्थूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर-795 124
सलाल-I और II	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जम्मू एवं कश्मीर-182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बानबासा, जिला चम्बावत, उत्तराखंड- 262 310
चमेरा- I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
उड़ी- I	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर -193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित, दक्षिण सिक्किम-737 111
चमेरा- II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चिनाब नगर, सेक्टर- II, किशतवाड़, जम्मू-कश्मीर-182 206
तीस्ता- V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
सेवा- II	एनएचपीसी लि., माशका, जिला कठुआ, (जम्मू-कश्मीर)

(xiv) पत्राचार के लिए पता :

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,

प्रथम तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,

फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003

दूरभाष : 0129-2278421

फैक्स : 0129-2277941

ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in है।

9. अनुपालन प्रमाणपत्र :

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए दिशा-निर्देश 2010 और सूचीकरण समझौते के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में पूर्ण कालिक कार्यकारी कम्पनी सचिव मैसर्स गरिमा दुगल एण्ड एसोशिएट्स, से प्राप्त प्रमाण-पत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जी. साइ प्रसाद

जी. साइ प्रसाद

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00325308

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक : 30.07.2012

अनुबंध-क

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाओं : पूर्व पृष्ठ पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, दिशा-निर्देशों की गैर अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

- क) **बोर्ड** : कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा कम्पनी की अध्यक्षता की जाती है। कम्पनी के बोर्ड में कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।
- ख) **पारिश्रमिक समिति** : कृपया इस रिपोर्ट के पैरा-3 (v) का संदर्भ ग्रहण करें।
- ग) **शेयर धारकों के अधिकार** : पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, यह घोषणा कम्पनी की वेब-साइट पर उपलब्ध है। वित्तीय परिणाम 'शेयर धारक सूचना' नामक शीर्षक से प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई।
- घ) **लेखा परीक्षा योग्यता** : वर्ष 2010-11 के वित्तीय विवरणों में कोई लेखा परीक्षा योग्यता नहीं हैं।
- ङ) **बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण** : कृपया इस रिपोर्ट के पैरा-2 (viii) का संदर्भ ग्रहण करें।
- च) **बोर्ड के गैर कार्यकारी सदस्यों का मुल्यांकन तंत्र** : कम्पनी के बोर्ड में दो सरकारी नामितियों सहित 8 गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। ये सभी विद्युत मंत्रालय के मार्फत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये हैं, इसलिए इन सभी का मुल्यांकन कम्पनी के बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है।
- छ) **भ्रष्टाचार उजागर नीति** : कम्पनी भ्रष्टाचार उजागर नीति अपनाने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अपने कर्मचारियों, विक्रेता प्रतिनिधियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्श दाताओं, सेवा प्रदाताओं अथवा एनएचपीसी के साथ किसी प्रकार का व्यवसाय करने वाले किसी अन्य पक्ष के बारे में कपट या संदिग्ध धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट करने के लिए पहले ही एक कपट निवारण नीति अपनाई है। छल-कपट अथवा संदिग्ध धोखा-धड़ी की समस्त रिपोर्टों की जांच शीघ्रता से की गई है। छल-कपट की रोकथाम के लिए तंत्र बनाना इस नीति में शामिल है।

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

सेवा में
निदेशक मंडल
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

- (क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की संवीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि :
- (i) इन विवरणों में भौतिक दृष्टि से कोई असत्य जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।
 - (ii) इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता के विपरीत हो।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को कायम करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के संचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को दी है।
- घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को निम्नांकित जानकारी दी है :
- (i) वर्ष 2011-12 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण बदलाव।
 - (ii) वर्ष 2011-12 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी दी गई है; और
 - (iii) धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमें प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

(आर के तनेजा)
ईडी (वित्त)
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25 मई, 2012

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक

कारपोरेट अभिशासन का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में
एनएचपीसी लिमिटेड, के सदस्यगण
फरीदाबाद

1. हमने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एनएचपीसी लि. के सूचीकरण करार की धारा 49 में वर्णित की अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
2. कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यान्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा-परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति।
3. हमारी राय में तथा अपनी पूर्ण जानकारी और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त सूचीकरण करार में वर्णित कारपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है।
4. हमारा यह भी मानना है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

कृते गरिमा दुग्गल एंड एसोशिएट्स

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 30.07.2012

हस्ता./-
गरिमा दुग्गल
(स्वामी)
सी पी न. 8413

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा और विकास

विद्युत ऊर्जा किसी भी अर्थ-व्यवस्था के निरंतर विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के विद्युत क्षेत्र ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शानदार प्रगति की है और आज इसकी कुल संस्थापित क्षमता 1,99,627 मेगावाट हो गयी है। 31 मार्च, 2012 को देश की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत, जलविद्युत, परमाणु ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का योगदान क्रमशः 1,31,354 मेगावाट, 38,990 मेगावाट, 4,780 मेगावाट और 24,503 था।

भारत की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख योगदान है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के उपक्रम इसमें करीब 72 प्रतिशत का योगदान कर रहे हैं। 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ रही है, जो करीब 28 प्रतिशत विद्युत उत्पन्न करता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में जलविद्युत क्षेत्र में कई तकनीकी और प्रचालन संबंधी गड़बड़ियों की वजह से देश के कुल विद्युत उत्पादन में जलविद्युत और तापविद्युत का संयुक्त रूप से जो योगदान है और जो होना चाहिए, दोनों का अंतर काफी बढ़ गया है। हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि देश में उपलब्ध 1,48,700 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता में से केवल 26 प्रतिशत का ही दोहन किया जा रहा है और इसके काफी बड़े हिस्से का उपयोग होना अभी बाकी है।

एनएचपीसी लिमिटेड अनुसूची-क के तहत एक मिनीरत्न उपक्रम है। 15,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी और 50,000 करोड़ रुपये के निवेश आधार वाले इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में जलविद्युत क्षमता का विकास करना है। अब यह कंपनी तापविद्युत और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ी है।

एनएचपीसी जलविद्युत के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कंपनी है। चाहे इसकी परियोजनाएं कितने ही दूर-दराज इलाकों में क्यों न हों और उनके निर्माण में कितनी ही बड़ी तकनीकी तथा जलवायु संबंधी चुनौतियां क्यों न हों, एनएचपीसी ने उन्हें समय पर और पेशेवर तरीके से अंजाम देकर उद्योग जगत में अपना सिक्का जमा रखा है।

क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

क) क्षमताएं - एनएचपीसी के पास निम्नलिखित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताएं हैं :

- **जल विद्युत परियोजनाएं लगाने का शानदार रिकार्ड :** एनएचपीसी को परियोजना कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता हासिल है, जिससे यह प्रतिस्पर्धा में शानदार बढ़त हासिल कर सकी है। डिजाइन एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में कम्पनी की बुनियाद भी बड़ी मजबूत है और उसे भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, भू-तकनीकी, निर्माण और सामग्री सर्वेक्षण के क्षेत्र में उसके पास अपनी विशेषज्ञता मौजूद है। इसकी इंजीनियरी क्षमताओं में परियोजनाओं की परिकल्पना से लेकर उनके चालू होने तक के तमाम चरणों में काम आने वाली विशेषज्ञता शामिल है। एनएचपीसी की टीम की मदद के लिए उसके पास अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजना परामर्शदाता हैं।
- **दूर-दराज/दुर्गम इलाकों, भू-तकनीकी दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन का अनुभव :** एनएचपीसी की लगभग सभी परियोजनाएं दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं। निम्नो ब्रजगो और चुटक इसका उदाहरण हैं। इनमें जलवायु, प्रौद्योगिकी और संभारतंत्र संबंधी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किन्तु, इसके पास सक्षम और अनुभवी पेशेवर कर्मियों का की मजबूत टीम है, जो सभी आकार-प्रकार वाली परियोजनाओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। इन्हीं के बलबूते एनएचपीसी ने 14 पावर स्टेशनों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। इनमें से दो पावर स्टेशनों उसने अपनी सहायक कम्पनी एनएचडीसी के साथ मिलकर बनाए हैं। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा निर्मित चमेरा-II पावर स्टेशन और इसकी सहायक कम्पनी एनएचडीसी की इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजनाएं समय से पहले बनकर तैयार हुई हैं।
- **उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते :** एनएचपीसी की ज्यादातर आमदनी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं को विद्युत की बिक्री से होती है जो विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) के जरिए की जाती है। विभिन्न पावर स्टेशनों से विभिन्न लाभार्थियों को विद्युत का आवंटन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस समय राज्यों की संस्थाओं को दी जाने वाली विद्युत के लिए भुगतान ऋण-पत्रों के माध्यम से किया जाता है जो भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और संबद्ध राज्य सरकारों के बीच तृतीय समझौतों के अनुसार होता है।
इसके अतिरिक्त जब कभी भारत सरकार नई परियोजनाओं में निवेश का निर्णय करती है तो कंपनी ऐसी परियोजनाओं के लाभार्थियों से विद्युत खरीद का आश्वासन भी प्राप्त करती है।
- **मजबूत संचालन कार्य निष्पादन :** बीते वर्षों में एनएचपीसी के पावरस्टेशनों के प्रचालन में सफलता हुआ है। इसके चालू पावरस्टेशनों ने 2011-12 में 18,683 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया, जो समझौता ज्ञापन में 'उत्कृष्ट' रेटिंग पाने के लिए निर्धारित 18,500 मिलियन यूनिट के वार्षिक लक्ष्य से काफी अधिक है।
- **सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मी :** एनएचपीसी के पास सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों का दल है। इसके अधिकारियों को इस उद्योग में काम करने का व्यापक अनुभव है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन-अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में काफी आगे रहने में मदद मिलती है।
- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति :** एनएचपीसी अनुसूची 'क' के अंतर्गत आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का मिनी-रत्न उपक्रम है, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी

15,000 करोड़ रुपये और निवेश आधार 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का है।

ख) अवसर : देश के कुल विद्युत उत्पादन में जलविद्युत और तापविद्युत के अनुपात में असंतुलन, विद्युत की सबसे अधिक जरूरत वाले समय में मांग और आपूर्ति के अंतर में वृद्धि और विद्युत प्रीक्वेंसी में उतार-चढ़ाव जैसे कारणों से नीति निर्माताओं को जलसंधानों और जलविद्युत क्षमता के विकास आवृत्ति में अंतराल जैसी समस्याओं को देखते हुए नीति निर्माताओं का ध्यान जल संसाधनों और जल-विद्युत क्षमता के विकास की ओर की ओर ध्यान देने को मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा भारत की इस्तेमाल नहीं हो रही विशाल जल विद्युत क्षमता, खास तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता और जलविद्युत की ओर ज्यादा ध्यान दिये जाने के कारण आने वाले समय में एनएचपीसी के पास अपनी क्षमता बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं।

ग) खतरे एवं कमजोरियाँ :

एनएचपीसी प्रबंधन को जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नांकित खतरे/जोखिम/कमजोरियों नज़र आती हैं :

स्वीकृति मिलने में विलम्ब : पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के कड़े नियम और लम्बी प्रक्रियाओं की वजह से जलविद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में देरी होती है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है।

भूमि अधिग्रहण : जलविद्युत परियोजना से जुड़े आधारभूत ढांचे संबंधी कार्यों तथा जलमग्न होने वाले क्षेत्र सहित परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है।

भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं : विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के बावजूद जलविद्युत परियोजनाओं के विभिन्न घटकों जैसे हैड रेस टनल, भूमिगत पावर स्टेशन, प्रेशर शैफ्ट, और सर्ज शॉफ्ट बनाते समय में अप्रत्याशित भू-वैज्ञानिक असामान्यताएं सामने आ जाती हैं। हिमालय के पहाड़ों में जोकि अपेक्षाकृत कम उम्र की पर्वतमाला है यह बात खास तौर पर लागू होती है। एनएचपीसी अपने अनुभव, विशेषज्ञता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बल बूते अतीत में ऐसी अप्रत्याशित बाधाओं से निपटने में कामयाब रहा है, फिर भी इस बात की पूरी संभावना रहती है कि इससे परियोजना लागत और इसे पूरा करने की अवधि बढ़ने की पूरी आशंका बनी रहती है।

अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाद : भारत में जल राज्य का विषय है और इसीलिए राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवादों से अक्सर परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती या उन्हें छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों की कुछ परियोजनाएं का असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता है।

प्राकृतिक आपदाएं : चूंकि अधिकतर जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, अतः चट्टानें खिसकने, पहाड़ों की ढलानों के ढहने, मार्ग बंद होने, बाढ़ तथा बादल फटने जैसी घटनाओं से निर्माण कार्यक्रम पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है।

अप्रत्याशित जटिलताएं : परियोजनाओं में अप्रत्याशित जटिलताओं और स्वीकृति मिलने/क्रियान्वयन में विलम्ब जैसे कंपनी के बस से बाहर के कारणों से अनुमानित लागत में बढ़ोत्तरी या बदलाव की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विद्युत-प्रभार संबंधी विनियमों से भी कम्पनी की आमदनी और कार्य निष्पादन पर असर पड़ सकता है।

जोखिम और चिंताएं

जलविद्युत परियोजनाएं पूंजी-प्रधान होती हैं, इनके पूरा होने में अधिक वक्त लगता है और इन पर बड़े पैमाने पर पैसा लगाना पड़ता है। इन्हीं कारणों से देश में उपलब्ध विशाल जलविद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग में बड़ी बाधाएँ हैं। पानी राज्य का विषय होने से राज्य सरकारें परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली विद्युत बड़ी मात्रा में मुफ्त विद्युत और इसी तरह के अन्य फायदों की मांग करती हैं जिससे विद्युत शुल्क बहुत बढ़ जाता है।

परिदृश्य

विद्युत की मांग 8 से 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रही है और इसे पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। वर्ष 2011-12 में विद्युत उत्पादन में 26,001 मेगावाट की बढ़ोत्तरी की गयी जिससे भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,99,627 मेगावाट हो गयी। लेकिन देश की बढ़ती हुई विद्युत की मांग पूरा करने के लिए यह बढ़ोत्तरी भी काफी नहीं है।

विद्युत क्षेत्र में सरकार की तमाम पहलों के बावजूद उत्पादन में और बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। सरकार के पास मंजूरी के लिए पड़े प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाने और निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करके विद्युत की मांग संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता : एनएचपीसी ने अपने कार्य और प्रचालनगत क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ कायम की हैं, जो कारोबारी लेन-देन/प्रक्रियाओं, शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, प्रलेखबद्ध नीतियों, दिशा-निर्देशों और मैनुअलों पर आधारित प्रणाली द्वारा निर्देशित होती हैं। इसके पास अधिकारियों के पदक्रम पर आधारित सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचा है और पदक्रम की प्रत्येक श्रेणी के अधिकार और दायित्व भी सुपरिभाषित हैं।

एनएचपीसी के निगम मुख्यालय में इसका अपना एक स्वतंत्र और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है और क्षेत्रीय कार्यालयों में इसके आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध हैं। इनमें काम करने वाले सुयोग्य और दक्ष लेखाकर्मी नियमित रूप से लेखा-परीक्षा करते हैं। लेखा-परीक्षा टिप्पणियों और उनके अनुपालन संबंधी रिपोर्टों का एक सार लेखा-परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है। समिति की सिफारिशों तथा दिशा-निर्देशों का तदनु रूप पालन किया जाता है।

प्रचालनगत कार्य निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा :

वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

1.0 प्रचालन परिणाम

वित्त वर्ष 2011 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण नीचे दिया गया है।

1.1 आय

करोड़ रुपये में

	वित्त वर्ष 2012	वित्त वर्ष 2011
बेची गई विद्युत इकाइयां (मिलियन यूनिट)	16,357.09	16,293.32
आय		
ऊर्जा की बिक्री	5,509.65	4,046.59
अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श संबंधी कार्यों से प्राप्त राजस्व	145.04	178.66
अन्य आय	1060.72	680.23
कुल	6,715.41	4,905.48

एनएचपीसी की आमदनी में, विद्युत की बिक्री से होने वाली आय, अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाओं से होने वाली आय तथा अन्य आमदनी शामिल हैं। अन्य आमदनीयों में मुख्य रूप से अधिशेष निधियों के निवेश से प्राप्त ब्याज, प्रतिभूति बांड्स/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज तथा लाभांश आय शामिल हैं। एनएचपीसी की कुल आय में वित्त वर्ष 2011 की तुलना में 36.90 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जो इस दौरान 4,905.48 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,715.41 करोड़ रुपये हो गई। इसका मुख्य श्रेय सेवा-11 पावर स्टेशन के चालू होने, इक्विटी पर लाभ (आरओई) में कारपोरेट कर की दर से वृद्धि होने, पावर स्टेशनों के शुल्क को अंतिम रूप दिये जाने, जल उपकरण और आरएलडीसी प्रभार की वापसी, लाभार्थी राज्यों से प्राप्त ब्याज और अधिशेष ब्याज के निवेश से ब्याज के रूप में हुई आय को जाता है। आमदनी में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी 'विद्युत की बिक्री' उपशीर्ष में हुई है। मोटे तौर पर प्रभार निर्धारण और विद्युत की बिक्री संबंधी सिद्धांत नीचे दिये गये हैं। प्रत्येक मद में अंतर के कारणों को आगे के अनुच्छेदों में बताया गया है।

1.2 प्रभार निर्धारण और विद्युत की बिक्री के सिद्धांत

1.2.1 प्रभार

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न पावर स्टेशनों के विद्युत प्रभार का निर्धारण अलग-अलग करता है। आयोग ने 19 जनवरी, 2009 को अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी जारी करके 2009-14 की अवधि के लिए एक नया आदेश/विनियम जारी किया।

प्रभार का निर्धारण वार्षिक निश्चित शुल्क (एफसी) के आधार पर किया जाता है जिसमें इक्विटी पर लाभ (आरओई), मूल्यहास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव के खर्च को शामिल किया जाता है। इक्विटी पर लाभ (आरओई) में लागू दर पर आयकर को जोड़ा जाता है ताकि आयकर की राशि को भी हिसाब में लिया जा सके। वसूली के लिए वार्षिक निर्धारित शुल्क (एफसी) को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, यानी ऊर्जा शुल्क और क्षमता शुल्क। ऊर्जा शुल्क की वसूली उत्पादित विद्युत पर निर्भर करती है और प्रस्तावित डिजाइन ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने पर इसकी पूरी-पूरी वसूली की जाती है। डिजाइन क्षमता से अधिक विद्युत उत्पादन होने पर अतिरिक्त विद्युत के लिए अतिरिक्त राजस्व देना पड़ता है। क्षमता प्रभार की वसूली विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसका निर्धारण वार्षिक संयंत्र उपलब्धता मानदंड घटक (नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर-एनएपीएफ) को ध्यान में रख कर किया जाता है जो प्रत्येक पावर हाउस की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एनएचपीसी विद्युत की बिक्री थोक खरीदारों को करता है जिनमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों की विद्युत कंपनियां शामिल हैं। विद्युत की बिक्री दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों के आधार पर और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित प्रभार के अनुसार की जाती है। वर्ष 2009-14 की अवधि के लिए बारह पावर स्टेशनों के प्रभार निर्धारित किये जा चुके हैं। लेकिन तीस्ता-व विद्युत केन्द्र के लिए परियोजना की संशोधित लागत का निर्धारण होने तक अस्थायी दर से प्रभार लिया जा रहा है।

उक्त विनियम में अन्य बातों के अलावा यह भी व्यवस्था है कि प्रभार संबंधी याचिकाओं जमा करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वित्त वर्ष 2008-09 के लिए लागू न्यूनतम दर से अल्टरनेट/कारपोरेट आय कर को आरओई में जोड़ा जाए। इसके अलावा सीईआरसी ने अपनी अधिसूचना सं.एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी दिनांक 21.06.2011 के द्वारा इस बात की व्यवस्था की है कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी हर वर्ष के लिए ईओई के वार्षिक निश्चित शुल्क में आयकर की दर के घटने या बढ़ने से होने वाली कमी या बेषी की वसूली या वापसी आयोग को आवेदन किये बिना सीधे कर सकती है। ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों से संबंधित वह बिक्री भी शामिल रहती है जिसे चालू साल में हिसाब में लिया गया है। इसमें पावर स्टेशनों की वास्तविक और निर्धारित शुल्क दरों में अंतर की वजह से उत्पन्न अन शेड्यूल्ड इंटरचेंजेज (यूआई) प्रभार भी शामिल रहते हैं जो ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्धारित विनियमों में निर्धारित फ्रीक्वेंसी की दरों से संबद्ध होते हैं।

सीईआरटी प्रभार विनियमों के अनुसार विदेशी ऋणों और उनके लिए ब्याज के भुगतान और पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी पावर स्टेशन/विद्युत इकाइयों के हिसाब में लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनियम दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी में समायोजित करने की बजाय लेख में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है।

1.2.2 ऊर्जा की बिक्री

वित्त वर्ष 2012 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 3,749.20 मेगावाट से 16,357.09 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की जबकि वित्त वर्ष 2011 में कम्पनी ने 3,749.20 मेगावाट संस्थापित क्षमता में से 16,293.32 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की थी। इससे विद्युत उत्पादन में 0.39 प्रतिशत यूनिटों की वृद्धि का पता चलता है। वर्ष 2012 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटाकों को समायोजित करके) 2.98 रुपये प्रति यूनिट रहा जबकि 2011 में यह 2.81 रुपये प्रति यूनिट था। प्रति यूनिट दर में बढ़ोतरी का मुख्य कारण 2012 में पूरे साल के लिए जल उपकरण का भुगतान था।

वित्त वर्ष 2012 में ऊर्जा की बिक्री में 36.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह वित्त वर्ष 2011 के 4,046.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,509.65 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। इसका कारण पिछले वर्षों की बिक्री (निवल और एएडी) तथा जल प्रभार को हिसाब में लिया जाना था, जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान क्रमशः 467.28 करोड़ रुपये और 691.73 करोड़ रुपये बैठा है। वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी का प्लांट उपलब्धता कारक (प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर-पीएलएफ) 83.30 प्रतिशत था जबकि वित्त वर्ष 2011 में यह 85.20 प्रतिशत रहा था।

1.2.3 ऊर्जा की समायोजित बिक्री

वार्षिक तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री में जल उपकरण और आरएलडीसी शुल्क को छोड़ दिया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस तरह के समायोजन के पश्चात बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्न लिखित है :

करोड़ रुपयों में

	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
सकल बिक्री	5,462.49	3,999.63
घटाएं : मूल्यहास पर अग्रिम (एएडी) निवल	(47.16)	46.96
निवल बिक्री	5,509.65	4,046.59
घटाएं :		
(क) पिछले वर्ष की बिक्री (एएडी का निवल)	467.28	(381.62)
(ख) 2011 के लिए जल उपकरण प्रभार (2011-12 में हिसाब में लिया गया)	138.99	(138.99)
(ग) आरएलडीसी शुल्क	23.34	11.80
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	4,880.04	4,579.00

वित्त वर्ष 2012 में पिछले साल की बिक्री (शुद्ध एएडी) की 467.28 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का कारण पावर स्टेशनों के लिए टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना था।

समायोजित बिक्री में 6.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मुख्य कारण सेवा-II पावर स्टेशन से उत्पादन शुरू होना और पावर स्टेशनों के विद्युत प्रभार में संशोधन था।

1.3 ठेकों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

एनएचपीसी को निर्माण परियोजनाओं के ठेकों, परियोजना प्रबंधन और परामर्श संबंधी कार्यों से भी आमदनी होती है इन कार्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचा स्थापित करने, विशेषकर प्राथमिक विद्युत वितरण लाइनों के निर्माण संबंधी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी कार्य शामिल हैं। इन दो कार्यक्रमों की देखरेख भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सरकारी विभाग लागू करते हैं। एनएचपीसी को पूरे भारत में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में आवंटित परियोजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अलावा कम्पनी जेकेएसपीडीसी की ओर से बगलिहार पावर स्टेशन का भी संचालन करती है।

ठेकों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श सेवा संबंधी कार्यों से 2012 में एनएचपीसी की आय में कमी आयी है और यह 2011 में 178.66 करोड़ रुपये के मुकाबले 145.04 करोड़ रुपये हो गयी। इसका मुख्य रूप से बगलिहार पावर स्टेशन के संचालन और रखरखाव का कार्य 02.09.2011 में फिर से जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंपा जा रहा है।

1.4 अन्य आय

अन्य आय में मुख्य रूप से एकल निपटान योजना के तहत जारी पावर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों का प्रतिभूतीकरण, लाभ उठाने वाले राज्यों से मिला ब्याज, अतिशेष नकदी के निवेश से आय, सहायक कंपनी की इक्विटी में निवेश से मिला लाभांश और विविध स्रोतों से हुई आमदनी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी की अन्य आय बढ़कर 1060.72 करोड़ रुपये हो गयी जो वर्ष 2011 में 680.23 करोड़ रुपये के मुकाबले 55.94 प्रतिशत अधिक है। अन्य आय के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :

करोड़ रुपये में

अन्य आय	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
प्रतिभूतीकृत पावर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज	113.41	137.35
लाभ उठाने वाले राज्यों से मिला ब्याज	246.79	20.40
आवधिक जमा राशियों पर ब्याज	461.97	404.94
लाभांश	22.03	12.40
तीस्ता-V पावर स्टेशन के प्रावधान में बदलाव से मूल्यहास का		
देरी से भुगतान करने पर सरचार्ज	21.67	3.52
हिसाब से बाहर देयताएं/प्रावधान	68.04	55.02
अन्य विविध आय	65.84	46.60
कुल	1060.72	680.23

प्रतिभूतीकृत पावर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज से होने वाली आय में 23.94 करोड़ रुपये की कमी का कारण वित्त वर्ष 2012 में 281.80 करोड़ के बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों का विमोचन था।

वित्त वर्ष 2012 के दौरान लाभ उठाने वाले राज्यों से मिलने वाले ब्याज में 244.39 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई यानी यह 2011 में 20.40 करोड़ से बढ़कर 2012 में 264.79 करोड़ रुपये हो गया। इसका मुख्य कारण 2012 में प्रभार विनियम की शर्तों के अनुसार विभिन्न पावर स्टेशनों के विद्युत प्रभारों के निर्धारण से उत्पन्न अधिशेष पर मिले ब्याज के कारण हुआ।

सावधि जमा राशियों पर ब्याज वित्त वर्ष 2011 में 404.94 करोड़ रुपये था जो 2012 में बढ़कर 461.97 करोड़ रुपये हो गया। ऐसा ब्याज दर में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ निवेश की जाने वाली अतिशेष नकदी में वृद्धि होना भी था।

वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी ने अपनी सहायक कंपनियों में निवेश से 22.03 करोड़ रुपये लाभांश प्राप्त किया जबकि 2011 में उसे इससे 12.40 करोड़ रुपये मिले थे।

1.5 व्यय

करोड़ रुपये में

व्यय	वित्त वर्ष 2012	वित्त वर्ष 2011
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	522.81	238.99
कर्मचारियों के हित पर व्यय	699.62	699.62
मूल्यहास एवं बंधक रखना	916.74	916.74
वित्त प्रभार	342.24	366.60
प्रावधान	90.68	34.46
ठेकों, परियोजना प्रबंधन और परामर्श संबंधी कार्य पर व्यय	119.97	123.25
कुल व्यय	3,209.07	2,711.08

वर्ष 2011 में एनएचपीसी का व्यय 18.37 प्रतिशत बढ़ कर 3,209.07 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2011 में यह 2,117.08 करोड़ रुपये था। व्यय में यह वृद्धि मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर में स्थित पावर स्टेशनों पर जल उपकरण (वित्त वर्ष 2012 में 552.81 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2011 में 138.99 करोड़ रुपये) लगाये जाने से हुई। वित्त वर्ष 2012 में आय की तुलना में एनएचपीसी का कुल खर्च कुल 47.79 प्रतिशत था जबकि वित्त वर्ष 2011 में यह 55.27 प्रतिशत रहा था।

1.6 उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय (जल उपकरण छोड़कर)

उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्ययों के अंतर्गत मुख्य रूप से भवनों, संयंत्रों तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा खर्च तथा बीमा व्यय, आदि शामिल हैं। ये व्यय वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी के कुल व्यय के 11.89 प्रतिशत के बराबर हैं जबकि वित्त वर्ष 2011 में ये 15.91 प्रतिशत रहे थे। इसका मुख्य कारण वित्त वर्ष 2011 में पंचाट फैसलों के लिए ब्याज का प्रावधान किया जाना था। अगर बिक्री योग्य ऊर्जा पर प्रति यूनिट व्यय की गणना की जाए तो वित्त वर्ष 2012 में प्रति यूनिट व्यय 0.23 रुपये है जबकि उससे पिछले वर्ष यह 0.26 रुपये प्रतिशत रहा था।

1.7 जल उपकर

पिछले साल जल उपकर 138.99 करोड़ रुपया था जो चालू साल में बढ़कर 552.81 करोड़ रुपये हो गया। इस बढ़ोत्तरी का कारण 2012 में पूरे साल के उपकर की वसूली किया जाना था जबकि पिछले साल सिर्फ पांच महीने का जल उपकर दिया था। जम्मू-कश्मीर सरकार पावर स्टेशनों द्वारा पानी के उपयोग पर 10.11.2010 से जल उपकर की वसूली कर रही है।

1.8 कर्मचारियों के हित के कार्यों पर खर्च

कर्मचारियों के हित के कार्यों पर खर्च के अंतर्गत उनका वेतन और पारिश्रमिक, भत्ते, प्रोत्साहन, कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान तथा कल्याण व्यय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2011 में ये सभी व्यय एनएचपीसी के कुल व्यय का 25.83 प्रतिशत हैं जबकि वित्त वर्ष 2011 में ये लगभग 25.81 प्रतिशत रहे थे। सीधे तौर पर कहें तो वित्त वर्ष 2011 में कर्मचारी-लागत में 129.42 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसके मुख्य कारणों में सेवा-11 जलविद्युत परियोजना के पूरे साल के खर्च की वसूली से कर्मचारी लागत में बढ़ोत्तरी होना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत भुगतान, कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के खर्च के आवंटन के तरीके में बदलाव के अलावा वेतन / भत्तों में सामान्य वृद्धि भी शामिल हैं। इन सब कारणों से प्रति इकाई बिजली योग्य विद्युत यूनिट के सदर्थ में कर्मचारी लागत में बढ़ोत्तरी हुई है और यह वित्त वर्ष 2011 में 0.43 रुपये की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 0.51 रुपये हो गयी है।

31 मार्च, 2012 को एनएचपीसी के पे-रोल में 11,036 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2011 को इनकी संख्या 11,342 थी। इनमें से वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2012 में क्रमशः 4,974 और 5,189 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे। कर्मचारी हितों पर व्यय वित्त वर्ष 2011 में 699.62 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2012 में 18.50 प्रतिशत बढ़कर 829.04 करोड़ रुपये हो गया।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में, कर्मचारी हित व्यय वित्त वर्ष 2011 में 14.26 प्रतिशत था जो 2012 में घटकर 13.35 प्रतिशत हो गया।

1.9 मूल्यहास और बंधक मोचन

कंपनी की परिकलन नीति के अनुसार, मूल्यहास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है। इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और विधि का अनुसरण किया जाता है। परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यहास कंपनी द्वारा मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

वित्त वर्ष 2012 में मूल्यहास लागत 2.62 प्रतिशत घटकर 892.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जबकि वित्त वर्ष 2011 में यह 916.74 करोड़ रुपये थी। मूल्यहास संबंधी व्यय में कमी का मुख्य कारण पिछले वित्त वर्ष में मूल्यहास दर का अधिक होना भी था।

कंपनी की कुल आय के प्रतिशत के रूप में गणना करने पर मूल्यहास वित्त वर्ष 2011 में 18.59 प्रतिशत था जो 2012 में घटकर 13.29 प्रतिशत रह गया।

1.10 वित्तीय-प्रभार

एनएचपीसी के वित्तीय प्रभारों में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्च शामिल हैं। लेखा प्रयोजनों के लिए कंपनी के ऋणों को रुपये में दर्शाया जाता है। लेखांकन की दृष्टि से कंपनी द्वारा लिए गये ऋण को रुपये में प्रदर्शित किया जाता है। (इसमें विदेशी मुद्रा के ऋण भी शामिल हैं जो मुख्य रूप से जापानी येना और कनाडाई डालर में हैं।) इसके अलावा एनएचपीसी को बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है।

वर्ष 2011 में वित्त प्रभार 6.64 प्रतिशत घटकर 342.24 करोड़ हो गया है जबकि वित्त वर्ष 2011 में यह 366.60 करोड़ रुपये था। इसकी एक मुख्य वजह ऋणों की अदायगी भी थी।

1.11 प्रावधान

एनएचपीसी मुख्य रूप से संदिग्ध ऋणों, दावों एवं अग्रिमों, और अप्रचलित भंडार वस्तुओं एवं हिस्से-पुर्जों के लिए प्रावधान करती है जो सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं के लिए होते हैं जिनमें स्वीकृति मिलने में अनिश्चितता की आशंका रहती है। ऐसे प्रावधानों का साल-दर-साल आधार पर आकलन किया जाता है और वे प्रबंधन के मूल्यांकन के पर आधारित होते हैं।

वित्त वर्ष 2011 में कंपनी के प्रावधानों में 163.15 प्रतिशत बढ़कर 90.68 करोड़ रुपये हो गये जबकि 2011 में ये 34.46 करोड़ ही थे। इस कमी की मुख्य वजह यह थी कोटली भेल I-बी और कोटली भेल II परियोजनाओं पर हुए खर्च के लिए प्रावधान की व्यवस्था करना था। इन परियोजनाओं की मंजूरी को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

1.12 ठेकों, परियोजना प्रबंधन, एवं परामर्शी कार्य पर व्यय

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन, एवं परामर्शी कार्य के व्यय के अंतर्गत निर्माण ठेकों, कर्मचारियों के हित के कार्यों पर खर्च और एनएचपीसी द्वारा एजेंसी आधार पर अथवा किसी तृतीय पक्ष के लिये किये जाने वाले संविदा और परामर्श संबंधी कार्यों पर होने वाले प्रशासन व ओवरहेड खर्च को प्रत्यक्ष व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी के संविदाओं, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श संबंधी कार्यों के व्यय में 2.66 प्रतिशत की मामूली गिरावट आयी और यह 119.97 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया जबकि वित्त वर्ष 2011 में यह 123.25 करोड़ रुपये था। इसका मुख्य कारण बगलिहार पावर स्टेशन के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी 2.09.2011 से फिर से जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंपा जाना है।

1.13 पूर्व अवधि समायोजन

वित्त वर्ष 2011 में 714.54 करोड़ रुपये के पूर्व अवधि व्यय (निवल) का मुख्य कारण 01.01.2007 से पेंशन फंड के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया जाना और वित्त वर्ष 2010-11 में निर्दिष्ट फालतू परामर्श राजस्व की वापसी है। वित्त वर्ष 2011 के दौरान (-) 656.38 करोड़ रुपये के निवल व्यय का मुख्य कारण (-) 592.44 करोड़ रुपये की बिजली को शामिल किया जाना है जो वित्त वर्ष 2010 में करों की सामान्य दर से आर.ओ.ई. को जोड़े जाने और अन्य कर समायोजनाएं वित्त वर्ष 2010 के लिए (-) 82.55 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मूल्यहास को वापस करने से हुआ है। ऐसा 01.04.2009 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार दरों और प्रविधि को अपनाने से हुआ।

1.14 अपवादात्मक मद

अपवाद वाली अतिरिक्त मदों से आमदनी की वजह वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2011 में क्रमशः सुबनसिरी मध्य परियोजना और लखवार व्यासी परियोजना की बिक्री में मुनाफा होना था।

1.15 कर पूर्व लाभ

ऊपर बताये गये कारणों से वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी का कर-पूर्व लाभ 22.23 प्रतिशत बढ़कर 3,517.04 करोड़ रुपये हो गया है जो वित्त वर्ष 2011 में 2,877.41 करोड़ रुपये रहा था।

1.16 कर व्यय

वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी ने कर के लिए 745.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि वित्त वर्ष 2011 में इसके लिए 710.74 करोड़ रुपये दिए गए थे। वित्त वर्ष 2012 में कर में बढ़ोत्तरी का कारण कर-पूर्व लाभ में वृद्धि को आस्थगित कर के साथ समायोजित किया जाना था।

2.0 लिक्विडिटी तथा पूंजी संसाधन

2.1 लिक्विडिटी

एनएचपीसी कार्यशील पूंजी जुटाने और पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के स्रोतों पर निर्भर है। आमतौर पर एनएचपीसी इसके लिए आवधिक ऋणों/बांडों के रूप में लम्बी अवधि के ऋण लेती है, जो भारतीय रुपये अथवा विदेशी मुद्राओं में हो सकते हैं। एनएचपीसी के पास नकद राशि या नकदी समकक्ष राशि 31 मार्च, 2012 और 31 मार्च, 2011 को क्रमशः 6,003.97 करोड़ रुपये और 5,350.08 करोड़ रुपये थी।

2.2 नकदी प्रवाह

करोड़ रुपये में

	वित्त वर्ष 2012	वित्त वर्ष 2011
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	2,084.48	3,012.26
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(1,975.69)	(1,342.21)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(545.10)	1,417.35

2.3 प्रचालनों से कुल नकद

प्रचालन संबंधी गतिविधियों से वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी को कुल 2,084.48 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को 2,878.43 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। प्रचालन संबंधी गतिविधियों से कंपनी की कुल नकदी का परिकलन 918.23 करोड़ रुपये के मूल्यहास (पूर्व अवधि सहित), जमा/निवेश राशियों पर अर्जित 342.23 करोड़ रुपये और 627.55 करोड़ रुपये के ब्याज और 737.82 करोड़ रुपये के करों तथा अन्य गैर-प्रचालनगत मदों को समायोजित करने के बाद किया जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर प्रभाव पड़ता है, में मुख्य रूप से प्राप्तियों में वृद्धि के निवल प्रभाव और व्यापार एवं अन्य देयताओं में बढ़ोत्तरी सहित, कार्यशील पूंजी में 59.59 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी शामिल है। इनवेंट्री, प्राप्तियों और व्यापार तथा अन्य देयताओं के समग्र प्रभाव से चालू आस्तियों और चालू देयताओं में परिवर्तन आया जिसके असर से 1224.83 करोड़ रुपये की नकदी बाहर गयी।

प्रचालन गतिविधियों से वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी को कुल 3,012.26 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। प्रचालन गतिविधियों से कंपनी की विशुद्ध नकदी का परिकलन गैर-नकदी मदों में 817.89 करोड़ रुपये के मूल्यहास (पूर्व अवधि सहित), 374.53 करोड़ रुपये के ब्याज खर्च, मूल्यहास के विरुद्ध 30.88 करोड़ रुपये की आस्थगित आय, जमा-निवेश पर अर्जित 563.70 करोड़ रुपये के ब्याज और करों तथा अन्य गैर-प्रचालनगत मदों के लिए 518.72 करोड़ रुपये की राशियों को समायोजित करके किया जाता है। चालू आस्तियों और चालू देयताओं में परिवर्तन से नकदी प्रवाह पर 75.85 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा जो इनवेंटरी, प्राप्तियों और व्यापार तथा देयताओं में बदलाव का समग्र परिणाम था।

2.4 निवेश गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी ने निवेश गतिविधियों में 1,97.69 करोड़ रुपये की निवल रोकड़ का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से 2,788.17 करोड़ रुपये स्थिर आस्तियों में से निवेश में 162.90 करोड़ रुपये, जमा/निवेश पर ब्याज के रूप में होने वाली आय में 627.55 करोड़ रुपये और लाभांश आय में 22.03 करोड़ रुपये की मामूली कमी के समायोजन को दर्शाता है। निवेश में 1,005.45 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी को जमा राशि/निवेशों पर ब्याज से हुई आय, तथा लाभांश आय की अल्प राशि द्वारा समेकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी ने निवेश गतिविधियों में 1,342.21 करोड़ रुपये की निवल रोकड़ का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से 3,426.17 करोड़ रुपये की अचल परिसंपत्तियों में से निवेश के रूप में 1,480.49 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी, जमा राशि/निवेशों पर ब्याज से हुई 563.70 करोड़ रुपये की आय, तथा लाभांश आय की 12.40 की मामूली राशि के समायोजन को दर्शाता है।

2.5 वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी को वित्त पोषण गतिविधियों से कुल 1,417.35 करोड़ रुपये की नकद आमदनी हुई। कंपनी ने नए घरेलू सावधि ऋणों और बॉण्ड जारी करके 3,418.44 करोड़ रुपये जुटाए। कंपनी ने 909.89 करोड़ रुपये के ऋण चुकता किये और 1,108.92 करोड़ रुपये ब्याज और वित्त-प्रभार के रूप में अदा किये। वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2011 के लिए 854.53 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) का भुगतान किया।

वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी की वित्त पोषण गतिविधियों के लिए कुल 1,417.35 करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह रहा था। कंपनी ने नये ऋण से 1,162.04 करोड़ रुपये जुटाए और 1057.41 करोड़ रुपये ब्याज और वित्त प्रभार के रूप में चुकता किये। वित्त वर्ष 2011 में कंपनी ने वित्त वर्ष 2010 के लिए 788.90 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) चुकता किया।

3.0 तुलन-पत्र मदों पर चर्चा

3.1 तुलन-पत्र की मुख्य बातें

करोड़ रुपये में

	31 मार्च को	
	2011	2010
चालू आस्तियों से इतर आस्तियां		
स्थिर आस्तियां	35,718.06	33,063.66
चालू निवेश से इतर निवेश	2,499.14	2659.96
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	1428.62	2659.96
चालू आस्तियों से इतर अन्य आस्तियां	1181.93	870.82
चालू आस्तियां		
चालू निवेश	250.74	253.59
वस्तु सूची	43.81	33.71
व्यापारिक प्राप्त्य	2052.18	304.79
नकदी और बैंक अतिशेष	6003.97	5350.08
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	1900.26	1303.34
अन्य चालू आस्तियां	1681.05	2119.13

3.2 वित्तीय स्थिति

3.2.1 कुल मूल्य

वित्त वर्ष 2012 के अंत में कंपनी के कुल मूल्य में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 7.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 24,580.68 करोड़ रुपये बढ़कर 26,353.53 के स्तर पर पहुंच गया। इसका मुख्य कारण कर भुगतान के बाद के लाभ और प्रस्तावित लाभांश तथा लाभांश कर में बढ़ोत्तरी था।

3.2.2 कुल अचल परिसंपत्तियां

मूल्यहास के बाद एनएचपीसी की स्थिर आस्तियां जिन्हें निवल स्थिर आस्तियां कहा जाता है, 31 मार्च 2012 को 35,718.06 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2011 को 33,063.66 करोड़ रुपये थी। कंपनी की स्थिर आस्तियों में भूमि, बांध, सुरंगें और भवन जिसमें पावर स्टेशन भवन, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर तथा स्थूल परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2011 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य में 8.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों में बढ़ोत्तरी होना था।

3.2.3 निवेश (चालू और चालू से इतर)

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर पूरा किया जाता है। 31 मार्च, 2012 और 31 मार्च, 2011 को एनएचपीसी के निवेश क्रमशः 2,749.88 करोड़ रुपये और 2,913.55 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2012 के अंत में निवेश में 1,011.52 करोड़ रुपये के प्रतिभूतीकृत बांड, सहायक तथा संयुक्त उपक्रम कंपनियों में 1,094.03 करोड़ रुपये का निवेश और 644.33 करोड़ रुपये के अन्य निवेश शामिल हैं जो मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में किये गये।

निवेश में गिरावट का प्रमुख कारण प्रतिभूतीकृत पावर बांडों का मोचन है जिसे भारत सरकार की प्रतिभूतियों, स्व-बीमा निधि में निवेश, अन्य दीर्घावधि जमा राशियों, तथा संयुक्त उद्यमों/अनुषंगी कंपनियों में दीर्घावधि निवेश के समायोजन से किया गया।

3.2.4 ऋण एवं अग्रिम (चालू और चालू के अलावा)

एनएचपीसी के ऋण और अग्रिम 31 मार्च, 2012 को 3,328.88 करोड़ रुपये थे जो 31 मार्च, 2011 को 2,924.45 करोड़ रुपये के ऋण और अग्रिम के मुकाबले 13.83 प्रतिशत अधिक हैं। 2012 के अंत में ऋण और अग्रिम में मुख्य रूप से आयकर राशि के लिए 1,732 करोड़ रुपये की राशि, ठेकेदारों को पूंजीगत कार्यों के लिए 974 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि, अपने कर्मचारियों के लिए 162 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि, अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज पर दी गयी 225 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि और अन्य ऋणों तथा अग्रिम की 236 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

3.2.5 चालू आस्तियों से इतर अन्य आस्तियां

31 मार्च, 2012 और 31 मार्च, 2011 को एनएचपीसी की चालू आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियां क्रमशः 1,181.93 करोड़ रुपये और 870.82 करोड़ रुपये थीं। वित्त वर्ष 2011 के मुकाबले 2012 में 35.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ से प्रभावित होने वाली आस्थगित विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि होना था।

3.2.6 वस्तु-सूची

वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन सम-लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य में से जो भी कम हो उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2012 और 31 मार्च, 2011 को किये गये मूल्यांकन में वस्तु-सूचियों का मूल्य क्रमशः 43.81 करोड़ रुपये और 33.71 करोड़ रुपये आंका गया था।

3.2.7 व्यापारिक लेनदारियां

इसके अंतर्गत विद्युत की बिक्री से संबंधित प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। 31 मार्च, 2012 और 31 मार्च, 2011 को व्यापारिक लेनदारियां (यानी संदिग्ध ऋणों के लिए निवल प्रावधान) के रूप में क्रमशः 2052.18 करोड़ रुपये और 304.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। पिछले वर्ष के मुकाबले व्यापारिक लेनदारियों में बढ़ोत्तरी होने का मुख्य कारण वित्त वर्ष 2009-10 और वित्त वर्ष 2010-12 के लिए विद्युत की बिक्री की बिलिंग में 898.80 करोड़ रुपये के प्रभार और कर की लागू दरों पर आरओई समेत कुल 872.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना है। 31 मार्च, 2012 को 225.47 करोड़ रुपये की व्यापारिक लेनदारियां (संदिग्ध व्यापारिक लेनदारियों के लिए निवल प्रावधान) भुगतान देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि से बकाया पड़ी थीं।

3.2.8 नकद और बैंक जमा राशि

एनएचपीसी की नकदी और बैंक जमा राशि के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं : (i) कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा (ii) ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि।

31 मार्च, 2012 तथा 31 मार्च, 2011 को कंपनी के पास नकद और बैंक जमा राशि के रूप में क्रमशः 6,003.97 करोड़ रुपये और 5,350.08 करोड़ रुपये थे। वित्त वर्ष 2012 में इसमें 653.89 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी प्रचालन और वित्तपोषण गतिविधियों के जरिए क्रमशः 2084.48 करोड़ रुपये और 545.10 करोड़ रुपये की नकदी की प्राप्ति और निवेश गतिविधियों में लगाये गये 1975.69 करोड़ रुपये को उसमें समायोजित करने से हुई।

3.2.9 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2012 तथा 31 मार्च, 2011 को एनएचपीसी की अन्य वर्तमान आस्तियां क्रमशः 1,681.05 करोड़ रुपये और 2,119.13 करोड़ रुपये की थीं। यानी वित्त वर्ष 2011 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में इन परिसंपत्तियों में 20.67 प्रतिशत की कमी आई। इसका कारण वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 में हिसाब में नहीं लिए गये बिलों को वित्त वर्ष 2012 में हिसाब में लिया जाना था। 31 मार्च, 2012 को अन्य वर्तमान आस्तियों में हिसाब में नहीं ली गयी लेनदारी के 1,161.32 करोड़ रुपये और जमा ब्याज और लेनदारी के दावों की 519.73 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। बिना बिल वाले 1,161.32 करोड़ रुपये में जम्मू-कश्मीर जल उपकर के 691.73 करोड़ रुपये, आरओई के साथ समायोजित किये जाने वाले 411.62 करोड़ रुपये, एफईआरवी के लिए 88.26 करोड़ रुपये और अन्य कार्यों के लिए (-) 30.20 करोड़ रुपये शामिल हैं। जल उपकर की बिलिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने लाभार्थियों से इसकी वसूली के तौर-तरीकों के बारे में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। एफईआरवी को बिल में शामिल करने और आरओई को जोड़ने आदि का काम वित्त वर्ष 2013 की पहली तिमाही में कर लिया गया है।

3.2.10 देयताएं एवं प्रावधान

करोड़ रुपये में

	31 मार्च को	
	2011	2010
चालू देयताओं से इतर देयताएं		
दीर्घावधि ऋण	16,272.80	13,702.33
आस्थगित कर देयताएं	204.40	161.33
अन्य दीर्घावधि देयताएं	1,951.80	1,936.55
दीर्घावधि प्रावधान	1,187.45	1,053.90
चालू देयताएं		
अल्पावधि ऋण	180.00	
व्यापारिक देयताएं	218.95	241.89
अन्य वर्तमान देयताएं	2,801.26	2,444.48
अल्पावधि प्रावधान	3,589.93	3,458.83

3.2.11 दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के अंतर्गत 31 मार्च, 2012 को क्रमशः 3,551.00 करोड़ रुपये, 8,747.48 करोड़ रुपये और 3,974.32 करोड़ रुपये के बांड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण शामिल हैं। वित्त वर्ष 2011 में बांड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण क्रमशः 2342.00 करोड़ रुपये, 7,897.54 करोड़ रुपये और 3,462.99 करोड़ रुपये के रहे थे। सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण के साथ-साथ पूंजी बाजार में कारपोरेट बांड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की आस्तियों के तहत सुरक्षित हैं।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दीर्घावधि ऋण में 18.76 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का कारण न्यू श्रेणी के नये बांडों जारी किया जाना और ऋण लिया जाना है जिसके जरिए निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूंजीगत खर्चों की भरपाई की जाएगी और पहले से जमा हुए आंतरिक खर्च की भरपाई करना है।

3.2.12 दीर्घावधि देनदारियां

एनएचपीसी की दीर्घावधि देनदारियों में जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यहास से निपटने के लिए अग्रिम (एएडी) और विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाली आस्थगित आमदनी शामिल है। इन सब का भुगतान/समायोजन 12 महीनों में करना होता है।

अन्य दीर्घकालीन देयताएं 1,951.80 करोड़ रुपये की थीं जबकि इससे पहले के वित्त वर्ष में ये 1,936.55 करोड़ रुपये थीं। इनमें से एएडी 31 मार्च, 2012 और 2011 को क्रमशः 1,312.67 करोड़ रुपये और 1,363.10 करोड़ रुपये था। 01.04.2009 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस अवधारणा को हटाए जाने के बाद खातों में बकाया एएडी को व्यवस्थित तरीके से हिसाब में लिया जा रहा है।

3.2.13 चालू देयताएं

एनएचपीसी के वर्तमान दायित्वों यानी चालू देनदारियों में वर्तमान में परिपक्व होने वाले दीर्घावधि ऋण, ऋण पर लगा ऐसा ब्याज जो फिलहाल देय नहीं है, जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यहास के एवज में प्राप्त राशि (एएडी) से हुई अग्रिम आमदनी, और परियोजना प्रबंधन/परामर्श सेवा लागत के लिए प्राप्त अग्रिम में से बची राशि जिसका 12 महीनों में भुगतान/समायोजन किया जाना है।

एनएचपीसी की वर्तमान देनदारियां 2,801.26 करोड़ रुपये की हैं जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 2,444.48 करोड़ रुपये थीं। पिछले साल के मुकाबले चालू साल की देनदारियों में 14.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मुख्य कारण दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता राशि में वृद्धि होना है जो वित्त वर्ष 2011 में 866.73 करोड़ रुपये से बढ़कर 2012 में 1188.34 करोड़ रुपये हो गयी है।

3.2.14 प्रावधान

एनएचपीसी के प्रावधानों में कर्मचारियों के वेतन में संशोधन, निष्पादन से जुड़े वेतन, सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान, कर्मचारियों के हित (बीमा संबंधी) के लिए प्रावधान और कर, लाभांश तथा लाभांश कर संबंधी प्रावधान शामिल हैं। वित्त वर्ष 2011 में इन प्रावधानों के लिए 4,512.73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जो वित्त वर्ष 2012 में 5.86 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 4,777.38 करोड़ रुपये कर दी गयी है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण वेतन-संशोधन तथा अन्य कारणों से वित्त वर्ष 2012 में करों और अन्य प्रावधानों के भुगतान के लिए प्रस्तावित राशि में बढ़ोतरी होना है।

4.0 तुलनपत्र से इतर मद

4.1 आकस्मिक देयताएं

निम्नलिखित सूची में वित्त वर्ष 2012 और 2011 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देयताएं दिखायी गयी हैं:

विवरण	वित्त वर्ष 2012	वित्त वर्ष 2011
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
2012 पूंजीगत कार्य	7,615.68	5,112.64
जमीन के मुआवजे के मामले	28.18	71.97
विवादित आयकर, बिक्री कर और अन्य मद	420.09	2,404.88
कुल	8,063.95	7,589.49

पूंजीगत कार्यों के लिए विविध देयताओं में ठेकेदारों के विवादस्पद ऐसे दावे शामिल हैं जिन्हें कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार अस्वीकार्य समझते हुए चुनौती दे रखी है या जो ट्रिब्यूनल/अदालत में लंबित हैं।

पूंजीगत कार्यों के संदर्भ में आकस्मिक देयताएं 31 मार्च, 2011 के 5,112.64 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 मार्च, 2012 को 7,615.68 हो गयीं। इस बढ़ोतरी का कारण कंपनी द्वारा ठेकों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के सिलसिले में ठेकेदारों द्वारा किये गये नये दावों को विवादस्पद माना जाना है।

विवादस्पद आयकर, बिक्रीकर और अन्य मदों संबंधी आकस्मिक देयताओं में भारी कमी आयी है और यह 31 मार्च, 2011 के 2,404.88 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2012 को 1,934 करोड़ रुपये हो गयी है। इस कमी का मुख्य कारण मणिपुर सरकार द्वारा राज्य से बाहर विद्युत बेचने पर 1,934 करोड़ रुपये के बिक्रीकर की मांगे को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना है। यह कंपनी द्वारा लम्बी बातचीत और सन् 2000 से किये जा रहे प्रयासों का नतीजा है।

5.0 सहायक/संयुक्त उपक्रम कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों की विशेष बातें इस प्रकार हैं :

5.1 एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड (जो पहले नर्मदा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) का कंपनी के रूप में पंजीकरण 01.08.2000 को एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था। 3,000 हजार करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सापूंजी वाली इस कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की 51 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश सरकार की 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) का निर्माण किया है। वित्त वर्ष 2012 के अंत तक अपनी इस सहायक कंपनी में एनएचपीसी का निवेश 1,002.42 करोड़ रुपये हो जाएगा।

5.2 लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत हिस्सापूँजी) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत हिस्सापूँजी) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूँजी से की गयी थी। इसके निगमित होने के बाद एनएचपीसी के पूर्ववर्ती लोकतक डाउन स्ट्रीम एच. ई. पावर प्रोजेक्ट की सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ कंपनी को सौंप दी गयी।

5.3 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के रूप में गठन 13.06.2011 को 5 करोड़ रुपये की हिस्सा पूँजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49 प्रतिशत हिस्सापूँजी), जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत हिस्सापूँजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत हिस्सापूँजी) ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य चिनाब नदी घाटी में 2120 मेगावाट क्षमता की पाकल दुल, किरु औरक्वार जल-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था। वित्त वर्ष 2012 के अंत में एनएचपीसी इस संयुक्त उपक्रम पर 2.45 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी थी।

5.4 नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स)

एनपीईएक्स की स्थापना 11.12.2008 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, और टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत के आदान-प्रदान को संचालित करने वाले एक्सचेंज के तौर पर की गयी थी। एनएचपीसी की इस संयुक्त उपक्रम कंपनी में 16.67 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह विद्युत एक्सचेंज विद्युत की खरीद-फरोख्त का एक ऐसा तटस्थ और पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक मंच है, जिस पर 'एक दिन पूर्व' के आधार पर विद्युत की ट्रेडिंग की जा सकेगी। इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी सौदे तटस्थ, पारदर्शिता और मुक्त रूप से निपटाए जा सकें और विद्युत बाजार से जुड़े सभी पक्षों की इस तक पहुंच हो। वित्त वर्ष 2012 के अंत तक एनएचपीसी इस संयुक्त उपक्रम पर 2.19 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी थी।

5.5 नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएलपीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी। इसमें सभी कंपनियों की 25-25 प्रतिशत की समान इक्विटी भागीदारी है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी की स्थापना करना है। वित्त वर्ष 2012 के अंत तक एनएचपीसी इस संयुक्त उपक्रम पर 14.88 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी थी।

6.0 एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण:

समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानदंड (एएस-21)--"समेकित वित्तीय विवरण" और लेखांकन मानदंड (एएस-27)--"संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार तैयार किये गये हैं।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित रूप में नीचे दिया गया है :

करोड़ रुपये में

ब्यौरा	वित्त वर्ष 2012	वित्त वर्ष 2011
कुल आमदनी (अपवाद वाली मदों को छोड़कर)	8,152.25	5,924.11
कर पूर्वी लाभ	4,351.26	3,256.17
कर पश्चात लाभ (माइनोरिटी इंटरैस्ट को समायोजित कर)	3,085.58	2,316.16
परियोजनाओं और पावर स्टेशनों का कार्यनिष्पादन:		

परियोजना व पावर स्टेशनों का निष्पादन

पावर स्टेशन	2011-12 में उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग के लिए उत्पादन लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2011-12	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2010-11	2011-12 में उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग के लिए पीएएफ लक्ष्य (प्रतिशत)	2011-12 में वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत)	2010-11 में वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत)
बैरास्यूल	791	731	711	92.1	94.9	95.0
लोकतक	455	523	605	73.6	79.6	76.3
सलाल	3135	3219	3230	60.5	63.7	63.1
टनकपुर	459	488	465	64.0	64.8	62.6
चमेरा-I	1,965	2,660	2,408	98.7	87.3	99.2
उड़ी	2,629	2,704	3,040	73.5	75.9	82.1

पावर स्टेशन	2011-12 में उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग के लिए उत्पादन लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2011-12	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2010-11	2011-12 में उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग के लिए पीएफ लक्ष्य (प्रतिशत)	2011-12 में वास्तविक पीएफ (प्रतिशत)	2010-11 में वास्तविक पीएफ (प्रतिशत)
रंगित	343	353	352	92.4	93.1	92.2
चमेरा-I	1,524	1,522	1,439	98.8	96.7	95.0
धौलीगंगा	1,152	1,157	1,134	93.7	93.8	92.1
दुलहस्ती	1,980	2,199	2,234	97.7	96.2	92.9
तीस्ता-V	2,654	2,568	2,624	95.0	87.6	89.4
सेवा-I	543	562	363*	86.0	85.3	90.5
नई परियोजनाएं	871	..	..	34.0	--	--
कुल	18,500	18,683	18,606	वर्तमान पावर स्टेशन- 85.1 प्रतिशत नई परियोजनाएं 34.0 प्रतिशत	वर्तमान पावर स्टेशन -83.3 प्रतिशत नई परियोजनाएं - अधूरी	85.3

नोट : 2011-12 के पीएफ आंकड़े अस्थायी हैं और संबंधित आरपीसी द्वारा प्रमाणित किये जाने हैं.

* आंशिक वर्ष के लिए उत्पादन

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में उल्लेखनीय विकास

एनएचपीसी का विश्वास है कि सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी निरंतर विकास के लिए बहंत जरूरी हैं. कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता निभाते हुए एनएचपीसी ने अपने चार पावर स्टेशनों- टनकपुर (उत्तराखंड), चमेरा-1 (हिमाचल प्रदेश) तथा सलाल और उड़ी-1 (जम्मू कश्मीर) पावर स्टेशन में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है.

प्रशिक्षण

एनएचपीसी ने आईआईएम बंगलौर, आईआईएम कोलकाता, एससीआई हैदराबाद, सीपीआरआई बंगलौर, एनसीबी बल्लभगढ़, आईएसएम धनबाद, राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे, आईआईटी रुड़की और दिल्ली जैसे प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के साथ प्रशिक्षण उद्यम कायम किए हैं।

वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र में प्रचलित और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में बाजार विशेषज्ञों/उपकरण विनिर्माता कंपनियों जैसे एबीबी एआरईवीए (टी एंड डी), अल्सटोम वीए-टेक, भेल और सीमेंस के सहयोग से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये गये।

अजा/अजजा/अपिप श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति के विभिन्न पहलुओं और अन्य आवश्यक प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके अलावा कर्मचारियों को संबंधित विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया।

महिला कर्मचारी

31.03.2012 को एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत नीचे दिया गया है :

समूह	31.03.2012 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
कुल	11,037	1,001	9.07

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नांकित कदम उठाये गए :

- इस बात का खास ध्यान रखा गया कि महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नामित किया जाए.
- कारपोरेट कार्यालय में बहुत छोड़े बच्चे वाले कर्मचारियों के लिए शिशु सदन सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतों/परिवादों की सुनवाई के लिए तृतीय पक्ष (एनजीओ) के प्रतिनिधि को शामिल करके एक विशेष शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- नवजात शिशुओं/बहुत छोटे बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को "चाइल्ड केयर लीव" यानी बच्चों की देखरेख के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।
- भारत सरकार के नियमानुसार मातृत्व अवकाश की व्यवस्था.

- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

एनएचपीसी दूर-दराज के इलाकों में स्थित अपनी विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के आसपास अजा/अजजा/अपिव समुदायों की आबादी अधिक है। सभी कमजोर वर्गों और अजा/अजजा/अपिव समुदायों को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं।

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अजा/अजजा और अपिव के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अजा/अजजा कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी मानदंडों में रियायतें दी जाती हैं। एनएचपीसी अजा/अजजा कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अजा/अजजा और अपिव तथा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में अजा/अजजा और अपिव तथा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

एनएचपीसी में अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

31.03.2012 को कर्मचारियों की कुल संख्या		आरक्षण					
		अजा	अजा %	अजजा	अजजा %	अपिव	अपिव %
कुल	11,037	1,442	13.07	587	5.32	997	9.03

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

समूह	31.03.2012 को कर्मचारियों की कुल संख्या	शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारी			शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारी का प्रतिशत	
		दृ. बा.	श्र. बा.	अ. वि.	कुल	
कुल	11,037	10	5	74	89	0.81

दृ. बा. : दृष्टि बाधित, श्र. बा. : श्रवण बाधित, अ. वि. : अस्थि विकलांग

शारीरिक दृष्टि से अपंग कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए इस प्रकार हैं :

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं :

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनुदान : सेवा काल में शारीरिक दृष्टि बाधाग्रस्त हुए व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

वित्तीय सहायता : कर्मचारियों के शारीरिक दृष्टि से बाधाग्रस्त बच्चों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

कृत्रिम अंग की खरीद में मदद : कृत्रिम अंग की कीमत की 50 प्रतिशत राशि कर्मचारी को सीधे सहायता के रूप में वापस कर दी जाती है और बाकी 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर दी जाती है।

विशेष आकस्मिक अवकाश : विकलांगता और उससे संबंधित विकास कार्यक्रमों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय/राज्य स्तर की एजेंसियों के सम्मेलनों/सेमिनार/प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए हर कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।

यात्रा भत्ता : दृष्टि बाधित और अस्थि विकलांग कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता अदा किया जाता है।

कीमत वापसी : श्रवण बाधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान किया जाता है।

पर्यावरण प्रबंधन

एनएचपीसी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति समर्पित है। जलविद्युत परियोजनाओं का डिजाइन तैयार करने से लेकर उन्हें बनाने और निर्माण के बाद के तमाम चरणों में निरंतर विकास की अवधारणा को शामिल कर लिया गया है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन (ईआईए) परियोजनाएं बनाने प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और इसे पर्यावरण से जुड़े सभी पक्षों जैसे जमीन, पानी, हवा और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर लागू किया जाता है। पर्यावरणी प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले सभी संभावित अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावों की पहचान की जाती है। इसके लिए कराये जाने वाले अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) तैयार की जाती हैं। अगर निर्माण गतिविधियों से किसी तरह के दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो उन्हें कम करने और उनकी भरपाई के लिए पूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र सफाई, वन्यजीव संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मत्स्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, खदान तथा भराव क्षेत्र में सफाई तथा पुनर्वास व पुनर्स्थापना संबंधी उपाय किये जाते हैं।

एनएचपीसी ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करने के प्रति हमें अपनी वचनबद्धता दिखायी है।

सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करनी चाहिए। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर हर आम आदमी के लिए इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।

वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ई) के साथ पढ़ी जाने वाली कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दर्शाया जाने वाला) नियमावली, 1998 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण:

क. ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय :

पावर स्टेशनों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन और अनुकूलतम क्षमता उपयोग को देखते हुए पावर स्टेशनों की ऊर्जा जांच पूरी की गयी और ऊर्जा की बचत में सत्रण के लिए सीपीआरआई की सिफारिशों को सभी पावर स्टेशनों द्वारा लागू किया जा रहा है।

ख) अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हो, जो ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए कार्यान्वित किये जा रहे हों:

पावर स्टेशनों से कहा जा रहा है कि वे उन सभी ऊर्जा जांच उपायों को लागू करें जिनकी सिफारिश सीपीआरआई ने अपनी ऊर्जा परीक्षा रिपोर्ट में की है।

ग) उपरोक्त (क) और (ख) पर वर्णित उपायों का ऊर्जा की खपत में कमी लाने पर असर और उत्पादन की उत्पादन लागत में परवर्ती प्रभाव:

ऊर्जा में बचत के बारे में सीपीआरआई द्वारा अपनी ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनुशंसित उपायों को बैरास्यूल, सलाल, लोकतक, टनकपुर, चमेरा-I, रंगित, उड़ी-I, चमेरा-II, धौलीगंगा, दुलहस्ती और तीस्ता-V पावर स्टेशनों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने के बाद हर वर्ष 13,430.823 एमडब्ल्यूएच ऊर्जा बचत की संभावना है। इससे बिजली की उत्पादन लागत में कमी आएगी।

ख. प्रौद्योगिकी आमेदन

क. प्रौद्योगिकी आमेदन के लिए किए गए प्रयास संलग्नक फॉर्म 'बी' में दिए गए हैं।

ख. विदेशी मुद्रा आय और व्यय (2011-12).

ग. इस्तेमाल और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा.

विवरण

(करोड़ रूप में)

1.*	सीआईएफ के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य.	2011-12 में करोड़ रुपये में	2010-11 में करोड़ रुपये में
	i) पूंजीगत सामान	53.65	99.39
	ii) हिस्से पुर्जे	0.21	1.90
2.*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी (नोहाउ)	4.84	11.18
	ii) ब्याज	58.49	59.53
	iii) अन्य विविध	47.37	119.79
3.*	प्रचालन इकाइयों में काम में लाए गए हिस्से-पुर्जों और घटकों का मूल्य		
	- आयातित	0.18 (1.78 प्रतिशत)	0.05 (26.65 प्रतिशत)
	- स्वदेशी	9.96 (98.22 प्रतिशत)	2.89 (73.35 प्रतिशत)
4.	विदेशी मुद्रा में आय		
	i) ब्याज	-	-
	ii) आय	-	-
	iii) अन्य	-	-

* वास्तविक आधार

फार्म -बी

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा 2011-12 के दौरान अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया :

क. वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए समझौता ज्ञापन लक्ष्य :

- ♦ जलाशयों/बांधों में रिसाव रोकने की तकनीकों का अध्ययन;
- ♦ भू-विज्ञान और जल-विज्ञान के क्षेत्र पहले जिन समस्याओं का सामना किया जा चुका है या जिनका सामना किया जा रहा है और जो उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में प्रलेख तैयार करना ताकि भविष्य में उनका संदर्भ लिया जा सके;
- ♦ तीस्ता-5 पावर स्टेशन के सर्ज शाफ्ट और प्रेशर शाफ्ट तथा सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना के डैम-स्पिलवे का कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स अध्ययन एवं विश्लेषण; एनएचपीसी के चार पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में जलविद्युत क्षमताओं का मूल्यांकन; और
- ♦ तीस्ता-5 पावर स्टेशन के लिए अप्रैल 2008 से सितम्बर 2009 की उत्पादन अवधि हेतु
- ♦ वीसीएस रजिस्ट्री द्वारा जारी वीईआर के लिए बिक्री और राजस्व वसूली।

ख. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना : हाइड्रो जेनेरेटर्स की टरबाइन के लिए सिल्ट एरोजन प्रतिरोधी सामग्री का विकास; उच्च हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों में सुरंगें बनाना।

2 उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के नतीजों से प्राप्त लाभ :

- **जलाशयों/बांधों में रिसाव रोकने की तकनीकों का अध्ययन :** यह अध्ययन आईआईटी दिल्ली की मदद से संचालित किया गया और एनएचपीसी वर्तमान बांधों से रिसाव रोकने के व्यवहार्य सन्नृणात्मक उपाय और भविष्य में बनाए जाने वाले बांधों में व्यवहार्य निवारक उपाय लागू कर सकती है।
- **भू-विज्ञान और जल-विज्ञान के क्षेत्र पहले जिन समस्याओं का सामना किया जा चुका है या जिनका सामना किया जा रहा है और जो उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में प्रलेख तैयार करना ताकि भविष्य में उनका हवाला दिया जा सके :** इस अध्ययन रिपोर्ट का इस्तेमाल भू-विज्ञान और जल-विज्ञान के क्षेत्र में सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में किया जा सकेगा।
- **हार्ड कोटिंग फैसिलिटी का विकास - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना :** इस परियोजना के फलस्वरूप टरबाइन कल-पुर्जों पर हार्ड कोटिंग की सुविधा की इन-हाउस स्थापना की जा सकेगी और इससे गाद वाले पानी के कारण एरोजन की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी, जिसका प्रभाव अनेक पावर स्टेशनों पर पड़ रहा है। इस प्रकार टरबाइन उपलब्धता में सन्नृण किया जा सकेगा।
- **तीस्ता-V पावर स्टेशन के सर्ज शॉफ्ट और प्रेशर शॉफ्ट तथा सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना के डैम-स्पिलवे का कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स (सीएफडी) अध्ययन एवं विश्लेषण :** जल विद्युत के संघटकों के डिजाइन की अभिपुष्टि और डिजाइन धारणाओं की प्रामाणिकता की जांच के लिए कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स (सीएफडी) अध्ययन एवं विश्लेषण कराया गया। प्रस्तावित लेआउट की जांच के लिए आमतौर पर किए जाने वाले भौतिक मॉडल अध्ययनों की तुलना में यह एक ऐसा साधन है जिससे अधिक शीघ्रता से जांच की जा सकती है।
- **हाइड्रो जेनेरेटर्स की टरबाइन के लिए सिल्ट एरोजन प्रतिरोधी सामग्री के विकास' संबंधी राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी प्रोजेक्ट) :** मैसर्स नेशनल मैटॉलर्जिकल लैबोरेटरी (एनएमएल) ने एक नई मिश्रधातु विकसित की है। उनका मानना है कि इस मिश्रधातु में बेहतर कटाव-रोधी विशेषताएं हैं। इस पदार्थ का परीक्षण लघु उपकरणों पर किया जा रहा है। इसके गुण प्रमाणित हो जाने के बाद, यह हमें भावी हाइड्रो परियोजनाओं में अंडरवाटर टरबाइन के संघटकों के निर्माण में मददगार हो सकती है।

3. वर्ष 2012-13 के लिए भावी योजनाएं

- एक हाइड्रो पावर परियोजना के एचआरटी के पेनस्टॉक/प्रेशर शॉफ्ट, सर्ज शॉफ्ट और पार्ट का सीएफडी विश्लेषण।
- सलाल पावर स्टेशन पर हार्ड कोटिंग फैसिलिटी का विकास-कार्य की मंजूरी प्रदान करना।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनएनपी), 'हाईहाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों सुरंगें बनाना'।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (2011-12) :

वित्त वर्ष 2011-12 में अनुसंधान एवं विकास पर कुल व्यय रु. 3,27,92,991 था।

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार

- 1 **प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास (संक्षेप में):** सिल्ट कटाव के प्रति अंडरवाटर टरबाइन संघटकों की क्षमता में सन्नृण के लिए उनकी हार्ड कोटिंग और संभावित समाधान के रूप में थर्मल स्प्रे तकनीकों की पहचान के क्षेत्र में अतीत में विशेषज्ञता पूर्ण संगठनों के सहयोग से अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन/ट्रायल किए गए।
2. **उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ, उदाहरण के लिए उत्पाद सन्नृण, लागत में कमी, उत्पाद विकास और आयात प्रतिस्थापन के रूप में लाभ :** हार्ड कोटिंग एक सतत प्रक्रिया है और इससे प्राप्त लाभों का आकलन अभी किया जा सकेगा जब हाइड्रो टरबाइन के अंडरवाटर संघटकों के लिए फायदेमंद कोटिंग सामग्री को अंतिम रूप मिल जायेगा। टंगस्टेन कारबाइड कोबाल्ट कोटिंग के साथ एचवीओएफ प्रक्रिया के उत्पादन पर परिणाम सामने आने की संभावना है।
3. **पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात की गई प्रौद्योगिकी :** पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात की गई कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विवरण इस प्रकार है :

क्र.स	आयात की गई प्रौद्योगिकी	आयात करने का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह आमेलित किया गया।	यदि पूरी तरह आमेलित नहीं किया गया, तो उस क्षेत्र का नाम जहां उसे नहीं अपनाया गया, तत्संबंधी कारण और भावी कार्ययोजना
क	बिह्वा पवन बिजली परियोजना, जम्मू-कश्मीर	2011	नहीं	जम्मू कश्मीर में बिह्वा पवन बिजली परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, परियोजना के कार्यान्वयन के बाद प्रौद्योगिकी आमेलन की संभावना है।
ख	सुंदरबन, (पश्चिम बंगाल) में 3.75 मेगावाट क्षमता के दुर्गादुआनी मिनी टाइडल पावर प्रोजेक्ट का विकास	2008	नहीं	पश्चिम बंगाल में दुर्गादुआनी मिनी टाइडल पावर प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2007 में मैसर्स हाइड्रो तस्मानिया, आस्ट्रेलिया की मदद से अद्यतन बनायी गई।
ग	एनएचपीसी की निम्नो बाज़गो जल विद्युत परियोजना के लिए स्टैंड अलोन स्ट्रीट लाइट और 25 कि.वा. क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रायोगिक परियोजना 17 जनवरी 2007 को सफलतापूर्वक चालू की गई ताकि प्रदूषण मुक्त बिजली को प्रोत्साहित किया जा सकती है।	2007	हां	

अनुलग्नक-IV

(क) पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र सहित पारिश्रमिक के तौर पर 60,0000/-रुपए रुपए अथवा कम राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण। वित्तीय वर्ष 2011-12 :

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी आंशिक अवधि के लिए 5,00000/-रुपए प्रतिमाह तक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मिकों का विवरण। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नानुसार रहा:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की आरंभिक	छोड़ने की तारीख	कुल पारिश्रमिक (रुपये में)	(डी) प्रतिनियुक्ति (आर/नियमित)	योग्यता	आयु (वर्ष)	अनुभव वर्षों में	अंतिम रोजगार
1	मनोहर सिंह	सहायक स्पेशल	7-सितम्बर-74	30-अप्रैल-11	2564680	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	37	एनएचपीसी
2	गोपाल सिंह जसरोटिया	वर्क असि. स्पेशल	13-मार्च-78	30-अप्रैल-11	2417953	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	33	एनएचपीसी
3	मदन लाल	वरि. फोरमैन (सिविल)	10-जुलाई-71	30-अप्रैल-11	2355070	आर	हायर सेकेंडरी	60	40	एनएचपीसी
4	डी एन मिश्रा	प्रबंधक (सिविल)	11-जून-82	30-अप्रैल-11	2302535	आर	डिप्लोमा सिविल इंजी.	60	29	चुखा परियोजना
5	करनैल सिंह	मास्टर तकनीशियन(फिटर) ग्रेड-2	5-मई-78	30-अप्रैल-11	2275278	आर	मैट्रिक से कम	60	33	एनएचपीसी
6	अवतार सिंह	मास्टर तकनीशियन(मैकेनिक) ग्रेड-2	20-जुलाई-76	30-अप्रैल-11	2259158	आर	मैट्रिक से कम	60	35	एनएचपीसी
7	लव कुमार	वरि. सहायक ग्रेड-2	9-जनवरी-75	30-अप्रैल-11	2227983	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	36	एनएचपीसी
8	आर के रैना	वरि. सहायक ग्रेड-2	17-अप्रैल-78	30-अप्रैल-11	2053540	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी,आईटीआई	60	33	एनएचपीसी
9	मखानी सहानी	उपप्रबंधक (प्रशासन)	1-दिसम्बर-77	30-अप्रैल-11	2028973	आर	स्नातक	60	33	एनएचपीसी
10	हेम राज	मास्टर आर्टिशन ग्रेड-2	28-मई-74	30-अप्रैल-11	1905434	आर	मैट्रिक से कम	60	37	एनएचपीसी
11	परशोतम चंद	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	7-फरवरी-78	30-अप्रैल-11	1874556	आर	बी.ए.	60	33	एनएचपीसी
12	किशन चंद	मास्टर आर्टिशन (मैसन) ग्रेड-2	1-फरवरी-74	30-अप्रैल-11	1852314	आर	मैट्रिक से कम	60	37	एनएचपीसी
13	अमरनाथ	मास्टर तकनीशियन (मैकेनिक) ग्रेड-2	14-दिसम्बर-79	30-अप्रैल-11	1809246	आर	सातवीं कक्षा	60	31	एनएचपीसी
14	ए एस गर्गुस्त	प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल)	24-मार्च-81	30-अप्रैल-11	1725577	आर	डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजी.	60	30	राज्य कृषि उत्पादन मंडी
15	प्रिथी सिंह	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-2	24-अक्टूबर-75	30-अप्रैल-11	1684582	आर	मैट्रिक से कम	60	36	एनएचपीसी
16	आर सी परमार	उप प्रबंधक (एचआर)	2-फरवरी-78	31-मार्च-11	1657012	आर	एम.कॉम और पीजी डिप्लोमा (पीएम एण्ड आईआर)	60	33	एनएचपीसी
17	एम एस बाली	प्रिंसिपल ग्रेड-ए	13-अक्टूबर-77	30-अप्रैल-11	1640762	आर	बी.ए., एम.ए., बी.एड. और एम.एड.	60	34	खालसा हाईस्कूल
18	भीकम सिंह	मास्टर तकनीशियन (रिगगर) ग्रेड-2	29-अगस्त-77	30-अप्रैल-11	1616410	आर	बी.ए.	60	34	एनएचपीसी
19	नंदा बल्लभ कंडपाल	ड्राइवर स्पेशल	1-सितम्बर-87	16-मई-11	1519259	आर	पांचवीं कक्षा	57	24	एनएचपीसी
20	सुखविंदर सिंह	रिगगर स्पेशल	1-अक्टूबर-75	16-मई-11	1377087	आर	मैट्रिक से कम	54	36	एनएचपीसी
21	मदन लाल	मास्टर आर्टिशन ग्रेड-2	6-सितम्बर-78	30-अप्रैल-11	1353515	आर	निरक्षर	60	33	एनएचपीसी
22	पारस राम	कार्यालय अधीक्षक-1	2-मार्च-73	31-मई-11	2703236	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	38	एनएचपीसी
23	भीखम राम	मास्टर तकनीशियन (फिटर) ग्रेड-1	1-जुलाई-84	31-जुलाई-11	5341373	आर	नौवीं कक्षा	54	27	एनएचपीसी
24	गरीब दास	मास्टर तकनीशियन (लाइनमैन) ग्रेड-1	1-मार्च-75	31-मई-11	2629927	आर	आईटीआई	60	36	एनएचपीसी
25	ज्ञान चंद बाली	वरि. फोरमैन (सिविल)	10-जुलाई-71	31-मई-11	2545492	आर	हायर सेकेंडरी	60	40	एनएचपीसी
26	एस बोरपी कोम	वरि. सहायक ग्रेड-2	14-सितम्बर-77	31-अगस्त-11	6359576	आर	पीयूसी	54	34	एनएचपीसी
27	अब्दुल कादस पैरी	मास्टर तकनीशियन (मैकेनिक) ग्रेड-2	27-अप्रैल-81	30-अप्रैल-11	1271775	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	30	एनएचपीसी
28	हंस राज	सहायक स्पेशल	26-सितम्बर-84	15-मई-11	1258984	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	51	27	एनएचपीसी
29	करम चंद	वरि. एचआईएम ऑपरेंटर ग्रेड-2	29-मार्च-80	10-अगस्त-11	4927022	आर	मैट्रिक से कम	54	31	एनएचपीसी
30	काका राम	रसोइया स्पेशल ग्रेड-2	14-अप्रैल-86	30-अप्रैल-11	1227469	आर	निरक्षर	60	25	एनएचपीसी
31	मदन कुमार	वरि. सुपरवाइजर (मैक.) ग्रेड-1	8-मई-76	31-मई-11	2450646	आर	आईटीआई और हायर सेकेंडरी	60	35	एनएचपीसी
32	भूरि सिंह	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	6-अगस्त-85	31-मार्च-11	1213794	आर	निरक्षर	60	26	एनएचपीसी
33	धरम चंद	लाइनमैन स्पेशल	7-अप्रैल-71	31-मई-11	2425915	आर	मैट्रिक से कम	60	40	एनएचपीसी
34	पी कुबीसाणा सिंह	सुरक्षा गार्ड ग्रेड-1	1-नवम्बर-81	30-अप्रैल-11	1178538	आर	आठवीं कक्षा	60	30	एनएचपीसी
35	दर्शन सिंह	मास्टर तकनीशियन (रिगगर) ग्रेड-2	9-जून-75	31-मई-11	2330746	आर	मैट्रिक से कम	60	36	एनएचपीसी
36	एम अचोबा सिंह	वायरलेस ऑपरेंटर स्पेशल	14-अगस्त-80	16-मई-11	1147785	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	58	31	एनएचपीसी
37	मोहम्मद महीभुर रहमान मजूमदार	ऑपरेंटर (सीओएमपीआर) ग्रेड-1	27-अप्रैल-79	31-जुलाई-11	4558325	आर	आठवीं कक्षा	54	32	एनएचपीसी
38	पामेई काबुई	फिटर ग्रेड-1	1-मार्च-78	31-जुलाई-11	4536747	आर	सातवीं कक्षा	53	33	एनएचपीसी
39	प्रेम सिंह	वरि. टाइमकीपर ग्रेड-2	19-दिसम्बर-75	31-मई-11	2243130	आर	नौवीं कक्षा	60	35	एनएचपीसी
40	सुरेश कुमार शुक्ल	वरि. सुपरवाइजर (मैक.) ग्रेड-1	13-मार्च-82	31-मई-11	2209003	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	29	एनएचपीसी
41	रोशन लाल	मास्टर तकनीशियन (मैकेनिक) ग्रेड-1	28-सितम्बर-77	31-मई-11	2138948	आर	मैट्रिक से कम	60	34	एनएचपीसी
42	एस के ग्रोवर	कार्यकारी सचिव	25-जुलाई-78	31-मई-11	2090881	आर	बी.कॉम	60	33	योजना आयोग
43	प्रिथी चंद	मास्टर तकनीशियन (लाइनमैन) ग्रेड-2	13-अप्रैल-71	31-मई-11	2083632	आर	मैट्रिक से कम	60	40	एनएचपीसी
44	गुरमेल सिंह	मास्टर तकनीशियन (फिटर) ग्रेड-1	16-फरवरी-85	31-जुलाई-11	4102213	आर	आठवीं कक्षा	56	26	एनएचपीसी
45	ओम प्रकाश	ड्राइवर स्पेशल ग्रेड-1	9-जनवरी-82	31-जुलाई-11	3961147	आर	आठवीं कक्षा	55	30	एनएचपीसी
46	सुषमा रहानी	वरि. सहायक ग्रेड-1	1-मार्च-84	9-सितम्बर-11	4918641	आर	बी.ए.	51	28	एनएचपीसी
47	चांद लाल	वर्क असि. स्पेशल	1-जुलाई-74	31-मई-11	1965518	आर	मैट्रिक से कम	60	37	एनएचपीसी
48	लक्ष्मी नारायण	मास्टर आर्टिशन (कारपेंटर) ग्रे-2	31-दिसम्बर-76	30-अप्रैल-11	1950098	आर	पांचवीं कक्षा	60	34	एनएचपीसी
49	ए के संधीर	वरि. प्रबंधक (अनुसंधान)	1-जुलाई-76	30-जून-11	2902376	आर	बी.एससी.	60	35	एनएचपीसी
50	सुसन श्रीवास्तव	वरि. सहायक ग्रेड-1	26-मई-82	9-सितम्बर-11	4836098	आर	स्नातक	54	29	एनएचपीसी
51	मोहिन्दर सिंह	मास्टर तकनीशियन (रिगगर) ग्रेड-2	18-अक्टूबर-75	31-जुलाई-11	4797918	आर	निरक्षर	56	36	एनएचपीसी
52	परमजीत लाल	ड्राइवर स्पेशल ग्रेड-1	2-जुलाई-83	31-जुलाई-11	3792183	आर	सातवीं कक्षा	53	28	एनएचपीसी
53	एम पी सिंह	वरि. प्रबंधक (मैकेनिकल)	15-मार्च-84	30-जून-11	2807754	आर	डिप्लोमा मैक. इंजी.	60	27	सिंचाई विभाग, पंजाब

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की आरंभिक	छोड़ने की तारीख	कुल पारिश्रमिक (रुपये में)	(डी) प्रतिनियुक्ति (आर)नियमित	योग्यता	आयु (वर्ष)	अनुभव वर्षों में	अंतिम रोजगार
54	डी अब्राहम सुंदरिया पांडियन	वरि. टीजीटी ग्रेड-2	8-अक्टूबर-84	31-अगस्त-11	4612055	आर	बी. ए. एससी और बी. एड.	55	27	एनएचपीसी
55	लोक राज	वरि. सहायक स्पेशल ग्रेड-2	1-दिसम्बर-75	12-अक्टूबर-11	5475846	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	54	36	एनएचपीसी
56	भीम बहादुर	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	29-सितम्बर-80	31-जुलाई-11	3614697	आर	आठवीं कक्षा	54	31	एनएचपीसी
57	बग्गा सिंह	मास्टर क्रेन ऑपरेटर ग्रेड-2	1-जून-75	30-जून-11	2680626	आर	मैट्रिक से कम	60	36	एनएचपीसी
58	जोगिन्दर पाल	अपहोल्स्टर स्पेशल	18-सितम्बर-80	31-अगस्त-11	4463258	आर	सातवीं कक्षा	55	31	एनएचपीसी
59	बहादुर सिंह	ड्राइवर ग्रेड-3	7-सितम्बर-79	13-अगस्त-11	3550085	आर	निरक्षर	50	32	एनएचपीसी
60	एम जुबा सिंह	सहायक स्पेशल	26-फरवरी-80	31-जुलाई-11	3535320	आर	हायर सेकेंडरी	53	31	एनएचपीसी
61	प्रीतम सिंह	मास्टर तकनीशियन (फिटर) ग्रेड-2	5-नवम्बर-76	31-जुलाई-11	3507465	आर	मैट्रिक से कम	58	35	एनएचपीसी
62	भीम लाल शर्मा	अटेंडेंट स्पेशल ग्रेड-1	7-सितम्बर-79	31-जुलाई-11	3502079	आर	आठवीं कक्षा	54	32	एनएचपीसी
63	राम स्वार्थ	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	31-मार्च-74	31-जुलाई-11	3488823	आर	निरक्षर	53	37	एनएचपीसी
64	सत्य पॉल	वरि. सहायक ग्रेड-2	29-मई-80	31-मई-11	1742514	आर	वरि. माध्यमिक/बारहवीं	60	31	एनएचपीसी
65	जय प्रकाश	हेल्पर स्पेशल	22-मार्च-80	31-जुलाई-11	3442936	आर	निरक्षर	55	31	एनएचपीसी
66	राम बहादुर	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	28-अगस्त-78	31-जुलाई-11	3416134	आर	निरक्षर	55	33	एनएचपीसी
67	एम डी कमल	वरि. सहायक ग्रेड-2	1-दिसम्बर-82	31-जुलाई-11	3367773	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	48	29	एनएचपीसी
68	मान बहादुर	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	28-मई-79	31-जुलाई-11	3364766	आर	पांचवीं कक्षा	55	32	एनएचपीसी
69	गुरमुख सिंह	मास्टर तकनीशियन (रिग्वर) ग्रेड-1	1-अक्टूबर-75	30-जून-11	2508681	आर	मैट्रिक से कम	60	36	एनएचपीसी
70	प्रोमिला शर्मा	वर्क असि. स्पेशल ग्रेड-1	24-अप्रैल-82	31-अगस्त-11	4135905	आर	हायर सेकेंडरी	53	29	एनएचपीसी
71	विजय लक्ष्मी	वरि. सहायक ग्रेड-1	15-मार्च-76	31-अगस्त-11	4128777	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	56	35	एनएचपीसी
72	किरु बाइ पोन्नामल	वरि. टीजीटी ग्रेड-2	20-जनवरी-86	31-अगस्त-11	4069517	आर	बी. ए. एससी और बी. एड.	54	26	एनएचपीसी
73	राम बहादुर	सुरक्षा गार्ड स्पेशल ग्रेड-1	8-दिसम्बर-78	31-जुलाई-11	3249093	आर	आठवीं कक्षा	56	33	एनएचपीसी
74	चंदर मोहन तिवारी	बेल्दर स्पेशल	1-अक्टूबर-83	31-जुलाई-11	3249029	आर	निरक्षर	51	28	एनएचपीसी
75	मो. मोइना मिया	हेल्पर स्पेशल	22-सितम्बर-82	31-जुलाई-11	3245376	आर	निरक्षर	53	29	एनएचपीसी
76	गिरधारी सिंह	कार्यालय अधीक्षक-1	29-जून-76	30-जून-11	2423288	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	35	एनएचपीसी
77	प्रीतम चंद	बेल्दर स्पेशल	11-जुलाई-85	30-जून-11	2422290	आर	निरक्षर	56	26	एनएचपीसी
78	के एच मणि सिंह	बेल्दर स्पेशल	14-मई-81	31-जुलाई-11	3182277	आर	नौवीं कक्षा	55	30	एनएचपीसी
79	चन्नन सिंह	मास्टर तकनीशियन (फिटर) ग्रेड-1	19-अक्टूबर-75	30-जून-11	2377844	आर	मैट्रिक से कम	60	36	एनएचपीसी
80	सहदेव सिंह ठाकुर	कार्यालय अधीक्षक-1	11-मार्च-74	30-जून-11	2358360	आर	हायर सेकेंडरी	60	37	एनएचपीसी
81	तोखा राम	बेल्दर स्पेशल	1-फरवरी-74	31-मई-11	1569412	आर	निरक्षर	60	37	एनएचपीसी
82	गणेश दास	वरि. फोरमैन (सिविल)-स्पेशल	17-सितम्बर-71	30-जून-11	2316816	आर	मैट्रिक से कम	60	40	एनएचपीसी
83	सुशील भूषण प्रसाद	कार्यकारी सचिव	7-जनवरी-81	30-जून-11	2288735	आर	बी. ए.	60	31	एनएचपीसी
84	वामन एस कुलकर्णी	जेई (सिविल) ग्रेड-1	10-जनवरी-02	30-अप्रैल-11	753091	आर	डिप्लोमा सिविल इंजी. और वरि. माध्यमिक/बारहवीं	31	9	एनएचपीसी
85	बबलू धर	सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	2-मार्च-81	13-अक्टूबर-11	5217711	आर	बी. कॉम और पीजी डिप्लोमा जनसंपर्क	55	31	एनएचपीसी
86	हरवेल सिंह	वरि. एचईएम ऑपरेटर ग्रेड-2	4-जनवरी-75	31-मई-11	2229364	आर	निरक्षर	60	36	एनएचपीसी
87	पैटरस मिश्र	कार्यालय अधीक्षक-1	28-मई-81	13-अक्टूबर-11	5199128	आर	वरिष्ठ माध्यमिक/बारहवीं और बी. ए.	55	30	एनएचपीसी
88	अजाइब सिंह	मास्टर तकनीशियन (ड्रिलर) ग्रेड-1	13-सितम्बर-82	31-अगस्त-11	3707985	आर	आईटीआई और नौवीं कक्षा	58	29	एनएचपीसी
89	रोमेल सिंह	फिटर ग्रेड-1	15-जनवरी-86	31-जुलाई-11	2964735	आर	मैट्रिक से कम	51	26	एनएचपीसी
90	पियाय दीन	मास्टर तकनीशियन (फिटर) ग्रेड-2	1-दिसम्बर-75	30-जून-11	2210777	आर	निरक्षर	60	36	एनएचपीसी
91	रणगिल सिंह	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	6-सितम्बर-78	31-जुलाई-11	2947603	आर	निरक्षर	56	33	एनएचपीसी
92	गौर देव नाथ	बेल्दर स्पेशल ग्रेड-1	12-अगस्त-80	31-जुलाई-11	2941395	आर	निरक्षर	56	31	एनएचपीसी
93	पी एस बास्सोइआ	प्रबंधक (मैकेनिकल)	9-फरवरी-77	31-जुलाई-11	2928531	आर	डिप्लोमा मैक. इंजी.	60	35	एनएचपीसी
94	अब्दुल मन्नन बारभूइया	रसोइया स्पेशल ग्रेड-2	14-मई-81	31-अगस्त-11	3632158	आर	सातवीं कक्षा	54	30	एनएचपीसी
95	सुरेश चंद	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	22-मार्च-83	31-मई-11	1441769	आर	निरक्षर	60	28	एनएचपीसी
96	इन्द्र कुमार कुमाइ	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	16-दिसम्बर-81	3-अक्टूबर-11	4318204	आर	हायर सेकेंडरी	55	30	एनएचपीसी
97	केशरू राम	बेल्दर स्पेशल	14-जनवरी-86	31-जुलाई-11	2878284	आर	निरक्षर	54	26	एनएचपीसी
98	राम चन्द्र मेहतो	अटेंडेंट स्पेशल ग्रेड-1	7-अप्रैल-82	31-अगस्त-11	3595367	आर	आठवीं कक्षा	51	29	एनएचपीसी
99	सोहन सिंह	वरि. फोरमैन (सिविल)	5-दिसम्बर-75	30-जून-11	2154103	आर	मैट्रिक से कम	60	36	एनएचपीसी
100	विमला नायर	सहायक स्पेशल	14-मार्च-84	31-अगस्त-11	3584959	आर	वरि. माध्यमिक/बारहवीं कक्षा	54	27	एनएचपीसी
101	सतीश चन्द्र	वरिष्ठ एससी सहायक ग्रेड-1	9-मार्च-78	31-मई-11	2133733	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	33	एनएचपीसी
102	देस राज	हेल्पर स्पेशल	21-मई-77	30-अप्रैल-11	1399397	आर	निरक्षर	60	34	एनएचपीसी
103	एस आर मानस	मास्टर इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-1	30-मार्च-79	31-मई-11	2084222	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	32	एनएचपीसी
104	सत्पाल कपूर	वरि. फोरमैन (इलेक्ट्रिकल)-स्पेशल	7-दिसम्बर-77	14-अक्टूबर-11	4167125	आर	आईटीआई और मैट्रिक/एसएसएलसी	57	34	एनएचपीसी
105	भीम भांडुर छेत्री	ड्राइवर ग्रेड-3	1-अक्टूबर-76	20-अगस्त-11	3472334	आर	सातवीं कक्षा	57	35	एनएचपीसी
106	राम बहादुर	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	9-अप्रैल-80	31-अगस्त-11	3452190	आर	निरक्षर	53	31	एनएचपीसी
107	गौरी शंकर	गैरी स्पेशल ग्रेड-1	1-जुलाई-74	31-जुलाई-11	2759514	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	37	एनएचपीसी
108	प्रेम सिंह	वरि. ऑपरेटर (संचार) ग्रेड-1	1-मार्च-74	31-जुलाई-11	2742130	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	37	एनएचपीसी
109	डी अथुडर नागा	मिडवाइक/दाई स्पेशल	1-नवम्बर-79	12-अक्टूबर-11	4111325	आर	८वीं कक्षा	53	32	एनएचपीसी
110	बिमला देवी	बेल्दर स्पेशल ग्रेड-1	2-जनवरी-85	11-अगस्त-11	3389599	आर	निरक्षर	48	27	एनएचपीसी
111	फिह्रन	सफाईवाला स्पेशल	29-दिसम्बर-77	31-मई-11	1351797	आर	निरक्षर	60	33	एनएचपीसी
112	सतीन्द्र पांडे	बेल्दर स्पेशल ग्रेड-1	2-नवम्बर-81	29-अगस्त-11	3349708	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	55	30	एनएचपीसी
113	बी एस डोगरा	प्रबंधक (वित्त)	1-जुलाई-83	31-जुलाई-11	2663075	आर	एसएस और बीए	60	28	ए. जी. हि. प्र चंडीगढ़
114	फजल खान	वर्क असिस्टेंट स्पेशल	4-जुलाई-75	30-जून-11	2644480	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	36	एनएचपीसी

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की आरंभिक	छोड़ने की तारीख	कुल पारिश्रमिक (रुपये में)	(डी) प्रतिनियुक्ति (आरनियमित)	योग्यता	आयु (वर्ष)	अनुभव वर्षों में	अंतिम रोजगार
115	खजूर सिंह	मास्टर तकनीशियन (लाइनमैन) ग्रेड-2	31-मई-79	3-नवम्बर-11	4616362	आर	९वीं	54	32	एनएचपीसी
116	अनोखे लाल	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	25-फरवरी-82	29-अगस्त-11	3292632	आर	निरक्षर	55	30	एनएचपीसी
117	मोहिन्दर सिंह	मास्टर तकनीशियन (रिगगर) ग्रेड-1	1-अक्टूबर-75	30-सितम्बर-11	3939248	आर	मैट्रिक से नीचे	57	36	एनएचपीसी
118	बख्तावर सिंह	रिगगर स्पेशल	1-अक्टूबर-75	30-जून-11	2625339	आर	मैट्रिक से नीचे	60	36	एनएचपीसी
119	मेहर सिंह	फिटर/ग्राइंडर स्पेशल	1-अक्टूबर-75	30-जून-11	2582211	आर	मैट्रिक से नीचे	60	36	एनएचपीसी
120	जगदीश	मास्टर ऑटिशन ग्रेड-2	1-फरवरी-74	30-जून-11	1924896	आर	मैट्रिक से नीचे	60	37	एनएचपीसी
121	एम शिव षन्मुगनाथन	मुख्य अधिकारी (वित्त)	28-मार्च-87	5-जुलाई-11	1895362	आर	आईसीडब्ल्यू और बीए	48	24	डेल्टन केबल लिमिटेड
122	जगदेव	वरि. एचईएम आपरेटर ग्रेड-1	25-अगस्त-78	31-जुलाई-11	2526185	आर	निरक्षर	60	33	एनएचपीसी
123	जैड आर	वरि. प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल)	1-जनवरी-74	31-जुलाई-11	2496626	आर	डिलोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी	60	38	एनएचपीसी
124	बिशन दत्त	अटेंडेंट स्पेशल	24-जनवरी-74	31-अगस्त-11	3118062	आर	मैट्रिक से नीचे	56	38	एनएचपीसी
125	पासंग सिंह	हेल्पर स्पेशल	1-जुलाई-85	31-जुलाई-11	2485332	आर	मैट्रिक से नीचे	57	26	एनएचपीसी
126	अवतार सिंह	ड्राइवर स्पेशल	9-जून-75	31-मई-11	1852824	आर	मैट्रिक से नीचे	60	36	एनएचपीसी
127	एल सी चौहान	कार्यकारी ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 'ए'	5-फरवरी-81	4-जनवरी-12	5549789	आर	आईटीआई ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	56	31	एनएचपीसी
128	अशोक कुमार	वेल्डर स्पेशल	1-अक्टूबर-74	30-जून-11	2440213	आर	मैट्रिक से नीचे	60	37	एनएचपीसी
129	गुरमीत सिंह	बेल्डर स्पेशल ग्रेड-1	15-मार्च-84	31-जुलाई-11	2408693	आर	निरक्षर	57	27	एनएचपीसी
130	एम एस राजकुमार	मास्टर तकनीशियन (लाइनमैन) ग्रेड-2	23-मार्च-78	30-जून-11	1796518	आर	९वीं	60	33	एनएचपीसी
131	शिव दास	मास्टर ऑटिशन (कारपेंटर) ग्रेड-2	12-फरवरी-80	31-जुलाई-11	2985971	आर	निरक्षर	56	31	एनएचपीसी
132	ओमप्रकाश सिंह	मास्टर आपरेटर ग्रेड-2	1-अक्टूबर-76	31-जुलाई-11	2382853	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	58	35	एनएचपीसी
133	जामन सिंह	हेल्पर स्पेशल	27-अक्टूबर-78	31-अगस्त-11	2967645	आर	निरक्षर	56	33	एनएचपीसी
134	रूप सिंह	वरि. फोरमैन (मैकेनिकल)	8-दिसम्बर-82	31-जुलाई-11	2373848	आर	मैट्रिक से नीचे	60	29	एनएचपीसी
135	एस सी मंडल	प्रबंधक (सिविल)	29-अगस्त-77	31-जुलाई-11	2354489	आर	डिलोमा सिविल इंजीनियरी	60	34	बीएसएल परियोजना
136	रोम बहादुर	बेल्डर स्पेशल	24-अप्रैल-85	31-अगस्त-11	2937831	आर	निरक्षर	46	26	एनएचपीसी
137	कृष्ण चंद	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	11-मार्च-73	31-जुलाई-11	2345580	आर	निरक्षर	57	38	एनएचपीसी
138	सुरेन्द्र कुमार	वरि. फोरमैन (सिविल)-स्पेशल	1-अप्रैल-77	31-अगस्त-11	2912515	आर	मैट्रिक से नीचे, आईटीआई	60	34	एनएचपीसी
139	योगी राज	सुरक्षा गार्ड स्पेशल ग्रेड-1	19-जुलाई-84	23-जून-11	1160368	आर	निरक्षर	52	27	एनएचपीसी
140	बाल कृष्ण	वरि. फोरमैन (इलेक्ट्रिकल)-स्पेशल	18-अगस्त-71	31-जुलाई-11	2319433	आर	मैट्रिक से नीचे, आईटीआई	60	40	एनएचपीसी
141	राम प्रकाश	वर्क असिस्टेंट स्पेशल	1-दिसम्बर-75	30-जून-11	1724998	आर	८वीं	60	36	एनएचपीसी
142	राम बहादुर	मास्टर तकनीशियन (ड्रिलर) ग्रेड-2	1-जुलाई-85	31-अगस्त-11	2872398	आर	निरक्षर	57	26	एनएचपीसी
143	हरी सिंह	सुरक्षा गार्ड स्पेशल ग्रेड-1	17-अप्रैल-75	30-जून-11	1705953	आर	निरक्षर	60	36	एनएचपीसी
144	तुलसी राम	वरि. फोरमैन (इलेक्ट्रिकल)	16-दिसम्बर-74	31-जुलाई-11	2235340	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	37	एनएचपीसी
145	दीप बहादुर	मास्टर तकनीशियन (ड्रिलर) ग्रेड-2	1-जुलाई-85	30-जून-11	1675705	आर	छठी कक्षा	60	26	एनएचपीसी
146	हरदीप सिंह	फिटर स्पेशल	6-जनवरी-74	7-अगस्त-11	2186801	आर	मैट्रिक से नीचे	57	38	एनएचपीसी
147	वी के जैन	वरि. प्रबंधक (वित्त)	27-अक्टूबर-79	30-सितम्बर-11	3276975	आर	सीए (इंटर) और बी. काम	60	32	एन. कुमार एंड कं.
148	एल पी सिंह	मुख्य इंजीनियर (मैकेनिकल)	17-अक्टूबर-80	31-जुलाई-11	2154697	आर	बी. ई. मैकेनिकल	60	31	एनएचपीसी
149	कुलवंत सिंह	मुख्य स्टोरकीपर ग्रेड-2	28-मई-81	31-अगस्त-11	2690493	आर	सीनियर सेकेंडरी/१२वीं और बीए	58	30	एनएचपीसी
150	धनी राम	हेल्पर स्पेशल ग्रेड-1	1-मार्च-74	30-जून-11	1612412	आर	निरक्षर	60	37	एनएचपीसी
151	दुर्गा	हेल्पर स्पेशल	1-दिसम्बर-75	30-जून-11	1602467	आर	मैट्रिक से नीचे	60	36	एनएचपीसी
152	धनी राम	लाइनमैन ग्रेड-1	14-जनवरी-74	30-जून-11	1602192	आर	मैट्रिक से नीचे	60	37	एनएचपीसी
153	बलवीर सिंह	मास्टर इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-2	10-मार्च-75	31-अगस्त-11	2669840	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	37	एनएचपीसी
154	जितेन्द्र नाथ ठाकुर	वरि. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1	11-फरवरी-85	30-जून-11	1600933	आर	पीयूसी	60	26	एनएचपीसी
155	अपेन्द्र राय	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन विकास)	16-दिसम्बर-81	31-अक्टूबर-11	3728625	आर	पीजी डिप्लोमा (पीएम एंड आईआर) और बी.एससी	60	30	राजहंस रिफा.
156	ईश्वरी प्रसाद	फायरमैन ग्रेड-1	18-अप्रैल-71	31-जुलाई-11	2124392	आर	मैट्रिक से नीचे	60	40	एनएचपीसी
157	अमेश साह	बेल्डर स्पेशल ग्रेड-1	2-अप्रैल-83	29-अगस्त-11	2617693	आर	निरक्षर	56	28	एनएचपीसी
158	एन के चट्टा	महा प्रबंधक (वित्त)	7-जून-82	31-अक्टूबर-11	3640037	आर	आईसीडब्ल्यू और बीए	60	29	राउरकेला स्टील प्लांट
159	विजयधर	मास्टर ऑटिशन (मेसन) ग्रेड-2	6-फरवरी-78	30-जून-11	2062391	आर	निरक्षर	60	33	एनएचपीसी
160	लक्ष्मण सिंह	मास्टर तकनीशियन (फिटर) ग्रेड-2	6-सितम्बर-78	30-जून-11	2041240	आर	निरक्षर	60	33	एनएचपीसी
161	देस राज	बेल्डर स्पेशल	22-सितम्बर-78	19-जुलाई-11	1529565	आर	निरक्षर	53	33	एनएचपीसी
162	आर एस शर्मा	वरि. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1	11-अगस्त-81	31-अक्टूबर-11	3568345	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी और आईटीआई	57	30	एनएचपीसी
163	शिव करण	मास्टर ऑटिशन ग्रेड-2	1-फरवरी-74	31-अगस्त-11	2545828	आर	निरक्षर	60	38	एनएचपीसी
164	अशोक कुमार	मास्टर तकनीशियन (वेल्डर) ग्रेड-2	18-अगस्त-78	31-जुलाई-11	2025669	आर	७वीं	60	33	एनएचपीसी
165	जी इबेम्हल देवी	अटेंडेंट ग्रेड-3	8-मार्च-01	30-अप्रैल-11	504421	आर	८वीं	60	10	एनएचपीसी
166	चत्तर सिंह	आपरेटर फोटो स्पेशल ग्रेड-2	3-जुलाई-81	30-जून-11	1508717	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी	60	30	एनएचपीसी
167	पूरन सिंह	मास्टर तकनीशियन (रिगगर) ग्रेड-2	18-अक्टूबर-75	31-अगस्त-11	2506961	आर	निरक्षर	60	36	एनएचपीसी

टिप्पणी :-

- पारिश्रमिक में वेतन, भत्ते, अवकाश नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, सब्सिडाइज्ड लीज भुगतान, कर्मचारी द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय तथा नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान शामिल है। तथापि इसमें परियोजना स्थल पर कंपनी की डिसपेंसरियों / अस्पताल में उपलब्ध कराए गए चिकित्सा उपचार आदि का आर्थिक मूल्य की राशि शामिल नहीं है, जबकि यह कर्मचारीवार मात्रात्मक नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी कंपनी के नियमों के अनुसार ग्रेज्युटी/ग्रुप बीमा के हकदार होते हैं।
- उपरोक्त वर्णित पारिश्रमिक में वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र लाभ आदि दिए जाएंगे और इससे कंपनी के कर्मचारियों को नियमित पारिश्रमिक संरचना का संकेत नहीं मिलता।
- उपरोक्त सूचीबद्ध कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी कंपनी के निदेशक का संबंधी नहीं है।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 तथा उप धारा 2ए की खण्ड (क) तथा उप धारा 3 के अर्थ के अनुसार कंपनी का उपरोक्त कार्मिक कंपनी के इक्विटी शेयर में कोई हिस्सेदार नहीं है।

एनएचपीसी लिमिटेड
वार्षिक लेखे

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड

- हमने मैसर्स एनएचपीसी लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ एवं हानि लेखा और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु संशोधित नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया कराती है।
- भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003, यथा संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश, 2004 की अपेक्षा के अनुसार और कंपनी की लेखा-बहियों और रिकार्ड की उस जांच के आधार पर जो हमने उचित समझी है तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
- उपरोक्त अनुच्छेद 3 में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा, अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइंग किए बिना, हम निम्नांकित की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं- (i) टिप्पणी संख्या 14.1 पैरा 3, जो चलाई जा रही उन सर्वेक्षण एवं अन्वेषण परियोजनाओं से संबद्ध है, जिनके बारे में स्पष्ट किया गया है कि वे अभी सक्रिय हैं; और (ii) टिप्पणी संख्या 35 पैरा 5, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर परिसंपत्तियों (सक्षम परिसंपत्तियों) के निर्माण के लिए किए गए व्यय के पूंजीकरण के मुद्दे को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति को सौंपे जाने से सम्बद्ध है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;
- हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।
- इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।
- हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
- कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी अधिसूचना संख्या एफ.न.8/5/2001-सीएलवी के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते।
- हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे और टिप्पणी संख्या 35 और टिप्पणी संख्या 1 में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में दी गई अन्य टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं -
- तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 को कंपनी की स्थिति;
- लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का; और
- नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का विवरण।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 000685एन

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 302049ई

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोशिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 002870एन

(सीए गौरव नंदा)
भागीदार
सदस्यता सं.-500417

(सीए बी के सिपानी)
भागीदार
सदस्यता सं.-088926

(सीए साक्षी कौल धर)
भागीदार
सदस्यता सं.-514325

(सीए संदीप सांडिल)
भागीदार
सदस्यता सं.-085747

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 25.05.2012

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

1. अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

- (क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।
- (ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/ बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए इस सत्यापन की आवश्यकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।
- (ग) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का कोई महत्वपूर्ण निपटान नहीं किया गया है।

2. मालसूची के संदर्भ में :

- (क) वर्ष के दौरान मालसूची का प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।
- (ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।
- (ग) हमारे मतानुसार कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में पाई जाने वाली विसंगति का लेखा बहियों में उचित निपटान किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को मंजूर किए गए/को दिए/से लिए गए ऋण के संदर्भ में :

- (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।
- (ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ड), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।

4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, प्रतिष्ठानों या अन्य पक्षों के साथ लेन-देन के बारे में:-

- (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में की जानी हो।
- (ख) उक्त उप-खंड (क) के मद्देनजर उप-खंड 4 (iii) (ख) लागू नहीं होता है।

6. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58ए और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

7. अनुमोदित लेखा-परीक्षा योजना के अनुसार आवधिक अंतरालों पर मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में विभिन्न अनुभागों की आंतरिक लेखा-परीक्षा को अंजाम देने के लिए कंपनी का एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है/बाहरी एजेंसियों को दायित्व सौंपा गया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग और बाहरी एजेंसी द्वारा अपनायी गई आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है।

8. कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में सामग्री, श्रम और स्वयं द्वारा व्यय की गई लागत से संबंधित वस्तुओं के बारे में समुचित लेखा-बहियां अनुरक्षित की हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियां का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

9. सांविधिक देयताओं के बारे में :

- (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2012 को उक्त वर्णित सांविधिक देयताओं के संबंध में कोई राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और उपकर के देयों की राशि 303.86 करोड़ रुपए है।

विधि	देय राशि की प्रकृति	जिस फोरम पर विवाद लंबित है	राशि करोड़ रुपए में
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	एसीआईटी(रेंज-II), फरीदाबाद	9.63
		सीआईटी (अपील), देहरादून	0.33
		आईटीओ (टीडीएस), श्रीनगर	0.40
		आईटीओ (टीडीएस), पालमपुर	0.01
		एसीआईटी (टीडीएस), चंडीगढ़	0.31
		सीआईटी, तेजपुर	0.19
		कुल	10.57
विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम असम वैट	बिक्री कर	बिक्री कर अपील प्राधिकरण, जम्मू-कश्मीर	260.62
		बिक्री कर मूल्यांकन प्राधिकरण, चम्बा	3.38
		उपायुक्त (अपील), बिक्री कर, श्रीनगर, (जम्मू-कश्मीर)	0.01
		कुल	264.01
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	सीमा शुल्क उपायुक्त, कांठ्रेक्ट सेल	0.06
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	सेवा-कर आयुक्त, दिल्ली	29.22
		समग्र योग	303.86

- कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नहीं है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।
- लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।
- हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर तथा ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यो को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।
- हमारे मतानुसार कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए इस खंड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
- हमारे मतानुसार कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसके मद्देनजर कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4(xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्यो द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।
- प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे उगाहे गये थे।
- हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमारी राय में अल्पावधि आधार पर ऐसी कोई निधि नहीं जुटाई गई, जिसका इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए किया गया हो।
- कम्पनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।
- कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया और वर्ष के अंत में कंपनी की ओर ऋणपत्रों की कोई राशि बकाया नहीं है।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के ज़रिए धन की उगाही नहीं की है।
- वित्तीय विवरण की सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए निष्पादित की गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 000685एन
(सीए गौरव नंदा)
भागीदार
सदस्यता सं.-500417

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 302049ई
(सीए बी के सिपानी)
भागीदार
सदस्यता सं.-088926

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 005834एन
(सीए साक्षी कौल धर)
भागीदार
सदस्यता सं.-514325

कृते तिवारी एंड एसोशिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 002870एन
(सीए संदीप सांडिल)
भागीदार
सदस्यता सं.-085747

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 25.05.2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	12,300.74	12,300.74
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	14,052.79	12,279.94
(2) लंबित आवंटन संबंधी शेयर आवेदन निधि	4	-	-
(3) गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	5	16,272.80	13,702.53
(ख) स्थगित कर देयता	6	204.04	161.33
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	7	1,951.80	1,936.55
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	8	1,187.45	1,053.90
(4) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	9	180.00	-
(ख) व्यापार प्राप्य	10	218.95	241.89
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	11	2,801.26	2,444.48
(घ) अल्पावधि प्रावधान	12	3,589.93	3,458.83
कुल		52,759.76	47,580.19
II. आस्तियां			
(1) गैर-वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(1) गोचर आस्तियां	13.1	15,654.14	16,438.79
(2) अगोचर आस्तियां	13.2	714.18	662.10
(3) चालू पंजी कार्य	14.1	19,349.74	15,962.77
(4) विकासाधीन गोचर आस्तियां	14.2	-	-
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	15	2,499.14	2,659.96
(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	16	1,428.62	1,621.11
(घ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	17	1,181.93	870.82
(2) चालू आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	18	250.74	253.59
(ख) मालसूची	19	43.81	33.71
(क) व्यापार प्राप्य	20	2,052.18	304.79
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	21	6,003.97	5,350.08
(ड) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	22	1,900.26	1,303.34
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	23	1,681.05	2,119.13
कुल		52,759.76	47,580.19
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	35		
टिप्पणी 1 से 35 इस लेखे का अभिन्न अंग हैं।			

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

कृते एस एन नन्दा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 000685एन

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सिंघी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 302049ई

कृते बवेजा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोशिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 002870एन

(सीए गौरव नंदा)
भागीदार
सदस्य संख्या 500417

(सीए बी के सिपानी)
भागीदार
सदस्य संख्या 088926

(सीए साक्षी कौल धर)
भागीदार
सदस्य संख्या 514325

(सीए संदीप सांडिल)
भागीदार
सदस्य संख्या 085747

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 25.05.2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार लाभ एवं हानि लेखे

(करोड़ रुपए में)			
विवरण	टिप्पणी संख्या	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2012 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2011 को
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	24	5,654.69	4,225.25
ii) अन्य आय	25	1,060.72	680.23
कुल राजस्व		6,715.41	4,905.48
व्यय			
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	26	934.40	570.41
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	27	829.04	699.62
iii) वित्त लागत	28	342.24	366.60
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	29	892.74	916.74
v) प्रावधान	30	90.68	34.46
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	31	119.97	123.25
कुल व्यय		3,209.07	2,711.08
पूर्व अवधि मर्दों, विशिष्ट और असाधारण मर्दें तथा सतत प्रचालन से कर पूर्व लाभ		3,506.34	2,194.40
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	32	58.16	(656.38)
विशिष्ट और असाधारण मर्दें तथा कर पूर्व लाभ		3,448.18	2,850.78
असाधारण मर्दें		(68.86)	(26.63)
असाधारण मर्दें और कर पूर्व लाभ		3,517.04	2,877.41
असाधारण मर्दें		-	-
कर पूर्व लाभ		3,517.04	2,877.41
कर संबंधी व्यय	34		
i) वर्तमान कर		694.19	557.51
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		8.37	8.06
iii) विलंबित कर		42.71	145.17
कर संबंधी कुल व्यय		745.27	710.74
वर्ष के लिए लाभ		2,771.77	2,166.67
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
बुनियादी		2.25	1.76
घटाए गए		2.25	1.76
अन्य व्याख्यात्मक लेखे टिप्पणियां	35		
टिप्पणी 1 से 35 इस लेखे का अभिन्न अंग हैं।			

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

कृते एस एन नन्दा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न. 000685एन

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न.302049ई

कृते बवेजा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न.005834एन

कृते तिवारी एंड एसोशिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन न.002870एन

(सीए गौरव नंदा)
भागीदार
सदस्य संख्या 500417

(सीए बी के सिपानी)
भागीदार
सदस्य संख्या 088926

(सीए साक्षी कौल धर)
भागीदार
सदस्य संख्या 514325

(सीए संदीप सांडिल)
भागीदार
सदस्य संख्या 085747

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 25.05.2012

टिप्पणी संख्या-01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भव विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

- 2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।
- 2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
- 2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।
- 2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।
- 2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।
- 2.6 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्ज

- 3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।
- (ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्ज मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।
- (ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।
- 3.2 अन्य कलपुर्जों को “भंडार एवं कलपुर्ज” माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

- 4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- 4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को “निर्माण के दौरान व्यय” (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।
- 4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यहास तथा परिशोधन

- 5.1 अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यहास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

- 5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यहास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-
- (i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी-11.25 प्रतिशत
- (ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण-30 प्रतिशत।
- 5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।
- 5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।
- 5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूँजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।
- 5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है परंतु, यह परिशोधन अवगीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार से संबद्ध भूमि को छोड़कर किया जाता है।
- 5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।
- 5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।
- 5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूँजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।
- 5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।
- 5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढोत्तरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यहास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।
- 6. निवेश**
निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 7. माल सूची**
7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।
7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।
7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।
- 8. विदेशी मुद्रा में कारोबार**
8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

- 9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

- 10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।
- (ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- (घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।
- 10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।
- 10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भव आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

- 11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।
- 11.2 पॉवर स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।
- 11.3 50,000 रुपये और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।
- 11.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेषित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखों को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

टिप्पणी सं. 2 : शेयर पूंजी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
	संख्या में	(करोड़ रूपए में)	संख्या में	(करोड़ रूपए में)
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	15000000000	15000.00	15000000000	15000.00
(ख) (जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	12300742773	12300.74	12300742773	12300.74
(ग) परिशोधित इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी				
	शेयरों की संख्या (करोड़ रुपये में)	शेयर पूंजी	शेयरों की संख्या (करोड़ रुपये में)	शेयर पूंजी
बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	12300742773	12300.74	12300742773	12300.74
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/अभिदत्त शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-
घटाए : शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	-	-
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	12300742773	12,300.74	12300742773	12,300.74

(घ) इक्विटी शेयरों के राइट्स, प्रेफरेंस और प्रतिबंध

कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित 2460148555 शेयर 25.08.2012 तक लाक-इन के अधीन हैं।

(ङ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या
भारत के राष्ट्रपति

संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
10623368758	86.36	10623368758	86.36

(च) पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान

पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित कुल शेयरों की संख्या
पूर्ण प्रदत्त के रूप में बोनस शेयर के रूप में आवंटित इक्विटी शेयरों की कुल संख्या
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

शून्य
शून्य
शून्य

टिप्पणी सं. 3 आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
(क) शेयर प्रीमियम खाता		2,868.74		2,868.74
(ख) बांड शोधन आरक्षित				
तुलन-पत्र के अनुसार	299.75		214.00	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	129.13		100.00	
घटाए : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	14.25		14.25	
तुलन-पत्र की तारीख पर		414.63		299.75
(ग) स्व बीमा निधि				
तुलन पत्र के अनुसार	658.42		619.15	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	32.48		39.31	
घटाए : वर्ष के दौरान समायोजन	-		0.04	
	690.90		658.42	
घटाए : स्व बीमा निधि से वसूली योग्य दावे	4.64		3.21	
तुलन-पत्र की तारीख पर		686.26		655.21
(घ) सामान्य आरक्षी		4,120.06		4,120.06
(ङ) अधिशेष *		5,963.10		4,336.18
कुल		14,052.79		12,279.94
* अधिशेष		-		-
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		2,771.77		2,166.67
अग्रणीत शेष		4,336.18		3,150.50
जोड़े :				
i) बांड विमाचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		14.25		14.25
ii) स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि		-		0.04
iii) लाभांश पर कर -पश्चलिखित		3.25		1.80

टिप्पणी सं. 3 आरक्षित तथा अधिशेष (जारी)

(करोड़ रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष	7,125.45	5,333.26
i) बांड विमाचन आरक्षी को अंतरित	129.13	100.00
ii) स्व बीमा निधि को अंतरित	32.48	39.31
iii) लाभांश		
- प्रस्तावित	861.05	738.04
- अंतिम	0.01	-
iv) लाभांश पर कर		
- प्रस्तावित	139.68	119.73
अग्रणीत शेष	5,963.10	4,336.18

टिप्पणी सं. 4 : शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन

(करोड़ रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन	-	-

टिप्पणी सं. 5 : दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(क) बॉण्ड्स		
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे क देखें)	3,551.00	2,342.00
(ख) सावधि ऋण		
• बैंकों से		
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ख देखें)	2,745.86	1,570.17
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ग देखें)	2,405.90	2,245.28
• अन्य पार्टियों से		
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे घ देखें)	6,001.62	6,327.37
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ङ देखें)	1,568.42	1,217.71
	16,272.80	13,702.53
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-	-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	2,575.88	2,462.99
31.03.2012 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-	-
31.03.2012 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-	-
विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण		
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनीय तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत		
बॉण्ड - क्यू श्रृंखला * 6	1,266.00	-
(1,00,000/- रूपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है)		
(12.3.2016 से 12.03.27 के बीच 105.50 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)		
बॉण्ड - पी श्रृंखला * 5, 7 और 10	2,000.00	2,000.00
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय सुरक्षित विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड)		
(01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)		
बॉण्ड - ओ श्रृंखला * 2	285.00	342.00
(10,00,00,000/- रूपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है)		
(31.03.2009 से 31.03.2018 के बीच 57 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)		
कुल बॉण्ड (क)	3551.00	2342.00

टिप्पणी सं. 5 : दीर्घावधि ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(ख) सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)		
केनरा बैंक * 1	-	17.00
स्टेट बैंक आफ पटियाला * 1	16.00	20.00
(31.03.12 को 8.36 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 छमाही किस्तों में 09.07.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
केनरा बैंक * 4	-	10.00
केनरा बैंक * 2	80.00	100.00
(6.86 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
सिंडिकेट बैंक * 2	73.20	91.50
(7.207 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स * 2	80.00	100.00
(7.207 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 31.03.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स * 2	80.00	90.00
(7.207 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
इंडियन बैंक * 1	33.33	66.67
(31.03.012 को 10.16 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 33.33 करोड़ रुपये एक किस्त में पुनर्भुगतान योग्य)		
इंडियन बैंक * 4 और 9	75.00	75.00
(31.03.012 को 11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 29.09.2014 को 5वें वर्ष के बाद 75 करोड़ रुपये का एकबारगी पुनर्भुगतान)		
यूको बैंक * 8	958.33	1,000.00
(31.03.012 को 11.35 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 23 छमाही किस्तों में 31.12.2023 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
कारपोरेशन बैंक * 11	500.00	-
(31.03.012 को 10.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 06.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
केनरा बैंक * 11	150.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 16.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
इंडियन ओवरसीज बैंक * 11	150.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 16.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
पंजाब एंड सिन्ध बैंक * 11	150.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 17.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
इंडसइंड बैंक * 11	100.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2.083 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 24.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
सिंडिकेट बैंक * 11	150.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 02.02. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
यूनियन बैंक आफ इंडिया * 11	150.00	-
(31.03.012 को 10.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 03.02. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
कुल सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)	2,745.86	1,570.17

टिप्पणी सं. 5 : दीर्घावधि ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(ग) सावधि ऋण -अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा		
i) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांशे-I*12 (31.03.012 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.66 करोड़ रुपये प्रत्येक की 26 छमाही किस्तों में 20.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	199.21	186.21
ii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांशे-II*12 (31.03.012 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 25.13 करोड़ रुपये प्रत्येक की 30 छमाही किस्तों में 20.12. 2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	754.05	698.15
iii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांशे-III* 12 (31.03.012 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 18.57 करोड़ रुपये प्रत्येक की 41 छमाही किस्तों में 20.03. 2014 से 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	761.20	660.72
iv) ड्युश बैंक और अन्य * 12 (0.57 प्रतिशत छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर की अस्थिर ब्याज दर पर 57.62 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	691.44	700.20
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	2,405.90	2,245.28
(घ) सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)		
भारतीय जीवन बीमा निगम*5 तथा 7 100 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 2400 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 16 छमाही किस्तों में 15.04.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	1,666.67	1,875.00
भारतीय जीवन बीमा निगम*6 (9.12 प्रतिशत औसत ब्याज दर पर 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान छमाही किस्तों में 30.04.2012 से 30.04.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	1,738.00	1,896.00
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड*8 (31.03.2012 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 34 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	637.50	542.45
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड*8 (31.03.2012 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	102.30	120.90
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड*8 (31.03.2012 को 9.90 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 34 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	59.50	66.50
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड*2-3 (31.03.2012 को 8.79 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रुपये प्रत्येक की 33 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	1,202.02	1,139.60
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड*1 (31.03.2012 को 8.62 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रुपये प्रत्येक की 25 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	258.13	299.42
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड*1 (31.03.2012 को 8.62 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 27 समान तिमाही किस्तों में 15.01.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	337.50	387.50
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	6,001.62	6,327.37

टिप्पणी सं. 5 : दीर्घावधि ऋण (जारी)

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(ड) सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)		
विदेशी मुद्रा		
i) निर्यात विकास कनाडा *12	169.98	217.71
(31.03.2012 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 11.71 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 15.03.2014 तक और 24.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 06 समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
केन्द्र सरकार से ऋण - अप्रतिभूत		
निम्नो - बाजगो जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	270.00	270.00
(2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6वें वर्ष से 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा।)		
चुटक जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	364.00	364.00
(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष से 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा।)		
किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	764.44	366.00
(1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा।)		
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	1,568.42	1,217.71
समग्र योग (क + ख + ग + घ + ङ)	16,272.80	13,702.53

* प्रतिभूति का विवरण

- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-II के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
- मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्वती जल विद्युत परियोजना-की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-III जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता-V जल विद्युत परियोजना की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित। क्यू श्रृंखला बांडो के लिए प्रतिभूति सृजन का कार्य प्रक्रियाधीन है और कम्पनी रजिस्ट्रार, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा के साथ रेहन/बंधक संबंधी पंजीकरण अभी किया जाना है।
- उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी की चुटक जल विद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी की निम्नो-बाजगो जल विद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी की उड़ी जल विद्युत परियोजना और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- उपरोक्त क्रमांक ग (i), ग (ii), ग (iii), ग (iv) और * (i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

टिप्पणी सं. 6 : स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
स्थगित कर देयताएं		
i) मूल्यहास	2755.34	2,740.51
घटाएं : स्थगित कर परिसंपत्तियां		
i) संदिग्ध ऋणों, स्व बीमा और अन्य के लिए प्रावधान	77.93	121.81
ii) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	229.84	168.31
स्थगित कर देयता	2,447.56	2,450.39
घटाएं : वूसली योग्य	2,243.52	2,289.06
स्थगित कर देयता (निवल)	204.04	161.33

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 "आय पर कर" का अनुपालन करते हुए 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 2.83 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 59.25 करोड़) स्थगित कर परिसम्पत्ति के रूप में सृजित किए गए हैं। इससे स्थगित कर देयता में समकक्ष राशि की कमी आयी है।

टिप्पणी सं. 7 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) व्यापार देयताएं		
i) सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों का कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक देय रुपये शून्य)	-	-
ii) मध्यम आकार के औद्योगिक उद्यम का कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया रुपये शून्य)।	-	-
iii) अन्य	-	-
ख) अन्य		
i) जमा/प्रतिधारण निधि	307.25	323.91
ii) अग्रिम प्राप्त आय	1,312.67	1,363.10
iii) विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	331.88	249.54
	1,951.80	1,936.55

टिप्पणी सं. 8 दीर्घावधि प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
तुलन पत्रक के अनुसार	1,031.11	766.50
वर्ष के दौरान संवर्धन	179.99	264.61
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	33.51	-
अंतिम शेष	1,177.59	1,031.11
ख) अन्य		
प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान		
तुलन पत्रक के अनुसार	22.79	13.80
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	9.51
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	12.93	0.52
अंतिम शेष	9.86	22.79
	1,187.45	1,053.90

टिप्पणी सं. 9 : अल्पावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) अल्पावधि ऋण		
• बैंकों से		
- प्रतिभूत #	180.00	-
	<u>180.00</u>	<u>-</u>
निदेशकों द्वारा प्रत्याभूत ऋणों की कुल राशि	-	-
अन्य-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋणों की कुल राशि	-	-
31.03.2012 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक राशि	-	-
31.03.2012 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की अवधि	-	-
# (नियत कालिक जमा के प्रति जे एण्ड के बैंक से गारंटी)		

टिप्पणी सं. 10 : व्यापार देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (30 से अधिक देय-शून्य रुपये)	0.05	-
ख) मझोले उद्यमों की कुल बकाया राशि (30 से अधिक देय-शून्य रुपये)	0.01	-
ग) अन्य	218.89	241.89
	<u>218.95</u>	<u>241.89</u>

टिप्पणी सं. 11 : अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) दीर्घावधि ऋण बांड/ऋणपत्रों की वर्तमान परिपक्वताएं		
बांड/ऋणपत्र		
- प्रतिभूत	57.00	57.00
सावधि ऋण		
• बैंकों से		
- प्रतिभूत	174.30	145.13
- अप्रतिभूत	180.83	156.96
• अन्य पार्टियों से		
- प्रतिभूत	703.93	442.68
- अप्रतिभूत	72.28	64.96
ख) ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	207.76	209.77
ग) अग्रिम प्राप्त आय	46.72	43.44
घ) आदा न किया गया लाभांश	2.43	1.21
ड) स्व बीमा निधि के प्रति देयताएं	492.68	463.17
च) जमा/प्रतिधारण निधि	129.65	68.82
छ) जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि	0.04	-
ज) सांविधिक देयताएं	243.60	245.49
झ) अन्य देयताएं	160.84	148.52
त) डिपोजिट कार्यों के प्रति अग्रिम	255.98	242.19
घटाएं : डिपोजिट कार्यों पर व्यय की गई राशि	<u>252.45</u>	<u>229.03</u>
थ) परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4,090.29	3,624.66
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	3,768.64	3,240.49
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(4.02)	
	3,764.62	325.67
	<u>2,801.26</u>	<u>2,444.48</u>

व्याख्यात्मक टिप्पणी

उपरोक्त (क) पर वर्णित दीर्घावधि ऋणों के विमोचन, ब्याज की दर पुनर्भुगतान की शर्तें और प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत चालू परिपक्वताओं का ब्योरा टिप्पणी संख्या पांच में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 12 : अल्पावधि प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	83.84	87.28
वर्ष के दौरान वर्धन	150.34	142.88
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	122.73	117.51
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.78	28.81
अंतिम शेष	107.67	83.84
ख) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	699.42	682.25
वर्ष के दौरान वर्धन	39.03	199.61
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	561.30	175.58
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	41.25	6.86
सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि में अंतरित राशि	111.97	-
अंतिम शेष	23.93	699.42
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	23.93	154.54
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	544.88
ग) उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	120.11	44.48
वर्ष के दौरान वर्धन	88.67	122.15
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	74.61	34.99
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.61	11.53
अंतिम शेष	130.56	120.11
घटाएं : पीआरपी के प्रति अग्रिम	18.27	-
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	112.29	120.11
घ) सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वर्धन	101.52	-
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	111.97	-
अंतिम शेष	213.49	-
ङ) अन्य		
i) करायान हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,097.37	658.99
वर्ष के दौरान वर्धन	706.72	568.14
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(0.35)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	135.70	125.61
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	4.15	3.80
अंतिम शेष	1,664.24	1,097.37
ii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	738.04	676.54
वर्ष के दौरान वर्धन	861.05	738.04
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	738.04	676.54
अंतिम शेष	861.05	738.04

टिप्पणी सं. 12 : अल्पावधि प्रावधान (जारी)

(करोड़ रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	119.73	112.36
वर्ष के दौरान वर्धन	139.68	119.73
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	116.48	110.56
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.25	1.80
अंतिम शेष	139.68	119.73
iv) प्रावधान - अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	654.08	79.66
वर्ष के दौरान वर्धन	101.24	578.78
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	39.43	2.28
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	348.36	2.08
अंतिम शेष	367.53	654.08
v) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वर्धन	34.60	-
अंतिम शेष	34.60	-
vi) कारपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु प्रावधान व्यय		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	6.05	-
वर्ष के दौरान वर्धन	10.04	6.05
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4.86	-
अंतिम शेष	11.23	6.05
vii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	94.73	6.52
वर्ष के दौरान वर्धन	-	93.36
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	14.09	0.15
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2.49	5.00
अंतिम शेष	78.15	94.73
	3,589.93	3,458.83

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- 01.01.2007 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए प्रावधान, जो पिछले वर्ष तक जारी था, अब उसका समाधान हो गया है, लेकिन उसमें से 23.93 करोड़ रुपये अभी देय हैं, क्योंकि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अभाव में कार्मिक समायोजन वेतन (फिटमेंट बेनिफिट) के मुद्दे का समाधान अभी नहीं हुआ है। इसके लिए 23.93 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई है, जिसे "अग्रिम भुगतान" के रूप में दर्शाया गया है।
- लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन लंबित रहते 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 101.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 31.03.2011 से पहले की अवधि से संबद्ध 47.28 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो चालू वर्ष के दौरान पूर्व अवधि मद में रखे गए हैं, जिन्हें मिलाकर संचयी प्रावधान 31.03.2012 को 213.49 करोड़ रुपये हो जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन 13.04.2012 से शुरू हो गया है, जो पूर्व-प्रभाव अर्थात् 01.01.2007 से लागू की गई है।
- लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए बजट में निर्धारित लेकिन खर्च न की गई राशि के लिए सीएसआर व्यय हेतु प्रावधान किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि खर्च न की गई राशि को अकालातीत निधि के रूप में रखा जाए। इस तरह किए गए प्रावधान को अगले वर्ष के बजट में शामिल किया जाएगा ताकि सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च न की गई राशि खर्च की जा सके। लोक उद्यम विभाग से उपरोक्त व्यवहार के बारे में पुष्टि लंबित रहते, अलग से कोई धन निर्धारित नहीं किया गया है और अकालातीत बजट राशि को खर्च करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
- स्थायी समिति की शिफारिशों के आधार पर तीस्ता-v परियोजना की बढ़ी हुई लागत के लिए 345.74 करोड़ रुपये वर्ष 2010-11 में अन्य प्रावधान में शामिल किए गए थे और तदनुसार उन्हें अचल परिसंपत्तियों में दर्शाया गया था। वित्त मंत्रालय ने निर्णय किया है कि इस तरह बढ़ी हुई लागत को हर मामले के गुण-दोष के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। अतः पिछले वर्ष किया गया प्रावधान प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। नतीजतन अन्य आय के अंतर्गत 42.97 करोड़ रुपये मूल्यहास के रूप में पथ लिखित किए गए हैं।
- प्रावधान-अन्य समूह के अंतर्गत प्रावधानों में से 14.19 करोड़ रुपये की राशि प्रोटेस्ट के अंतर्गत जमा की गई थी और उसे टिप्पणी संख्या 22 में "जमा राशियां" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 13.1 गोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परिसंपत्तियां की श्रेणी	सकल ब्लाक			मूल्यहास			निवल ब्लाक	
		01.04.2011	संवर्द्धन/समायोजन	कमी/समायोजन	31.03.2012	01.04.2011	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2012	31.03.2011
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	217.84	10.86	2.97	225.73	-	-	225.73	217.84
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	119.51	212.93	-	332.44	9.39	10.51	312.04	110.12
iii)	सड़कें और पुल	356.10	13.47	3.54	366.03	71.57	13.94	280.85	284.53
iv)	भवन	1,822.77	55.06	39.13	1,838.70	507.47	64.68	1,269.76	1,315.30
v)	रेलवे साइडिंग्स	40.17	0.13	-	40.30	12.14	2.69	25.47	28.03
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	13,189.64	124.02	305.15	13,008.51	3,124.39	585.58	9,337.33	10,065.25
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	5,866.73	47.88	13.94	5,900.67	1,734.28	254.40	3,913.32	4,132.45
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	84.53	2.95	-	87.48	40.68	3.49	43.31	43.85
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	63.41	2.28	-	65.69	15.17	3.34	47.18	48.24
x)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	26.25	0.81	0.20	26.86	10.71	1.22	14.99	15.54
xi)	निर्माण उपकरण	74.92	2.69	2.31	75.30	50.58	4.34	20.65	24.34
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नलियां और सीवर प्रणाली	30.94	5.79	0.22	36.51	4.31	1.24	30.98	26.63
xiii)	विद्युतीय संस्थापनों	3.45	0.04	-	3.49	1.15	0.18	2.16	2.30
xiv)	वाहन	25.44	2.01	0.85	26.60	18.63	0.68	7.69	6.81
xv)	विमान/नौकाओं	0.66	0.11	0.16	0.61	0.45	0.01	0.26	0.21
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	42.17	3.12	0.64	44.65	18.73	3.06	23.05	23.44
xvii)	कम्प्यूटर	58.74	7.26	3.61	62.39	46.15	5.46	13.30	12.59
xviii)	संचार उपकरण	13.37	0.67	0.39	13.65	5.42	0.73	7.75	7.95
xix)	कार्यालय उपकरण	38.33	3.62	1.39	40.56	15.58	2.34	23.13	22.75
xx)	अनुसंधान और विकास	1.36	-	-	1.36	0.29	0.09	0.98	1.07
xxi)	अन्य आस्तियां	42.95	4.90	1.08	46.77	18.04	2.36	26.88	24.91
xxii)	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	24.47	3.90	0.16	28.21	2.32	0.35	25.54	22.15
xxiii)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750< और 5000 रुपये	16.96	1.17	0.70	17.43	16.95	0.91	17.43	0.01
xxiv)	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	2.48	0.08	0.77	1.79	-	-	1.79	2.48
	कुल	22,163.19	505.75	377.21	22,291.73	5,724.40	961.60	15,654.14	16,438.79
	पिछले वर्ष	20,599.65	1,617.94	54.40	22,163.19	4,872.35	961.80	16,438.79	15,727.30

* पिछले वर्ष प्रबंधन के प्रत्यावर्तित होने के कारण तीस्ता-V पावर स्टेशन की गोचर आस्तियों के संदर्भ में रु. 345.74 करोड़ इसमें शामिल है। टिप्पणी 12 के अंतर्गत व्याख्यात्मक टिप्पणी सं. 4 देखें।

टिप्पणी सं. 13.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.		सकल ब्लाक				परिशोधन			निवल ब्लाक	
		01.04.2011	संवर्द्धन/समायोजन	कमी/समायोजन	31.03.2012	01.04.2011	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2012	31.03.2011
ग)	भूमि-अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार	675.58	56.03	0.02	731.59	16.16	2.22	-	713.21	659.42
गग)	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	36.16	1.50	0.05	37.61	33.48	3.17	(0.01)	0.97	2.68
	कुल	711.74	57.53	0.07	769.20	49.64	5.39	(0.01)	714.18	662.10
	पिछले वर्ष	702.72	18.83	9.81	711.74	35.09	14.51	0.04	662.10	667.63

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- 1) 281.98 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 60.60 करोड़ रुपये) मूल्य की 2417.76 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2192.36 हेक्टेयर) भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टैम्प शुल्क आदि व्यय को घटित होने के बाद हिसाब में लिया जाएगा।
- 2) भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए पट्टे पर ली गई जमीन शामिल नहीं है।
- 3) गोचर परिसंपत्तियों में वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 4249.24 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4402.83 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 4) सकल ब्लॉक के अंतर्गत संवर्द्धन/समायोजन में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनियम दर शामिल है जो इस प्रकार है।

(रुपए करोड़ में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	
सड़कें और पुल	0.70
भवन	7.29
जल वैज्ञानिक कार्य	72.73
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	24.86
संयंत्र एवं मशीनरी उप स्टेशन	0.15
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	0.07
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	0.04
जलापूर्ति प्रणाली/जलविकासी एवं सीवर प्रणाली	0.03
कुल	105.87

टिप्पणी सं. 14.1 : चालू पूंजी कार्य

(करोड़ रूप में)					
विवरण	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2012
i) सड़कें और पुल	72.93	12.11	4.99	11.83	78.20
ii) भवन	1,108.29	268.57	(1.10)	46.38	1,329.38
iii) रेलवे साइडिंग्स	-	0.75	-	0.75	-
iv) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,554.62	1,141.49	(9.55)	9.20	6,677.36
v) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,678.26	468.02	(0.63)	6.94	4,138.71
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	7.15	0.32	-	0.09	7.38
vii) संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	0.72	3.28	-	1.35	2.65
viii) संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	2.72	4.92	(0.61)	0.11	6.92
ix) निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
x) जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	2.54	3.13	0.21	5.05	0.83
xi) संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	2.98	39.51	(1.33)	29.67	11.49
xii) उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	118.79	7.99	(16.22)	3.90	106.66
xiii) सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	195.57	36.63	-	-	232.20
xiv) प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	-	0.63	-	-	0.63
xv) निर्माण के दौरान खर्च	5,087.19	1,625.82 *	1.24	-	6,714.25
घटाएं : प्रावधानों के लिए	34.72	81.89	-	-	116.61
उप जोड़ (क)	15,797.04	3,531.28	(23.00)	115.27	19,190.05
* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 33 देखें					
निर्माण भंडार	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	प्रयुक्त	31.03.2012
i) भंडार एवं कलपुर्जों	63.22	214.73	(104.41)	108.93	64.61
ii) खुले औजार	0.04	0.03	(0.01)	0.01	0.05
iii) रद्दी मालसूची	-	-	-	-	-
iv) परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	0.66	0.02	(0.65)	0.02	0.01
v) संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री	103.50	198.96	(72.48)	131.77	98.21
घटाएं : अप्रचलित निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.69	1.75	(0.25)	-	3.19
उप जोड़ (ख)	165.73	411.99	(177.30)	240.73	159.69
समग्र जोड़	15,962.77	3,943.27	(200.30)	356.00	19,349.74
पिछले वर्ष	12921.12	4275.61	(111.70)	1122.26	15962.77

टिप्पणी व्याख्यात्मक

- निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 760.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 668.48 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुबानसिरी-अपर परियोजना स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) को सौंपने में रुचि प्रदर्शित की है, जिस पर एनएचपीसी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। भारत सरकार के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है और निर्णय के लंबित रहते 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इस परियोजना पर 0.36 करोड़ रुपये पूंजी व्यय के रूप में खर्च किए गए हैं जिसके लिए प्रचुर सावधानी के रूप में प्रावधान किया गया है, जो 31.03.2011 को पहले से किए गए 19.97 करोड़ रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त है। पिछले वर्ष यह प्रावधान 20.04.2004 से 31.03.2011 तक इस परियोजना पर किए गए व्यय के लिए किया गया था। इस अवधि में परियोजना निलम्बन के अंतर्गत थी। प्रबंधन की राय है कि इसके लिए और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि परियोजना पर हुए व्यय की वसूली सुनिश्चित है, क्योंकि विद्युत मंत्रालय ने स्वतंत्र बिजली उत्पादक को सौंपी जाने वाली परियोजना के बारे में पहले से फार्मूला तय कर रखा है जिसके तहत आईपीपी को परियोजना हस्तांतरित होने की स्थिति में आईपीपी द्वारा खर्च की अदायगी की जाएगी।
- कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं पर सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए 905.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 759.90 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं और इस व्यय को सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया है। इस धन में से 20.33 करोड़ रुपये के प्रावधान के संदर्भ में 280.55 करोड़ रुपये निवल (पिछले वर्ष 19.97 करोड़ रुपये के प्रावधान के संदर्भ में 232.56 करोड़ रुपये निवल) संयुक्त उद्यम/विकासक से वसूल किए जाने की संभावना है। 604.59 करोड़ रुपये की बकाया राशि (पिछले वर्ष 507.37 करोड़ रुपये) कम्पनी की परियोजनाओं से संबद्ध है, जिसमें से उन परियोजनाओं के संदर्भ में, जिनके साथ अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं, के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में 81.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया है। अन्य परियोजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण और अन्वेषण के बकाया 536.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 436.82 करोड़ रुपये) का प्रावधान जारी रखा गया है क्योंकि इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उपयुक्त निश्चितता बरकरार है।
- सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।
- पकल दुल, किरू और क्वार जल विद्युत परियोजनाएं संयुक्त उद्यम कम्पनी के जरिए निष्पादित की जानी हैं, जिसमें जम्मू-कश्मीर सरकार की भागीदारी होगी। इसके लिए मेसर्स चिनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के संयुक्त उद्यम कम्पनी को सौंपे जाने का कार्य लंबित रहते 31.03.2012 तक कम्पनी द्वारा इन परियोजनाओं पर किए गए क्रमशः 172.70 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 145.71 करोड़ रुपये) और 83.06 करोड़ रुपये (61.67 करोड़ रुपये) के खर्च को चालू पूंजी कार्यों में शामिल किया गया है।
- अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 3787.84 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3071.41 करोड़ रुपये) के व्यय सहित सीडब्ल्यूआईपी को संबंध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 14.2 : विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रूप में)					
विवरण	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2012
i) विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 15 : गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2012 को			31 मार्च 2011 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
क. व्यापार उद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्ण प्रदत्त)	12000000	10	12.00	12000000	10.00	12.00
व्यापार अनुद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
अनुषंगी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
(i) एनएचडीसी लिमिटेड	10024200	1000	1002.42	10024200	1000	1002.42
(ii) लोक तक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	72861540	10	72.86	44400000	10	44.40
संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
(i) नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड	2188325	10	2.19	2188325	10	2.19
मूल्य में कमी के लिए प्रावधान			(0.77)			-
(ii) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2450000	10	2.45	-	-	-
(iii) नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	2625000	10	2.63	2625000	10	2.63
(ख) बांड्स में निवेश						
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त निम्नांकित राज्य सरकारों के विशेष बॉण्ड						
अरुणाचल प्रदेश	2916	1000	0.29	3888	1000	0.39
बिहार	57210	1000	5.72	76280	1000	7.63
हरियाणा	1695000	1000	169.50	2260000	1000	226.00
हिमाचल प्रदेश	53604	1000	5.36	71472	1000	7.15
जम्मू कश्मीर	2312088	1000	231.21	3082784	1000	308.28
झारखंड	42930	1000	4.29	57240	1000	5.72
मेघालय	1596	1000	0.16	2128	1000	0.21
मिजोरम	9630	1000	0.96	12840	1000	1.28
नागालैंड	20760	1000	2.08	27680	1000	2.77
पंजाब	668430	1000	66.84	891240	1000	89.12
राजस्थान	85473	1000	8.55	85464	1000	8.55
सिक्किम	7008	1000	0.70	9344	1000	0.93
त्रिपुरा	8004	1000	0.80	10672	1000	1.07
उत्तर प्रदेश	2360670	1000	236.07	3147560	1000	314.76
उत्तराखंड	262290	1000	26.23	349720	1000	34.97
पश्चिम बंगाल	20166	1000	2.02	26888	1000	2.69
(घ) शेयर आवेदन राशि						
अनुषंगी कम्पनियां						
- लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमि.			-			28.46
- संयुक्त उद्यम कम्पनियां						
- नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड			12.25			-
उप जोड़ (क)			1866.81			2103.62

टिप्पणी सं. 15 : गैर वर्तमान निवेश (जारी)

विवरण	31 मार्च 2012 को			31 मार्च 2011 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
ख. गैर-व्यापार उद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
इंडियन ओवरसीज बैंक	360800	10	0.36	360800	10	0.36
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश-(स्व बीमा निधि)						
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150000	10000	150.77	150000	10000	150.77
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	10000	12.26	12380	10000	12.26
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	10000	52.94	-	-	-
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000	10000	34.62	35000	10000	34.62
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स-(स्व बीमा निधि)						
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	467	1000000	45.97	467	1000000	45.97
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	688	1000000	69.63	688	1000000	69.63
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	30	1000000	2.99	30	1000000	2.99
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2030	150	1000000	15.13	150	1000000	15.13
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	51	1000000	5.16	51	1000000	5.16
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	40	1250000	5.04	40	1250000	5.04
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	477	1000000	47.36	477	1000000	47.36
8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2035	120	1000000	12.09	120	1000000	12.09
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2020	600	1000000	59.93	600	1000000	59.93
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2021	230	1000000	23.05	-	-	-
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	156	1250000	19.51	156	1250000	19.51
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	364	1250000	45.52	364	1250000	45.52
उप-जोड़ (ख)			632.33			556.34
कुल (क + ख)			2499.14			2659.96
उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			644.33			568.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य			701.01			660.38
(iii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान			0.77			-
अनुद्धृत निवेश						
समग्र लागत			1855.58			2091.62
लेखांकन नीति संख्यां 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी सं. 16 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
क) पूंजी अग्रिम		
i) प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	89.98	61.97
ii) अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- बैंक गारंटी के बदले	720.63	928.12
- अन्य	162.95	169.60
iii) अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.05	0.05
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	0.05	0.05
ख) जमा राशियां	25.20	32.26
ग) अन्य ऋण और अग्रिम		
i) कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	79.16	78.86
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	36.93	11.17
ii) ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	88.77	114.13
iii) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00	225.00
	1,428.62	1,621.11
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान * 1		
प्रारम्भिक शेष	0.05	0.05
अंतिम शेष	0.05	0.05
	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा		
वर्ष के अंत में बकाया राशि	0.03	0.04

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

पूंजी अग्रिम (प्रतिभूत-अच्छे समझे गए) के अंतर्गत रेहन रखे गए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य के रूप रु. 63.53 करोड़ शामिल हैं जो एक ठेकेदार का अनुबंध निरस्त होने पर नियंत्रण में लिए गए। इस प्रकार नियंत्रण में लिए गए संयंत्र एवं मशीनरी को अभी बहियों में हिसाब में नहीं लिया गया है।

टिप्पणी सं. 17 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
क) दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	-	-
ख) अन्य		
i) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज		
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	114.30	86.21
- अन्य	0.18	12.25
ii) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	1,067.28	772.20
iii) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव खाते में विलंबित परिसम्पत्तियों पर व्यय	0.17	0.16
	1,181.93	870.82

टिप्पणी स.: 18 चालू निवेश

विवरण	31 मार्च, 2012 को			31 मार्च, 2011 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूप में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रूप में)
दीर्घावधि निवेशों की वर्तमान परिपक्वताओं व्यापार अनुद्धत						
i) निम्नांकित राज्य सरकारों के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त विशेष बॉण्ड						
अरुणाचल प्रदेश	972	1000	0.10	972	1000	0.10
बिहार	19070	1000	1.91	19070	1000	1.91
हरियाणा	565000	1000	56.50	565000	1000	56.50
हिमाचल प्रदेश	17868	1000	1.79	17868	1000	1.79
जम्मू कश्मीर	770696	1000	77.07	770696	1000	77.07
झारखंड	14310	1000	1.43	14310	1000	1.43
मेघालय	532	1000	0.05	532	1000	0.05
मिजोरम	3210	1000	0.32	3210	1000	0.32
नागालैंड	6920	1000	0.69	6920	1000	0.69
पंजाब	222810	1000	22.28	222810	1000	22.28
राजस्थान	-	-	-	28500	1000	2.85
सिक्किम	2336	1000	0.23	2336	1000	0.23
त्रिपुरा	2668	1000	0.27	2668	1000	0.27
उत्तर प्रदेश	786890	1000	78.69	786890	1000	78.69
उत्तराखंड	87430	1000	8.74	87430	1000	8.74
पश्चिम बंगाल	6722	1000	0.67	6722	1000	0.67
कुल			250.74			253.59
अनुद्धत निवेश						
संचयी लागत			250.74			253.59
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार						

टिप्पणी सं.: 19 मालसूची

(करोड़ रूप में)

विवरण	31 मार्च 2012 को		31 मार्च 2011 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	64.38		57.46	
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	0.42	64.80	1.12	58.58
ii) खुले औजार		1.45		1.38
iii) रद्दी मालसूची		1.75		2.36
iv) संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री		0.66		0.29
v) घटाएं : अप्रचलित निर्माण भंडार के लिए प्रावधान		24.85		28.90
		43.81		33.71
अप्रचलित निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान *1				
प्रारंभिक शेष		28.90		23.07
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		1.63		16.95
वर्ष के दौरान वर्धन		-		0.01
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		1.46		10.18
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		4.22		0.95
अंतिम शेष		24.85		28.90

टिप्पणी सं. 20 : व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य (भुगतान देय होने की तारीख से)		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.47	46.23
- संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए	192.38	194.44
ख) अन्य व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1,826.71	258.56
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान * 1	192.38	194.44
	2,052.18	304.79
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान * 1		
प्रारम्भिक शेष	194.44	194.44
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0.39	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.66	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.79	-
अंतिम शेष	192.38	194.44

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।
- व्यापार प्राप्यों के अंतर्गत मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्ववर्ती डेसू) से वसूली योग्य 120.81 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 120.81 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है, जो वित्त वर्ष 1996-97 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। इस राशि की वसूली के प्रयास विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ किए जा रहे हैं। किन्तु प्रचुर सावधानी के रूप में 2008-09 के दौरान बहियों में समूची राशि के लिए प्रावधान किया गया था।

टिप्पणी सं. 21 : नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) नकदी एवं नकदी समकक्ष		
i) हस्तगत नकदी	0.26	1.18
(रु. 0.007 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.008 करोड़) के स्टैम्प शामिल हैं)		
ii) हस्तगत बैंक, ड्राफ्ट	0.06	19.25
iii) बैंकों में शेष राशि		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में - अन्य	121.36	113.95
- जमा खाते में -# आईपीओ प्राप्तियां	-	94.39
- अन्य	568.95	712.16
• अन्य बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
बैंक ऑफ भूटान, फ्यून्सोलिंग	0.63	0.58
# तीन महीने या कम की परिपक्वता के साथ जमा		
ख) अन्य बैंकों में शेष		
i) बैंकों में शेष		
(तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि)		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- जमा खाते में -स्वबैमा निधि	10.28	63.41
- आईपीओ प्राप्तियां	1,522.00	400.00
- अन्य	3,495.00	1,458.00
ii) जमा खाता - अदा न किया लाभांश	2.43	1.21
iii) 12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ बैंकों में शेष		
- सावधि जमा-आईपीओ प्राप्तियां में से इस्तेमाल न की गई निधि	250.00	1,900.00
- सावधि जमा-अन्य	-	555.00
- सावधि जमा-स्वबैमा निधि	33.00	30.95
	6,003.97	5,350.08

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये विद्युत मंत्रालय भारत सरकार को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2012 तक 2214.99 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 1772 करोड़ रुपये बैंक जमा के रूप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।
- साख-पत्र या ऐसी ही अन्य सुविधा के लिए बैंकों में रखी जाने वाली मार्जिन राशि के रूप में नकद और बैंक शेष के अंतर्गत शून्य रुपये (पिछले वर्ष 57.39 करोड़ रुपये) रखे गए। यह सुविधा 31.03.2012 को उपलब्ध नहीं है।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 466.87 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 486.44 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 180.00 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो अल्पावधि की समकक्ष ऋण राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं, अतः 31.03.2012 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं। (टिप्पणी संख्या 9 देखें)।

टिप्पणी सं. 22 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) ऋण		
i) सम्बद्ध पक्षों को	-	-
ii) अन्यो को		
अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों की ओर बकाया	10.20	10.96
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	15.29	11.88
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	5.48	2.06
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.03	0.04
ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण	25.36	25.36
ख) अग्रिम		
i) सम्बद्ध पक्षों को	-	-
ii) अन्यो को		
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	24.99	4.31
संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	2.78	0.49
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- बैंक गारंटी के साथ	23.35	44.30
- अन्य	16.41	29.46
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.32	0.27
अन्य अग्रिम		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1.58	1.56
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		
घटाएं : संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	0.35	0.31
अग्रिम आयकर और स्रोत पर काटा गया कर	1,732.97	1,133.04
ग) जमा राशियां	41.86	39.92
घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	0.01	-
	<u>1,900.26</u>	<u>1,303.34</u>
प्रावधानों का ब्योरा		
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान *1		
प्रारम्भिक शेष	0.31	0.32
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0.05	0.02
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.01	0.02
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.01
अंतिम शेष	<u>0.35</u>	<u>0.31</u>
संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0.01	-
अंतिम शेष	<u>0.01</u>	<u>-</u>
व्याख्यात्मक टिप्पणी		
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा	31.03.2012 को	31.03.2011 को
i) वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	-
ii) ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।		
अनुषंगी/असोशिएट्स कंपनियों की ओर वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया का विवरण		
	31.03.2012 को	31.03.2011 को
	अधिकतम वर्ष के अंत में	अधिकतम वर्ष के अंत में
	बकाया	बकाया
एनएचपीसी लिमिटेड	3.15	2.08
लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	10.56	8.88
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	1.01	-

टिप्पणी सं. 23 अन्य चालू आस्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-		
i) उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	32.97	32.97
ii) जमा राशियां		
- आईपीओ	152.91	69.64
- स्व-बीमा	16.04	3.28
- अन्य जमा राशियां	99.83	111.97
iii) अन्य	19.58	157.10
ख) बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां	1,161.32	1,583.92
ग) लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	62.19	19.89
घ) अन्य चालू आस्तियां	16.60	15.18
ङ) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे	267.89	151.93
घटाएं : सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *1	199.67	47.39
च) अन्य वसूली योग्य	1.34	0.70
छ) निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)	50.05	19.94
ज) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	37.06	37.06
झ) बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाली हानियां	12.30	11.02
घटाएं : लंबित जांच वाली हानियों के लिए प्रावधान	12.30	11.02
	1,681.05	2,119.13
प्रावधानों के ब्यौरे		
सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान * 1		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	47.39	3.71
वर्ष के दौरान वर्धन	153.85	45.96
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.01	0.48
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.56	1.80
अंतिम शेष	199.67	47.39

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

- ग्राहकों के बकाया का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के अंतर्गत रु. 32.97 करोड़ (पिछले वर्ष 32.97 करोड़ रुपये) मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित हैं। इसके समान राशि अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत (टिप्पणी-11) दर्शायी गई है क्योंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को प्रोत्साहनों के भुगतान के मुद्दे का अभी समाधान नहीं हुआ है।
- संदेहास्पद दावों के प्रति प्रावधान के अंतर्गत रु. 126.27 करोड़ शामिल हैं जो एक ठेकेदार को दिए गए अग्रिम पर वसूली योग्य ब्याज से संबंधित हैं, जो पर्याप्त सुरक्षा द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान उक्त ठेकेदार के संबंध में संविदा वर्ष के दौरान निरस्त कर दी गई थी। उक्त ठेकेदार को दिए गए अग्रिम की वसूली कंपनी के पास जमा बैंक गारंटियों के नकदीकरण के जरिए समायोजित की गई है और वसूली योग्य उक्त ब्याज के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में प्रावधान किया गया है।
- बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्राप्यों के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :- 1) आरओई में बढ़ोतरी का अंतर रु. 411.62 करोड़ 2) जम्मू कश्मीर जल उपकर रु. 691.73 करोड़ 3) आरएलडीसी प्रभार रु. 33.05 करोड़ 4) विदेशी मुद्रा दर अन्तर रु. 88.26 करोड़ 5) कर समायोजन (-) रु. 67.99 करोड़ 6) एमईए बिक्री रु. 4.65 करोड़।

टिप्पणी सं. 24 : प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. बिक्री		
ऊर्जा की बिक्री	5,642.73	4,052.73
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर खाते में बिक्री समायोजन	(88.26)	(52.51)
घटाएं : टैरिफ समायोजन	34.60	-
घटाएं : विनियमित बिक्री समायोजन	57.38	-
घटाएं : बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (नोट 33ज (क) देखें)	-	0.59
उप-जोड़ क	5,462.49	3,999.63
ख मूल्यहास के प्रति अग्रिम		
वर्ष के दौरान	-	0.20
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	47.16	47.16
उप-जोड़ ख	(47.16)	(46.96)
ग संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
संविदा आय	54.57	89.74
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	90.47	88.92
उप-जोड़ ग	145.04	178.66
कुल योग (क)+(ख)+(ग)	5,654.69	4,225.25

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

- बिक्री का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित शुल्क दरों के अनुसार किया गया है। वर्ष 2009-14 की टैरिफ अवधि के लिए 12 पावर स्टेशनों के संदर्भ में शुल्क निर्धारित किया जा चुका है। किन्तु, तीस्ता-V पावर स्टेशन के मामले में परियोजना की संशोधित लागत का अनुमोदन लंबित रहते, अस्थायी आधार पर शुल्क का निर्धारण किया गया है।
- बिक्री के अंतर्गत रु. 467.28 करोड़ (पिछले वर्ष (-) 24.01 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष की बिक्री के रूप में शामिल है, जिन्हें चालू वर्ष के टैरिफ को अंतिम रूप देते समय शामिल किया गया।
- तीन लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण उनके संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान बिजली विनियमित की गई और तदनुसूचित बिक्री में विनियमित बिजली के संदर्भ में 84.12 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपये) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी बिजली विनियमित की गई हो। तदनुसूचित 57.38 करोड़ रुपये उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए गए हैं।
- बिक्री के अंतर्गत इक्विटी पर लाभ (आरओई) (शुल्क का एक घटक) के अंतर के रूप में रु. 411.62 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 391.77 करोड़), जो 2011-12 के दौरान टैरिफ में दावा की गई कर की सामान्य दर से आकलित किए गए हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर (एफईआरवी की अदायगी के संदर्भ में रुपये 88.26 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 52.51 करोड़) और मुख्य रूप से कर समायोजन के रूप रु. 24.70 करोड़ (पिछले वर्ष (-) 116.39 करोड़) शामिल हैं, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है।
- सीईआरसी ने दिनांक 21.10.2011 के अपने आदेश के तहत लाभार्थी राज्यों से जल उपकरण की अदायगी की अनुमति दी है जो जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में पावर स्टेशनों द्वारा किए जाने वाले पानी के उपयोग पर लगाया गया है। तदनुसूचित जल उपकरण की अदायगी के संदर्भ में बिक्री रु. 691.73 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष के रु. 139.02 करोड़ शामिल हैं) निर्धारित की गई है, जिसे सीईआरसी विनियम, 2009 में संशोधन के लंबित रहते, अभी बिल नहीं किया गया है।
- सीईआरसी ने दिनांक 06.02.2012 के अपने आदेश के तहत लाभार्थी राज्यों से क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी) शुल्क एवं प्रभार वसूल करने की अनुमति दी है, जिसका भुगतान सीईआरसी (आरएलडीसी शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित मामलों) विनियम, 2009 दिनांक 18.09.2009 के संदर्भ में बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा किया जाना है। तदनुसूचित आरएलडीसी शुल्क एवं प्रभार वसूली के संदर्भ में बिक्री रु. 33.05 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष के रु. 24.54 करोड़ शामिल हैं) निर्धारित की गई है, जिसे सीईआरसी विनियम, 2009 में संशोधन के लंबित रहते, अभी बिल नहीं किया गया है।
- दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुसूचित, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के लिए बिक्री समायोजित करते हुए बहियों में रु. 34.60 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया है।
- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-7/145/(160)/ 2000-सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 39 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जायेगी। तदनुसूचित, चालू वर्ष की बिक्री में रु. 67.41 (पिछले वर्ष रु. 41.30 करोड़) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वसूल किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 25 : अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) दीर्घावधि निवेश से आय		
i) व्यापार		
- अनुषंगियों से लाभांश	20.05	10.83
- लाभांश-अन्य	1.80	1.44
- ब्याज	102.09	123.88
सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड)		
ii) गैर-व्यापार		
- लाभांश-अन्य	0.18	0.13
- ब्याज-स्व बीमा निधि	50.49	39.65
ख) अन्य आय		
i) ब्याज		
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	11.32	13.47
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	28.09	25.70
- जमा खाता-स्व बीमा निधि-इंडियन बैंक	7.26	9.51
- जमा खाता- स्व बीमा निधि से इतर -इंडियन बैंक (सकल)	456.39	377.19
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	5.86	4.76
- अन्य	115.05	103.23
ii) विलंब भुगतान अधिभार	21.67	3.52
iii) लाभार्थी राज्यों से ब्याज	264.79	20.40
iv) म्यूचुअल फंड्स की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	0.02	-
v) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	8.38	1.54
vi) देयताएं/प्रावधान जिनके पक्ष लेखन की आवश्यकता नहीं है #	94.57	79.71
vii) अन्य	79.96	33.20
viii) विनिमय दर अंतर	9.97	15.39
कुल	1,277.94	863.55
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (टिप्पणी सं. 33ज(ख), और 33झ (ग)) देखें।	169.75	149.84
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित आय (टिप्पणी सं. 31देखें).	6.47	3.21
घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	41.00	30.27
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	1,060.72	680.23
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
1) प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पक्ष लेखन की आवश्यकता नहीं है।		
खराब तथा संदिग्ध ऋण	1.79	-
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-	0.03
खराब तथा संदिग्ध दावे	1.56	1.80
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	4.22	0.10
भण्डार तथा कलपुर्जों की कमी	-	0.86
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	41.25	6.86
प्रतिबद्ध पूंजी खर्च हेतु प्रावधान	2.49	5.00
लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	0.03	0.02
उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	3.61	11.53
एलटीसी के लिए प्रावधान	0.90	25.66
अन्य	38.72	27.85
कुल	94.57	79.71

टिप्पणी सं. 26 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. उत्पादन व्यय		
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	10.14	3.94
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	26.16	27.17
- मशीनरी	48.57	38.89
- अन्य	41.44	31.57
ग. प्रशासनिक व्यय		
i) किराया	37.54	32.72
ii) दरें और कर	2.62	7.25
iii) बीमा	39.77	31.18
iv) स्वः बीमा आरक्षित निधि से खर्च अदायगी	-	0.04
v) सुरक्षा व्यय	109.26	98.90
vi) विद्युत प्रभार	32.13	26.83
vii) यात्रा एवं वाहन	18.97	17.88
viii) वाहनों पर खर्च	8.97	8.64
ix) टेलीफोन, टैलेक्स एवं डाक टिकटें	10.57	9.00
x) विज्ञापन एवं प्रचार	7.81	7.21
xi) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.69	0.47
xii) दान या चंदा	7.00	-
xiii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.82	5.37
xiv) पुस्तकें व पत्रिकाओं	0.32	0.45
xv) परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	4.21	4.91
xvi) परामर्शी प्रभार -विदेशी	0.04	0.07
xvii) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सफ़ाई पर खर्च	6.33	22.05
xviii) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	23.91	62.79
xix) परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	0.78	0.82
xx) बट्टे खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे	-	0.02
xxi) बट्टे खाते डाले गए भंडार	0.09	0.06
xxii) बट्टे खाते डाली गयी अचल परिसंम्पत्तियां	0.29	0.39
xxiii) पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	0.35	80.57
xxiv) ग्राहकों को छूट	31.12	39.40
xxv) जल उपकर और पर्यावरण संरक्षण उपकर	552.83	139.29
xxvi) कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	14.39	10.45
xxvii) अन्य सामान्य खर्च	64.71	80.60
xxviii) विनिमय दर अंतर	22.45	22.73
xxix) लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)	1.46	1.07
xxx) निदेशक खर्च	0.12	0.19
xxxi) अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.05	-
xxxii) विनियमित बिजली पर व्यय	4.96	-
घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	(4.96)	-
कुल	1,129.91	812.92

टिप्पणी सं. 26 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (जारी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घटाएं : ईडीसी को अंतरित उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (टिप्पणी सं. 33ख, 33ग और 33झ (ii) देखें।	175.63	219.94
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित प्रशासन एवं अन्य व्यय (टिप्पणी सं. 31देखें).	19.82	22.43
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0.06	0.14
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	<u>934.40</u>	<u>570.41</u>

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

1) लेखा परीक्षा भुगतान का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

i) सांविधिक लेखा-परीक्षक

लेखा-परीक्षक के रूप में

लेखा-परीक्षा शुल्क *

0.40

0.32

कर लेखा-परीक्षा शुल्क

0.12

0.52

0.10

0.42

अन्य क्षमता में

कराधान मामले

-

कंपनी विधि मामले

-

प्रबंधन सेवाएं

-

अन्य मामले/ सेवाएं

0.44

0.44

0.23

0.23

खर्चों की अदायगी

0.43

0.34

ii) लागत लेखा परीक्षक

लेखा-परीक्षा शुल्क

0.06

0.06

खर्चों की अदायगी

0.01

0.02

* पिछले वर्ष की बकाया राशि शामिल है.

1.46

1.07

2) स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क

0.12

0.19

3) पूर्णकालिक निदेशकों को यह छूट दी गई है कि वे एक वित्तीय वर्ष में 12000 किलोमीटर तक निम्नांकित दरों से भुगतान करके कंपनी की कार का इस्तेमाल आधिकारिक एवं निजी यात्राओं के लिए कर सकते हैं:-

	नोन एसी कार	एसी कार
16 एचपी तक	325 रुपये प्रतिमाह	520 रुपये प्रतिमाह
16 एचपी से ऊपर	490 रुपये प्रतिमाह	780 रुपये प्रतिमाह

4) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाओं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 27 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,139.34	1,048.83
ii) उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	298.57	220.38
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	121.64	141.13
iv) अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.12	0.40
कुल	1,559.67	1,410.74
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी व्यय (टिप्पणी सं. 33 क और 33 झ (iii) देखें।	642.02	623.42
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित कर्मचारी व्यय (टिप्पणी सं. 31 देखें).	86.72	86.25
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	1.89	1.45
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	829.04	699.62
स्पष्टीकरण टिप्पणी		
1) उपरोक्त भुगतान में से निदेशकों को देय/अदा किया गया पारिश्रमिक .		(करोड़ रुपए में)
	31.03.2012	31.03.2011
(i) वेतन और भत्ते	0.84	1.73
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	0.07	0.17
(iii) आवासीय परिसर के लिए किराया	0.07	0.21
(iv) अन्य लाभ	0.09	0.36

- 2) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाओं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 31.41 करोड़ रुपये (विविध वर्ष 28.74 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।

टिप्पणी सं. 28 : वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) निम्नलिखित पर ब्याज		
बॉण्ड	217.23	215.12
विदेशी मुद्रा ऋण	59.61	60.61
सावधि ऋण	788.90	726.51
लाभार्थी राज्यों को ब्याज	4.15	-
उप जोड़	1,069.89	1,002.24
ख) अन्य ऋण लागत		
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.93	0.45
प्रतिबद्धता शुल्क	0.06	0.06
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	32.22	32.35
अन्य वित्त प्रभार	3.82	3.17
उप जोड़	37.03	36.03
ग) विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि		
ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	277.47	240.68
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(277.47)	(240.68)
उप जोड़	-	-
कुल योग	1,106.92	1,038.27
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्तीय लागत (टिप्पणी सं. 33घ और 33झ (v) देखें।	764.67	671.24
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित वित्तीय लागत (टिप्पणी सं. 31देखें).	0.01	0.43
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	342.24	366.60

टिप्पणी सं. 29 : मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वर्ष के दौरान मूल्यहास	966.98	976.31
ii) विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन	(23.53)	(15.66)
कुल	943.45	960.65
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्यहास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी सं. 33च और 33झ (v) देखें।	49.59	42.08
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित मूल्यहास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी सं. 31देखें).	1.12	1.81
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	0.02
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	892.74	916.74

टिप्पणी सं. 30 : प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	0.40	-
ii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-	0.02
iii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	147.27	45.96
iv) भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	1.20	17.09
v) निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	0.77	-
vi) प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	81.89	6.10
vii) अचल परिसंपत्तियों/भंडारों हेतु प्रावधान	3.03	1.83
कुल	234.56	71.00
घटाएं : ईडीसी को अंतरित प्रावधान (टिप्पणी सं. 33* और 33झ (iv) देखें।	141.16	36.53
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित प्रावधान (टिप्पणी सं. 31देखें).	2.72	0.01
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	90.68	34.46

टिप्पणी सं. 31 : संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. प्रत्यक्ष व्यय	15.92	15.30
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	61.07	60.93
- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान	9.46	8.07
- कर्मचारी कल्याण व्यय	4.55	5.24
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण	2.75	3.11
- भवन	0.49	0.30
- मशीनरी	1.44	2.30
- अन्य	0.82	0.51
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय	16.06	18.03
- किराया	6.53	5.89
- यात्रा एवं वाहन	3.61	2.95
- वाहनों पर व्यय	0.18	0.17
- बीमा	0.05	0.15
- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0.84	0.64
- विज्ञापन एवं प्रचार	0.13	0.19
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.39	0.44
- अन्य व्यय	3.73	6.91
- दरे और कर	0.01	-
- सुरक्षा	0.12	0.14
- विद्युत	0.24	0.24
- परामर्शी प्रभार	0.23	0.31
घ. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	0.82	0.96
ङ. वित्त लागत	0.01	0.43
च. प्रावधान	2.72	-
छ. निगम/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	(0.55)	(0.57)
अन्य आय	1.01	1.29
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	11.64	12.01
कर्मचारी लाभ व्यय	0.30	0.85
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	-	-
वित्त लागत	-	0.01
प्रावधान	-	0.01
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	0.12	0.01
कुल व्यय	125.88	125.67
ज. घटाएं - प्राप्ति यां तथा वसूली	5.92	2.64
वर्ष के दौरान निवल व्यय	119.96	123.03
झ. पूर्वावधि समायोजन	0.01	0.22
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	119.97	123.25

टिप्पणी सं. 32 पूर्वावधि व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
i) विद्युत की बिक्री	-	592.44
ii) जोड़े : मूल्यहास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-	(16.08)
iii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	(0.03)	1.45
iv) अन्य	(29.81)	
उप जोड़	(29.84)	554.99
व्यय		
i) वेतन तथा मजदूरी	49.34	0.01
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	(0.10)	0.50
iii) वित्त लागत	-	-
iv) मूल्यहास	1.08	(82.55)
v) अन्य	0.63	(1.95)
उप जोड़	50.95	(83.99)
कुल योग	80.79	(638.98)
घटाएं - ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय - (देखें टिप्पणी 33-छ)		
पूर्वावधि व्यय	19.81	(1.45)
घटाएं - पूर्वावधि आय	(2.69)	(18.62)
जोड़	58.29	(656.15)
घटाएं - संविदा और परामर्शी कार्य को अंतरित पूर्व अवधि व्यय (देखें टिप्पणी सं. - 31)		
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	0.13	0.23
	58.16	(656.38)

टिप्पणी सं. 33 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	309.83	297.91
ii) उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	76.33	59.73
iii) स्टाफ कल्याण व्यय	31.27	39.03
iv) अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.12	0.39
उप जोड़	417.55	397.06
ख मरम्मत तथा अनुरक्षण		
i) भवन	6.12	5.48
ii) मशीनरी	0.98	1.66
iii) अन्य	15.96	8.92
उप जोड़	23.06	16.06
ग प्रशासन तथा अन्य व्यय		
i) किराया	17.72	15.14
ii) दरें और कर	0.64	2.05
iii) बीमा	0.36	0.31
iv) सुरक्षा व्यय	28.62	25.60
v) विद्युत प्रभार	5.78	3.93
vi) यात्रा एवं वाहन	4.04	4.23
vii) स्टाफ कार पर व्यय	3.32	3.54
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	3.45	2.92
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	0.57	0.70
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार	-	-
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.99	1.02
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार	0.03	0.01
xiii) - स्वदेशी	1.10	1.08
xiv) - विदेशी	-	-
xv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सफाई पर खर्च	5.98	21.86

टिप्पणी सं. 33 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (जारी)

		(करोड़ रुपए में)	
विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
xvi) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	22.17	61.58	
xvii) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-	-	
xviii) बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	-	0.01	
xix) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.06	0.02	
xx) विनिमय दर अन्तर (ऋण)	17.53	20.86	
xxi) अन्य सामान्य व्यय	14.05	12.00	
उप जोड़	126.41	176.86	
घ. वित्त लागत			
i) निम्नलिखित पर ब्याज -			
क) भारत सरकार के ऋण	-	-	
ख) बॉण्ड	186.39	180.00	
ग) विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	
घ) सावधि ऋण	574.24	488.48	
ii) बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.77	0.25	
iii) अन्य वित्त प्रभार	3.23	2.45	
उप जोड़	764.63	671.18	
ङ. प्रावधान	141.16	36.39	
च. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	141.16	36.39	
छ. पूर्वावधि व्यय	42.98	27.54	
पूर्वावधि व्यय	10.40	(1.64)	
घटाएं - पूर्व अवधि आय	(2.69)	(18.62)	
उप जोड़	13.09	16.98	
ज. घटाएं प्राप्तियां और वसूलियाँ			
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	-	0.59	
ख) अन्य			
i) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	110.77	90.72	
ii) विविध प्राप्तियां	7.87	6.46	
iii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-	
iv) विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)	8.00	15.03	
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान	26.53	24.69	
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	1.76	1.60	
उप जोड़	154.93	138.50	
झ. निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	154.93	139.09	
i) अन्य आय	(14.82)	(11.34)	
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	26.16	27.02	
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	224.47	226.36	
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	6.61	14.54	
v) वित्त लागत	0.04	0.06	
vi) प्रावधान	-	0.14	
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)	9.41	0.19	
उप जोड़	251.87	256.97	
कुल (क से ज)- झ)	1,625.82	1,459.95	

टिप्पणी सं. 34 : कर व्यय

		(करोड़ रुपए में)	
विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
i) वर्तमान कर			
आय कर प्रावधान	694.19	557.51	
	694.19	557.51	
ii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	8.37	8.06	
iii) आस्थगित कर परिसंपत्ति	(2.83)	(59.25)	
घटाएं : वसूली योग्य	(45.54)	(204.42)	
	42.71	145.17	
उप जोड़	745.27	710.74	

टिप्पणी संख्या - 35 अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां

1. क) आकस्मिक देयताएं :-

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	अथ शेष 01/04/2011 को (रुपये)	अंतिम शेष 31/03/2012 को (रुपये)
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है-		
- पूंजीगत कार्य	5112.64	7615.68
- भूमि मुआवजा मामले	71.97	28.18
- अन्य		
- विवादित आयकर मांग	10.99	10.57
- विवादित बिक्री कर मांग	2244.45	264.01
- विवादित सेवा कर मांग	27.02	29.22
-अन्य	122.42	116.29
कुल	7589.49	8063.95

- ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- ग) पूंजी कार्य संबंधी आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर एवं मात्रात्मक विचलन के बारे में संविदाकारों के दावे, समय के विस्तार संबंधी लागत और निर्माण कार्य रोके जाने/निर्माण स्थल सौंपे जाने में देरी के कारण व्यर्थ प्रभार आदि शामिल हैं। इस तरह के दावों से कंपनी को जूझना पड़ रहा है क्योंकि संबद्ध अनुबंधों के प्रावधानों के अंतर्गत वे स्वीकार्य नहीं हैं अथवा ऐसे दावे पंचाट न्यायाधिकरणों में लंबित हैं।
- घ) "पूंजीगत कार्य" शीर्ष के अंतर्गत आकस्मिक देयता 347.85 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 240.90 करोड़ रुपये) है, जो कंपनी के विरुद्ध दिए गए पंचाट निर्णयों के कारण पैदा हुई है। इन फैसलों को विधि अदालत में चुनौती दिए जाने को देखते हुए बाह्य-प्रवाह होने की संभावना नहीं है।
- ङ) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- च) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को 45.17 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 42.39 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।
- छ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 9.92 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 24.86 करोड़ रुपये) अदा किए गए हैं, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।
2. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि 5335.27 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 6286.47 करोड़ रुपये) है।
3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि राशि 241.16 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 257.33 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।
4. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) से यह राय प्राप्त हुई कि निर्माण के दौरान व्यय संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी को वापस लिए जाने के बाद, ऐसी परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, पर व्यय को सम्बद्ध वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभावित किया जाना चाहिए। कंपनी ने इस राय के विरुद्ध आईसीएआई की ईएसी को प्रतिवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्यय चूंकि किसी जल-विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अनिवार्य होते हैं, इसलिए उनके पूंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। कंपनी ने यह विचार भी रखा है कि ऐसे व्यय के पूंजीकरण का समर्थन आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित इक्विटी संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी और लेखांकन मानक-10 में सीमित संशोधन के सूचना मसौदे से होता है। ईएसी से आगे कोई दिशा-निर्देश प्राप्त न होने, एएस-10 में संशोधन और दर विनियमित इक्विटी संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी पर अमल के लंबित रहते, प्रचलित लेखांकन पद्धतियों/नीतियों के अनुसार लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है। उपरोक्त को देखते हुए ऐसी परिसंपत्तियों के सृजन/निर्माण पर 25.54 करोड़ रुपये (डब्ल्यूडीवी) और 106.66 करोड़ रुपये क्रमशः मूर्त आस्तियों (टिप्पणी संख्या 13.1) और चालू पूंजी कार्य (टिप्पणी संख्या 14.1) के अंतर्गत दर्शाये गए हैं।

6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार रहा :

(करोड़ रुपये में)

		31.03.12 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.11 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	2.95	1.51
(ii)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	277.47	240.68
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	9.53	5.92
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(0.14)	(1.18)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	105.87	31.41

7. 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों में संशोधन/शाब्दिक परिवर्तन किया गया :

मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.1	अचल परिसम्पत्तियों में सकल ब्लाक से संवर्द्धन/कमी होने की स्थिति में मूल्यहास प्रभारित करने के तथ्य को प्रकट करने की मौजूदा नीति में मामूली संशोधन किया गया है।
निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी और कम्प्यूटर एवं अनुषंगी वस्तुओं पर मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.2.3	कुछ व्याकरण संबंधी त्रुटियां दूर की गई हैं।
अस्थायी संरचनाओं के बारे में मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.2.4	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।
अमूर्त आस्तियों के परिशोधन से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.5	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।
पट्टे पर धारित भूमि के परिशोधन से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.6 को सीईआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दो भागों में प्रस्तुत किया गया है।	इससे वर्ष 2011-12 के कर-पूर्व लाभ में (0.71) करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त मामूली परिवर्तनों के अलावा पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.6 और निर्माण स्थल पर इंजीनियरी अनुमान के आधार पर भंडार के मूल्यांकन संबंधी नीति संख्या 7.4 को निरर्थक समझ कर चालू वर्ष के दौरान रद्द कर दिया गया, जिसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा।

8. कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और परियोजना निर्माण के प्रशासनिक एवं सामान्य शीर्ष व्ययों के आवंटन की पद्धति की समीक्षा की है और चालू वर्ष के दौरान परिवर्तन किए गए हैं। इससे चालू वर्ष में 29.97 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है।

9. 31.03.2012 को स्व बीमा निधि के निवेश की स्थिति इस प्रकार है :-

तुलन-पत्रक की अनुसूची	निवेश/जमा राशि का विवरण	राशि (करोड़ रु. में)
टिप्पणी संख्या 15	(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंड	250.59 381.39
टिप्पणी संख्या 21	(i) जमा खाता-दीर्घावधि (ii) जमा खाता-अल्पावधि	33.00 10.28
टिप्पणी संख्या 22	अग्रिम कर (स्रोत पर कर कटौती)	1.68
टिप्पणी संख्या 23	प्रोद्भूत ब्याज (कर उपरान्त निवल)	16.04
टिप्पणी संख्या 12	आयकर के लिए प्रावधान	(2.08)
	कुल	690.90

इस प्रकार 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के अंत में स्व बीमा निधि की कुल आय 32.48 करोड़ रुपये (करों के बाद निवल) है, जिसे लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के ज़रिए स्व बीमा निधि में क्रेडिट किया गया है।

10. लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है:

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि में अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान (ग्रेज्युइटी) योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 अंतिम आहरित मूल वेतन मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

ग. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके स्पाउज (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।

(ङ) अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (अनुपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। सेवा के दौरान 75 प्रतिशत अर्जित अवकाश का और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है। कंपनी के नियमानुसार अर्ध-वेतन अवकाश का नकदीकरण केवल सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 240 दिन के अवकाश तक कराया जा सकता है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(च) सामाजिक सुरक्षा योजना

क्षतिपूरक नियुक्ति के स्थान पर एनएचपीसी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो इस शर्त के अधीन है कि पेंशन योजना लागू होने के बाद इस योजना को वापस ले लिया जायेगा। कारपोरेशन प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है। यह योजना 01.06.2007 से लागू है। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

(छ) सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह और व्यवस्थापन भत्ता :

एनएचपीसी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000 रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है।

उपरोक्त योजनाएं (ख, ग, घ, ङ और छ) अनिधिक हैं और उनका निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाता है। योजना क और च निर्धारित अंशदान पर आधारित हैं।

31.03.2012 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:-

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता -

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96)	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित
छूट दर	8.5%	8.0%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.0%	5.5%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरू में पीवीओ	512.76 {407.32}	303.22 {220.67}	256.16 {169.49}
ब्याज लागत	43.59 {32.59}	25.77 {17.65}	21.77 {13.55}
वर्तमान सेवा लागत	22.88 {20.92}	18.02 {14.27}	6.85 {6.65}
अदा किया गया लाभ	(73.93) {(27.87)}	(39.04) {(28.22)}	(8.61) {(8.26)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	63.10 {79.80}	75.85 {78.84}	49.11 {74.73}
वर्ष के अंत में पीवीओ	568.40 {512.76}	383.82 {303.21}	325.28 {256.16}

तालिका-3 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरू में पीवीओ	568.40 {512.76}	303.22 {303.21}	325.28 {256.16}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	- {-}	- {-}	- {-}
निधिक स्थिति	(568.40) {(512.76)}	(303.22) {(303.21)}	(325.28) {(256.16)}
अमान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- {-}	- {-}	- {-}
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता	568.40 {512.76}	303.22 {303.21}	325.28 {256.16}

तालिका-4 : लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	22.88 {20.92}	18.02 {14.27}	6.85 {6.65}
ब्याज लागत	43.59 {32.59}	25.77 {17.65}	21.77 {13.55}
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	- {-}	- {-}	- {-}
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमा-किक (लाभ)/हानि	63.10 {79.80}	75.85 {78.84}	49.11 {74.73}
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी में मान्यताप्राप्त व्यय	129.57 {133.31}	119.64 {110.76}	77.73 {94.93}

नोट : { } पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2012 को क्रमशः 28 लाख रुपये और 1 लाख रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 32 लाख रुपये और शून्य) हैं।

11. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

12. कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -

क) संबंधित पार्टी

(ग) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

(ग) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त), 01.01.2011 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार।
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी),
श्री जे के शर्मा	(निदेशक परियोजनाएं)
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 1.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2.47 करोड़ रुपये) दिया गया और 31.03.2012 को कम्पनी की ओर बकाया राशि 0.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रुपये) थी।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार-शून्य।

13 प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2771.77	2166.67
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- आधारभूत	12300742773	12300742773
- कम की गई	12300742773	12300742773
प्रति शेयर अर्जन (रुपये)		
- आधारभूत	2.25	1.76
- कम किया गया	2.25	1.76
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

14. (क) संयुक्त उद्यमों में हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2012	31.03.2011
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड	49%	-
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	25%	25%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	16.67%	16.67%

उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत में संस्थापित हैं। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

		31.03.2012	31.03.2011
क.	परिसंपत्तियां	29.37	3.88
ख.	देयताएं	11.98	0.18
ग.	आकस्मिक देयताएं	0.01	0.01
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	7.48	8.03
		वर्ष 2011-12 के लिए	वर्ष 2010-11 के लिए
ङ.	आय	0.30	0.08
च.	व्यय	0.47	0.34

(ख) बोर्ड ने संयुक्त उद्यम कंपनी, मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड में 100 करोड़ रुपये तक के समान इक्विटी योगदान के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

15. प्रबंधन की राय है कि लेखांकन मानक (एस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत 31 मार्च 2012 को परिसंपत्तियों के असंतुलन का कोई मामला नहीं है

16. (करोड़ रुपए में)

		31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :	53.65	99.39
	i) पूंजीगत वस्तुएं	0.21	1.90
	ii) कलपुर्जे		
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय	4.84	11.18
	i) ज्ञान	58.49	59.53
	ii) ब्याज	47.37	119.79
	iii) अन्य विविध मामले		
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जे तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	0.18(1.78%)	1.05(26.65%)
	ii) देशी:	9.96(98.22%)	2.89(73.35%)
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	-	-

* प्रोद्भवन आधार।

17. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	उपरोक्त i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	शून्य
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

18. वर्ष के लिए वित्तीय विवरण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ न. 2/6/2008-सीएल-V दिनांक 30.03.2011 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना संख्या एस ओ 447(ई) दिनांक 28.02.2011 के तहत संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए तैयार किए गए हैं। संशोधित अनुसूची-VI की अपेक्षाओं के अनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 25.05.2012

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये)

विवरण	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
क प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मर्दे जोड़े -	3,517.04	2,878.43
पूर्वावधि सहित मूल्यहास	918.22	817.89
अदा किया गया ब्याज	342.23	374.53
बड़े खाते में डाली गई परिसंपत्तियां	0.29	0.06
बड़े खाते में डाले गए भंडार	0.09	0.38
प्रावधान	93.41	34.83
बड़े खाते में डाले गए ऋण/दावे	-	0.02
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.78	0.80
विनिमय दर अंतर	264.42	242.19
	1,619.44	1,470.70
घटाएं -		
पश्चलिखित मूल्यहास के प्रति अग्रिम (पूर्व अवधि सहित)	47.16	30.88
शुल्क समायोजन	34.60	-
परिसंपत्तियों/परियोजना की बिक्री पर लाभ	77.24	28.17
अत्यधिक देयताएं और प्रावधान पश्चलिखित	68.04	55.02
आस्थगित ईआरवी	212.73	203.83
लाभांश आय	22.03	12.40
ब्याज आय	627.55	563.70
	530.09	576.70
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	4,047.13	3,455.13
कार्यशील पूंजी परिवर्तन		
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(11.38)	4.39
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(1693.30)	56.60
अन्य आस्थियों ऋण/अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	680.50	(1190.38)
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	(200.65)	1,205.24
कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	2,822.30	3,530.98
घटाएं - अदा किया गया कर	737.82	518.72
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	2,084.48	3,012.26
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)	(2788.17)	(3426.17)
आस्थियों के अंतरण/बिक्री पर लाभ/(हानियां)	-	27.37
निवेश में कमी/(वृद्धि)	162.90	1,480.49
ब्याज आय	627.55	563.70
लाभांश आय	22.03	12.40
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(1975.69)	(1342.21)
ग. वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां	(854.53)	(788.90)
शेयर प्रीमियम	3,418.44	1,591.00
शेयर पूंजी जमा	(909.89)	(1162.04)
अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	(1108.92)	(1057.41)
ऋणों से प्राप्तियां	545.10	(1417.35)
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	653.89	252.70
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	5,350.08	5,097.38
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	6,003.97	5,350.08

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

- नकदी तथा नकदी-तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें शून्य (पिछले वर्ष 57.39 करोड़ रु.) की राशि शामिल है जिसे कारपोरेशन द्वारा साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए मार्जिन राशि के रूप में बैंकों में रखा गया है, जो 31.03.2012 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
- अचल आस्थियों और चालू निर्माण कार्य में ब्याज एवं वित्त प्रभार के अंतर्गत पूंजीकृत 764.63 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है।
- 31.3.2012 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 300 करोड़ रुपए है।
- नकदी तथा नकदी-तुल्य में 466.87 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 486.44 करोड़ रु.) शामिल हैं, जो अन्य एजेंसियों की ओर से निगम द्वारा किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गए हैं और यह राशि निगम के कार्यव्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहाँ आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।
- इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए प्रीमियम सहित प्राप्त 6038.55 करोड़ रु. में से कंपनी ने 2907.45 करोड़ रु. शेयर प्रीमियम सहित 4025.70 करोड़ रु. स्वयं की शेयर प्राप्तियों के रूप में रखे और भारत सरकार की इक्विटी बिक्री से प्राप्त 2012.85 करोड़ रु. विद्युत मंत्रालय को अदा किए। इन प्राप्तियों में से 31.03.2012 तक 2214.99 करोड़ रु. पूंजी व्यय की भरपायी के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं की आंतरिक प्राप्तियों में से इस्तेमाल हेतु निर्दिष्ट राशि में से पहले ही व्यय किए जा चुके थे। इसके अलावा कंपनी की निवेश नीति के अनुसार 1772 करोड़ रु. बैंक जमा राशि के रूप में निवेश किए गए तथा 38.71 करोड़ रु. आईपीओ व्यय की भरपायी के लिए रखे गए

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

कृते एस एन नन्दा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)

कृते बवेजा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)

एफआरएन नं. 000685एन
(सीए गौरव नंदा)

एफआरएन नं. 302049ई
(सीए बी के सिपानी)

एफआरएन नं. 005834एन
(सीए साक्षी कौल धर)

एफआरएन नं. 002870एन
(सीए संदीप सांडिल)

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 25.05.2012

भागीदार
सदस्य संख्या 500417

भागीदार
सदस्य संख्या 088926

भागीदार
सदस्य संख्या 514325

भागीदार
सदस्य संख्या 085747

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुपालन में अनुषंगी कंपनी से संबंधित विवरण

1. कम्पनी का नाम और पता	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश)	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलिक कारपोरेशन लिमिटेड
2. अनुषंगी कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2012
3. एनएचपीसी और इसके नामितों द्वारा उपरोक्त तारीख को धारित अनुषंगी कंपनी की हिस्सेदारी :- (क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य (ख) धारण की सीमा	(क) 1000/-रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1,00,24,200 इक्विटी शेयर। (ख) जारी किए गए 1,96,25,800 शेयरों में से 1,00,24,200 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।	(क) 10/-रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 7,28,61,540 इक्विटी शेयर। (ख) जारी किए गए 9,84,61,540 शेयरों में से 7,28,61,540 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।
4. अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेख में नहीं दर्शाया गया है।	(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष। (ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्त वर्षों के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है	(क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 578.47 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात् 295.02 करोड़ रुपए। (ख) 30.03 करोड़ रुपए का लाभांश, जो 58.88 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है। तुलन-पत्र में अग्रेनीत लाभ के रूप में 1329.98 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात् 678.29 करोड़ रुपए (क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 4.05 करोड़ रुपए का 74 प्रतिशत अर्थात् 3.00 करोड़ रुपए। (ख) शून्य तुलन-पत्र में हानि के रूप में अग्रेनीत 1.54 करोड़ रुपए का 74 प्रतिशत अर्थात् 1.14 करोड़ रुपए
5. अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/ (हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेख में दर्शाया गया हो :-	(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु। (ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है	शून्य शून्य 154.96 करोड़ रुपए का लाभांश जो 303.85 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है शून्य शून्य
6. अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच अनुषंगी कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन।	शून्य	शून्य
7. वर्तमान देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए अनुषंगी कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋण देने और लेने के लिए अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वास्तविक परिवर्तन	शून्य	शून्य

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

अनुलग्नक- VI

कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत एनएचपीसी लिमिटेड , फरीदाबाद के 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड , फरीदाबाद के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है । भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा-परीक्षक का दायित्व है कि वह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय ब्यौरों पर अपने निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं सुनिश्चितता मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करें । यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25 नई दिल्ली, 2012 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए पूरा किया गया है ।

मैंने भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अन्तर्गत एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्यौरों की लेखा परीक्षा की है । यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है । इसे मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कंपनी कार्मिकों की जांच तक सीमित रखा गया है । लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया, जिस पर टिप्पणी की जाए या कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक रिपोर्ट दी जाए ।

कृते भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
एवं उनकी ओर से



(प्रवीण कुमार सिंह)
प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 29 जून, 2011

**समूह (एनएचपीसी लिमिटेड, उसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों)
के समेकित वित्तीय विवरणों पर बोर्ड को लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट**

- हमने एनएचपीसी लिमिटेड (कंपनी), इसकी अनुषंगी कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के 31 मार्च, 2012 के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न समेकित लाभ एवं हानि लेखा, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं और प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरण और घटकों के संबंध में अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया कराती है।
- हमने कंपनी की निम्नांकित अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है और उनकी लेखा-परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारे मतानुसार जहाँ तक अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल की गई राशियों का संबंध है, यह पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है। समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने की सीमा तक परिसंपत्तियों, राजस्व और निवल नकदी प्रवाह के संबंध में अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

(करोड़ रुपये में)

नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुषंगी कम्पनियां			
एनएचडीसी लिमिटेड	8241.09	1450.51	376.74
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	121.56	6.07	(0.81)
संयुक्त उद्यम			
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड	54.60	0.00	17.12
नेशनल पावर ऐक्सचेंज लिमिटेड	8.63	0.69	(1.82)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड	29.14	1.39	20.89

- हम सूचित करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-21, "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखांकन मानक-27, "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय सूचना" की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।
 - अपनी लेखापरीक्षा, हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों और एनएचपीसी समूह के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में उक्त समेकित विवरण, टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाने पर, भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं :
- (क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 को समूह की स्थिति का,
- (ख) समेकित लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त अवधि हेतु समूह के लाभ का, और
- (ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त अवधि हेतु समूह के नकदी प्रवाह का।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 000685एन

(सीए गौरव नन्दा)
भागीदार
सदस्यता सं.-500417

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 302049ई

(सीए बी के सिपानी)
भागीदार
सदस्यता सं.-088926

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 005834एन

(सीए साक्षी कौल धर)
भागीदार
सदस्यता सं.-514325

कृते तिवारी एंड एसोशिएट्स (सनदी
लेखाकार)
एफआरएन नं. 002870एन

(सीए संदीप सांडिल)
भागीदार
सदस्यता सं.-085747

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 25.05.2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	12,300.74	12,300.74
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	16,343.04	14,226.31
(2) अल्पसंख्यक हित		2,034.86	1,735.74
(3) लंबित आवंटन संबंधी शेयर आवेदन निधि	4	-	-
(4) गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	5	17,912.62	15,623.62
(ख) स्थगित कर देयता	6	350.36	277.36
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	7	2,072.98	2,038.46
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	8	1,200.50	1,066.13
(5) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	9	180.00	-
(ख) व्यापार प्राप्य	10	227.52	250.53
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	11	3,141.05	2,781.72
(घ) अल्पावधि प्रावधान	12	4,524.99	3,872.59
कुल		60,288.66	54,173.20
II. आस्तियां			
(1) गैर-वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तियां	13.1	18,750.07	20,130.23
(ii) अगोचर आस्तियां	13.2	3,432.55	2,600.41
(iii) चालू पंजी कार्य	14.1	19,398.67	16,008.37
(iv) विकासाधीन गोचर आस्तियां	14.2		
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	15	1,405.11	1,579.86
(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	16	1,461.68	1,637.53
(घ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	17	1,381.07	879.77
(2) चालू आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	18	250.74	253.59
(ख) मालसूची	19	49.60	39.21
(ग) व्यापार प्राप्य	20	2,247.09	570.17
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	21	7,795.32	6,751.29
(च) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	22	2,157.35	1,511.05
(छ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	23	1,959.41	2,211.72
कुल		60,288.66	54,173.20
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	35		
टिप्पणी 1 से 35 इस लेखे का अभिन्न अंग हैं।			

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन नन्दा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 000685एन

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 302049ई

कृते बवेजा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोशिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 002870एन

(सीए गौरव नंदा)

भागीदार

सदस्य संख्या 500417

(सीए बी के सिपानी)

भागीदार

सदस्य संख्या 088926

(सीए साक्षी कौल धर)

भागीदार

सदस्य संख्या 514325

(सीए संदीप सांडिल)

भागीदार

सदस्य संख्या 085747

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 25.05.2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार समेकित लाभ एवं हानि खाता

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	24	6,920.33	5,143.65
ii) अन्य आय	25	1,231.92	780.46
कुल राजस्व		8,152.25	5,924.11
व्यय			
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	26	1,009.57	641.15
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	27	888.46	769.65
iii) वित्त लागत	28	573.91	615.94
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	29	1,149.99	1,166.54
v) प्रावधान	30	90.71	34.52
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	31	119.98	123.25
कुल व्यय		3,832.62	3,351.05
पूर्व अवधि मर्दों, विशिष्ट और असाधारण मर्दें तथा कर पूर्व लाभ		4,319.63	2,573.06
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	32	37.23	(656.48)
विशिष्ट और असाधारण मर्दें तथा कर पूर्व लाभ		4,282.40	3,229.54
असाधारण मर्दें		(68.86)	(26.63)
असाधारण मर्दें और कर पूर्व लाभ		4,351.26	3,256.17
असाधारण मर्दें		-	-
कर पूर्व लाभ		4,351.26	3,256.17
कर संबंधी व्यय	34		
i) वर्तमान कर		866.07	635.58
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		8.60	9.63
iii) विलंबित कर		73.00	148.19
कर संबंधी कुल व्यय		947.67	793.40
वर्ष के लिए लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन से पहले)		3,403.59	2,462.77
अल्पसंख्यक हित को अंतरित लाभ/हानि की हिस्सेदारी		318.01	146.61
वर्ष के लिए लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन के बाद)		3,085.58	2,316.16
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
बुनियादी		2.51	1.88
तनूकृत		2.51	1.88
अन्य व्याख्यात्मक लेख टिप्पणियां	35		
टिप्पणी 1 से 35 इस लेखे का अभिन्न अंग हैं।			

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन नन्दा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 000685एन

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 302049ई

कृते बवेजा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोशिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 002870एन

(सीए गौरव नंदा)

भागीदार

सदस्य संख्या 500417

(सीए बी के सिपानी)

भागीदार

सदस्य संख्या 088926

(सीए साक्षी कौल धर)

भागीदार

सदस्य संख्या 514325

(सीए संदीप सांडिल)

भागीदार

सदस्य संख्या 085747

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 25.05.2012

टिप्पणी संख्या - 01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

- 2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।
- 2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
- 2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।
- 2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।
- 2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।
- 2.6 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्ज

- 3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।
 - (ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जें मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।
 - (ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।
- 3.2 अन्य कलपुर्जों को "भंडार एवं कलपुर्जें" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

- 4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- 4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय" (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।
- 4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यहास तथा परिशोधन

- 5.1 अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यहास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

- 5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यहास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-
 - (i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी-11.25 प्रतिशत
 - (ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण-30 प्रतिशत।
- 5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।
- 5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।
- 5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूँजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती हैं।
- 5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है परंतु, यह परिशोधन अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार से संबद्ध भूमि को छोड़कर किया जाता है।
- 5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।
- 5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।
- 5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूँजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।
- 5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।
- 5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोत्तरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यहास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

- 7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।
- 7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बड़ेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

- 8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखों में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

- 9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

- 10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।
- (ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- (घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।
- 10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।
- 10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भव आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

- 11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।
- 11.2 पावर स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।
- 11.3 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।
- 11.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखों को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभावी है।

14. सहायता अनुदान

“सिंचाई और आर एंड आर कंपोनेन्ट” के लिए मध्यप्रदेश सरकार से और “सरदार सरोवर कंपोनेन्ट” के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान की राशि, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबद्ध न होने के कारण, प्रारंभ में सहायता-अनुदान-आरक्षी के रूप में समझी गई और बाद में उसे उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जैसा कि ऐसे अंशदान से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास बड़े खाते डाला जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
	संख्या में	(करोड़ रूपए में)	संख्या में	(करोड़ रूपए में)
क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
ख) (जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	12300742773	12,300.74	12300742773	12,300.74
ग) परिशोधित इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (करोड़ रुपये में)	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (करोड़ रुपये में)
बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	12300742773	12,300.74	12300742773	12,300.74
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/अभिदत्त शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	-	-	-	-
घटाएं : शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	-	-
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	12300742773	12,300.74	12300742773	12,300.74
घ) इक्विटी शेयरों के राइट्स, प्रेफरेंस और प्रतिबंध				
कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित 2460148555 शेयर 25.08.2012 तक लाक-इन के अधीन हैं।				
ङ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
- भारत के राष्ट्रपति	10623368758	86.36	10623368758	86.36
च) पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान				
अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित कुल शेयरों की संख्या				शून्य
पूर्ण प्रदत्त के रूप में बोनस शेयर के रूप में आवंटित इक्विटी शेयरों की कुल संख्या				शून्य
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या				शून्य

टिप्पणी संख्या 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

विवरण	31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
	(करोड़ रूपए में)			
क) सहायता अनुदान -आरक्षी				
तुलन-पत्रक के अनुसार	1172.16		1202.95	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	90.96		33.93	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	57.73		55.81	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजन	(1.71)		8.91	
तुलन-पत्रक की तारीख पर	1,207.10		1,172.16	
ख) शेयर प्रीमियम खाता	2,868.74		2,868.74	
ग) बांड शोधन आरक्षित				
तुलन-पत्रक के अनुसार	299.75		214.00	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	129.13		100.00	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	14.25		14.25	
तुलन-पत्रक की तारीख पर	414.63		299.75	
घ) स्व बीमा निधि				
तुलन पत्रक के अनुसार	740.29		696.98	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	32.48		43.36	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-		0.05	
	772.77		740.29	
घटाएं : स्व बीमा निधि से वसूली योग्य दावे	4.64		3.21	
तुलन-पत्रक की तारीख पर	768.13		737.08	
ङ) सामान्य आरक्षी	4,120.06		4,120.06	
च) अधिशेष *	6,964.38		5,028.52	
कुल	16,343.04		14,226.31	
*अधिशेष				
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	3,085.58		2,316.16	
अग्रणीत शेष	5,028.52		3,703.76	

टिप्पणी संख्या 3 : आरक्षित तथा अधिशेष (जारी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
जोड़े :		
i) बांड विमाचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि	14.25	14.25
ii) स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि	-	0.05
iii) लाभांश पर कर -पश्चलिखित	3.25	1.80
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष	8,131.60	6,036.02
i) बांड विमाचन आरक्षी को अंतरित	129.13	100.00
ii) स्व बीमा निधि को अंतरित	32.48	43.36
iii) लाभांश :		
- प्रस्तावित	861.05	738.04
- अंतिम	0.01	
iv) लाभांश पर कर		
- प्रस्तावित	144.55	126.10
अग्रणीत शेष	6,964.38	5,028.52

टिप्पणी संख्या 4 : शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन	-	-

टिप्पणी संख्या 5 : दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) बॉण्ड्स		
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे क देखें)	3,551.00	2,342.00
ख) सावधि ऋण		
• बैंकों से		
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ख देखें)	3,643.19	2,613.76
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ग देखें)	2,405.90	2,245.28
• अन्य पार्टियों से		
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे घ देखें)	6,744.11	7,204.87
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ङ देखें)	1,568.42	1,217.71
	17,912.62	15,623.62
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-	-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	2,575.88	2,462.99
31.03.2012 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-	-
31.03.2012 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-	-
विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण		
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत		
बॉण्ड - क्यू शृंखला *6	1,266.00	-
(1,00,000/- रूपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है)		
(12.3.2016 से 12.03.27 के बीच 105.50 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)		
बॉण्ड - पी शृंखला *5, 7 और 10	2,000.00	2,000.00
(10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय सुरक्षित विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड)		
(01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)		
बॉण्ड - ओ शृंखला *2	285.00	342.00
(10,00,00,000/- रूपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूललधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है)		
(31.03.2009 से 31.03.2018 के बीच 57 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन)		
कुल बॉण्ड (क)	3551.00	2342.00

टिप्पणी संख्या 5 : दीर्घावधि ऋण (जारी)

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(ख) सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)		
केनरा बैंक *1	-	17.00
स्टेट बैंक आफ पटियाला *1	16.00	20.00
(31.03.012 को 8.36 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 छमाही किस्तों में 09.07.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
केनरा बैंक *4	-	10.00
केनरा बैंक *2	80.00	100.00
(6.86 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
सिंडिकेट बैंक *2	73.20	91.50
(7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2	80.00	100.00
(7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 31.03.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2	80.00	90.00
(7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
इंडियन बैंक *1	33.33	66.67
(31.03.012 को 10.16 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 33.33 करोड़ रुपये एक किस्त में पुनर्भुगतान योग्य)		
इंडियन बैंक *4 और 9	75.00	75.00
(31.03.012 को 11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 29.09.2014 को 5वें वर्ष के बाद 75 करोड़ रुपये का एकबारगी पुनर्भुगतान)		
यूको बैंक *8	958.33	1,000.00
(31.03.012 को 11.35 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 23 छमाही किस्तों में 31.12.2023 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
कारपोरेशन बैंक *11	500.00	-
(31.03.012 को 10.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 06.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
केनरा बैंक *11	150.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 16.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
इंडियन ओवरसीज बैंक *11	150.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 16.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
पंजाब एंड सिन्ध बैंक *11	150.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 17.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
इंडसइंड बैंक *11	100.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2.083 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 24.01. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
सिंडिकेट बैंक *11	150.00	-
(31.03.012 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 02.02. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
यूनियन बैंक आफ इंडिया *11	150.00	-
(31.03.012 को 10.65 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.125 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 03.02. 2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया *13	187.20	218.40
(31.03.012 को 11.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 15.60 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
देना बैंक *13	158.52	184.93
(31.03.012 को 11.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 13.21 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		

टिप्पणी संख्या 5 : दीर्घावधि ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
देना बैंक *13 (31.03.012 को 11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 11.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की 13 समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)	143.54	166.04
एचडीएफसी बैंक *13 (31.03.012 को 11.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 18.63 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)	223.53	260.79
एचडीएफसी बैंक *13 (31.03.012 को 11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 11.195 करोड़ रुपये प्रत्येक की 13 समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)	145.54	167.93
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया *13 (31.03.012 को 11.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 03.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)	39.00	45.50
कुल सावधि ऋण-बैंक (प्रतिभूत)	3,643.19	2,613.76
(ग) सावधि ऋण-अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा		
i) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-I *12 (31.03.012 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.66 करोड़ रुपये प्रत्येक की 26 छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	199.21	186.21
ii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-II *12 (31.03.012 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 25.13 करोड़ रुपये प्रत्येक की 30 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	754.05	698.15
iii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-III *12 (31.03.012 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 18.57 करोड़ रुपये प्रत्येक की 41 छमाही किस्तों में 20.03.2014 से 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	761.20	660.72
iv) ड्युश बैंक और अन्य *12 (0.57 प्रतिशत छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर की अस्थिर ब्याज दर पर 57.62 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 छमाही किस्तों में 18.10.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)	691.44	700.20
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	2,405.90	2,245.28
(घ) सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)		
भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7 100 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 2400 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 16 छमाही किस्तों में 15.04.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	1,666.67	1,875.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *6 (9.12 प्रतिशत औसत ब्याज दर पर 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान छमाही किस्तों में 30.04.2012 से 30.04.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)	1,738.00	1,896.00
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8 (31.03.2012 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 34 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	637.50	542.45
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8 (31.03.2012 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	102.30	120.90
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8 (31.03.2012 को 9.90 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 34 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	59.50	66.50
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2 और 3 (31.03.2012 को 8.79 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रुपये प्रत्येक की 33 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	1,202.02	1,139.60
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (31.03.2012 को 8.62 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रुपये प्रत्येक की 25 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	258.13	299.42
पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (31.03.2012 को 8.62 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 27 समान तिमाही किस्तों में 15.01.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	337.50	387.50

टिप्पणी संख्या 5 : दीर्घावधि ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *14 (31.03.2012 को 10.80 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 67.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 11 समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	742.49	877.50
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	6,744.11	7,204.87
(ड) सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)		
विदेशी मुद्रा		
i) निर्यात विकास कनाडा *12 (31.03.2012 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 11.71 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 15.03.2014 तक और 24.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 06 समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	169.98	217.71
केन्द्र सरकार से ऋण - अप्रतिभूत		
निम्नो - बाज़गो जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष से 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)	270.00	270.00
चुटक जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (2.5 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद छठे वर्ष से 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)	364.00	364.00
किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा)	764.44	366.00
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	1,568.42	1,217.71
समग्र योग (क + ख + ग + घ + ड)	17,912.62	15,623.62

* प्रतिभूति का विवरण

- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-II के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
- मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्वती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-III जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता-5 जल विद्युत परियोजनाओं की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित। क्यू शुंखला बांडों के लिए प्रतिभूति सृजन का कार्य प्रक्रियाधीन है और कम्पनी रजिस्ट्रार, रा. रा. क्षे. दिल्ली और हरियाणा के साथ रेहन/बंधक संबंधी पंजीकरण अभी किया जाना है।
- उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी की चुटक जल विद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी की निम्नो-बाज़गो जल विद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी की उड़ी जल विद्युत परियोजना और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ड(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
- बैंकों से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और इंदिरा सागर परियोजना की सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित हैं।
- पावर फाइनेंस कारपोरेशन (अन्य पार्टियां) से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और ओमकारेश्वर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित हैं।

टिप्पणी संख्या 6 : स्थगित कर देयताएं / परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
स्थगित कर देयताएं		
i) मूल्यहास	3418.78	3405.47
घटाएं : स्थगित कर परिसंपत्तियां		
i) संदिग्ध ऋणों, स्व बीमा और अन्य के लिए प्रावधान	77.93	121.81
ii) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	233.15	171.11
स्थगित कर देयता	3,107.70	3,112.55
घटाएं : वूसली योग्य	2,757.34	2,835.19
स्थगित कर देयता (निवल)	350.36	277.36

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 "आय पर कर" का अनुपालन करते हुए 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 4.85 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 48.44 करोड़) स्थगित कर परिसम्पत्ति के रूप में सृजित किए गए हैं। इससे स्थगित कर देयता में समकक्ष राशि की कमी आयी है।

टिप्पणी संख्या 7 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) व्यापार देयताएं		
i) सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों का कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक देय रुपये शून्य)	-	-
ii) मध्यम आकार के औद्योगिक उद्यम का कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया रुपये शून्य)।	-	-
iii) अन्य	-	-
ख) अन्य		
i) जमा/प्रतिधारण निधि	308.39	324.80
ii) अग्रिम प्राप्त आय	1,432.71	1,464.12
iii) विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	331.88	249.54
	2,072.98	2,038.46

टिप्पणी संख्या 8 : दीर्घावधि प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
तुलन पत्रक के अनुसार	1043.33	773.78
वर्ष के दौरान संवर्धन	181.59	270.21
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	0.66
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	34.28	-
अंतिम शेष	1,190.64	1,043.33
क) अन्य		
प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान		
तुलन पत्रक के अनुसार	22.80	12.68
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	10.61
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	12.94	0.49
अंतिम शेष	9.86	22.80
	1,200.50	1,066.13

टिप्पणी संख्या 9 : अल्पावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) अल्पावधि ऋण		
• बैंकों से		
- प्रतिभूत #	180.00	-
	<u>180.00</u>	<u>-</u>
निदेशकों द्वारा प्रत्याभूत ऋणों की कुल राशि	-	-
अन्य-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋणों की कुल राशि	-	-
31.03.2012 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक राशि	-	-
31.03.2012 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की अवधि	-	-
# (नियत कालिक जमा के प्रति जे एण्ड के बैंक से गारंटी)		

टिप्पणी संख्या 10 : व्यापार देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (30 से अधिक देय-शून्य रुपये)	0.05	-
ख) मझोले उद्यमों की कुल बकाया राशि (30 से अधिक देय-शून्य रुपये)	0.01	-
ग) अन्य	227.46	250.53
	<u>227.52</u>	<u>250.53</u>

टिप्पणी संख्या 11 : अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) दीर्घावधि ऋण बांड/ऋणपत्रों की वर्तमान परिपक्वताएं		
- प्रतिभूत	57.00	57.00
सावधि ऋण		
• बैंकों से		
- प्रतिभूत	320.56	291.40
- अप्रतिभूत	180.83	156.96
• अन्य पार्टियों से		
- प्रतिभूत	838.93	577.68
- अप्रतिभूत	72.28	64.96
ख) ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	212.17	215.37
ग) अग्रिम प्राप्त आय	46.72	43.44
घ) अदा न किया गया लाभांश	2.43	1.21
ङ) पूंजी कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	526.68	502.96
च) जमा/प्रतिधारण निधि	135.66	75.45
छ) जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि	0.04	-
ज) सांविधिक देयताएं	245.91	247.17
झ) अन्य देयताएं	172.63	150.79
ञ) डिपोजिट कार्यों के प्रति अग्रिम	255.99	242.19
घटाएं : डिपोजिट कार्यों पर व्यय की गई राशि	<u>252.45</u>	<u>229.03</u>
ट) परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4,090.29	3,624.66
घटाएं : परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	3,768.64	3,240.49
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(4.02)	-
	3,764.62	325.67
	<u>3,141.05</u>	<u>2,781.72</u>

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

उपरोक्त (क) पर वर्णित दीर्घावधि ऋणों के विमोचन, ब्याज की दर पुनर्भुगतान की शर्तें और प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत चालू परिपक्वताओं का ब्योरा टिप्पणी संख्या पांच में दिया गया है।

टिप्पणी संख्या 12 : अल्पावधि प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	84.81	87.65
वर्ष के दौरान वर्धन	151.07	145.62
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	123.40	119.55
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.95	28.91
अंतिम शेष	108.53	84.81
ख) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	733.71	717.93
वर्ष के दौरान वर्धन	39.83	212.26
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	580.74	189.61
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	43.67	6.87
सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि में अंतरित राशि	117.97	-
अंतिम शेष	31.16	733.71
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	24.91	160.87
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	6.25	572.84
ग) उत्पादकता सहयोजित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	131.25	46.78
वर्ष के दौरान वर्धन	94.23	133.12
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	75.18	37.00
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.61	11.65
अंतिम शेष	146.69	131.25
घटाएं : पीआरपी के प्रति अग्रिम	19.79	-
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	126.90	131.25
घ) सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वर्धन	105.24	-
मजदूरी संशोधन प्रावधान से अंतरित राशि	117.97	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-
अंतिम शेष	223.21	-
ङ) अन्य		
i) कराधान हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1280.62	810.04
वर्ष के दौरान वर्धन	878.58	647.39
वर्ष के दौरान समायोजन	0.39	(0.35)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	241.06	172.66
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	4.15	3.80
अंतिम शेष	1,914.38	1,280.62
ii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	738.04	676.54
वर्ष के दौरान वर्धन	861.05	738.04
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	738.04	676.54
अंतिम शेष	861.05	738.04

टिप्पणी संख्या 12 : अल्पावधि प्रावधान (जारी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
iii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	126.10	115.89
वर्ष के दौरान वर्धन	149.23	126.10
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	122.85	114.09
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.25	1.80
अंतिम शेष	149.23	126.10
iv) प्रावधान - अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	689.71	115.67
वर्ष के दौरान वर्धन	101.28	578.42
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	44.76	2.29
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	348.36	2.09
अंतिम शेष	397.87	689.71
v) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वर्धन	34.60	0.00
अंतिम शेष	34.60	-
vi) कारपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु प्रावधान व्यय		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	8.80	-
वर्ष के दौरान वर्धन	16.13	8.80
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	8.67	0.00
अंतिम शेष	16.26	8.80
vii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	240.42	167.73
वर्ष के दौरान वर्धन	470.98	93.36
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	22.20	15.67
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2.49	5.00
अंतिम शेष	686.71	240.42
	4,524.99	3,872.59

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- 01.01.2007 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए प्रावधान, जो पिछले वर्ष तक जारी था, अब उसका समाधान हो गया है, लेकिन उसमें से 31.16 करोड़ रुपये अभी देय हैं, क्योंकि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अभाव में कार्मिक समायोजन वेतन (फिटमेंट बेनिफिट) के मुद्दे का समाधान अभी नहीं हुआ है। इसके लिए 24.91 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई है, जिसे "अग्रिम भुगतान" के रूप में दर्शाया गया है।
- लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन लंबित रहते 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 105.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 31.03.2011 से पहले की अवधि से संबद्ध 47.28 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो चालू वर्ष के दौरान पूर्व अवधि मद में रखे गए हैं, जिन्हें मिलाकर संचयी प्रावधान 31.03.2012 को 223.21 करोड़ रुपये हो जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन 13.04.2012 से शुरू हो गया है, जो पूर्व-प्रभाव अर्थात् 01.01.2007 से लागू की गई है।
- लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए बजट में निर्धारित लेकिन खर्च न की गई राशि के लिए सीएसआर व्यय हेतु प्रावधान किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि खर्च न की गई राशि को अकालातीत निधि के रूप में रखा जाए। इस तरह किए गए प्रावधान को अगले वर्ष के बजट में शामिल किया जाएगा ताकि सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च न की गई राशि खर्च की जा सके। लोक उद्यम विभाग से उपरोक्त व्यवहार के बारे में पुष्टि लंबित रहते, अलग से कोई धन निर्धारित नहीं किया गया है और अकालातीत बजट राशि को खर्च करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
- स्थायी समिति की शिफारिशों के आधार पर तीस्ता-5 परियोजना की बढ़ी हुई लागत के लिए 345.74 करोड़ रुपये वर्ष 2010-11 में अन्य प्रावधान में शामिल किए गए थे और तदनुसार उन्हें अचल परिसंपत्तियों में दर्शाया गया था। वित्त मंत्रालय ने निर्णय किया है कि इस तरह बढ़ी हुई लागत को हर मामले के गुण-दोष के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। अतः पिछले वर्ष किया गया प्रावधान प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। नतीजतन अन्य आय के अंतर्गत 42.97 करोड़ रुपये मूल्यहास के रूप में पथ लिखित किए गए हैं।
- प्रावधान-अन्य समूह के अंतर्गत प्रावधानों में से 14.19 करोड़ रुपये की राशि प्रोटेस्ट के अंतर्गत जमा की गई थी और उसे टिप्पणी संख्या 22 में "जमा राशियां" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- प्रतिबद्ध पूंजी के लिए प्रावधान के अंतर्गत सीएएमपीए निधि (प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण) के लिए 470.98 करोड़ का परिव्यय शामिल है जो ओमकारेश्वर परियोजना के लिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन संबंधी दायित्व के संदर्भ में है।

टिप्पणी संख्या 13.1 : गोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्याक		मूल्यहास			निवल ब्याक			
		01.04.2011	संवर्द्धन	कमी	31.03.2012	01.04.2011	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2012	31.03.2011
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	217.84	10.86	2.97	225.73	-	-	-	225.73	217.84
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	121.27	212.93	-	334.20	9.71	10.57	0.51	20.79	313.41
iii)	सड़कें और पुल	367.18	15.54	3.54	379.18	73.11	14.41	(0.33)	87.19	291.99
iv)	भवन	2,479.58	58.61	39.13	2,499.06	612.53	86.97	(3.20)	696.30	1,802.76
v)	रेलवे साइडिंग्स	40.18	0.13	-	40.31	12.14	2.69	-	14.83	25.48
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	15,351.64	124.39	790.42	14,685.61	3,477.14	674.15	(120.31)	4,030.98	10,654.63
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,434.75	49.09	14.29	7,469.55	2,025.75	337.25	(1.46)	2,361.54	5,108.01
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	108.56	3.01	-	111.57	44.94	4.75	-	49.69	61.88
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	67.09	2.44	-	69.53	15.69	3.54	-	19.23	50.30
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	30.38	0.97	0.20	31.15	11.75	1.44	(0.06)	13.13	18.63
xi)	निर्माण उपकरण	81.51	2.69	2.37	81.83	53.98	4.97	(0.31)	58.64	23.19
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	33.30	6.00	0.22	39.08	4.59	1.32	(0.02)	5.89	33.19
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	3.54	0.37	0.01	3.90	1.20	0.19	(0.01)	1.38	2.52
xiv)	वाहन	27.19	2.18	0.99	28.38	19.97	0.73	(0.53)	20.17	8.21
xv)	विमान/नौकाएं	0.79	0.11	0.29	0.61	0.54	0.02	(0.21)	0.35	0.25
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	46.95	4.03	0.78	50.20	20.72	3.36	(0.25)	23.83	26.37
xvii)	कम्प्यूटर	61.07	7.46	3.64	64.89	48.07	5.65	(2.54)	51.18	13.71
xviii)	संचार उपकरण	13.85	0.71	0.40	14.16	5.58	0.76	(0.26)	6.08	8.08
xix)	कार्यालय उपकरण	40.97	4.03	1.51	43.49	16.64	2.52	(0.59)	18.57	24.92
xx)	अनुसंधान और विकास	1.41	-	-	1.41	0.29	0.09	-	0.38	1.03
xxi)	अन्य आस्तियां	45.30	5.19	1.16	49.33	18.80	2.52	(0.53)	20.79	28.54
xxii)	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	43.50	3.90	0.16	47.24	17.13	4.07	-	21.20	26.04
xxiii)	गौण मूल्य की अवल आस्तियां > 750 और < 5000 रुपए	17.83	1.30	0.84	18.29	17.82	1.03	(0.57)	18.28	0.01
xxiv)	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	2.64	0.09	0.94	1.79	-	-	-	-	1.79
	कुल	26,638.32	516.03	863.86	26,290.49	6,508.09	1,163.00	(130.67)	7,540.42	18,750.07
	पिछले वर्ष	25,066.73	1,631.13	59.53	26,638.33	5,433.67	1,188.44	(114.04)	6,508.07	20,130.26
										19,633.06

टिप्पणी संख्या 13.2 : अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक		
		01.04.2011	संवर्द्धन	कमी	31.03.2012	01.04.2011	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2012	31.03.2011
i)	भूमि-अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार	2,933.40	1,030.68	0.02	3,964.06	336.18	115.60	80.99	532.77	3,431.29
ii)	अगोचर आस्तियां/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	36.99	1.56	0.05	38.50	33.80	3.45	(0.01)	37.24	1.26
	कुल	2,970.39	1,032.24	0.07	4,002.56	369.98	119.05	80.98	570.01	3,432.55
	पिछले वर्ष	2,944.97	42.72	17.30	2,970.39	276.41	93.52	0.04	369.97	2,600.42
										2,668.56

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- 1) 281.98 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 60.60 करोड़ रुपये) मूल्य की 2417.76 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2192.36 हेक्टेयर) भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/परित किए जाने हैं। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टैम्प शुल्क आदि व्यय को घटित होने के बाद हिसाब में लिया जाएगा।
- 2) भूमि के अंतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए पट्टे पर ली गई जमीन शामिल नहीं है।
- 3) गोचर परिसंपत्तियों में वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 8198.87 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 8832.93 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 4) परिसंपत्तियों में कमी/समायोजन के अंतर्गत तीस्ता-5 पॉवर स्टेशन की गोचर संपत्तियों के संदर्भ में रुपये 345.74 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो पिछले वर्ष प्रावधान प्रत्यावर्तित होने से संबद्ध है। (टिप्पणी संख्या 12 की स्पष्टीकरण टिप्पणी-4 देखें।)

- 5) सकल ब्लॉक के अंतर्गत संवर्द्धन/समायोजन में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर शामिल हैं जो इस प्रकार थे :-

(करोड़ रुपये में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	
सड़कें और पुल	0.70
भवन	7.29
जल वैज्ञानिक कार्य	72.93
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	24.86
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	0.15
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	0.07
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	0.04
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	0.03
कुल	106.07

टिप्पणी संख्या 14.1 : चालू पूंजी कार्य

(करोड़ रूपए में)

विवरण	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2012
i) सड़कें और पुल	74.46	12.94	4.99	13.89	78.50
ii) भवन	1,110.52	270.23	(1.26)	49.60	1,329.89
iii) रेलवे साइडिंग्स	-	0.75	-	0.75	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,554.64	1,141.75	(9.56)	9.40	6,677.43
iv) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,678.26	468.43	(0.63)	7.36	4,138.70
v) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	7.16	0.33	-	0.10	7.39
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	0.72	3.36	-	1.43	2.65
vii) संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	2.72	5.04	(0.61)	0.24	6.91
viii) निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
ix) जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	2.54	3.48	0.21	5.25	0.98
x) संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	2.98	39.63	(1.33)	29.67	11.61
xi) उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	118.81	8.18	(16.22)	3.90	106.87
xii) सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	201.06	38.13	(0.50)	-	238.69
xiii) प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	-	0.63	-	-	0.63
xiv) निर्माण के दौरान खर्च	5,123.46	1,630.62	1.23	-	6,755.31
घटाएं : प्रावधानों के लिए	34.71	81.89	-	-	116.60
उप जोड़ (क)	15,842.62	3,541.61	(23.68)	121.59	19,238.96
*अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 33 देखें					
निर्माण भंडार	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	प्रयुक्त	31.03.2012
i) भंडार एवं कलपुर्जा	63.25	214.73	(104.41)	108.93	64.64
ii) खुले औजार	0.04	0.03	(0.01)	0.01	0.05
iii) रद्दी मालसूची	-	-	-	-	-
iv) परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	0.66	0.02	(0.65)	0.02	0.01
v) संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री	103.50	198.96	(72.48)	131.77	98.21
घटाएं : अप्रचलित निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.70	1.75	(0.25)	-	3.20
उप जोड़ (ख)	165.75	411.99	(177.30)	240.73	159.71
समग्र जोड़	16,008.37	3,953.60	(200.98)	362.32	19,398.67
पिछले वर्ष	12,957.18	4,291.65	(111.93)	1,128.94	16,007.96

टिप्पणी - व्याख्यात्मक 14 :-

- निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 760.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 668.48 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुबानसिरी-अपर परियोजना स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) को सौंपने में रुचि प्रदर्शित की है, जिस पर एनएचपीसी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। भारत सरकार के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है और निर्णय के लंबित रहते 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इस परियोजना पर 0.36 करोड़ रुपये पूंजी व्यय के रूप में खर्च किए गए हैं जिसके लिए प्रचुर सावधानी के रूप में प्रावधान किया गया है, जो 31.03.2011 को पहले से किए गए 19.97 करोड़ रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त है। पिछले वर्ष यह प्रावधान 20.04.2004 से 31.03.2011 तक इस परियोजना पर किए गए व्यय के लिए किया गया था। इस अवधि में परियोजना निलम्बन के अंतर्गत थी। प्रबंधन की राय है कि इसके लिए और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि परियोजना पर हुए व्यय की वसूली सुनिश्चित है, क्योंकि विद्युत मंत्रालय ने स्वतंत्र बिजली उत्पादक को सौंपी जाने वाली परियोजना के बारे में पहले से फार्मूला तय कर रखा है जिसके तहत आईपीपी को परियोजना हस्तांतरित होने की स्थिति में आईपीपी द्वारा खर्च की अदायगी की जाएगी।
- कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं पर सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए 905.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 759.90 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं और इस व्यय को सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया है। इस धन में से 20.33 करोड़ रुपये के प्रावधान के संदर्भ में 280.55 करोड़ रुपये निवल (पिछले वर्ष 19.97 करोड़ रुपये के प्रावधान के संदर्भ में 232.56 करोड़ रुपये निवल) संयुक्त उद्यम/विकासक से वसूल किए जाने की संभावना है। 604.59 करोड़ रुपये की बकाया राशि (पिछले वर्ष 507.37 करोड़ रुपये) कम्पनी की परियोजनाओं से संबद्ध है, जिसमें से उन परियोजनाओं के संदर्भ में, जिनके साथ अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं, के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में 81.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया है। अन्य परियोजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण और अन्वेषण के बकाया 536.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 436.82 करोड़ रुपये) का प्रावधान जारी रखा गया है क्योंकि इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उपयुक्त निश्चितता बरकरार है।
- सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।
- पकल दुल, किरू और क्वार जल विद्युत परियोजनाएं संयुक्त उद्यम कम्पनी के जरिए निष्पादित की जानी हैं, जिसमें जम्मू-कश्मीर सरकार की भागीदारी होगी। इसके लिए मेसर्स चिनाब वेली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के संयुक्त उद्यम कम्पनी को सौंपे जाने का कार्य लंबित रहते 31.03.2012 तक कम्पनी द्वारा इन परियोजनाओं पर किए गए क्रमशः 172.70 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 145.71 करोड़ रुपये) और 83.06 करोड़ रुपये (61.67 करोड़ रुपये) के खर्च को चालू पूंजी कार्यों में शामिल किया गया है।
- अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 3787.84 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3071.41 करोड़ रुपये) के व्यय सहित सीडब्ल्यूआईपी को संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

टिप्पणी संख्या 14.2 : विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2012
i) विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 15 : गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2012 को			31 मार्च 2011 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	राशि (करोड़ रुपये में)
क. व्यापार उद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्ण प्रदत्त)	12000000	10	12.00	12000000	10.00	12.00
व्यापार-अनुद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त निम्नांकित राज्य सरकारों के विशेष बॉण्ड						
अरुणाचल प्रदेश	2916	1000	0.29	3888	1000	0.39
बिहार	57210	1000	5.72	76280	1000	7.63
हरियाणा	1695000	1000	169.50	2260000	1000	226.00
हिमाचल प्रदेश	53604	1000	5.36	71472	1000	7.15
जम्मू कश्मीर	2312088	1000	231.21	3082784	1000	308.28
झारखंड	42930	1000	4.29	57240	1000	5.72
मेघालय	1596	1000	0.16	2128	1000	0.21
मिजोरम	9630	1000	0.96	12840	1000	1.28
नागालैंड	20760	1000	2.08	27680	1000	2.77
पंजाब	668430	1000	66.84	891240	1000	89.12
राजस्थान	85473	1000	8.55	85464	1000	8.55
सिक्किम	7008	1000	0.70	9344	1000	0.93
त्रिपुरा	8004	1000	0.80	10672	1000	1.07
उत्तर प्रदेश	2360670	1000	236.07	3147560	1000	314.76
उत्तराखंड	262290	1000	26.23	349720	1000	34.97
पश्चिम बंगाल	20166	1000	2.02	26888	1000	2.69
उप जोड़ (क)			772.78			1023.52
ख. गैर-व्यापार उद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
इंडियन ओवरसीज बैंक	360800	10	0.36	360800	10	0.36
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश-(स्व बीमा निधि)						
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150000	10000	150.77	150000	10000	150.77
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	10000	12.26	12380	10000	12.26
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	10000	52.94	-	-	-
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000	10000	34.62	35000	10000	34.62
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स-(स्व बीमा निधि)						
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	467	1000000	45.97	467	1000000	45.97
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	688	1000000	69.63	688	1000000	69.63
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	30	1000000	2.99	30	1000000	2.99
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2030	150	1000000	15.13	150	1000000	15.13
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	51	1000000	5.16	51	1000000	5.16
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	40	1250000	5.04	40	1250000	5.04
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2025	477	1000000	47.36	477	1000000	47.36
8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बांड्स 2035	120	1000000	12.09	120	1000000	12.09
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2020	600	1000000	59.93	600	1000000	59.93
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बांड्स 2021	230	1000000	23.05	-	-	-
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	156	1250000	19.51	156	1250000	19.51
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	364	1250000	45.52	364	1250000	45.52
उप-जोड़ (ख)			632.33			556.34
कुल (क + ख)			1405.11			1579.86
उद्भूत निवेश						
(i) समग्र लागत			644.33			568.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य			701.01			660.38
(iii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान			-			-
अनुद्भूत निवेश						
समग्र लागत			760.78			1011.52
लेखांकन नीति संख्यां 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी संख्या 16 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
क) पूंजी अग्रिम		
i) प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	89.98	61.97
ii) अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- बैंक गारंटी के बदले	720.63	928.12
- अन्य	169.01	169.60
iii) अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.06	0.06
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	0.06	0.06
ख) जमा राशियां	34.73	40.68
ग) अन्य ऋण और अग्रिम		
i) कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	92.73	86.59
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	40.83	11.44
ii) ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	88.77	114.13
iii) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00	225.00
	1,461.68	1,637.53
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान *1		
प्रारम्भिक शेष	0.06	0.22
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.16
अंतिम शेष	0.06	0.06
	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा		
वर्ष के अंत में बकाया राशि	0.04	0.07

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।। पूंजी अग्रिम (प्रतिभूत-अच्छे समझे गए) के अंतर्गत रेहन रखे गए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य के रूप रु. 63.53 करोड़ शामिल हैं जो एक ठेकेदार का अनुबंध निरस्त होने पर नियंत्रण में लिए गए। इस प्रकार नियंत्रण में लिए गए संयंत्र एवं मशीनरी को अभी बहियों में हिसाब में नहीं लिया गया है।

टिप्पणी संख्या 17 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
क) दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	199.14	8.95
ख) अन्य		
i) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज		
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	114.30	86.21
- अन्य	0.18	12.25
ii) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	1,067.28	772.20
iii) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव खाते में विलंबित परिसम्पत्तियों पर व्यय	0.17	0.16
	1,381.07	879.77

टिप्पणी संख्या 18 : चालू निवेश

विवरण	31 मार्च, 2012 को			31 मार्च, 2011 को		
	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रुपए में)
दीर्घावधि निवेशों की वर्तमान परिपक्वताएं						
व्यापार अनुद्धत						
i) निम्नांकित राज्य सरकारों के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त विशेष बॉण्ड						
अरुणाचल प्रदेश	972	1000	0.10	972	1000	0.10
बिहार	19070	1000	1.91	19070	1000	1.91
हरियाणा	565000	1000	56.50	565000	1000	56.50
हिमाचल प्रदेश	17868	1000	1.79	17868	1000	1.79
जम्मू कश्मीर	770696	1000	77.07	770696	1000	77.07
झारखंड	14310	1000	1.43	14310	1000	1.43
मेघालय	532	1000	0.05	532	1000	0.05
मिजोरम	3210	1000	0.32	3210	1000	0.32
नागालैंड	6920	1000	0.69	6920	1000	0.69
पंजाब	222810	1000	22.28	222810	1000	22.28
राजस्थान	-	-	-	28500	1000	2.85
सिक्किम	2336	1000	0.23	2336	1000	0.23
त्रिपुरा	2668	1000	0.27	2668	1000	0.27
उत्तर प्रदेश	786890	1000	78.69	786890	1000	78.69
उत्तराखंड	87430	1000	8.74	87430	1000	8.74
पश्चिम बंगाल	6722	1000	0.67	6722	1000	0.67
कुल			250.74			253.59
अनुद्धत निवेश						
संचयी लागत			250.74			253.59
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार						

टिप्पणी संख्या 19 : मालसूची

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को		31 मार्च 2011 को	
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	68.37		61.22	
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	1.56	69.93	1.74	62.96
ii) खुले औजार		1.77		1.46
iii) रद्दी मालसूची		0.50		2.53
iv) निर्माण स्थल पर सामग्री		1.59		0.97
v) संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री		0.66		0.29
vi) घटाएं : अप्रचलित निर्माण भंडार के लिए प्रावधान *1		24.85		29.00
		49.60		39.21
अप्रचलित निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान *1				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		29.00		23.16
वर्ष के दौरान वर्धन		1.63		16.96
वर्ष के दौरान समायोजन		1.57		10.17
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		4.22		0.95
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		24.84		29.00
अंतिम शेष				

टिप्पणी संख्या 20 : व्यापार प्राप्य

(करोड़ रूप में)

विवरण	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य (भुगतान देय होने की तारीख से)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	257.02	172.51
- संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए	192.38	194.44
ख) अन्य व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1,990.07	397.66
- घटाए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1	192.38	194.44
	2,247.09	570.17
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1		
प्रारम्भिक शेष	194.44	194.44
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0.39	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.66	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.79	-
अंतिम शेष	192.38	194.44

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।
- व्यापार प्राप्यों के अंतर्गत मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्ववर्ती डेसू) से वसूली योग्य 120.81 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 120.81 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है, जो वित्त वर्ष 1996-97 से पहले की अवधि से संबंधित है। इस राशि की वसूली के प्रयास विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ किए जा रहे हैं। किन्तु प्रचुर सावधानी के रूप में 2008-09 के दौरान बहियों में समूची राशि के लिए प्रावधान किया गया था।

टिप्पणी संख्या 21 : नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रूप में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) नकदी एवं नकदी समकक्ष		
i) हस्तगत नकदी (रु. 0.009 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.009 करोड़) के स्टैम्प शामिल हैं।)	0.31	1.22
ii) हस्तगत चैक, ड्राफ्ट	0.06	19.25
iii) बैंकों में शेष राशि		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में - अन्य	135.48	166.56
- जमा खाते में - आईपीओ प्राप्तियां	-	94.39
- अन्य	885.00	1,055.13
• अन्य बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
- बैंक ऑफ भूटान, फ्यून्सोलिंग	0.63	0.58
# तीन महीने या कम की परिपक्वता के साथ जमा		
ख) अन्य बैंकों में शेष		
i) बैंकों में शेष (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि)		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- जमा खाते में - स्वबीमा निधि	10.28	63.41
- आईपीओ प्राप्तियां	1,522.00	400.00
- अन्य	4,684.65	2,093.09
ii) जमा खाता - अदा न किया लाभांश	2.43	1.21
iii) 12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ बैंकों में शेष		
- सावधि जमा-आईपीओ प्राप्तियां में से इस्तेमाल न की गई निधि	250.00	1,900.00
- सावधि जमा-अन्य	271.48	925.50
- सावधि जमा-स्व-बीमा निधि	33.00	30.95
	7,795.32	6,751.29

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2012 तक 2214.99 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तिओं से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 1772 करोड़ रुपये बैंक जमा के रूप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।
- साख-पत्र या ऐसी ही अन्य सुविधा के लिए बैंकों में रखी जाने वाली मार्जिन राशि के रूप में नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 0.13 रुपये (पिछले वर्ष 57.88 करोड़ रुपये) रखे गए। यह राशि 31.03.2012 को उपलब्ध नहीं है।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 466.87 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 486.44 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 180.00 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो अल्पावधि की समकक्ष ऋण राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं, अतः 31.03.2012 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं। (टिप्पणी संख्या 9 देखें)।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 2.48 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर बैंक में रखे गए हैं। अतः 31.03.2012 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी संख्या 22 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) ऋण		
i) सम्बद्ध पक्षों को		
ii) अन्यो को		
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	16.82	12.87
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	5.62	2.12
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.03	0.04
ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण	25.36	25.36
ख) अग्रिम		
i) सम्बद्ध पक्षों को	-	-
ii) अन्यो को		
कर्मचारी		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	26.34	4.54
संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	2.78	0.49
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- बैंक गारंटी के साथ	23.43	44.38
- अन्य	19.23	31.45
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0.32	0.27
अन्य अग्रिम		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1.60	1.56
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0.07	-
घटाएं : संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	0.35	0.31
अग्रिम आयकर और स्रोत पर काटा गया कर	1,994.25	1,348.27
ग) जमा राशियां	42.36	40.01
घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	0.51	
	2,157.35	1,511.05
प्रावधानों का ब्योरा		
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान *1		
प्रारम्भिक शेष	0.31	0.32
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0.05	0.01
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.01	0.02
अंतिम शेष	0.35	0.31
संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0.51	-
अंतिम शेष	0.51	-
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
i) वर्ष के अंत में बकाया राशि	0.01	0.01
ii) ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।		

टिप्पणी संख्या 23 : अन्य चालू आस्तियां

(करोड़ रूप में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-		
i) उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	32.97	32.97
ii) जमा राशियां		
- आईपीओ	152.91	69.64
- स्व-बीमा	16.04	3.28
- अन्य जमा राशियां	206.90	159.75
iii) अन्य	19.60	157.10
ख) बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां	1,218.41	1,617.60
ग) लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	84.35	19.89
घ) अन्य चालू आस्तियां	19.06	18.11
ङ) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे	357.46	160.82
घटाएं : संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान ड1	200.39	48.12
च) अन्य वसूली योग्य	2.05	0.74
छ) निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)	50.05	19.94
ज) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
घटाएं : बड़े खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	37.06	42.55
झ) बड़े खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाली हानियां	12.62	11.03
घटाएं : लंबित जांच वाली हानियों के लिए प्रावधान	12.62	5.54
	1,959.41	2,211.72
प्रावधानों के ब्यौरे		
संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *1		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	48.12	4.39
वर्ष के दौरान वर्धन	153.85	46.01
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.02	0.48
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.56	1.80
अंतिम शेष	200.39	48.12

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

- ग्राहकों के बकाया का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के अंतर्गत रु. 32.97 करोड़ (पिछले वर्ष 32.97 करोड़ रुपये) मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित हैं। इसके समान राशि अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत (टिप्पणी-11) दर्शायी गई है क्योंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को को प्रोत्साहनों के भुगतान के मुद्दे का अभी समाधान नहीं हुआ है।
- संदेहास्पद दावों के प्रति प्रावधान के अंतर्गत रु. 126.27 करोड़ शामिल हैं जो एक ठेकेदार को दिए गए अग्रिम पर वसूली योग्य ब्याज से संबंधित हैं, जो पर्याप्त सुरक्षा द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान उक्त ठेकेदार के संबंध में संविदा वर्ष के दौरान निरस्त कर दी गई थी। उक्त ठेकेदार को दिए गए अग्रिम की वसूली कंपनी के पास जमा बैंक गारंटियों के नकदीकरण के जरिए समायोजित की गई है और वसूली योग्य उक्त ब्याज के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में प्रावधान किया गया है।
- बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्रायों के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :- 1) आरओई में बढोतरी का अंतर रु. 430.46 करोड़ 2) जम्मू कश्मीर जल उपकर रु. 691.73 करोड़ 3) आरएलडीसी प्रभार रु. 33.05 करोड़ 4) विदेशी मुद्रा दर अन्तर रु. 88.26 करोड़ 5) कर समायोजन (-) रु. 29.74 करोड़ 6) एमईए बिक्री रु. 4.65 करोड़।

टिप्पणी संख्या 24 : प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रूप में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. बिक्री		
ऊर्जा की बिक्री	6,927.40	4,969.76
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर खाते में बिक्री समायोजन	(88.26)	(52.51)
घटाएं : टैरिफ समायोजन	34.60	-
घटाएं : विनियमित बिक्री समायोजन	57.38	-
घटाएं : बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (नोट 32ज (क) देखें)	-	0.59
उप-जोड़ क	6,747.16	4,916.66
ख. मूल्यहास के प्रति अग्रिम		
वर्ष के दौरान	19.03	0.20
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	47.16	48.53
उप-जोड़ ख	(28.13)	(48.33)
ग. संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
संविदा आय	54.57	89.74
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	90.47	88.92
उप-जोड़ ग	145.04	178.66
कुल योग (क)+(ख)+(ग)	6,920.33	5,143.65

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

- बिक्री का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित शुल्क दरों के अनुसार किया गया है। वर्ष 2009-14 की टैरिफ अवधि के लिए 12 पावर स्टेशनों के संदर्भ में शुल्क निर्धारित किया जा चुका है। किन्तु, तीस्ता-5 पावर स्टेशन के मामले में परियोजना की संशोधित लागत का अनुमोदन लंबित रहते, अस्थायी आधार पर शुल्क का निर्धारण किया गया है। अनुषंगी कम्पनियों के संदर्भ में 2009-2014 की अवधि के लिए अधिसूचना के लंबित रहते वर्ष के लिए बिक्री को टैरिफ निर्धारण के लिए दायर की गई टैरिफ याचिका और संरक्षण के सिद्धांतों के आधार पर हिसाब में लिया गया है, क्योंकि टैरिफ याचिकाएं सीईआरसी की विवेकपूर्ण जांच के अधीन हैं। किन्तु वर्ष के दौरान बिलिंग सीईआरसी द्वारा अनुमोदित और 31 मार्च 2009 को लागू टैरिफ के अनुसार की गई है।
- बिक्री के अंतर्गत रु. 467.28 करोड़ (पिछले वर्ष (-) 24.01 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष की बिक्री के रूप में शामिल है, जिन्हें चालू वर्ष के टैरिफ को अंतिम रूप देते समय शामिल किया गया।
- तीन लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण उनके संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान बिजली विनियमित की गई और तदनुसूचित बिक्री में विनियमित बिजली के संदर्भ में 84.12 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपये) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी बिजली विनियमित की गई हो। तदनुसूचित 57.38 करोड़ रुपये उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए गए हैं।
- बिक्री के अंतर्गत इक्विटी पर लाभ (आरओई) (शुल्क का एक घटक) के अंतर के रूप में रु. 430.46 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 417.91 करोड़), जो 2011-12 के दौरान टैरिफ में दावा की गई कर की सामान्य दर से आकलित किए गए हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर (एफईआरवी की अदायगी के संदर्भ में रुपये 88.26 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 52.51 करोड़) और मुख्य रूप से कर समायोजन के रूप रु. 62.95 करोड़ (पिछले वर्ष (-) 116.39 करोड़) शामिल हैं, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है।
- सीईआरसी ने दिनांक 21.10.2011 के अपने आदेश के तहत लाभार्थी राज्यों से जल उपकरण की अदायगी की अनुमति दी है जो जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में पावर स्टेशनों द्वारा किए जाने वाले पानी के उपयोग पर लगाया गया है। तदनुसूचित जल उपकरण की अदायगी के संदर्भ में बिक्री रु. 691.73 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष के रु. 139.02 करोड़ शामिल हैं) निर्धारित की गई है, जिसे सीईआरसी विनियम, 2009 में संशोधन के लंबित रहते, अभी बिल नहीं किया गया है।
- सीईआरसी ने दिनांक 06.02.2012 के अपने आदेश के तहत लाभार्थी राज्यों से क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी) शुल्क एवं प्रभार वसूल करने की अनुमति दी है, जिसका भुगतान सीईआरसी (आरएलडीसी शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित मामलों) विनियम, 2009 दिनांक 18.09.2009 के संदर्भ में बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा किया जाना है। तदनुसूचित आरएलडीसी शुल्क एवं प्रभार वसूली के संदर्भ में बिक्री रु. 33.05 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष के रु. 24.54 करोड़ शामिल हैं) निर्धारित की गई है, जिसे सीईआरसी विनियम, 2009 में संशोधन के लंबित रहते, अभी बिल नहीं किया गया है।
- दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुसूचित, प्रचुर सावधानी के तौर पर वर्ष के लिए बिक्री समायोजित करते हुए बहियों में रु. 34.60 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया है।
- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-7/145/(160)/ 2000-सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 39 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जायेगी। तदनुसूचित, चालू वर्ष की बिक्री में रु. 67.41 (पिछले वर्ष रु. 41.30 करोड़) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वसूल किए गए हैं।

टिप्पणी संख्या 25 : अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) दीर्घावधि निवेश से आय		
i) व्यापार		
- लाभांश-अन्य	1.80	1.44
- ब्याज	102.09	123.88
सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5 % कर मुक्त बॉण्ड)		
ii) गैर-व्यापार		
- लाभांश आय - म्युचल फंड	0.18	0.13
- ब्याज-(स्व बीमा निधि)	50.49	39.65
ख) अन्य आय		
i) ब्याज		
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	11.32	13.47
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	28.09	25.70
- जमा खाता-स्व बीमा निधि-इंडियन बैंक	7.26	9.51
- जमा खाता- स्व बीमा निधि से इतर -इंडियन बैंक	606.81	465.39
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	6.76	5.31
- अन्य	115.45	103.34
ii) लाभार्थी राज्यों से ब्याज	297.76	39.70
iii) विलंब भुगतान अधिभार	22.21	3.63
iv) म्युचल फंड्स की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	0.02	-
v) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	8.38	1.54
vi) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	97.97	80.91
vii) अन्य	83.16	35.30
viii) विनिमय दर अंतर	9.97	15.40
कुल	1,449.72	964.30
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (टिप्पणी सं. 33ज(ख), और 33झ (ii)) देखें।	170.33	150.36
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित आय (टिप्पणी सं. 31 देखें)।	6.47	3.21
घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	41.00	30.27
	1,231.92	780.46
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
1) प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #		
खराब तथा संदिग्ध ऋण	1.79	-
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-	0.17
खराब तथा संदिग्ध दावे	1.56	1.80
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	4.22	0.10
भण्डार तथा कलपुर्जों की कमी	-	0.86
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	43.67	6.87
प्रतिबद्ध पूंजी खर्च हेतु प्रावधान	2.49	5.00
लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	0.03	0.02
उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	3.61	11.65
एलटीसी के लिए प्रावधान	1.02	25.76
अन्य	39.58	28.68
कुल	97.97	80.91

टिप्पणी संख्या 26 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. उत्पादन व्यय		
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	13.14	12.58
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	31.38	31.54
- मशीनरी	52.81	44.51
- अन्य	51.38	35.62
ग. प्रशासनिक व्यय		
i) किराया	41.72	36.58
ii) दरें और कर	2.84	7.62
iii) बीमा	48.69	37.90
iv) स्वः बीमा आरक्षित निधि से खर्च अदायगी	-	0.04
v) सुरक्षा व्यय	115.27	102.80
vi) विद्युत प्रभार	41.01	37.61
vii) यात्रा एवं वाहन	20.13	19.03
viii) वाहनों पर खर्च	9.32	8.87
ix) टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	11.10	9.49
x) विज्ञापन एवं प्रचार	8.40	7.80
xi) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.88	0.62
xii) दान या चंदा	7.00	-
xiii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.70	6.02
xiv) पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.35	0.52
xv) परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	6.00	6.55
xvi) परामर्शी प्रभार -विदेशी	0.04	0.07
xvii) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सत्करण पर खर्च	6.33	22.05
xviii) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	23.91	62.79
xix) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.79	0.83
xx) बड़े खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे	-	0.02
xxi) बड़े खाते डाले गए भंडार	0.09	0.06
xxii) बड़े खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियां	0.29	0.39
xxiii) पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	0.35	80.59
xxiv) ग्राहकों को छूट	40.67	47.38
xxv) जल उपकरण और पर्यावरण संरक्षण उपकरण	552.85	139.33
xxvi) कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	21.04	14.75
xxvii) अन्य सामान्य खर्च	68.96	85.74
xxviii) विनिमय दर अंतर	22.45	22.73
xxix) लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)	1.55	1.15
xxx) निदेशक खर्च	0.12	0.20
xxxi) अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.05	-
xxxii) विनियमित बिजली पर व्यय	4.96	-
घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	4.96	-
कुल	1,206.67	884.07
घटाएं : ईडीसी को अंतरित उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (टिप्पणी सं. 33ख, 33ग और 33झ (ii) देखें)।	177.22	220.35
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित प्रशासन एवं अन्य व्यय (टिप्पणी सं. 31 देखें)।	19.82	22.43
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0.06	0.14
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	1,009.57	641.15

टिप्पणी संख्या 26 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (जारी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
1) लेखा परीक्षा भुगतान का ब्योरा नीचे दिया गया है :-		
i) सांविधिक लेखा-परीक्षक	31.03.2012 को	31.03.2011 को
लेखा-परीक्षक के रूप में		
लेखा-परीक्षा शुल्क *	0.45	0.36
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.13	0.11
अन्य क्षमता में	0.58	0.47
कराधान मामले	0.00	0.00
कंपनी विधि मामले	0.00	0.00
प्रबंधन सेवाएं	0.00	0.00
अन्य मामले/ सेवाएं	0.42	0.24
खर्चों की अदायगी	0.46	0.35
ii) लागत लेखा परीक्षक		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.08	0.07
खर्चों की अदायगी	0.01	0.02
* पिछले वर्ष की बकाया राशि शामिल है।	1.55	1.15
2) स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क	0.12	0.20
3) पूर्णकालिक निदेशकों को यह छूट दी गई है कि वे एक वित्त वर्ष में 12000 किलोमीटर तक निम्नांकित दरों से भुगतान करके कंपनी की कार का इस्तेमाल आधिकारिक एवं निजी यात्राओं के लिए कर सकते हैं:-		
	नोन एसी कार	एसी कार
16 एचपी तक	325 रुपये प्रतिमाह	520 रुपये प्रतिमाह
16 एचपी तक से ऊपर	490 रुपये प्रतिमाह	780 रुपये प्रतिमाह
4) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्पस) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप में दर्शाया गया है।		

टिप्पणी संख्या 27 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,191.10	1,110.83
ii) उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	307.49	229.72
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	126.18	146.18
iv) अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.12	0.39
कुल	1,624.89	1,487.12
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी व्यय (टिप्पणी सं. 33क और 33झ (iii) देखें।	647.82	629.77
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित कर्मचारी व्यय (टिप्पणी सं. 31 देखें)।	86.72	86.25
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	1.89	1.45
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	888.46	769.65
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
1) उपरोक्त भुगतान में से निदेशकों को देय/अदा किया गया पारिश्रमिक :-		(करोड़ रूपए में)
	31.03.2012	31.03.2011
(i) वेतन और भत्ते	1.03	1.96
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	0.09	0.19
(iii) आवासीय परिसर के लिए किराया	0.10	0.24
(iv) अन्य लाभ	0.10	0.37
2) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 33.26 करोड़ रुपये (विवृत वर्ष 30.44 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।		

टिप्पणी संख्या 28 : वित्त लागत

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. निम्नलिखित पर ब्याज -		
बॉण्ड	217.23	215.12
विदेशी मुद्रा ऋण	59.61	60.61
सावधि ऋण	1,019.42	975.74
लाभार्थी राज्यों को ब्याज	5.19	-
उप जोड़	1,301.45	1,251.47
ख. अन्य ऋण लागत		
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.93	0.45
प्रतिबद्धता शुल्क	0.06	0.06
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	32.22	32.35
अन्य वित्त प्रभार	3.93	3.28
उप जोड़	37.14	36.14
ग. विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लाभ/हानि		
ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	277.47	240.68
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(277.47)	(240.68)
उप जोड़	-	-
कुल योग	1,338.59	1,287.61
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत (टिप्पणी सं. 33घ और 33झ (v) देखें।	764.67	671.24
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित वित्त लागत (टिप्पणी सं. 31 देखें)।	0.01	0.43
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	573.91	615.94

टिप्पणी संख्या 29 : मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वर्ष के दौरान मूल्यहास	1,282.05	1,281.97
ii) विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन	(23.53)	(15.66)
कुल	1,258.52	1,266.31
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्यहास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी सं. 33च और 33झ (v) देखें।	49.68	42.13
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित मूल्यहास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी सं. 31 देखें)।	1.12	1.81
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	0.02
घटाएं : सहायता अनुदान आरक्षी (अनुदान पश्चलिखित) को अंतरित (टिप्पणी संख्या 3 देखें)	57.73	55.81
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	1,149.99	1,166.54

टिप्पणी संख्या 30 : प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	0.40	-
ii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0.50	0.02
iii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	147.27	46.01
iv) भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	1.20	17.11
v) प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	81.89	6.10
vi) अचल परिसंपत्तियों/भंडारों हेतु प्रावधान	3.33	1.83
कुल	234.59	71.07
घटाएं : ईडीसी को अंतरित प्रावधान (टिप्पणी सं. 33ड और 33झ (iv) देखें।	141.16	36.54
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित प्रावधान (टिप्पणी सं. 31 देखें)।	2.72	0.01
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	90.71	34.52

टिप्पणी संख्या 31 : संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. प्रत्यक्ष व्यय	15.92	15.30
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	61.07	60.93
ii) उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	9.46	8.07
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	4.55	5.24
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण	75.08	74.24
- भवन	0.49	0.30
- मशीनरी और निर्माण उपकरण	1.44	2.30
- अन्य	0.82	0.51
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय	2.75	3.11
- किराया	6.53	5.89
- यात्रा एवं वाहन	3.61	2.95
- वाहनों पर व्यय	0.18	0.17
- बीमा	0.05	0.15
- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0.84	0.64
- विज्ञापन एवं प्रचार	0.13	0.19
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.39	0.44
- अन्य व्यय	3.73	6.91
- दरें और कर	0.01	0.00
- सुरक्षा	0.12	0.14
- विद्युत	0.24	0.24
- परामर्शी प्रभार	0.23	0.31
घ. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	16.06	18.03
ङ. वित्त लागत	0.82	0.96
च. प्रावधान	0.01	0.43
छ. निगमित/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	2.72	-
अन्य आय	(0.55)	(0.57)
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1.01	1.29
कर्मचारी लाभ व्यय	11.64	12.01
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	0.30	0.85
वित्त लागत	-	-
प्रावधान	-	0.01
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	0.12	0.01
कुल व्यय	125.88	125.67
ज. घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली	5.92	2.64
वर्ष के दौरान निवल व्यय	119.96	123.03
झ. पूर्वावधि समायोजन	0.02	0.22
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	119.98	123.25

टिप्पणी संख्या 32 : पूर्वावधि व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
i) विद्युत की बिक्री	22.24	592.44
ii) जोड़े : मूल्यहास के प्रति अग्रिम पथ लिखित	-	(16.08)
iii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	(0.03)	1.46
iv) अन्य	(29.81)	(22.30)
उप जोड़	(7.60)	555.52
व्यय		
i) वेतन तथा मजदूरी	47.25	0.02
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.21	0.50
iii) वित्त लागत	-	-
iv) मूल्यहास	2.08	(82.13)
v) अन्य	0.63	(1.96)
उप जोड़	50.17	(83.57)
कुल योग	57.77	(639.09)
घटाएं : ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय - (देखें टिप्पणी 33-छ)		
पूर्वावधि व्यय	17.71	(1.46)
घटाएं - पूर्वावधि आय	(2.69)	(18.62)
जोड़	37.37	(656.25)
घटाएं - संविदा और परामर्शी कार्य को अंतरित पूर्व अवधि व्यय (देखें टिप्पणी सं. - 31)	0.14	0.23
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	37.23	(656.48)

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

वर्ष के दौरान विलंबित कर खाते में 22.24 करोड़ रुपये की बिक्री को अंजाम दिया गया, जो सीईआरसी विनियम 2009 के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य है।

टिप्पणी संख्या 33 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	314.44	301.82
ii) उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	77.10	61.34
iii) स्टाफ कल्याण व्यय	31.69	39.85
iv) अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.12	0.40
उप जोड़	423.35	403.41
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
i) भवन	6.29	5.54
ii) मशीनरी	0.98	1.66
iii) अन्य	16.02	8.96
उप जोड़	23.29	16.16

टिप्पणी संख्या 33 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (जारी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय		
i) किराया	17.87	15.19
ii) दरें और कर	0.64	2.06
iii) बीमा	0.37	0.32
iv) सुरक्षा व्यय	28.62	25.60
v) विद्युत प्रभार	5.78	3.94
vi) यात्रा एवं वाहन	4.27	4.31
vii) स्टाफ कार पर व्यय	3.36	3.56
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	3.48	2.92
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	0.61	0.70
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार	-	0.01
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी	1.02	1.03
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार	0.03	0.01
xiii) - स्वदेशी	1.70	1.08
xiv) - विदेशी	-	-
xv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सत्करण पर खर्च	5.98	21.86
xvi) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	22.17	61.58
xvii) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-	-
xviii) बट्टेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	-	0.01
xix) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.06	0.02
xx) विनिमय दर अन्तर (ऋण)	17.53	20.86
xxi) अन्य सामान्य व्यय	14.28	12.10
उप जोड़	127.77	177.16
घ. वित्त लागत		
i) निम्नलिखित पर ब्याज -		
क) भारत सरकार के ऋण	-	-
ख) बॉण्ड	186.39	180.00
ग) विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
घ) सावधि ऋण	574.24	488.48
ii) हेजिंग कारोबार पर हानि	-	-
iii) बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.77	0.25
iv) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
v) ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
vi) अन्य वित्त प्रभार	3.23	2.45
उप जोड़	764.63	671.18
ङ. प्रावधान	141.16	36.40
च. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	43.07	27.59
छ. पूर्वविधि व्यय		
पूर्वविधि व्यय	8.30	(1.65)
घटाएं - पूर्व अवधि आय	(2.69)	(18.62)
उप जोड़	10.99	16.97

टिप्पणी संख्या 33 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (जारी)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ग. घटाएं प्राप्तियां और वसूलियां		
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	-	0.59
ख) आय		
i) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	111.17	90.76
ii) विविध प्राप्तियां	8.04	6.52
iii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
iv) विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)	8.00	15.03
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान	26.54	25.11
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	1.76	1.60
उप जोड़	155.51	139.61
घ. निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
i) अन्य आय	(14.82)	(11.34)
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	26.16	27.03
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	224.47	226.36
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	6.61	14.54
v) वित्त लागत	0.04	0.06
vi) प्रावधान	-	0.14
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)	9.41	0.19
उप जोड़	251.87	256.98
कुल (क से ज)- झ	1,630.62	1,466.24

टिप्पणी संख्या 34 : कर व्यय

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	866.07	635.58
	866.07	635.58
ii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	8.60	9.63
iii) आस्थगित कर परिसंपत्ति	(4.85)	(48.44)
घटाएं : वसूली योग्य	(77.85)	(196.63)
	73.00	148.19
	947.67	793.40

नोट संख्या 35 : लेखों का व्याख्यात्मक विवरण-समेकित

- समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण और संयुक्त उद्यमों में इसका हित शामिल हैं।
- (क) लेखांकन के आधार :
 - समेकन में अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण को कंपनी की रिपोर्टिंग की तिथि तक ही लिया गया है।
 - समेकित वित्तीय विवरण को कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के तहत अधिसूचित 'लेखांकन मानक -21' समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।
 - समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यमों में हित की रिपोर्टिंग कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक-27- 'संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार की गई है।
- (ख) समेकन का सिद्धान्त :
 - कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण को लाइन-दर-लाइन आधार पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों के बही मूल्य को जोड़कर, अंतर समूह शेषों, अंतर समूह कारोबार और वसूले न गए लाभ तथा हानि को हटाकर मिश्रित करके तैयार किया गया है।
 - समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यमों में कंपनी का हित शामिल है, जिसे लेखांकन और रिपोर्टिंग की आनुपातिक समेकन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए हिसाब में लिया गया है, जिसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित किसी निकाय की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय एवं व्यय में कंपनी के हिस्से को पृथक लाइन आइटम समझा जाता है।
 - समेकित वित्तीय विवरण को समान कारोबार और समान परिस्थितियों में होने वाली अन्य घटनाओं हेतु समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है।
- समेकित वित्तीय विवरण में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम इस प्रकार हैं-

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात
अनुषंगी कंपनियां :		
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत	51%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	74%
संयुक्त उद्यम कंपनियां :		
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड	भारत	49%
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड	भारत	25%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	भारत	16.67%

- (क) निम्नलिखित के अनुसार आकस्मिक देयताएं -

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01/04/2011 को प्रारंभिक शेष	31/03/2012 को अंतिम शेष
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है-		
- पूंजीगत कार्य	5378.53	7846.18
- भूमि मुआवजा मामले	1538.58	1313.17
- अन्य		
- विवादित आयकर मांग	11.05	10.63
- विवादित बिक्री कर मांग	2244.45	264.01
- विवादित सेवा कर मांग	27.02	29.22
- अन्य	122.45	116.32
कुल	9322.08	9579.53

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) पूंजी कार्य संबंधी आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर एवं मात्रात्मक विचलन के बारे में संविदाकारों के दावे, समय के विस्तार संबंधी लागत और निर्माण कार्य रोके जाने/निर्माण स्थल सौंपे जाने में देरी के कारण व्यर्थ प्रभार आदि शामिल हैं। इस तरह के दावों से कंपनी को जुझना पड़ रहा है क्योंकि संबंध अनुबंधों के प्रावधानों के अंतर्गत वे स्वीकार्य नहीं हैं अथवा ऐसे दावे पंचाट न्यायाधिकरणों में लंबित हैं।

- घ) "पूँजीगत कार्य" शीर्ष के अंतर्गत आकस्मिक देयता 459.64 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 242.94 करोड़ रुपये) है, जो कंपनी के विरुद्ध दिए गए पंचाच निर्णयों के कारण पैदा हुई है। इन फैसलों को विधि अदालत में चुनौती दिए जाने को देखते हुए बाह्य-प्रवाह होने की संभावना नहीं है।
- ड) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- च) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को 45.17 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 42.39 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।
- छ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 9.92 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 24.86 करोड़ रुपये) अदा किए गए हैं, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।
5. पूँजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि 5445.36 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6395.58 करोड़ रुपये) है।
6. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि राशि 241.16 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 257.33 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूँजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।
7. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अंतर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।
8. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) से यह राय प्राप्त हुई कि निर्माण के दौरान व्यय संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी को वापस लिए जाने के बाद, ऐसी परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, पर व्यय को सम्बद्ध वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभावित किया जाना चाहिए। कंपनी ने इस राय के विरुद्ध आईसीएआई की ईएसी को प्रतिवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्यय चूंकि किसी जल-विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अनिवार्य होते हैं, इसलिए उनके पूँजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। कंपनी ने यह विचार भी रखा है कि ऐसे व्यय के पूँजीकरण का समर्थन आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित इक्विटी संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी और लेखांकन मानक-10 में सीमित संशोधन के सूचना मसौदे से होता है। ईएसी से आगे कोई दिशा-निर्देश प्राप्त न होने, एएस-10 में संशोधन और दर विनियमित इक्विटी संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी पर अमल के लंबित रहते, प्रचलित लेखांकन पद्धतियों/नीतियों के अनुसार लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है। उपरोक्त को देखते हुए ऐसी परिसंपत्तियों के सृजन/निर्माण पर 26.04 करोड़ रुपये (डब्ल्यूडीवी) और 106.87 करोड़ रुपये क्रमशः मूर्त आस्तियों (टिप्पणी संख्या 13.1) और चालू पूँजी कार्य (टिप्पणी संख्या 14.1) के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।
9. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार रहा :

(करोड़ रुपये में)

		31.03.12 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.11 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभावित राशि (एफईआरवी के रूप में)	2.95	1.51
(ii)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभावित राशि (ऋण लागत के रूप में)	277.47	240.68
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभावित राशि (एफईआरवी के रूप में)	9.53	5.92
(iv)	चालू पूँजीगत कार्य को प्रभावित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(0.14)	(1.18)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	105.87	31.41

10. 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों में संशोधन/शाब्दिक परिवर्तन किया गया :

मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.1	अचल परिसम्पत्तियों में सकल बलाक से संवर्द्धन/कमी होने की स्थिति में मूल्यहास प्रभावित करने के तथ्य को प्रकट करने की मौजूदा नीति में मामूली संशोधन किया गया है।
निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी और कम्प्यूटर एवं अनुषंगी वस्तुओं पर मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.2.3	कुछ व्याकरण संबंधी त्रुटियां दूर की गई हैं।
अस्थायी संरचनाओं के बारे में मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.2.4	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।
अमूर्त आस्तियों के परिशोधन से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.5	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।
पट्टे पर धारित भूमि के परिशोधन से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.6 को सीईआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दो भागों में प्रस्तुत किया गया है।	इससे वर्ष 2011-12 के कर-पूर्व लाभ में (0.71) करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त मामूली परिवर्तनों के अलावा पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.6 और निर्माण स्थल पर इंजीनियरी अनुमान के आधार पर भंडार के मूल्यांकन संबंधी नीति संख्या 7.4 को निरर्थक समझ कर चालू वर्ष के दौरान रद्द कर दिया गया, जिसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा।

11. कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और परियोजना निर्माण के प्रशासनिक एवं सामान्य शीर्ष व्ययों के आवंटन की पद्धति की समीक्षा की है और चालू वर्ष के दौरान परिवर्तन किए गए हैं। इससे चालू वर्ष में 29.97 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है।
12. 31.03.2012 को स्व बीमा निधि के निवेश की स्थिति इस प्रकार है :-

तुलन-पत्रक की अनुसूची	निवेश/जमा राशि का विवरण	राशि (करोड़ रु. में)
टिप्पणी संख्या 15	(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड	250.59 381.39
टिप्पणी संख्या 21	(i) जमा खाता-दीर्घावधि (ii) जमा खाता-अल्पावधि	33.00 10.28
टिप्पणी संख्या 22	अग्रिम कर (स्रोत पर कर कटौती)	1.68
टिप्पणी संख्या 23	प्रोद्भूत ब्याज (कर उपरान्त निवल)	16.04
टिप्पणी संख्या 12	आयकर के लिए प्रावधान	(2.08)
	कुल	690.90

इस प्रकार 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के अंत में स्व बीमा निधि की कुल आय 32.48 करोड़ रुपये (करों के बाद निवल) है, जिसे लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के ज़रिए स्व बीमा निधि में क्रेडिट किया गया है।

13. लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है:

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि में अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. उपदान

कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान (ग्रेज्युइटी) योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

ग. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके स्पाउज (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।

ङ. अवकाश

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (अनुपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। सेवा के दौरान 75 प्रतिशत अर्जित अवकाश का और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है। कंपनी के नियमानुसार अर्ध-वेतन अवकाश का नकदीकरण केवल सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 240 दिन के अवकाश तक कराया जा सकता है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. सामाजिक सुरक्षा योजना

क्षतिपूरक नियुक्ति के स्थान पर एनएचपीसी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो इस शर्त के अधीन है कि पेंशन योजना लागू होने के बाद इस योजना को वापस ले लिया जायेगा। कारपोरेशन प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है। यह योजना 01.06.2007 से लागू है। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

छ. सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह और व्यवस्थापन भत्ता :

एनएचपीसी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000 रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है। उपरोक्त योजनाएं (ख, ग, घ, ङ और छ) अनिवार्य हैं और उनका निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाता है। योजना क और च निर्धारित अंशदान पर आधारित हैं।

31.03.2012 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:-

एनएचपीसी

तालिका 1 : निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96)	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित
छूट दर	8.5%	8.0%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.0%	5.5%

तालिका 2 : दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरू में पीवीओ	512.76 {407.32}	303.22 {220.67}	256.16 {169.49}
ब्याज लागत	43.59 {32.59}	25.77 {17.65}	21.77 {13.55}
वर्तमान सेवा लागत	22.88 {20.92}	18.02 {14.27}	6.85 {6.65}
अदा किया गया लाभ	(73.93) {(27.87)}	(39.04) {(28.22)}	(8.61) {(8.26)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	63.10 {79.80}	75.85 {78.84}	49.11 {74.73}
वर्ष के अंत में पीवीओ	568.40 {512.76}	383.82 {303.21}	325.28 {256.16}

तालिका 3 : तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरू में पीवीओ	568.40 {512.76}	303.22 {303.21}	325.28 {256.16}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	- {-}	- {-}	- {-}
निधिक स्थिति	(568.40) {(512.76)}	(303.22) {(303.21)}	(325.28) {(256.16)}
अमान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- {-}	- {-}	- {-}
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता	568.40 {512.76}	303.22 {303.21}	325.28 {256.16}

तालिका 4 : लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	22.88 {20.92}	18.02 {14.27}	6.85 {6.65}
ब्याज लागत	43.59 {32.59}	25.77 {17.65}	21.77 {13.55}
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	- {-}	- {-}	- {-}
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	63.10 {79.80}	75.85 {78.84}	49.11 {74.73}
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में मान्यताप्राप्त व्यय	129.57 {133.31}	119.64 {110.76}	77.73 {94.93}

नोट : { } पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2012 को क्रमशः 4.65 करोड़ रुपये और 3.08 रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 4.45 करोड़ रुपये और शून्य) है।

एनएचपीसी

तालिका 1 : प्रमुख मान्यताएं

विवरण	31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
मृत्युदर तालिका	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (1994-96) (संशोधित) अंतिम तालिका	मानक तालिका एलआईसी (1994-96) (संशोधित) अंतिम तालिका
छूट दर	8.50%	8.20 प्रतिशत
मुआवजा स्तर में वृद्धि की दर	6.0%	7.5%

तालिका 2 : दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरू में पीवीओ	4.61 {2.32}	5.68 {3.31}	1.60 {1.07}
ब्याज लागत	0.37 {0.19}	0.47 {0.26}	0.13 {0.09}
वर्तमान सेवा लागत	0.63 {0.70}	1.33 {1.17}	0.26 {0.20}
अदा किया गया लाभ	(0.11) {(0.16)}	(0.35) {(0.46)}	(0.01) {(0.00)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.86) {1.56}	(0.28) {1.40}	0.15 {0.24}
वर्ष के अंत में पीवीओ	4.64 {4.61}	6.85 {5.68}	2.13 {1.60}

तालिका 3 : तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरू में पीवीओ	4.64 {4.61}	6.85 {5.69}	2.13 {1.60}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	- {-}	- {-}	- {-}
निधिक स्थिति	(4.64) {(4.61)}	(6.85) {(5.69)}	(2.13) {(1.60)}
अमान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- {-}	- {-}	- {-}
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता	4.64 {4.61}	6.85 {5.69}	2.13 {1.60}

तालिका 4 : लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में ली गई राशि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	0.63 {0.70}	1.33 {1.17}	0.26 {0.20}
ब्याज लागत	0.37 {0.19}	0.47 {0.26}	0.13 {0.09}
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	- {-}	- {-}	- {-}
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.86) {1.56}	(0.28) {1.40}	0.15 {0.24}
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी में मान्यताप्राप्त व्यय	0.14 {2.45}	1.52 {2.84}	0.54 {0.53}

नोट : { } पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2012 को क्रमशः 28 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 32 करोड़ रुपये और शून्य) है।

14. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।
(ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।
15. कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -

क) संबंधित पार्टी

- (i) **संयुक्त उद्यम कम्पनियां**
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड
- (ii) **महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक**

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त), 01.01.2011 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार।
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी),
श्री जे के शर्मा	(निदेशक परियोजनाएं)
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)
श्री के एम सिंह	एनएचडीसी में मुख्य कार्यकारी निदेशक
श्री आर के तनेजा	एनएचडीसी में निदेशक
श्री डी के राय	एलडीएचसीएल में निदेशक
श्री विजय कुमार	एलडीएचसीएल में निदेशक

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार

विवरण	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
निवेश	-	-

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 1.32 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2.76 करोड़ रुपये) दिया गया और 31.03.2012 को कम्पनी की ओर बकाया राशि 0.04 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.07 करोड़ रुपये) थी।

16 प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	2011-12 के लिए	2010-11 के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3085.58	2316.16
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- आधारभूत	12300742773	12300742773
- कम की गई	12300742773	12300742773
प्रति शेयर अर्जन (रुपये)		
- आधारभूत	2.51	1.88
- कम किया गया	2.51	1.88
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

17. (क) संयुक्त उद्यमों में हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2012	31.03.2011
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड	49%	-
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	25%	25%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	16.67%	16.67%

उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत में संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

		निम्नांकित तारीख को	
		31.03.2012	31.03.2011
क.	परिसंपत्तियां	29.37	3.88
ख.	देयताएं	11.98	0.18
ग.	आकस्मिक देयताएं	0.01	0.01
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	7.48	8.03
		वर्ष 2011-12 के लिए	वर्ष 2010-11 के लिए
ड.	आय	0.30	0.08
च.	व्यय	0.47	0.34

(ख) बोर्ड ने संयुक्त उद्यम कंपनी, मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड में 100 करोड़ रुपये तक के समान इक्विटी योगदान के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

18. प्रबंधन की राय है कि लेखांकन मानक (एसएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत 31 मार्च, 2012 को परिसंपत्तियों के असंतुलन का कोई मामला नहीं है।

(करोड़ रुपये में)

		31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	53.65	99.39
	ii) कलपुर्जे	0.21	1.90
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज्ञान	4.84	11.18
	ii) ब्याज	58.49	59.53
	iii) अन्य विविध मामले	48.08	119.79
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जे तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	0.18 (1.37%)	1.05 (16.15%)
	ii) देशी;	12.96 (98.63%)	5.45 (83.85%)
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	-	-

* प्रोदभवन आधार।

20. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपये में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	शून्य
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रादाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

21. वर्ष के लिए वित्तीय विवरण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ नं. 2/6/2008-सीएल-V दिनांक 30.03.2011 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना संख्या एस ओ 447(ई) दिनांक 28.02.2011 के तहत संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए तैयार किए गए हैं। संशोधित अनुसूची-VI की अपेक्षाओं के अनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.05.2012

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मर्दे	4351.26	3257.23
जोड़ें -		
पूर्वावधि सहित मूल्यहास	1176.51	1068.46
मूल्यहास के प्रति अग्रिम (पूर्वावधि सहित)	19.03	-
अदा किया गया ब्याज	573.91	623.87
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां	0.29	0.06
बट्टे खाते में डाले गए भंडार	0.09	0.38
प्रावधान	93.42	34.88
बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे	-	0.02
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.79	0.81
विनिमय दर अंतर	264.42	242.19
	2128.46	1970.67
घटाएं -		
पश्चलिखित मूल्यहास के प्रति अग्रिम (पूर्व अवधि सहित)	47.16	32.25
शुल्क समायोजन	34.60	-
परिसंपत्तियों/परियोजना की बिक्री पर लाभ	77.24	28.17
अत्यधिक देयताएं और प्रावधान पश्चलिखित	68.04	55.02
आस्थगित ईआरवी	212.73	203.83
लाभांश आय	1.98	1.57
ब्याज आय	777.86	651.90
	908.85	997.93
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	5260.11	4255.16
कार्यशील पूंजी परिवर्तन		
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(12.23)	2.92
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(1830.08)	(942.32)
अन्य परिसंपत्तिया, ऋण/अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	651.41	(40.15)
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	218.01	1086.94
कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	4287.22	4362.55
घटाएं - अदा किया गया कर	904.63	605.99
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	3382.59	3756.56
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)	(3297.88)	(3465.87)
आस्तियों के अंतरण/बिक्री पर लाभ/(हानियां)	0.01	27.36
निवेश में कमी/(वृद्धि)	206.06	1512.06
ब्याज आय	777.86	652.41
लाभांश आय	1.98	1.57
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(2311.97)	(1272.47)

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
ग. वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां	(24.24)	10.00
अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	(900.15)	(802.82)
ऋणों से प्राप्तियां	3433.44	1639.75
ऋणों का पुनर्भुगतान	(1206.16)	(1491.74)
मध्य प्रदेश सरकार से एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए प्राप्त राशि	12.31	29.23
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(1341.79)	(1306.75)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	(26.59)	(1922.33)
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	1044.03	561.76
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	6751.29	6189.53
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	7795.32	6751.29

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

- नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत बैंक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें शून्य (पिछले वर्ष 57.38 करोड़ रु.) की राशि शामिल है जिसे कारपोरेशन द्वारा साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए मार्जिन राशि के रूप में बैंकों में रखा गया है, जो 31.03.2012 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
- अचल आस्तियों और चालू निर्माण कार्य में ब्याज एवं वित्त प्रभार के अंतर्गत पूंजीकृत 764.63 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है।
- 31.3.2012 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 321.26 करोड़ रुपए है।
- नकदी तथा नकदी तुल्यों में 466.87 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 486.44 करोड़ रुपये) शामिल है जो अन्य एजेंसियों की ओर से किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गए हैं और यह राशि निगम के अर्थव्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 2.48 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर बैंक में रखे गए हैं। अतः 31.03.2012 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहाँ आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।
- इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए प्रीमियम सहित प्राप्त 6038.55 करोड़ रु. में से कम्पनी ने 2907.45 करोड़ रु. शेयर प्रीमियम सहित 4025.70 करोड़ रु. स्वयं की शेयर प्राप्तियों के रूप में रखे और भारत सरकार की इक्विटी बिक्री से प्राप्त 2012.85 करोड़ रु. विद्युत मंत्रालय को अदा किए। इन प्राप्तियों में से 31.03.2012 तक 2214.99 करोड़ रु. पूंजी व्यय की भरपायी के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं की आंतरिक प्राप्तियों में से इस्तेमाल हेतु निर्दिष्ट राशि में से पहले ही व्यय किए जा चुके थे। इसके अलावा कम्पनी की निवेश नीति के अनुसार 1772 करोड़ रु. बैंक जमा राशि के रूप में निवेश किए गए तथा 38.71 करोड़ रु. आईपीओ व्यय की भरपायी के लिए रखे गए।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एन नन्दा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 000685एन

(सीए गौरव नंदा)
भागीदार
सदस्य संख्या 500417

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 302049ई

(सीए बी के सिपानी)
भागीदार
सदस्य संख्या 088926

कृते बवेजा एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 005834एन

(सीए साक्षी कौल धर)
भागीदार
सदस्य संख्या 514325

कृते तिवारी एंड एसोशिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआरएन नं. 002870एन

(सीए सदीप सांडिल)
भागीदार
सदस्य संख्या 085747

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 25.05.2012



एनएचपीसी लिमिटेड
अनुषंगिक कंपनी

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण,

एनएचडीसी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही खातों का लेखा-परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

आलोच्य वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 145051 लाख रुपये की कुल आय अर्जित की जो पिछले साल के मुकाबले 41.41 प्रतिशत अधिक है। इस आमदनी में पिछले साल की आमदनी के 16284 लाख रुपये (एएडी सहित निवल 18187 लाख रुपये) भी शामिल हैं जो मुख्य रूप से ओंकारेश्वर परियोजना के अंतिम प्रभार आदेश की वजह से 31.03.2009 की अवधि के लिए हैं। वित्तीय परिणामों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1. वित्तीय विशिष्टताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	2011-12	2010-11
विद्युत की बिक्री से आमदनी अन्य स्रोतों सहित	145051	102575
मूल्यहास और ऋण मुक्ति, ब्याज (वित्तीय प्रभार सहित) और कर भुगतान से पूर्व लाभ	133658	88487
मूल्यहास और ऋणमुक्ति	25756	25015
मूल्यहास और ऋणमुक्ति के उपरान्त परन्तु ब्याज एवं कर भुगतान से पूर्व लाभ	107902	63472
वित्त लागत	23168	24934
मूल्यहास, ऋणमुक्ति और ब्याज के उपरान्त परन्तु कर से पूर्व लाभ	84734	38538
कर	20044	8125
मूल्यहास और ऋणमुक्ति ब्याज के बाद लेकिन कर-पूर्व लाभ यानी पीएटी	64690	30413
अग्रेसित लाभ एवं हानि लेखे का अधिशेष	132998	107939
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष राशि	197688	138352

विनियोजन

स्व-बीमा रिजर्व	-	792
प्रस्तावित लाभांश	5888	3925
प्रस्तावित लाभांश पर कर	955	637
अग्रेसित शेष (जो नोट-2 का हिस्सा है -रिजर्व और अधि शेष)	190845	132998

पिछले साल के आंकड़े यथायोग्य पुनर्गठित किये गये हैं।

2. राजस्व वसूली

वित्तीय वर्ष 2011-12 में 116055 लाख रुपये की रिकार्ड राजस्व वसूली हुई जिसमें इंदिरा सागर परियोजना के लिए ईएमआई के रूप में 13416 लाख रुपये की पुरानी प्रतिभूतिकृत बकाया देयताएं भी शामिल हैं।

3. विद्युत उत्पादन

एनएचडीसी की दो विद्युत परियोजनाओं इंदिरासागर और ओंकारेश्वर ने 2011-12 के दौरान 4664 एमयू (मिलियन यूनिट) विद्युत उत्पादन किया जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 45.88 प्रतिशत अधिक है।

4. लाभांश :

वित्तीय वर्ष 2011-12 में 64690 लाख रुपये के विशुद्ध मुनाफे को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कंपनी ने प्रति शेयर 30 रुपये की दर से 5888 लाख रुपये लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर) देने की सिफारिश की है जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिलना बाकी है।

5. पूंजीगत ढांचा

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का पूंजीगत ढांचागत 196258 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ यथावत् बना रहा।

6. निर्माण कार्य में प्रगति

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी)

इंदिरा सागर परियोजना (8X125 मेगावाट) एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो नर्मदा नदी के डाउन स्ट्रीम में बनी 12.22 अरब घन मीटर भंडारण क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना समेत तमाम परियोजनाओं के लिए स्रोत परियोजना है। परियोजना की संस्थापित

क्षमता 1000 मेगावाट है जिसे 1979 एमयू वार्षिक विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। इंदिरा सागर विद्युत परियोजना से छोड़े गये पानी का उपयोग ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन में किया जाता है। फिलहाल अदालत के आदेश के अनुसार जलाशय के भरने का स्तर ईएल 260.0 एम है जबकि ईएल का एफआरएल 262.13 एम है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में इंदिरा सागर परियोजना से विद्युत उत्पादन 3287 एमयू रहा जबकि लक्ष्य 2230 एमयू था। उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत 87 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले परियोजना ने 90.41 प्रतिशत के संयंत्र उपलब्धता फैक्टर (पीएफ) का लक्ष्य हासिल किया है।

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) :

ओंकारेश्वर परियोजना (8X65 मेगावाट) इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी के डाउन स्ट्रीम पर बनी 520 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली कई परियोजनाओं में से एक है। 1166 एमयू वार्षिक डिजाइन विद्युत क्षमता वाली यह परियोजना चालू हो गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार फिलहाल ओंकारेश्वर परियोजना से विद्युत का उत्पादन जलाशय का स्तर 196.60 मीटर के एफआरएल स्तर के मुकाबले ईएल 189 के स्तर को बनाए रखकर किया जा रहा है। परिणामस्वरूप ओंकारेश्वर परियोजना से 520 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के मुकाबले 400 मेगावाट विद्युत ही उत्पादित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में ओंकारेश्वर परियोजना से 1377 एमयू विद्युत उत्पादन हुआ जबकि लक्ष्य 970 एमयू रखा गया था। उत्कृष्ट श्रेणी के लिए 93 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 97.58 प्रतिशत की प्लांट उपलब्धता फैक्टर (पीएफ) प्राप्त कर लिया गया है।

7. समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

आपकी कंपनी एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी को होल्डिंग कंपनी, यानी एनएचपीसी के साथ हर साल समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं जिसे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। आपकी कंपनी के वित्तीय वर्ष 2010-11 के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखकर भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन का समझौता ज्ञापन के आधार पर मूल्यांकन कर उसे "उत्कृष्ट" श्रेणी में रखा है।

8. गतिविधियों में विविधता लाने के प्रयास

रेवा ताप विद्युत परियोजना (2X660 मेगावाट)

विविधता लाने के प्रयासों के तहत आपकी कंपनी ने 29 जून, 2009 को मध्य प्रदेश सरकार के साथ सुपर क्रिटिल टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रदेश के खंडवा जिले में 1320 मेगावाट (2X660 मेगावाट) रेवा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

इसके लिए कोयला आपूर्ति हेतु संपर्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को आवेदन किया गया है और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इसकी संस्तुति कर दी है लेकिन कोयला आपूर्ति हेतु संपर्क की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है।

पवन और सौर ऊर्जा

आपकी कंपनी मध्य प्रदेश में गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संभावित स्थलों के विकास की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

9. जलविद्युत क्षेत्र में अन्य गतिविधियां :

मध्य प्रदेश सरकार ने एनएचपीसी से नर्मदा के अपस्ट्रीम में स्थित मझोली और लघु बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। प्रत्येक परियोजना की अनुमानित क्षमता 10 से 25 मेगावाट तक होगी और ये लघु और अतिलघु झलविद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत आएंगे और भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार फायदे हासिल करने के हकदार होंगे। इन लघु/मिनी योजनाओं की सकल क्षमता 100 से 150 मेगावाट होने का अनुमान है।

एनएचडीसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच होने वाले समझौता-ज्ञापन के मसौदे पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली गयी है। लेकिन समझौता ज्ञापन के मसौदे पर मध्य प्रदेश सरकार की अपनी सहमति मिलना अभी बाकी है।

10. सतर्कता गतिविधियां :

कंपनी का सतर्कता विभाग संगठन के कर्मचारियों में सतर्कता संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करने में प्रबंधन की सहायता करने के लगातार सभी उपाय कर रहा है ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई जा सके। संगठन तथा भारत सरकार और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सभी परिपत्रों/दिशानिर्देशों तथा निर्देशों को विभागाध्यक्षों, परियोजनाध्यक्षों और एनएचडीसी को नियमित रूप से परिचालित किया जा रहा है।

प्रारम्भिक उपायों के तौर पर परियोजनाएं और कारपोरेट कार्यालय में सतर्कता संबंधी जानकारी के लिए कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं तथा औचक और सामान्य निरीक्षण भी नियमित रूप से किये जा रहे हैं। संगठन की गतिविधियों पर गहरी निगाह

रखकर तथा मौजूदा व्यवस्था तथा प्रक्रियाओं में निरंतर सन्नद्ध कर भागीदारों के हितों की रक्षा के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

11. राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट :

कंपनी के भोपाल स्थित कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा विभाग ने राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रभावी प्रयास किये। निगम ने राजभाषा अधिनियम को लागू करने में शानदार योगदान के लिए मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भोपाल का 'हिन्दी सेवा सम्मान' और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल (उपक्रम) का 'प्रथम पुरस्कार' प्राप्त किया। इनके अलावा वार्षिक राजभाषा पत्रिका 'आरोहण' के प्रकाशन, हिन्दी प्रतियोगिताओं के आयोजन और अंतर-परियोजना हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने में भी विशिष्ट योगदान किया।

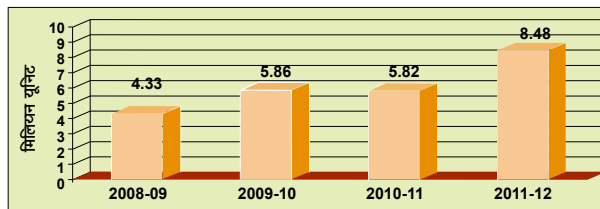
12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कंपनी में 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया और इसके लिए बुनियादी ढांचे संबंधी सभी व्यवस्था जैसे जन सूचना अधिकारियों, सहायक जन सूचना अधिकारियों और अपील अधिकारियों की व्यवस्था की गयी। कानून के तहत अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की गयी हैं।

13. मानव संसाधन :

आपकी कंपनी मानती है कि मानव संसाधन संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति है जिसके योगदान से कंपनी ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और भविष्य में भी नई ऊंचाइयां छुएगी। कंपनी का यह भी मानना है कि इसके व्यावसायिक कार्यक्रमों को सफल बनाने में कर्मचारियों की क्षमता का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। 31 मार्च, 2012 को कंपनी के पास 550 कर्मचारियों का मजबूत समूह था। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी ने 23 पेशेवर विशेषज्ञों की भर्ती की। नई बातें सीखने को उत्सुक संगठन होने के नाते कंपनी ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर लगातार जोर दिया है ताकि उन्हें नई बातों से अवगत कराया जा सके और संगठन की नई उभरती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कंपनी की समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक समृद्धि/व्यावसायिक विस्तार का सहारा लिया जाता है जिससे संगठन के लिए ज्ञान की संपदा का सृजन हो सके।

प्रति कर्मचारी उत्पादन (मिलियन यूनिट में)



14. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण :

आपकी कंपनी अनुसूचित जातियों/अ.ज.जातियों/अ.पि.जातियों/भिन्न क्षमता वाले व्यक्तियों को नौकरियों में भर्ती करने और कर्मचारियों को पदोन्नति देने में समय-समय पर जारी किये गए आरक्षण देने संबंधी नियमों का पालन करती है। अनुसूचित जातियों/अ.ज.जातियों/अ.पि.जातियों के कर्मचारियों की शिकायतों को कारगर तरीके से निपटाने के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित पिछले बकाया पदों को भरने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। परियोजनाओं/कार्यालयों तक भिन्न क्षमता वाले व्यक्तियों की उपलब्धता आसान बनाने के लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं।

15. वैधानिक और अन्य सूचनाएं :

निम्नलिखित मुद्दों पर कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वांछित सूचनाएं अनुलग्नक 'क' में दिया गया है :-

- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
- कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट
- सूचना तथा ऊर्जा संरक्षण, टेक्नोलॉजी अपनाने और विदेशी मुद्रा अर्जन और इसके निवेश के बारे में सूचना।
- कंपनी (कर्मचारी ब्योरा) नियम, 1975 के तहत सूचना।

16. निदेशक के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण :

कंपनी संशोधन अधिनियम, 2000 की धारा 217 (2क) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एतद्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करता है :

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानदंडों का पालन करने के साथ साथ जहां इन मानदंडों में कोई बड़ा बदलाव आया है वहां उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है;

कंपनी ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरंतर अमल में लाते हुए दूरदर्शितापूर्ण और युक्तिसंगत निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाये हैं। इनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी

की स्थिति और अवधि के दौरान कंपनी के लाभ की सही-सही और निष्पक्ष स्थिति का पता लगाने में मदद मिली है;

कंपनी ने परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पूरा/सही लेखांकन-रिकार्ड रखने के लिए पर्याप्त और समुचित सावधानियां बरती हैं;

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा 'गोइंग कन्सर्न' अर्थात् 'सतत संबंध' आधार पर तैयार किया है।

17. लेखापरीक्षक :

मैसर्स मल्टी एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, भोपाल को वित्तीय वर्ष 2011-2012 में लेखा परीक्षा करने के लिए "वैधानिक लेखापरीक्षक" नियुक्त किया गया।

18. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" में दी गयी है। वर्ष 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "ग" में संलग्न की गयी हैं।

19. लागत लेखांकन :

कंपनी द्वारा रखे जाने वाले रिकार्ड का लागत लेखांकन कराने के बारे में केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने निम्नलिखित लागत लेखाकारों को लागत लेखापरीक्षण के लिए नियुक्त किया। उन्हें कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की मंजूरी से निम्नलिखित सूची में प्रत्येक फर्म के साथ दी गयी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के लागत लेखांकन के रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी।

क्रम सं.	फर्म/लेखापरीक्षक का नाम	इकाई
1.	एस.पी.एस डांगी, इंदौर	इंदिरा सागर विद्युत परियोजना
2.	कृष्णन सिंह बिक्र, फरीदाबाद	ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना

20. लेखापरीक्षा समिति :

लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अंतर्गत बोर्ड को भेजने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा कर ली है। 31 मार्च, 2012 को लेखापरीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था : अध्यक्ष - श्री ए. गोपालाकृष्णन, (स्वतंत्र निदेशक) और दो अन्य निदेशक, यानी श्री के.एम. सिंह, (मुख्य कार्यपालक निदेशक) और श्री आर.के. तनेजा, (निदेशक)।

21. निदेशकों का विवरण :

इस समय बोर्ड में श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं और उनके साथ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के अन्य निदेशक हैं।

एनएचपीसी ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हाइड्रो) श्री जी. साइ प्रसाद को 04 जनवरी, 2012 से एनएचपीसी बोर्ड में मनोनीत किया है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हाइड्रो) श्री सुधीर कुमार अब एनएचपीसी के निदेशक नहीं हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री गजेन्द्र सिंह पटेल को 21 अक्टूबर, 2011 से एनएचपीसी बोर्ड के लिए नामित किया।

बोर्ड ने कंपनी के निवर्तमान निदेशकों के योगदान और उनके द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया है।

22. आभार :

बोर्ड कामकाज के विभिन्न चरणों में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों के दिशा-निर्देशों और सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। बोर्ड कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बैंकों और अन्य संबद्ध अधिकारियों को भी उनके सहयोग के लिए साधुवाद कहना चाहता है। इसके अलावा बोर्ड एनएचपीसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता है जिनके उत्साह, लगन और सहयोग से काम संतोषजनक तरीके से संभव हो पाया। बोर्ड को विश्वास है कि कंपनी के कर्मचारी आने वाले वर्षों में भी अपनी पूरी मेहनत से काम करते रहेंगे।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(के.एम. सिंह)
मुख्य कार्यपालक निदेशक
डीआईएन नं. 02223301

(ए.बी.एल. श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. 01601682

दिनांक : 11.07.2012
स्थान : दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग का ढांचा और विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत के विद्युत क्षेत्र ने शानदार प्रगति की है। देश में विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता 199877.03 मेगावाट (31 मार्च, 2012 को) पहुंच गयी है। लेकिन इसके बावजूद विद्युत क्षेत्र विद्युत की अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तरह की आवश्यकता से उत्पन्न चुनौतियों, ताप विद्युत और जल विद्युत क्षमता के असंतुलन, ग्रिड संबंधी अस्थिरता, फ्रीक्वेंसी में उतार-चढ़ाव, कमजोर वितरण नेटवर्क आदि समस्याओं का सामना कर रहा है।

भारत में 31 मार्च, 2012 को विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता 199877.03 मेगावाट थी। इसमें ताप विद्युत का हिस्सा 131603.18 मेगावाट (65.84 प्रतिशत), जलविद्युत का 38990.40 मेगावाट (19.51 प्रतिशत), परमाणु विद्युत का 4780 मेगावाट (2.39 प्रतिशत) और अक्षय स्रोतों से प्राप्त विद्युत का हिस्सा 24503.45 मेगावाट (12.26 प्रतिशत) था। सार्वजनिक क्षेत्र ने विद्युत क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है और देश की कुल संस्थापित क्षमता में इसका योगदान 73 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र 27 प्रतिशत का योगदान कर रहा है जो 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद बढ़ता जा रहा है।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने ग्यारहवीं योजनाविधि (2007-12) के लिए शुरू में विद्युत उत्पादन क्षमता में 78,700 मेगावाट की बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे बाद में संशोधित कर 62,000 मेगावाट कर दिया गया। मगर वास्तविक उत्पादन 54,964 मेगावाट ही बढ़ाया जा सका। राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बारहवीं योजनाविधि (2012-17) के लिए 79,690 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। इसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली विद्युत शामिल नहीं है।

एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) की स्थापना अगस्त 2000 में की गयी थी और शुरू में इसे नर्मदा नदी के थाले में दो मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं, इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओंकारेश्वर (520 मेगावाट) की स्वामित्व आधार पर निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। दोनों परियोजनाएं समय पर पूरी की गयीं। इस समय यह मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कंपनी कुल 1265.54 करोड़ रुपये मूल्य की विद्युत की बिक्री की। कर पश्चात कंपनी को 646.90 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ जबकि इससे पहले वर्ष कंपनी ने विद्युत की बिक्री से 918.40 करोड़ रुपये कमाए थे और इसका लाभ 304.13 करोड़ रुपये रहा था।

मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता 31 मार्च, 2012 को 8779.90 मेगावाट थी जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र से आर्बिट्रित विद्युत भी शामिल थी। इसमें तापविद्युत का योगदान 4805.94 मेगावाट (54.74 प्रतिशत), जलविद्युत का 3223.66 मेगावाट (36.72 प्रतिशत), परमाणु विद्युत का 273.24 मेगावाट (3.11 प्रतिशत) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली विद्युत का हिस्सा 477.06 मेगावाट (5.43 प्रतिशत) था। फिलहाल राज्य में विद्युत की मांग और आपूर्ति का अंतर 16.90 प्रतिशत (8393 प्रतिशत) है जबकि अधिकतम आवश्यकता वाले समय में यह अंतर 7.10 प्रतिशत (646 मेगावाट) का है।

मध्य प्रदेश में विद्युत की इस कमी, व्यावहारिक जलविद्युत परियोजनाओं की सीमित क्षमता, परियोजना निष्पादन में एनएचडीसी लि. के पिछले रिकार्ड तथा इसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कंपनी से तापविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की है। इसके लिए एनएचडीसी लि. ने 29 जून, 2009 को मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सुपर क्रीटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित 1320 मेगावाट क्षमता के रेवा तापविद्युत घर की स्थापना की जाएगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परियोजना स्थल संबंधी सभी गतिविधियां तथा परियोजना लगाने के लिए अन्य वांछित स्वीकृतियां पूरी कर ली गयी हैं।

क्षमता

एनएचडीसी एक मजबूत और कुशल संगठन है जिसका जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का शानदार रिकार्ड रहा है और इसने सीमित संसाधनों से समय से पहले परियोजनाएं पूरी की हैं। और भी ऊंची बुलंदियों को छूने के लिए कंपनी की क्षमताओं का जायजा लेने के उद्देश्य से एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण (यानी ताकत, कमजोरियां अवसर और जोखिमों का आकलन) कराया गया है जो इस प्रकार है :

मजबूती :

- क) मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जलविद्युत उत्पादक कंपनी;
- ख) 1900 करोड़ रुपये के मुक्त भंडार (31 मार्च, 2012 तक);
- ग) मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण सहयोग.

कमजोरियां :

- क) न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा जलाशय को एफआरएल स्तर तक पूरी तरह भरने पर लगायी गयी पाबंदियों की वजह से विद्युत उत्पादन का पूरा फायदा उठाने में असफल;
- ख) मध्य प्रदेश में व्यावहारिक जलविद्युत परियोजनाओं की क्षमता की कमी.

अवसर :

- क) विद्युत की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर;
- ख) परियोजनाओं के विकास की क्षमता;
- ग) पहले से प्रारंभ परियोजनाओं, यानी ताप विद्युत परियोजनाओं का विकास;
- घ) पवन ऊर्जा से विद्युत पैदा करने की संभावनाओं का पता लगाने के प्रयास;
- ड.) परियोजनाओं में सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियां लगाने की संभावनाओं की तलाश;

च) मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नर्मदा बेसिन में करीब 150-160 मेगावाट कुल क्षमता के सात बहुउद्देशीय बांध स्थापित करने का प्रस्ताव मिला.

जोखिम :

- क) निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा;
- ख) ताप विद्युत घरों के लिए देश में कोयले की उपलब्धता में कमी.

विद्युत उत्पादन :

वर्ष के दौरान नर्मदा बेसिन में मानसून की अच्छी वर्षा होने से इंदिरा सागर जलविद्युत परियोजना से 3287 एमयू और ओंकारेश्वर परियोजना से 1377 एमयू विद्युत पैदा करने का रिकार्ड कायम करने में कामयाबी मिली. 31.03.2012 तक कंपनी कुल 23440 एमयू विद्युत उत्पादित कर चुकी थी.

जोखिम और चिंताएं :

- जलविद्युत उत्पादन मुख्य रूप से प्राकृतिक विषमताओं से प्रभावित होता है और मानसून की अनिश्चितता के कारण उत्पादन के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता.
- आजकल देश में नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास भी बड़ी समस्याएं बन गयी हैं.
- ताप पावर स्टेशनों का मुख्य ईंधन कोयला है जिसकी देश में कमी है.
- विनियामक प्राधिकारियों से परियोजनाओं की स्वीकृति/संस्तुति प्राप्त करने में कितना समय लगेगा इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता.

दृष्टिकोण :

18वीं ईपीएस रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार वर्ष 2016-17 और 2021-22 में देश में विद्युत की अनुमानित मांग क्रमशः 1354 बिलियन यूनिट और 1904 बिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2011-12 में विद्युत का उत्पादन 876.88 बिलियन यूनिट था. इसी तरह वर्ष 2016-17 और 2021-22 में देश में सबसे अधिक खपत वाले दिनों में विद्युत की मांग क्रमशः 199.54 गीगा वाट और 283.47 गीगा वाट रहने का अनुमान है. वर्ष 2011-12 में अधिकतम मांग 130 गीगा वाट रही थी. आर्थिक विकास को देखते हुए देश में विद्युत ऊर्जा की मांग में 7 से 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ोत्तरी होगी.

लेकिन मध्य प्रदेश में विद्युत की मांग में वर्तमान कमी 16.90 प्रतिशत (8393 एमयू) का है और अधिकतम मांग वाले समय में यह कमी 7.10 प्रतिशत (646 मेगावाट) हो जाती है. विद्युत की मांग और आपूर्ति में यह अंतर मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत परियोजनाओं को तेजी से विकसित करके दूर किया जा सकता है.

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी उपयुक्तता :

कंपनी की प्रचालन संबंधी गतिविधियों के सुचारु रूप से और दक्षतापूर्वक संचालन के लिए मजबूत तथा कारगर आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं अपनाई गयी हैं. कंपनी सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करती है. उपयुक्त स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी किया गया है. लेख तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश अनुपालन के लिए जारी किये गये हैं. जांच और हितविधायी उपायों तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग किया जाता है. कंपनी का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है. सभी स्थानों पर नियमित और विस्तृत आंतरिक लेखा परीक्षण किये जाते हैं कंपनी बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति भी है जो केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है.

मानव संसाधन विकास :

कंपनी के कार्मिक उसकी ताकत हैं और संगठन के लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और कर्मचारियों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें निरंतर विकास का माहौल उपलब्ध कराने के जागरूक प्रयास किये जा रहे हैं. कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन के स्तर में सन्नर्ण के लिए उठाये गये मानव संसाधन संबंधी कदमों में सभी कार्यपालक अधिकारियों के लिए केआरए आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनायी जा रही है तथा उन्हें कांथिक कौशलों का प्रशिक्षण देकर और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं. कंपनी की यह अग्रेसरी कार्य-संस्कृति विश्वास और खुलेपन पर आधारित है. शक्तियों के सुविचारित हस्तान्तरण, विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता के जरिए एक ऐसी प्रणाली बनायी गयी है जो कारगर और सशक्तीकरण करने वाली है. संगठन अपने प्रत्येक कर्मचारी को विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति मानता है. कर्मचारियों के विकास और उनका दृष्टिकोण विस्तृत करने के लिए समय-समय पर उनकी जिम्मेदारियों की अदला-बदली की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके स्थानांतरण किये जाते हैं. मानव संसाधन गतिविधियों के तहत मानव संसाधन संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाता है. नए कर्मचारियों को व्यवस्थित और विधिवत प्रशिक्षण के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ संबद्ध किया जाता है ताकि वे कंपनी की संस्कृति को आत्मसात कर सकें. परियोजना/कार्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना की गयी है जिनमें बड़ी संख्या में पुस्तकों की व्यवस्था की गयी है. कार्यपालकों को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पेशेवर संस्थाओं की सदस्यता लेने को प्रोत्साहित किया जाता है.

नियुक्ति के बाद कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण योजना तैयार की गयी है. यह इस तरह से बनायी गयी है कि कर्मचारी बड़ी जिम्मेदारी वाले पदों के लिए तैयार हो सकें. टीम निर्माण की भावना के विकास के लिए कंपनी हर साल परियोजना और कार्यालय के स्तर पर आंतरिक और अंतर परियोजना/कार्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है. कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्य शालाओं के जरिए नेतृत्व क्षमता के विकास और रणनीतिक अभिविन्यास पर विशेष ध्यान दे रही है. जनता के प्रति अपने गहरे सरोकार का परिचय देते हुए कंपनी ने कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित की है जो इन कार्यों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यही वजह है कि कंपनी से नौकरी छोड़कर जाने वाले

कर्मचारियों की दर (1.08 प्रतिशत) उद्योग में सबसे कम है। कंपनी ने कर्मचारियों के आवास के लिए आधुनिक बस्ती का विकास किया है जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी बेहतरीन जीवन की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। कंपनी ने कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है। कंपनी का विद्युत उत्पादन उद्योग में बिना दुर्घटना के लम्बे समय तक कार्य करने का बेहतरीन रिकार्ड रहा है। कंपनी का इस बात पर जोर रहा है कि कर्मचारियों की क्षमताओं और दक्षताओं को वर्तमान और भविष्य के लिए तैयार किया जाए।

औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण बने रहे। कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए कंपनी बढ़-चढ़ कर उपाय करती है और मुक्त द्वार नीति का अनुसरण करती है। सौहार्दपूर्ण माहौल की वजह से वर्ष के दौरान मानव-दिवसों का कोई नुकसान नहीं हुआ।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व :

समाज की आवश्यकताओं का खयाल रखना कंपनी की प्रतिबद्धता है। वह मानती है कि उद्देश्यपूर्ण आर्थिक माहौल के लिए व्यवसाय के फायदे समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचने चाहिए। कंपनी की यह दृढ़ मान्यता है कि उसकी अपने लक्ष्यों को समाज के वृहत्तर लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। कंपनी वित्तीय फायदे के दायरे से बाहर निकल कर कार्य करने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह जागरूक है। वह सिर्फ विद्युत उत्पादन के लिए ही काम नहीं कर रही है बल्कि समाज के हित और उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सन्नद्ध लाने के लिए भी प्रयासरत है जिनकी सेवा के लिए उसका गठन किया गया है।

कंपनी जिस समाज में रह कर कार्य कर रही है उसके एक रचनात्मक सहयोगी के रूप में अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ठोस उपाय भी कर रही है। इस तरह वह अपने ग्राहकों, समाज और सभी साझेदारों के लिए मूल्यों के निर्माण में भी लगी है।

कंपनी ने विस्तृत कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार की है जिसके अनुसार हर साल कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा (0.5 - 2 प्रतिशत) सामुदायिक कल्याण और विकास के कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सामाजिक दायित्व के अंतर्गत जन-समुदायों को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल उपलब्ध कराने, स्वच्छता और महिलाओं तथा अन्य उपेक्षित समूहों के सशक्तीकरण में भागीदार बनाया जा रहा है।

कंपनी "समावेशी विकास" के प्रति वचनबद्ध है ताकि जिस जगह वह कार्य कर रही है वहां निरंतर विकास सुनिश्चित हो और जन-समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सन्नद्ध आए। हमारा यह पक्का प्रयास है कि व्यावसायिक सीमा के दायरे से बाहर निकलें और लोगों के सपनों को पूरा करके उनके दिल जीतें।

पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन :

कंपनी ने पर्यावरण के प्रति अपनी कारपोरेट जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए समाज, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की तरफ जो ध्यान देकर अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों के दायरे से बाहर कदम रखा है। इसकी दोनों जलविद्युत परियोजनाएं, यानी इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना ने अपनी परियोजना संबंधी गतिविधियों के अभिन्न अंग के तौर पर पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ : 14001:2004) विकसित की है। इससे संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट को कम से कम करने में मदद मिली है। जलविद्युत परियोजनाएं बड़े पैमाने पर विद्युत पैदा करने का पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल उपाय हैं। पर्यावरण संबंधी पर्याप्त पहलियातों के तहत जो कदम उठाये गये हैं उनमें पूरक वनीकरण, जलप्रहरण क्षेत्र का सन्नद्ध, भूकम्प संबंधी अध्ययन, राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों का निर्माण, पुरातात्विक महत्व के स्मारकों आदि का जीर्णोद्धार और उनकी पुनर्स्थापना।

कंपनी ने रेवा ताप विद्युत घर के लिए बड़ी सुझाव से सुपर-क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का चुनाव किया है। यह टेक्नोलॉजी ज्यादा कार्यकुशल और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है क्योंकि इसमें उत्सर्जन कम होता है। कंपनी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में ऐसी नीतियों को लागू करने और ऐसे मॉड्यूल तथा निगरानी प्रारूप अपनाने को वचनबद्ध है जो पर्यावरण के अनुकूल हों और जिनसे समाज के व्यापक स्तर पर भरपूर लाभ हो ताकि विकास का सिलसिला निरंतर बना रहे और समावेशी विकास संभव हो सके।

नवीकरणीय ऊर्जा का विकास :

कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे, जलविद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के जरिए विद्युत उत्पादन की एक दीर्घकालीन परिकल्पना भी तैयार की है।

इसके लिए कंपनी ने मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में अपना पंजीकरण कराया है। इसका उद्देश्य गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के क्षेत्र में कदम बढ़ाकर मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना का विकास करना है।

इसी तरह कंपनी इंदिरा सागर पावर स्टेशन और ओंकारेश्वर परियोजना के आस-पास उपलब्ध खाली जमीन पर सौर फोटो वोल्टिक प्रणालियां स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है।

इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने एनएचपीसी को ऊपरी नर्मदा थाले में बहुउद्देशीय मझौली और लघु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। प्रत्येक विद्युत घर की अनुमानित क्षमता 10 से 25 मेगावाट होगी।

वित्तीय कार्यनिष्पादन :

प्रचालन गतिविधियों के परिणाम

कंपनी के वित्तीय लेखे राष्ट्रीय लेखांकन मानदंड सलाहकार समिति के लागू होने वाले लेखांकन मानदंडों के आधार पर और संशोधित अनुसूची-6 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए तैयार किये गये हैं। तदनुसार पिछले साल के आंकड़ों को जब भी और जहां भी जरूरत पड़ी है पुनर्गठित/पुनर्संयोजित किया गया है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2011-12 और वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के बारे में तुलनात्मक वित्तीय चर्चा और विश्लेषण इस प्रकार है :

आय :

	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11
विद्युत की बिक्री (मि.यू. में)	4640.57	3188.53
आय (लाख रुपये में)		
ऊर्जा बिक्री (मूल्यहास की तुलना में अग्रिम का शुद्ध)	126564	91840
अन्य आय	18487	10735
कुल	145051	102575

कंपनी की आमदनी में विद्युत की बिक्री से हुई आय और अन्य आमदनी, जैसे अधिशेष धनराशि के निवेश से प्राप्त ब्याज और प्रतिभूतिकृत ऋणकर्ताओं/दीर्घवधि अग्रिमों से ब्याज शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में हमारी कुल आमदनी 41.41 प्रतिशत बढ़कर 145051 लाख रुपये हो गयी जो कि 2010-11 में 102575 लाख रुपये थी।

टैरिफ (प्रभार) :

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग-सीईआरसी विद्युत क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के पावर स्टेशनों के लिए प्रभार का निर्धारण करता है। आयोग ने अधिसूचना सं. एल-7/145 (160)/2008-सीईआरसी दिनांक 19 जनवरी, 2009 के जरिए एक नया प्रभार विनियम जारी किया जो 2009-14 की अवधि के लिए है। प्रभार वार्षिक नियत शुल्क (एफसी) के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं और इसमें इन्विटी से हुई आमदनी (आरओई), मूल्यहास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन तथा अनुरक्षण खर्च को भी हिसाब में लिया जाता है। आरओई को आय कर की दर के साथ समेकित किया जाता है ताकि आय कर की राशि की भी वसूली हो सके। एफसी को मासिक आधार पर क्षमता शुल्क (प्रोत्साहन राशि समेत) और ऊर्जा शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है। क्षमता शुल्क का निर्धारण मानदंडात्मक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता (एनपीएएफ) के आधार पर होता है जिसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक विद्युत परियोजना के प्रकार के आधार पर अलग-अलग निर्धारित कर दिया गया है।

कंपनी को एनपीएएफ से अधिक प्लांट उपलब्धता फैक्टर हासिल करने के लिए प्रोत्साहन हासिल करने और संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करने का अधिकार है। जहां तक ऊर्जा प्रभार का सवाल है उसकी वसूली संबंधित विद्युत घर के बिक्री योग्य ऊर्जा डिजाइन (एसडीई) को ध्यान में रखकर वसूल किया जाता है। एसडीई से अधिक विद्युत को सेकेंडरी ऊर्जा कहा जाता है और इसे ऊर्जा प्रभार दर पर वसूल किया जाता है और यह 80 पैसे प्रति किलोवाट आवर से ज्यादा नहीं हो सकता।

विद्युत की बिक्री :

कंपनी के दोनों विद्युत केन्द्रों से उत्पादित सारी विद्युत मध्य प्रदेश सरकार को मिलती है। विद्युत की बिक्री दीर्घवधि विद्युत खरीद समझौतों के आधार पर होती है। कंपनी ने 2009-14 की अवधि के दौरान इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना, दोनों का प्रभार निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण में प्रभार याचिका दायर की है। उपर्युक्त अधिसूचना के तहत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2009-14 की अवधि के लिए प्रत्येक विद्युत केन्द्र के प्रभार का अलग अलग निर्धारण होने तक उपर्युक्त अधिसूचना में बताए गये सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 की बिक्री दर को अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान की गयी है। चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग प्रभार याचिकाओं पर विचार करते समय उनकी दूरदर्शिता जांच भी करता है इसलिए संरक्षण के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा गया है। बहरहाल, वर्ष के दौरान आयोग द्वारा स्वीकृत प्रभार की 31 मार्च, 2009 को प्रचलित दर के आधार पर और करों के समायोजन के साथ बिल तैयार किये गये। तदनुसार वर्ष के दौरान बिलों में शामिल नहीं की गयी 1884 लाख रुपये की राशि भी शामिल है (जो पिछले साल 2614 लाख रुपये थी)। यह राशि 2009-14 के लिए लागू नये प्रभार मानदंडों और ओंकारेश्वर परियोजना के लिए अस्थायी आधार पर वसूली गयी राशि के अंतर को दर्शाती है। लेकिन इंदिरा सागर परियोजना में कोई भी ऐसी बिक्री नहीं है जो बिल में शामिल नहीं की गयी क्योंकि समूची बिक्री को बिलों में ले लिया गया है और जो बिक्री आगे होनी है उसे भी अधिसूचित मौजूदा दरों से वसूल किया जाएगा।

बिल में शामिल नहीं की गयी बिक्री में विलंबित कर वसूली के 3825 लाख रुपये (1600 लाख रुपये चालू साल के लिए और पिछले साल के 2225 लाख रुपये) भी शामिल हैं जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के प्रभार विनियम 2009 के अनुसार इस साल हिसाब में लिए गये हैं और लाभार्थियों से वसूल किये जाने हैं।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में कंपनी ने अपनी 1520 मेगावाट संस्थापित क्षमता से 4640.57 एमयू विद्युत की बिक्री की जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 में यह 3188.53 एमयू रही थी। इस तरह कंपनी ने विद्युत यूनिटों की संख्या के लिहाज से 45.54 प्रतिशत अतिरिक्त यूनिटों की बिक्री की।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में कंपनी की विद्युत बिक्री आमदनी 37.81 प्रतिशत बढ़कर 126564 लाख रुपये हो गयी जो वर्ष 2010-11 में 91840 लाख रुपये थी। इसी अवधि के दौरान बिक्री से होने वाली वसूली भी वर्ष 2011-12 में 116055 लाख रुपये हो गयी जो 2010-11 में 101256 लाख रुपये रही थी।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री :

वित्तीय वर्ष 2011-12 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अपने प्रभार आदेश दिनांक 16.01.2012 और 14.03.2012 के जरिए ओंकारेश्वर परियोजना के लिए प्रभार की अंतिम दर अधिसूचित की जो अप्रैल 2007 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए है। तदनुसार ऊर्जा की बिक्री से कंपनी को होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों की बिक्री भी शामिल है। इसमें ग्रीड अनुशासन लाने के लिए विनियमों में निर्धारित अनशिड्यूल इंटरचेंज (यूआई) शुल्क और मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एडई) तथा विलम्बित कर की वसूली भी शामिल है।

साल दर साल तुलना के आंकड़े नीचे दी गयी तालिका में दिये गये हैं : (लाख रुपये में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11
निवल बिक्री	128467	91703
मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम को घटाकर (एडी)	1903	(137)
शुद्ध बिक्री :	126564	91840
घटाकर :		
(क) पिछले साल की बिक्री (शुद्ध एडी)	16284	1082
(ख) यूआई शुल्क	617	333
समायोजित ऊर्जा बिक्री	109663	90425
पिछले साल के मुबाकले बिक्री में बढ़ोत्तरी (प्रतिशत)	21.28	

अन्य आमदनी :

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11
अन्य आमदनी	18487	10735

अन्य आमदनी में मुख्य रूप से प्रतिभूतिकृत ऋण/दीर्घवधि अग्रिम, अतिरिक्त रोकड़ के निवेश से आय, लाभार्थियों से ब्याज और विविध आय शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में कंपनी की अन्य आमदनी 18487 लाख रुपये थी जो 2010-11 में इसी मद में हुई 10735 लाख रुपये की आमदनी से 72.21 प्रतिशत अधिक है। इस बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण सावधि जमा राशियों के ब्याज में बढ़ोत्तरी और प्रभार संशोधन से लाभार्थियों का प्राप्त ब्याज है।

खर्च : तुलनात्मक स्थिति :

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	7481	7055
कर्मचारी परिलब्धियां और लाभ	5925	6984
मूल्यहास	25756	25015
वित्त लागत	23168	24934
प्रावधान और पिछली अवधि की मद	(2013)	49
कुल	60317	64037

वर्ष 2011-12 में कुल खर्च 5.81 प्रतिशत घटकर 60317 लाख रुपये हो गया जबकि यह 2010-11 में 64037 लाख रुपये था। कुल आमदनी के प्रतिशत के रूप में कुल खर्च 2011-12 में 41.58 प्रतिशत हो गया जो कि 2010-11 में 62.43 प्रतिशत रहा था।

लेखा- शीर्ष के आधार पर इसके कारणों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च :

लाख रुपये में

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11	अंतर
उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च	7481	7055	426

बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण ओकरेश्वर परियोजना में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कर्मियों की तैनाती और कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों में बढ़ोत्तरी होना है।

कर्मचारियों का वेतन और अन्य लाभ :

लाख रुपये में

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11	अंतर
कर्मचारियों का वेतन और अन्य लाभ	5925	6984	(1059)

कर्मचारी लागत में बचत का मुख्य तीन साल की अवधि के लिए कार्य कार्यनिष्पाद से जुड़े वेतन (पीआरपी) के प्रावधान में बढ़ोत्तरी और वर्ष 2010-11 के दौरान वेतन में संशोधन के कारण कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को बकाया राशि का भुगतान किया जाना है।

मूल्यहास और बंधक मोचन खर्च :

कंपनी की लेखांकन नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान के अंतर्गत मूल्यहास का सरल रेखा विधि से आकलन किया जाता है और इसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना में उल्लिखित दरों और प्रविधि का अनुसरण किया जाता है। केवल कुछ ही मदों के लिए कंपनी द्वारा आकलित दर से मूल्यहास की गणना की जाती है। भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 51/23/2011-सीएल-III दिनांक 31.05.2011 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 616(सी) में बतायी गयी कंपनियों, यानी जो विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति में लगी हैं, लाभार्थ का वितरण मूल्यहास के लिए प्रावधान करने के बाद मुनाफे में से कर सकती हैं मगर उन्हें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और यही कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 के अनुपालन के लिए पर्याप्त माना जाएगा।

वर्ष के दौरान मूल्यहास और बंधक मोचन के खर्च में मामूली बढ़ोत्तरी हुई जिसका कारण स्थिर आस्तियों में वृद्धि होना था।

वित्त लागत

वित्त लागत के अंतर्गत मूलतः सावधि ऋणों पर ब्याज-व्यय और लाभार्थियों को समय पर भुगतान के लिए दी जाने वाली छूट शामिल हैं। ब्याज और वित्त प्रभार में 7.08 प्रतिशत की कमी आयी और ऋणों की अदायगी के बाद यह वित्तीय वर्ष 2010-11 में 24934 लाख रुपये से घटकर 2011-12 में 23186 लाख रुपये हो गया।

करों के लिए प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयकर के आकलन के बाद 16992 लाख रुपये का प्रावधान किया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 में इसके लिए 7685 लाख रुपये रखे गये थे। कर प्रावधान में यह बढ़ोत्तरी कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 46196 लाख रुपये की वृद्धि और एमएटी की मूल दर के 18 प्रतिशत से 18.5 प्रतिशत हो जाने से हुई है।

नकदी प्रवाह

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी की आमद	142045	85577
निवेश गतिविधियों से बाहर गयी नकदी की शुद्ध राशि	(49627)	(3053)
वित्तपोषण गतिविधियों से बाहर गयी नकदी की शुद्ध राशि	(54744)	(52582)
नकदी/नकदी समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि	37674	29942

तुलन पत्र की मदों का विश्लेषण

इविटी और देयताएं

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को	अंतर
दीर्घवधि ऋण	163982	192109	(28127)
विलम्बित कर (शुद्ध)	14632	11604	3028
अन्य दीर्घवधि देयताएं	12110	10188	1922
दीर्घवधि प्रावधान	1305	1224	81
व्यापारिक देयताएं	843	846	(3)
अन्य चालू देयताएं	33075	33890	(815)
अल्पावधि प्रावधान	74297	26932	47365

दीर्घवधि ऋण में कमी का कारण मूलधन का चुकता किया जाना है। अल्पावधि प्रावधानों में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) में बढ़ोत्तरी होना है। यह राशि ओकरेश्वर परियोजना के लिए वन भूमि के अधिग्रहण के कारण जलग्रहण क्षेत्र निगरानी और नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए) द्वारा मांगी गयी राशि है।

आस्तियां

ब्यौरा	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को	अंतर
टेंजिबल स्थिर आस्तियां (ग्रॉस ब्लॉक)	400199	447944	(47745)*
इंटेजिबल स्थिर आस्तियां (उपयोग अधिकार) (ग्रॉस ब्लॉक)	323333	225862	97471
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	275	573	(298)
दीर्घवधि ऋण और अग्रिम	2690	1637	1053
चालू परिसंपत्तियों से इतर अन्य आस्तियां	19914	895	19019
वस्तु सूचियां	579	550	29
व्यापारिक प्राप्तियां	27416	29906	(2490)
नकदी और बैंक अति शेष	170683	3482	37674
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	1525	3482	(1957)
अन्य चालू आस्तियां	19235	5785	13450

- ग्रॉस ब्लॉक टेंजिबल परिसंपत्तियों में कमी का कारण भूमि-अवर्गीकृत (48527 रुपये) का टेंजिबल स्थिर परिसंपत्तियों (उपयोग-अधिकार) में परिवर्तन है।
- इंटेजिबल स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोत्तरी का कारण उपर्युक्त के अनुसार अंतर-शीर्ष अंतरण और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर पूंजीकरण किया जाना है ओकरेश्वर परियोजना के सिलसिले में जिसका भुगतान जलग्रहण क्षेत्र निगरानी और नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए) को उसकी मांग के मुताबिक किया जाना है।
- चालू परिसंपत्तियों से इतर परिसंपत्तियों में बढ़ोत्तरी का कारण प्रतिभूतिकृत की जाने वाली व्यापारिक प्राप्तियां हैं जिनके बारे में सिद्धांत रूप में समझौता पहले ही हो चुका है।
- अन्य चालू आस्तियों में बढ़ोत्तरी का कारण बैंक में जमा राशियों पर संचित ब्याज और वसूल किये जाने योग्य राशियों का बढ़ना है।
- अन्य मदों में अंतर महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट अभिशासन पर कंपनी की सोच

कंपनी विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, पेशेवर दृष्टिकोण और जवाबदेही पर आधारित गंभीर कारपोरेट तौर-तरीकों का अनुसरण करने को वचनबद्ध है। हमारा यह प्रयास रहा है कि विभिन्न भागीदारों के बीच विश्वास कायम किया जाए ताकि सुदीर्घ सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। हमारी मान्यता है कि कारपोरेट अभिशासन ने हमारे प्रबंधन के तौर-तरीके और मजबूत होते हैं। एनएचपीसी की कारपोरेट अभिशासन प्रणाली सहभागितापूर्ण, पारदर्शी, जवाबदेह, सहमति आधारित और समतामूलक है। कंपनी इस बात के सभी प्रयास करती है कि भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के जहां तक संभव हो, सभी प्रयास किये जाएं।

2. निदेशक मंडल

एनएचपीसी, एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें दोनों की इक्विटी भागीदारी क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है। एनएचपीसी के संगठन की वर्तमान शर्तों के अनुसार अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक की नियुक्ति एनएचपीसी द्वारा की जाएगी और एनएचपीसी मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति करेगा। निदेशक मंडल की सदस्य संख्या पांच से कम और ग्यारह से अधिक नहीं होगी। इनमें सभी पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशक शामिल होंगे।

इसके अलावा कंपनी के नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार के अपने-अपने मनोनीत सदस्य कंपनी के निदेशकों के पद पर एनएचपीसी लिमिटेड और मध्य प्रदेश सरकार की संतुष्टि तक ही पद पर रह सकेंगे। प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक पांच साल की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की उम्र में से जो भी पहले हो, उस तक के लिए नियुक्त किये जाएंगे।

2.1 बोर्ड का संघटन और कार्यकाल :

31 मार्च, 2012 को बोर्ड में नौ सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और एक पूर्णकालिक निदेशक, एनएचपीसी द्वारा नियुक्त दो अंशकालिक निदेशक, एनएचपीसी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र निदेशक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त चार अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। फिलहाल बोर्ड और उप-समिति का संघटन पूरी तरह कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों-2010 के अनुसार नहीं है। इस बारे में छूट हासिल करने के लिए लोक उपक्रम विभाग को लिखा गया है।

2.2 निदेशक मंडल की बैठक :

निदेशक मंडल की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में निदेशक उसमें हिस्सा ले सकें। लेकिन कंपनी के भोपाल सहित पंजीकृत कार्यालय में निदेशक मंडल की बैठक कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की 5 बैठकें 13 मई, 2011, 09 अगस्त, 2011, 16 सितम्बर, 2011, 14 नवम्बर, 2011 और 12 जनवरी, 2012 को आयोजित की गयीं। निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या, निदेशकों की उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति, निदेशकों की स्थिति, समिति, यानी लेखापरीक्षा समिति और शेयर धारक शिकायत समिति की सदस्यता का ब्यौरा इस प्रकार है :

निदेशकों का नाम	प्रत्येक निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	निदेशक मंडल की कितनी बैठकें में हिस्सा लिया	1 अगस्त, 2011 में हुई वार्षिक आम बैठक में उपस्थित	31.03.2012 को और कहां-कहां निदेशक थे	31.03.2012 को अन्य कितनी कंपनियों की समितियों के सदस्य थे
कार्यपालक निदेशक					
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	5	5	हां	3	1
श्री के.एम. सिंह मुख्य कार्यपालक निदेशक	5	5	हां	शून्य	शून्य
गैर-कार्यपालक निदेशक					
श्री आर.के. तनेजा, ईडी (एफ), एनएचपीसी	5	5	हां	शून्य	शून्य
श्री सुधीर कुमार, आईएएस, संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय*	4	शून्य	शून्य	6	शून्य
श्री जी. साइ प्रसाद, आईएएस, संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय**	1	1	लागू नहीं	5	शून्य

निदेशकों का नाम	प्रत्येक निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	निदेशक मंडल की कितनी बैठकें में हिस्सा लिया	1 अगस्त, 2011 में हुई वार्षिक आम बैठक में उपस्थित	31.03.2012 को और कहां-कहां निदेशक थे	31.03.2012 को अन्य कितनी कंपनियों की समितियों के सदस्य थे
श्री ओ.पी. रावत, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, एनवीडीडी, मध्य प्रदेश सरकार	5	4	हां	1	शून्य
श्री रजनीश वैश्य, आईएएस, सदस्य (आर), एनवीडीडी, मध्य प्रदेश सरकार	5	1	नहीं	1	शून्य
श्री एम. के. जैन सदस्य (विद्युत) एनवीडीडी, मध्य प्रदेश सरकार***	3	2	हां	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक (आईडी)/गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक					
श्री आर.जयशीलन, पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी भारत सरकार****	0	0	नहीं	1	1
श्री ए. गोपालाकृष्णन (सी.ए.), एनएचपीसी के नामिती*****	4	3	हां	1	2
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल, मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि*****	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य

*श्री सुधीर कुमार, 30 नवम्बर, 2011 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से भारमुक्त होने के बाद कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

**श्री जी. साइप्रसाद एनएचपीसी के निदेशक मंडल में 4 जनवरी, 2012 को निदेशक नियुक्त किये गये।

***श्री एम. के. जैन, सदस्य (विद्युत) एनवीडीडी, आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी के सदस्य नहीं रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने 2, फरवरी, 2012 से फिर से उन्हें एनएचपीसी का निदेशक नियुक्त किया है।

****श्री आर. जयशीलन 22 अप्रैल, 2011 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

*****श्री ए. गोपालाकृष्णन को एनएचपीसी के निदेशक मंडल में 23 जून, 2011 से स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया।

*****श्री गजेन्द्र सिंह पटेल को 21 अक्टूबर, 2011 से एनएचपीसी के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया।

कंपनी के निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है।

2.3 निदेशक मंडल का प्रशिक्षण :

कंपनी जब और जहां भी आवश्यकता होती है निदेशकों को दस्तावेजों और पुस्तिकाओं का सेट उपलब्ध कराती है। इसमें कंपनी के कार्यनिष्पादन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े, ज्ञापन और गठन की शर्तें, कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देश आदि शामिल रहते हैं। कंपनी के निदेशकों को प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित सेमिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मनोनीत करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

2.4 गबन और जोखिम प्रबंधन नीति :

जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कारपोरेट और प्रचालनात्मक लक्ष्यों के अनुसार समन्वित किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन एक सामान्य व्यावसायिक गतिविधि के अंग के तौर पर किया जाता है न कि किसी खास समय में एक अलग कार्य के रूप में। गबन और जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की अलग नीतियां हैं।

3. लेखापरीक्षा समिति :

31 मार्च, 2012 को लेखापरीक्षा समिति के सदस्य इस प्रकार थे :

क्रम सं	नाम	पदनाम	श्रेणी
01	श्री ए गोपालाकृष्णन	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
02.	श्री के.एम. सिंह	सदस्य	पूर्णकालिक निदेशक
03.	श्री आर.के. तनेजा	सदस्य	अंशकालिक निदेशक

वित्तीय वर्ष यानी 2011-12 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पांच बैठकें 13 मई, 2011, 08 जून, 2011, 15 सितम्बर, 2011, 12 जनवरी, 2012 और 21 मार्च 2012 को आयोजित की गयीं। आयोजित की गयीं। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान श्री आर. जयश्रीलन के हटने के बाद श्री आर.के. तनेजा ने लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकों की अध्यक्षता की। उसके बाद श्री ए. गोपालाकृष्णन एनएचडीसी की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष बने। लेखापरीक्षा समिति में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है।

क्रम सं.	नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
01	श्री ए गोपालाकृष्णन	3	3
02.	श्री के.एम. सिंह	5	5
03.	श्री आर.के. तनेजा	5	5

लेखा परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292-क के अनुसार है और बोर्ड द्वारा सौंपे गये कार्य की जिम्मेदारियां भी उसे निभानी पड़ती हैं। इसके अलावा कारपोरेट अभिशासन-2010 के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, शक्तियों और सूचना समीक्षा के अनुसार होता है।

4. मानदेय समिति :

31 मार्च, 2012 को मानदेय समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं	नाम	पदनाम	श्रेणी
01	श्री ए गोपालाकृष्णन	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
02.	श्री आर.के. सिंह	सदस्य	अंशकालिक निदेशक
03.	श्री एम.के. जैन	सदस्य	अंशकालिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मानदेय समिति की एक बैठक आयोजित की गयी। समिति के कार्यों के दायरे में लोग उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों का कार्यनिष्पादन पर आधारित वेतन तय करना है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में कार्यपालक निदेशकों के मानदेय का ब्यौरा और स्वतंत्र निदेशकों/ गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को भुगतान किये जाने वाले बैठक शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है:

क : कार्यपालक निदेशक (लाख रुपये में)

निदेशक का नाम	वेतन	भत्ते	कुल
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक*	-	-	-
श्री के.एम. सिंह मुख्य कार्यपालक निदेशक**	23	1	24

*भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है इसलिए मानदेय एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का ही मानदेय दिया जाता है।

**उपर्युक्त आंकड़ों में ग्रेजुटी, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस और बैगज एलाउंस का प्रावधान शामिल नहीं हैं क्योंकि यह वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निगम को एकमुश्त दिया जाता है।

ख : स्वतंत्र निदेशक/गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (लाख रुपये में)

निदेशक का नाम	बैठक शुल्क
श्री ए गोपालाकृष्णन	35,000
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल	5,000

5. आम सभा की बैठकें :

वार्षिक आम सभा की जो तीन बैठकें हुईं उनकी तारीख, समय और स्थान इस प्रकार हैं:

- वार्षिक आम सभा की नौवीं बैठक 23 जुलाई, 2009 को भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित लेक व्यू अशोक होटल में दोपहर बाद 12.30 बजे आयोजित की गयी।
- वार्षिक आम सभा की दसवीं बैठक 05 जुलाई, 2010 को भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित लेक व्यू अशोक होटल में पूर्वान्ह 11.15 बजे आयोजित की गयी।
- वार्षिक आम सभा की ग्यारहवीं बैठक 01 अगस्त, 2011 को भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित लेक व्यू अशोक होटल में पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित की गयी।

पिछले तीन वर्षों में पारित विशेष प्रस्ताव

क्रम सं.	बैठक की तारीख	पारित किये गये विशेष प्रस्ताव
01	22 अप्रैल, 2009 को आयोजित असाधारण आम बैठक	कंपनी के गठन के ज्ञापन में उद्देश्य संबंधी धारा में संशोधन
02.	17 जून, 2009 को आयोजित असाधारण आम बैठक	कंपनी के नाम में बदलाव
03.	22 अप्रैल, 2009 को आयोजित असाधारण आम बैठक	कंपनी के गठन के नियमों में संशोधन

6. घोषणाएं :

- कंपनी के निदेशकों के पास ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं था जिसमें मोटे तौर पर कंपनी के हितों को लेकर कोई टकराव की आशंका नजर आती हो।
- संबंधी पक्ष संबंधी घोषणा का ब्यौरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानदंडों के अनुसार लेखे के साथ संलग्न नोट्स में दिया गया है।
- वैधानिक अनुपालना रिपोर्ट नियमित रूप से निदेशक मंडल के समक्ष रखी जा रही है। यही नहीं, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले में पिछले तीन साल में कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है और न किसी मुद्दे पर कोई निंदात्मक टिप्पणी की गयी है।
- एनएचडीसी ने कंपनी ने गबन रोकने और कंपनी के कर्मचारियों और वितरकों के प्रतिनिधियों, सफायरों, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं अथवा एनएचडीसी के साथ किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न किसी अन्य पक्ष से संबंधित गबन या संभावित गबन की जानकारी देने के लिए एक नीति पहले ही तैयार अपना रखी है। इस नीति में गबन के मामलों को रोकने की प्रक्रिया भी दी गयी है।
- कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानदंडों को अपनाया है।

7. संचार साधन

कंपनी की समूची चुकता पूंजी एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) और मध्य प्रदेश सरकार के पास 51:49 के अनुपात में है। कंपनी अपने शेयर धारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकों और वेबसाइट पर जानकारीयों के माध्यम से संवाद करती है।

8. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने अपने सदस्यों तथा कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचार और सदाचार संहिता निर्धारित की है। इस संहिता की प्रतिलिपि कंपनी के वेबसाइट www.nhdcindia.com पर प्रदर्शित की गयी है। निदेशक मंडल के सभी सदस्य और कंपनी के महत्वपूर्ण अधिकारियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

9. अनुपालना प्रमाणपत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश-2010 में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला पूर्णकालिक कंपनी सचिवों मै. डीपीए एंड एसोसिएट्स का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।



वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के बारे में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की घोषणा.

मैं, ए.बी.एल. श्रीवास्तव, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 2011-12 के दौरान व्यावसायिक आचार और नैतिक संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है.

सही/-

(ए.बी.एल. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. 01601682
दिनांक : 07.05.2012

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड,
एनएचपीसी परिसर, श्यामला हिल्स,
भोपाल

हमने भारत सरकार के भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के लोक उपक्रम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 को जारी 'कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देश-2010 और उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुलग्नक (जिसे यहां आगे 'दिशानिर्देश' कहा जाएगा) में बतायी गयी कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा (जिसे यहां आगे 'कंपनी' कहा जाएगा), 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए साल के लिए अनुपालन किये जाने की जांच कर ली है.

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी. यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में राय की अभिव्यक्ति है.

हमारी राय और हमारी पूरी जानकारी के अनुसार तथा हमें जो खुलासे किये गये उसके आधार पर हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

हम यह भी कहना चाहते हैं इस तरह का अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी व्यवहार्यता का और न कंपनी के कामकाज के प्रभावी संचालन में प्रबंधन की दक्षता का आश्वासन है.

कृते डीपीए एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

(सील और हस्ताक्षर)
सी.एस. अमित कुमार जैन
भागीदार
एफसीएस-6522
सीपी नं. 7136

स्थान : भोपाल
दिनांक : 11-07-12

अनुलग्नक-क (देखें : अनुच्छेद-15 ग)

ऊर्जा संरक्षण और टेक्नोलाजी अंगीकरण

ऊर्जा संरक्षण के उपाय :

क्रम सं.	वांछित सूचना	उत्तर
(क)	ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये उपाय	1. ओंकारेश्वर विद्युत केन्द्र के प्रशासनिक भवन में स्थापित 15 किलोवाट का सौर फोटोवोल्टैक संयंत्र फरवरी 2012 से काम कर रहा है. 2. इंदिरासागर विद्युत केन्द्र में विद्युत घर और प्रबंध निदेशक के कार्यालय में 10 किलोवाट के दो सौर फोटोवोल्टैक विद्युत संयंत्र स्थापित.
(ख)	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, अगर कोई हो	1. ओंकारेश्वर विद्युत केन्द्र में 2.98 मेगावाट क्षमता का सौर फोटोवोल्टैक संयंत्र स्थापित करने के बारे में पीएफआर तैयार. 2. ओंकारेश्वर विद्युत घर की छत पर 40 किलोवाट क्षमता के सौर फोटोवोल्टैक संयंत्र के बारे में पीएफआर तैयार की जा रही है-
(ग)	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए उपर्युक्त (क) और (ख) उपायों का प्रभाव और उससे वस्तुओं की उत्पादन लागत पर असर	ओंकारेश्वर के ऊर्जा बिल में 1940 किवा आवर और इंदिरासागर में 15095 यूनिट की कमी. दोनों के बिलों में 17035 यूनिट की कमी.
(घ)	अनुलग्नक के फॉर्म-क और उसकी अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों के संदर्भ में कुल ऊर्जा खपत और प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत	लागू नहीं

फार्म-ख

क्रम सं.	वांछित सूचना	उत्तर
1)	विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी ने अनुसंधान और विकास कार्य किये	इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना की उत्पादन इकाइयों की बियरिंग का तापमान
2)	उपर्युक्त अनुसंधान और विकास कार्यों के फायदे;	इंदिरा सागर परियोजना में उत्पादन इकाइयों की बियरिंग का तापमान गर्मियों में बहुत बढ़ जाता था जिससे इकाइयों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती थी. इसके कारणों का पता लगाकर सन्नक्षण के लिए उपाय किये गये. इन उपायों के तहत बियरिंग को पानी ठंडा ले जाने वाली लाइनों से जोड़ा गया. जिससे बियरिंग का तापमान 5 डिग्री से. कम हो गया
3)	भावी कार्य योजना	1. इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत टीजी सेट्स के लिए ऑन लाइन टू डाइमेंशनल कंपन निगरानी प्रणाली का विकास 2. इंदिरा सागर परियोजना में लोड अध्ययन और पावर फैक्टर सन्नक्षण 3. ओंकारेश्वर विद्युत केन्द्र में जेनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए ऑन लाइन डीजीए उपकरण 4. जीओथर्मल (भूताप) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए एफपीआर तैयार करना
4)	अनुसंधान और विकास पर खर्च	
	(क) पूंजी	
	(ख) आवर्ती	5.5 लाख
	(ग) कुल	5.5 लाख
	(घ) कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान-विकास का कुल खर्च कुल	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में नगण्य

टेक्नोलॉजी अंगीकरण, अनुकूलन और नई खोज

क्रम सं.	वांछित सूचना	उत्तर
1	टेक्नोलाजी अपनाने, उसे आत्मसात करने और नई खोजों की दिशा में प्रयास संक्षेप में	शून्य
2.	उपर्युक्त प्रयासों, यानी उत्पाद सन्नक्षण, लागत घटाने, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन की वजह से हुए फायदे	शून्य
पिछले पांच वर्षों में आयातित टेक्नोलाजी		शून्य

विदेशी मुद्रा की आमदनी और खर्च

क्रम सं.	वांछित सूचना	उत्तर
1.	निर्यात संबंधी गतिविधियां, निर्यात बढ़ाने के प्रयास, उत्पाद और सेवाओं के लिए नये निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं	लागू नहीं
2.	विदेशी मुद्रा की कुल आमदनी	शून्य
	विदेशी मुद्रा खर्च	शून्य

अनुलग्नक-क (देखें अनुच्छेद 14 घ)

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 क) के तहत कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 को भी ध्यान में रखकर वांछित सूचना शून्य समझी जाए.

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण, एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश)

हमने मैसर्स एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश) के 31 मार्च, 2012 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ एवं हानि लेखा, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्योंकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्योंकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मूहैया कराती है।

भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षा के अनुसार और उस जांच के आधार पर जो हमने उचित समझी है तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विरिफिड मामलों पर एक विवरण अनबंध में संलग्न किया है।

उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- (i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;
- (ii) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;
- (iii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है;

हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।

- (iv) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी उनके सामान्य परिपत्र संख्या 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः हमारी राय में इस खंड की अपेक्षाएं इस कंपनी पर भी लागू नहीं होती हैं।
- (vii) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे उनके बारे में और उनके साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं लेखों के व्याख्यात्मक विवरण में दी गई अन्य टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं-
- (क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 को कंपनी की स्थिति का,
- (ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का,
- (ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

(हस्ता./-)

(आर के अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता सं.-71755

एफ आर न. 509955सी

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 18.05.2012

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

- | | |
|---|--|
| <p>(i) (क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।</p> <p>(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान सभी अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार इस सत्यापन की आवश्यकता तर्कसंगत है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत किए गए रिकार्डों के अनुसार इस तरह की भौतिक जांच के दौरान उजागर हुई खामियां कोई महत्वपूर्ण नहीं थीं और उन्हें दूर करने के लिए लेखा-बहियों में समुचित व्यवस्था की गई है।</p> <p>(ग) चूंकि वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया, अतः इस कारण से सतत सरोकार के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।</p> | <p>(iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और विवृत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमजोरी सामने नहीं आयी।</p> |
| <p>(ii) (क) वर्ष के दौरान मार्गस्थ वस्तुओं को छोड़कर मालसूची का बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।</p> <p>(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।</p> <p>(ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पायी गई है।</p> | <p>(v) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर, हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा-परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो। वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन की तर्क-संगतता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।</p> |
| <p>(iii) (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य प्राइवेट पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।</p> <p>(ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।</p> | <p>(vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार एनएचडी सी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्य प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किन्हीं नियमों के अंतर्गत पब्लिक से कोई जमा-राशियां स्वीकार नहीं की हैं।</p> <p>(vii) हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।</p> <p>(viii) हमने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा किए गए बहियों के रखरखाव की स्थिति की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखे और रिकार्ड समुचित रूप से तैयार और अनुरक्षित किए गए हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।</p> |
| <p>(iv) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।</p> | <p>(ix) (क) कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और बचाव निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार</p> |

अनुसार 31 मार्च, 2012 को देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई बकाया राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के देयों की राशि 9 लाख रुपए (आय कर) और 3 लाख (एंड्रो टैक्स यानी प्रवेश कर) है।

(x) कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नहीं है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

(xi) अभिलेखों की जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर, ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रهن रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यो को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।

(xiii) कम्पनी एक चिट/निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए इस खंड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xiv) कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है।

(xv) कंपनी ने अन्यो द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) सावधि ऋणों से संबद्ध निधियों के उपयोग की समीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे उगाहे गये थे।

(xvii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधि का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के रूप में नहीं किया गया।

(xviii) कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

(xix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किया है और इसलिए प्रतिभूति के सृजन या तत्संबंधी प्रभार का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार की प्रतिभूति के लिए पब्लिक इश्यू के ज़रिए धन की उगाही नहीं की है, इसलिए किसी पब्लिक इश्यू के ज़रिए उगाहे गए धन के लक्षित इस्तेमाल संबंधी प्रकटीकरण का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(xxi) अपनायी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन से मिली जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

(हस्ता./-)

(आर के अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता सं.-71755

एफ आर न. 509955सी

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 18.05.2012

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय ब्योरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय ब्योरो पर अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गयी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18 मई, 2012 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्योरो की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है। इसे मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिकों की जांच तक सीमित रखा गया है। इसमें कुछ चुने हुए लेखा रिकॉर्डों की परीक्षा भी की गयी है। लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं आया जिस पर टिप्पणी की जाये या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक रिपोर्ट पेश की जाये।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षरित

(प्रवीण कुमार सिंह)

प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) और

पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3,

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 13 जून, 2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रूपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	1	196258	196258
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	327607	266265
(2) लंबित आवंटन संबंधी शेयर आवेदन निधि	3	0	0
(3) गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	4	163982	192109
(ख) स्थगित कर देयता	5	14632	11604
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	12110	10188
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	1305	1224
(4) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	8	0	0
(ख) व्यापार प्राप्य	9	843	846
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	10	33075	33890
(घ) अल्पावधि प्रावधान	11	74297	26932
कुल		824109	739316
II. आस्तियां			
(1) गैर-वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तियां	12.1	309956	369649
(ii) अगोचर आस्तियां	12.2	271836	193830
(iii) चालू पूंजी कार्य	13.1	275	573
(iv) विकासाधीन अगोचर आस्तियां	13.2	0	0
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	14	0	0
(ग) स्थगित कर आस्तियां	5	0	0
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	15	2690	1637
(ङ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	16	19914	895
(2) चालू आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	17	0	0
(ख) मालसूची	18	579	550
(ग) व्यापार प्राप्य	19	27416	29906
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	20	170683	133009
(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	21	1525	3482
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	22	19235	5785
कुल		824109	739316
निर्माण के द्वारा खर्च	32		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	34		
अन्य व्याख्यात्मक लेख टिप्पणियां	35		
टिप्पणी 1 से 35 इस लेखे का अभिन्न अंग हैं।			-

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

आर के अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य संख्या 71755
एफआरएन 509955सी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18.05.2012

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

आर के तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

वी के त्रिपाठी
कम्पनी सचिव

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

आर एस बत्रा
महाप्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2012 के अनुसार लाभ एवं हानि खाता

(लाख रुपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	23	126564	91840
ii) अन्य आय	24	18487	10735
कुल आय		145051	102575
व्यय			
i) कर्मचारी लाभ व्यय	25	5925	6984
ii) वित्त लागत	26	23168	24934
iii) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	27	25756	25015
iv) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	28	7481	7055
v) प्रावधान	29	80	5
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	30	0	0
कुल व्यय		62410	63993
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा सतत प्रचालन से कर पूर्व लाभ		82641	38582
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	31	(2093)	44
विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ		84734	38538
असाधारण मदें		0	0
असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ		84734	38538
असाधारण मदें		0	0
कर पूर्व लाभ		84734	38538
कर संबंधी व्यय	33		
i) वर्तमान कर		16992	7685
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		24	138
iii) विलंबित कर		(203)	389
घटाएं: वसूली योग्य विलंबित कर समायोजन		(3231)	87
कर संबंधी कुल व्यय		20044	8125
सतत प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ		64690	30413
गैर प्रचालन कार्यों से लाभ		-	-
गैर प्रचालन कार्यों पर कर व्यय		-	-
गैर प्रचालन कार्यों से कर उपरांत लाभ		-	-
वर्ष के लिए लाभ		64690	30413
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर)			
बुनियादी (I प्रति शेयर)		329.61	154.96
तनूकृत (II प्रति शेयर)		329.61	154.96
निर्माण के द्वारा खर्च	32		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	34		
अन्य व्याख्यात्मक लेख टिप्पणियां	35		
टिप्पणी 1 से 35 इस लेखे का अभिन्न अंग हैं।			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

आर के अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य संख्या 71755
एफआरएन 509955सी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18.05.2012

आर के तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

वी के त्रिपाठी
कम्पनी सचिव

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

आर एस बत्रा
महाप्रबंधक (वित्त)

टिप्पणी संख्या 1 – शेयर पूंजी

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को संख्या में	(राशि)	31 मार्च, 2011 को संख्या में	(राशि)
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी	30000000	300000	30000000	300000
(ख) (जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 1000/-रुपए)	19625800	196258	19625800	196258
	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी
(ग) 31.03.2012 को परिशोधित इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/अभिदत्त शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	19625800	196258	19625800	196258
घटाएँ : शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	0	0	0	0
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	0	0	0	0
(घ) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	19625800	196258	19625800	196258
एनएचपीसी लिमिटेड (होलिंग्स कम्पनी)				
मध्य प्रदेश सरकार	51%	10024200	10024200	
(ङ) नकदी से इतर आवंटन के लिए विचारार्थ शेयरों की कुल संख्या	49%	9601600	9601600	
	शून्य		शून्य	

टिप्पणी सं. 2 – आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(क) पूंजी आरक्षी		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
जोड़े: अधिशेष से अंतरण	0	0
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान पश्च लिखित	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	0	0
तुलन पत्रक की तारीख को	0	0
(ख) सांविधिक आरक्षी		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
जोड़े: अधिशेष से अंतरण	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान पश्च लिखित	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	0	0
तुलन पत्रक की तारीख को	0	0
(ग) प्रतिभूति प्रीमियम खाता		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धन	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	0	0
तुलन पत्रक की तारीख को	0	0
(घ) बांड विमोचन आरक्षी		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
जोड़े: अधिशेष से अंतरण	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान पश्च लिखित	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	0	0
तुलन पत्रक की तारीख को	-	-
(ङ) स्वं बीमा निधि		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16051	15259
जोड़े: अधिशेष से अंतरण	0	792
घटाएँ: वर्ष के दौरान पश्च लिखित	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	0	0
तुलन पत्रक की तारीख को	0	0
(च) सामान्य आरक्षी		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
जोड़े: अधिशेष से अंतरण	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान पश्च लिखित	0	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	0	0
तुलन पत्रक की तारीख को	0	0
(छ) सहायता अनुदान आरक्षी		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	117216	120295
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	9096	3393
घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान पश्च लिखित	5773	5581
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	(172)	891
तुलन पत्रक की तारीख	-	-

टिप्पणी सं. 2 – आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
ज) अधिशेष*	190845	132998
कुल	327607	266265
*अधिशेष		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	64690	30413
अग्रेणीत शेष	132998	107939
जोड़ :		
i) बांड विमाचन आरक्षी पश्च लिखित	0	0
ii) पूंजी आरक्षी पश्च लिखित	0	
iii) अन्य आरक्षी पश्च लिखित	0	0
iv) स्व बीमा निधि से पश्च लिखित	0	0
v) लाभांश पर कर पश्च लिखित	0	0
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष		
i) पूंजी आरक्षी को अंतरित	0	0
ii) बांड विमाचन आरक्षी को अंतरित	0	0
iii) स्व बीमा निधि को अंतरित	0	792
iv) सामान्य आरक्षी को अंतरित	0	0
v) लाभांश		
- अंतरिम	0	0
- प्रस्तावित	5888	3925
- अंतिम	0	0
vi) लाभांश पर कर		
- अंतरिम	0	0
- प्रस्तावित	955	637
अग्रेणीत शेष	190845	132998

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं.

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

(लाख रूपए में)

1. सहायता-अनुदान आरक्षी	01.04.2011	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2012
i) आईएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	31664	124	1522	153	30419
ii) आईएसपीएस के लिए एनवीडीए खाते से सरदार सरोवर परियोजना को अंतरित आनुपातिक आर्थिक सहायता.	40468	158	1945	195	38876
iii) आईएसपीएस के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	24937	848	1098	0	24687
iv) ओएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	15529	7899	936	(176)	22316
v) ओएसपीएस के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	4618	67	272	0	4413
	117216	9096	5773	172	120711

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं.

टिप्पणी सं. 3 – शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन	0	0

टिप्पणी सं. 4 - दीर्घावधि ऋण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) बॉण्ड्स/डिबेंचर		
- प्रतिभूत	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
ख) सावधि ऋण		
• बैंकों से		
- प्रतिभूत #	89732	104359
- अप्रतिभूत	0	0
• अन्य पार्टियों से		
- प्रतिभूत #	74250	87750
- अप्रतिभूत	0	0
ग) स्थगित भुगतान देयताएं		
घ) जमा राशियां	0	0
ङ) संबंधित पार्टियों से ऋण एवं अग्रिम		
- प्रतिभूत	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
च) अनुषंगी कंपनियों से ऋण एवं अग्रिम		
- प्रतिभूत	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
छ) वित्त लीज दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	0	0
ज) अन्य ऋण और अग्रिम	0	0
	163982	192109
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	शून्य	शून्य
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	शून्य	शून्य
31.03.2012 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	शून्य	शून्य
31.03.2012 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	शून्य	शून्य

प्रतिभूति (प्रत्येक मामले में अलग से) के बारे में प्रकटीकरण:-

1. बैंकों से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और इंदिरा सागर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं।
2. पावर फाइनेंस कारपोरेशन (अन्य पार्टियों) से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और ओमकारेश्वर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं।

टिप्पणी 4 का परिशिष्ट

दीर्घावधि ऋण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(क) बांड्स (गैर-परिवर्तनीय और गैर-संचयी)-प्रतिभूत	0	0
कुल बांड (क)	0	0
(ख) सावधि ऋण-प्रतिभूत		
1. इंदिरा सागर परियोजना		
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	18720	21840
(30.09.09 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
देना बैंक	15851	18493
(30.09.09 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
देना बैंक	14354	16604
(31.03.2010 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
एचडीएफसी बैंक	22353	26079
(30.09.09 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
एचडीएफसी बैंक	14554	16793
(31.03.2010 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3900	4550
(30.09.09 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
उप-जोड़	89732	104359
2. ओमकारेश्वर परियोजना		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	74250	87750
(15.01.2009 से प्रारंभ होने वाली 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
उप जोड़	74250	87750
कुल सावधि ऋण-बैंक/वित्तीय संस्थान-भारतीय रुपया-प्रतिभूत (ख)	163982	192109
सावधि ऋण-अन्य पार्टियों से (अप्रतिभूत)		
(ग) सावधि ऋण-बैंक/वित्तीय संस्थान-विदेशी मुद्रा		
भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत		
सावधि ऋण-बैंक/वित्तीय संस्थान-विदेशी मुद्रा-अप्रतिभूत (ग)	0	0
(घ) केन्द्र सरकार से ऋण-अप्रतिभूत	-	-
कुल अप्रतिभूत ऋण (घ)	0	0
कुल योग (क+ख+ग+घ)	163982	192109

टिप्पणी सं. 5 - स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 "आय पर कर" का अनुपालन करते हुए 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान स्थगित कर देयता के लिए रुपये 3028 लाख (पिछले वर्ष रुपये 302 लाख) का प्रावधान किया गया है। संचयी स्थगित कर देयता का मदवार विवरण नीचे दिया गया है।		
स्थगित कर देयताएं		
i) मूल्यहास	66344	66496
घटाएं : स्थगित कर परिसंपत्तियां		
ii) संचयी असमाहित मूल्यहास	0	0
iii) मूल्यहास के प्रति अग्रिम जिसे कर गणना में आय समझा गया	0	0
iv) संदिग्ध ऋणों, स्व बीमा और अन्य के लिए प्रावधान	0	0
v) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	330	279
स्थगित कर देयता (निवल)		
स्थगित कर देयता	66014	66217
वसूली योग्य समायोजन	51382	54613
स्थगित कर देयता (निवल)	14632	11604

टिप्पणी सं. 6 - अन्य दीर्घावधि देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) व्यापार देयताएं		
i) सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों का कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक देय रुपये शून्य)	0	0
मध्यम आकार के औद्योगिक उद्यम का कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया रुपये शून्य)।	0	0
ii) अन्य	0	0
ख) अन्य		
i) जमा/प्रतिधारण निधि	106	87
ii) अग्रिम प्राप्त आय	12004	10101
iii) विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित देयता	0	0
iv) विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	0	0
	12110	10188

टिप्पणी सं. 7 - दीर्घावधि प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
i) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	521	285
वर्ष के दौरान संवर्धन	98	236
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	619	521
ii) उपदान के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	450	216
वर्ष के दौरान संवर्धन	0	234
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	5	0
अंतिम शेष	445	450
iii) आरईएचएस के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	153	100
वर्ष के दौरान संवर्धन	59	53
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	212	153
iv) अवकाश नकदीकरण पर एमसी के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	68	38
वर्ष के दौरान संवर्धन	0	34
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	4
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	68	0
अंतिम शेष	0	68

टिप्पणी सं. 7 - दीर्घावधि प्रावधान

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
v) टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	32	20
वर्ष के दौरान संवर्धन	0	12
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	4	0
अंतिम शेष	28	32
vi) स्मृति-चिन्ह (सेवानिवृत्ति पर) के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
वर्ष के दौरान संवर्धन	1	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	1	0
ख) अन्य		
i) प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
वर्ष के दौरान संवर्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	0	0
कुल	1305	1224

टिप्पणी सं. 8 - अल्पावधि ऋण

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण		
• बैंको से		
- प्रतिभूत #	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
• अन्य पार्टियों से		
- प्रतिभूत #	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
ख) संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम		
- प्रतिभूत #	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
ग) अनुषंगी कंपनियों से ऋण और अग्रिम		
- प्रतिभूत #	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
घ) अल्पावधि जमा	0	0
ङ) अल्पावधि ऋण		
• बैंको/वित्तीय संस्थानों से		
- प्रतिभूत #	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
• अन्य पार्टियों से		
- प्रतिभूत #	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
निदेशकों द्वारा प्रत्याभूत ऋणों की कुल राशि	शून्य	शून्य
अन्य-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋणों की कुल राशि	शून्य	शून्य
31.03.2012 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक राशि	शून्य	शून्य
31.03.2012 को ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की अवधि	शून्य	शून्य
# प्रतिभूति का स्वरूप प्रत्येक मामले में अलग से निर्दिष्ट किया जा सकता है।		

टिप्पणी सं. 9 - व्यापार देयताएं

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की कुल बकाया राशि (30 से अधिक देय-शून्य रूपये)	0	0
ख) मंजोली औद्योगिक इकाइयों की कुल बकाया राशि (30 से अधिक देय-शून्य रूपये)	0	0
ग) अन्य	843	846
कुल	843	846

टिप्पणी सं. 10 - अन्य चालू देयताएं

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं		
बांड/ऋणपत्र		
- प्रतिभूत	0	0
- अप्रतिभूत	0	0
सावधि ऋण		
बैंकों से		
- प्रतिभूत #	14626	14626
- अप्रतिभूत	0	0
अन्य पार्टियों से		
- प्रतिभूत #	13500	13500
- अप्रतिभूत	0	0
ख) वित्त लीज दायित्व की वर्तमान परिपक्वताएं	0	0
ग) जमा राशि	0	0
घ) ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	441	561
ङ) ऋणों पर प्रोदभूत और देय ब्याज	0	0
च) अग्रिम प्राप्त आय	0	0
छ) आद न किया गया लाभांश	0	0
ज) पूजी कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	3378	3978
झ) जमा/प्रतिधारण निधि	601	661
ञ) होल्डिंग के प्रति देय	110	208
ट) जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि	0	0
ठ) बांड आवेदन निधि	0	0
ड) अन्य देयताएं	222	189
ड) सांविधिक देयताएं	197	167
ण) अन्य देयताएं -स्व बीमा आरक्षी	0	0
त) डिपोजिट कार्यों के प्रति अग्रिम	0	0
घटाएं : डिपोजिट कार्यों पर व्यय की गई राशि	0	0
थ) परियोजना/अनुबंधों की लागत के प्रति अग्रिम	0	0
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	0	0
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	0	0
द) सहायता अनुदान-लंबित उपयोग	0	0
कुल	33075	33890

प्रतिभूति (प्रत्येक मामले में अलग से) के बारे में प्रकटीकरण:-

1. बैंकों से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और इंदिरा सागर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं।
2. पावर फाइनेंस कारपोरेशन (अन्य पार्टियों) से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और ओमकारेश्वर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं।

टिप्पणी 10 का परिशिष्ट

दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(क) बांड (अपरिवर्तनीय और असंचयी)	0	0
कुल बांड (क)	0	0
(ख) सावधि ऋण -प्रतिभूत		
1. इंदिरा सागर परियोजना		
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3120	3120
देना बैंक	2642	2642
देना बैंक	2250	2250
एचडीएफसी बैंक	3725	3725
एचडीएफसी बैंक	2239	2239
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	650	650
उप-जोड़	14626	14626
2. ओमकारेश्वर परियोजना	-	-
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	13500	13500
उप-जोड़	13500	13500
कुल प्रतिभूत ऋण (ख)	28126	28126
कुल योग (क+ख)	28126	28126

टिप्पणी सं. 11 - अल्पावधि प्रावधान

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	47	46
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	54	47
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	35	46
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	66	47
ii) उपदान के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	11	16
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	19	11
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	11	16
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	19	11
iii) आरईएचएस के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	7	7
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	5	0
अंतिम शेष	1	7
iv) यात्रा अवकाश रियायत (एलटीसी) के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	29	36
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0	29
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	19	25
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	10	11
अंतिम शेष	0	29
v) अवकाश नकदीकरण पर एमसी हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	0	0
vi) टीटीए (सेवा-निवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	0	0
vii) स्मृति चिन्ह (सेवा-निवृत्ति पर) के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	0	0
viii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2732	3522
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	66	1199
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1845	1389
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	243	0
सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि में अंतरित राशि	0	600
अंतिम शेष	710	2732
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	84	560
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	626	2172
ix) उत्पादकता सहयोगित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1100	225
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	517	1083
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	56	197
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	11
अंतिम शेष	1561	1100
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	150	0
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	1411	1100

टिप्पणी सं. 11 - अल्पावधि प्रावधान

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
x) सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	600	0
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	343	600
वेतन संशोधन से अंतरित राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	943	600
ख) अन्य		
i) कराधान हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	18222	15104
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	16992	7823
वर्ष के दौरान समायोजन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	10541	4705
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	24673	18222
घटाएं : अग्रिम कर	24673	18222
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	0	0
ii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3925	2123
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	5888	3925
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	3925	2123
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	5888	3925
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	637	353
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	955	637
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	637	353
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	955	637
iv) प्रावधान -अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3559	3600
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	530	41
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	3029	3559
v) कारपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु प्रावधान व्यय		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	275	275
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	608	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	380	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	503	275
vi) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	14570	16122
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	47098	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	812	1552
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	60856	14570
कुल	74297	26932

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- 1) लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन लंबित रहते 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 343 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 31.03.2012 को इस मद में कुल प्रावधान 943 लाख रुपये हैं।
- 2) लोक उद्यम विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ नम्बर 15(3)/2007-डीपीई(जीएम)-जीएल-99 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन 01.04.2010 से लोक उद्यमों को करना है। इसके अनुपालन के लिए निदेशक मंडल ने 10.03.2011 की अपनी बैठक में निगम द्वारा अपनाए जाने के लिए एक विस्तृत सीएसआर स्कीम का अनुमोदन किया। इस स्कीम के अनुसार पिछले वित्त वर्ष यानी 2010-11 के कर उपरान्त लाभ के आधार पर वर्ष के दौरान सीएसआर परिव्यय के रूप में 608 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इस स्कीम के अनुसार पिछले वर्ष की राशि यानी 503 लाख रुपये सहित, खर्च न की गई राशि को अगले वर्ष के बजट में अंग्रेणीत किया जा रहा है। किन्तु अलग से कोई धन निर्धारित नहीं किया गया है।
- 3) प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान में ओमकारेश्वर परियोजना के संदर्भ में वनभूमि के गैर-वन प्रयोजन के लिए इस्तेमाल के संदर्भ में दायित्व के तहत सीएमपीए निधि (प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) के लिए 47098 लाख रुपये की राशि शामिल है।

टिप्पणी सं. 12.1 - परिसंपत्तियों की श्रेणी

(लाख रुपए में)

		सकल ब्लाक					मूल्यहास				निवल ब्लाक		
क्र. सं.	विवरण	01.04.2011	संवर्द्धन		कमी		31.03.2012	01.04.2011	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2012	31.03.2012	31.03.2011
			अंतरण के कारण	अन्य कारण से	अंतरण के कारण	अन्य कारण से							
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	176	0	0	0	0	176	32	6	0	38	138	144
iii)	सड़कें और पुल	1059	0	207	0	0	1266	148	46	0	194	1072	911
iv)	भवन	65705	0	353	0	0	66058	10494	2226	1	12721	53337	55211
v)	रेलवे साइडिंग्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	216679	0	37	0	48527	168189	35357	8882	(8153)	36086	132103	181322
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	156956	0	119	0	35	157040	29174	8292	(11)	37455	119585	127782
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	2412	0	0	0	0	2412	426	128	0	554	1858	1986
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	367	0	9	0	0	376	52	20	0	72	304	315
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	412	0	12	0	0	424	103	22	0	125	299	309
xi)	निर्माण उपकरण	584	0	0	0	6	578	271	62	(5)	328	250	313
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	237	0	20	0	0	257	28	8	0	36	221	209
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	9	0	32	0	0	41	5	2	0	7	34	4
xiv)	वाहन	118	0	2	0	0	120	83	5	0	88	32	35
xv)	विमान/नौकाएं	13	0	0	0	13	0	12	0	(12)	0	0	1
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	469	0	44	0	13	500	192	29	(6)	215	285	277
xvii)	कम्प्यूटर	221	0	15	0	3	233	180	18	(2)	196	37	41
xviii)	संचार उपकरण	47	0	2	0	1	48	15	3	0	18	30	32
xix)	कार्यालय उपकरण	258	0	17	0	13	262	101	18	(10)	109	153	157
xx)	अनुसंधान और विकास	6	0	0	0	0	6	1	0	0	1	5	5
xxi)	अन्य आस्तियां	223	0	26	0	7	242	67	15	(2)	80	162	156
xxii)	उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	1904	0	0	0	0	1904	1481	372	0	1853	51	423
xxiii)	गौण मूल्य की अवल आस्तियां ₹ 750 और ₹ 5000	73	0	9	0	15	67	73	9	(15)	67	0	0
xxiv)	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	16	0	1	0	17	0	0	0	0	0	0	16
	कुल	447944	0	905	0	48650	400199	78295	20163	(8215)	90243	309956	369649
	पिछले वर्ष	447141	0	1313	0	510	447944	56030	22696	(431)	78295	369649	391111

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं.

टिप्पणी सं. 12.2 : अगोचर परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

		सकल ब्लाक					मूल्यहास				निवल ब्लाक		
क्र. सं.	विवरण	01.04.2011	संवर्द्धन		कमी		31.03.2012	01.04.2011	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2012	31.03.2012	31.03.2011
			अंतरण के कारण	अन्य कारण से	अंतरण के कारण	अन्य कारण से							
i)	भूमि-अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार	225781	0	97465	0	0	323246	32001	11339	8099	51439	271807	193780
ii)	अगोचर परिसंपत्तियां	81	0	6	0	0	87	31	27	0	58	29	50
	कुल	225862	0	97471	0	0	323333	32032	11366	8099	51497	271836	193830
	पिछले वर्ष	224223	0	2388	0	749	225862	24132	7900	0	32032	193830	200091

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- गोचर परिसंपत्तियों में वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 394963 लाख रुपये (पिछले वर्ष 443010 लाख रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि के अंतर्गत 48,527 लाख रुपये मूल्य की भूमि शामिल है जा समनुरूप मूल्यहास सहित बांध, सुरंग आदि के सकल ब्लाक से हस्तांतरित की जा रही है। वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि के साथ लेखांकन व्यवहार लेखांकन नीति संख्या 2.5 के अनुरूप किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान मूल्यहास

(लाख रुपए में)

12.1 गोचर आस्तियां	20163
12.2 अगोचर आस्तियां	11366
कुल	31529
लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित	25756
सहायतानुदान आरक्षी को प्रभारित	5773

टिप्पणी सं. 13.1 - चालू पूंजी कार्य

(लाख रूपए में)

विवरण	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2012
i) सड़कें और पुल	133	73	0	(206)	0
ii) भवन	223	163	(16)	(322)	48
iii) रेलवे साइडिंग्स	0	0	0	0	0
iv) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	2	26	0	(21)	7
v) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	0	42	0	(42)	0
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	0	1	0	(1)	0
vii) संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	0	8	0	(8)	0
viii) संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	0	12	0	(12)	0
ix) निर्माण उपकरण	0	0	0	0	0
x) जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0	35	0	(21)	14
xi) संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	0	12	0	0	12
xii) उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	1	18	0	0	19
xiii) सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार - नई परियोजनाएं	214	11	(50)	0	175
xiv) प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	0	0	0	0	0
xv) निर्माण के दौरान व्यय *	0	0	0	0	0
घटाएं : प्रावधान के लिए	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (क)	573	401	(66)	(633)	275
*वर्ष के दौरान संवर्द्धन टिप्पणी संख्या 33 देखें					
निर्माण भंडार	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	प्रयुक्त	31.03.2012
i) भंडार और कल-पूँजें	0	0	0	0	0
ii) खुले औजार	0	0	0	0	0
iii) रद्दी माल सूची	0	0	0	0	0
iv) मार्गस्थ भंडार/निरीक्षण लंबित	0	0	0	0	0
v) संविदाकारों/फबरिकेटर्स को जारी सामग्री	0	0	0	0	0
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (ख)	0	0	0	0	0
कुल जोड़	573	401	(66)	(633)	275
पूर्वावधि	434	1316	(77)	(1100)	573

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) 'निर्माण के दौरान व्यय' को अंतरित पूंजीकृत ऋण लागत की राशि वर्ष के दौरान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

2) अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत 68 लाख रूपये (पिछले वर्ष 185 लाख) के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं जिन्हें सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी सं. 13.2 : विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां

(लाख रूपए में)

विवरण	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2012
i) विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0
पूर्वावधि	0	0	0	0	0

टिप्पणी सं. 14 : गैर वर्तमान निवेश

(लाख रूपए में)

विवरण	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
क. व्यापार उद्भूत				
(क) इक्विटी लिखत में निवेश			0	0
व्यापार अनुद्भूत				
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश			0	0
अनुषंगी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)			0	0
संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)			0	0
(ग) बांड्स में निवेश			0	0
(घ) शेयर आवेदन राशि			0	0
अनुषंगी कम्पनियां			0	0
संयुक्त उद्यम कम्पनियां			0	0
उप जोड़ (क)			0	0
ख. गैर-व्यापार उद्भूत				
(क) इक्विटी लिखत में निवेश			0	0
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश			0	0
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और			0	0
कारपोरेट्स बांड्स			0	0
उप जोड़ (ख)			0	0
कुल जोड़ (क+ख)				
शेयर जो अभी प्राप्त करने हैं				
उद्भूत निवेश				
(i) समग्र लागत			0	0
(ii) समग्र बाजार मूल्य			0	0
अनुद्भूत निवेश				
समग्र लागत			0	0

टिप्पणी सं. 15 - दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) पूंजी अग्रिम		
i) प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
ii) अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- बैंक गारंटी के बदले	0	0
- अन्य	0	0
iii) अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		
ख) जमा राशियाँ	953	842
ग) संबंधित पार्टियों ऋण और अग्रिम		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0	0
घ) अन्य ऋण और अग्रिम		
i) कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1352	768
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	385	27
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0	0
ii) ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0	0
iii) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0	0
घटाएं : संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	0	0
	2690	1637
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान *1		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0	0
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	0	0
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा		
वर्ष के दौरान देय राशि	1	2
ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कंपनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।		

टिप्पणी सं. 16 - अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) दीर्घावधि व्यापार प्राप्य		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	19914	895
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0	0
ख) अन्य		
i) प्रोद्भूत ब्याज	0	0
ii) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियाँ	0	0
iii) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव खाते में विलंबित परिसंपत्तियों पर व्यय	0	0
कुल	19914	895

टिप्पणी सं. 17 - अन्य दीर्घावधि निवेश

(लाख रुपए में)

विवरण	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
दीर्घावधि निवेश की चालू परिपक्वताएं			0	0
कुल			0	0
उद्धृत निवेश				
(i) समग्र लागत			0	0
(ii) समग्र बाजार मूल्य			0	0
अनुद्धृत निवेश				
समग्र लागत			0	0
लेखांकन नीति संख्यां 6 के अनुसार मूल्यांकन			0	0

टिप्पणी सं. 18 - मालसूची

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)		
i) भंडार तथा कलपुर्जे	399	376
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	8	62
ii) खुले आजार	407	438
iii) रद्दी मालसूची	11	8
iv) निर्माण स्थल पर सामग्री	2	17
v) संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री	159	97
vi) घटाए अप्रचलित निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान *1	0	0
	0	10
	579	550
अप्रचलित निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान *1		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10	10
वर्ष के दौरान वर्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	10	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0	0
अंतिम शेष	0	10

टिप्पणी सं. 19 - व्यापार प्राप्य (देनदार)

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण (भुगतान देय होने की तारीख से)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	3155	12629
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए)	-	-
ख) अन्य ऋण		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	18552	14420
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए)	0	0
बिल न किए गए ऋण	5709	2857
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1	0	0
	27416	29906
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *1		
प्रारम्भिक शेष	0	0
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	0	0

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

टिप्पणी सं. 20 - नकदी एवं बैंक शेष

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) नकदी एवं नकदी समकक्ष		
i) स्टैम्प सहित हस्तगत नकदी (शून्य (पिछले वर्ष शून्य))	4	3
ii) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट	0	0
iii) बैंकों में शेष राशि		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में - स्व-बीमा निधि	0	0
- अन्य	1352	5261
- जमा खाते में* - स्व-बीमा निधि	0	0
- आईपीओ प्राप्तियां	0	0
- अन्य	0	0
• अन्य बैंकों के साथ		
- चालू खाते में	0	0
- जमा खाते में	31605	6749
* तीन महीने या कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा		
ख) अन्य बैंकों में शेष		
i) बैंकों में शेष (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि)		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- जमा खाते में - स्व-बीमा निधि	0	0
- आईपीओ प्राप्तियां	0	0
- अन्य	110574	83946
ii) जमा खाते में - भुगतान न किया लाभांश	0	0
iii) 12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ बैंकों में शेष		
- सावधि जमा-आईपीओ प्राप्तियां में से इस्तेमाल न की गई निधि	0	0
- सावधि जमा-अन्य	27148	37050
- सावधि जमा-बैंकों में जमा स्वबीमा निधि	0	0
कुल	170683	133009

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 248 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर रखे गए हैं, अतः 31.03.2012 को कम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी सं. 21 - अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) ऋण		
i) सम्बद्ध पक्षों को		
अनुबंधित/होल्डिंग कंपनियों की ओर बकाया ऋण	0	0
- अन्य	0	0
ii) अन्यो को		
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	151	0
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	14	6
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0	0
ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण	0	0
ख) अग्रिम		
i) सम्बद्ध पक्षों को		
ii) अन्यो को		
कर्मचारी		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	122	23
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0	0
संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	0	0
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- बैंक गारंटी के साथ	8	8
- अन्य	126	44
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0	0
अन्य अग्रिम		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	1	0
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	0	0
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	0	0
अग्रिम आय कर	25776	21520
घटाएं : आय कर के लिए प्रावधान	24673	18222
निवल आय कर	1103	3298
ग) जमा राशि	50	9
घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	50	0
	1525	3482
प्रावधानों का ब्योरा		
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान *1		
प्रारम्भिक शेष	0	0
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	0	0
संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2		
प्रारम्भिक शेष	0	0
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	50	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0	0
अंतिम शेष	50	0

व्याख्यात्मक टिप्पणी

निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा

- वर्ष के अंत में बकाया राशि 1
- ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।
- इस संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार, 50 लाख रुपये की अप्रतिदेय राशि वर्ष 2007 के दौरान ऊर्जा विकास निगम भोपाल मध्य प्रदेश को सौंपे गए पवन ऊर्जा परियोजना के नाम समायोजित की गई थी, तथापि संरक्षण, पर्याप्त सावधानी सिद्धान्त का पालन किया गया है।

टिप्पणी सं. 22 - अन्य चालू आस्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-		
i) उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	0	0
ii) जमा राशियां		
- आईपीओ	0	0
- स्व-बीमा	0	0
- अन्य जमा राशियां	10062	4673
iii) अन्य	2	0
ख) अन्य चालू आस्तियां	246	293
ग) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे	8926	889
घटाएं : सदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *1	72	73
घ) अन्य वसूली योग्य	71	3
ङ) निर्माण कार्य प्रगति पर		
निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)	0	0
परामर्श कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)	0	0
च) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	0	0
घटाएं : बड़े खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	0	0
छ) बड़े खाते में डाले जाने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियां	32	1
घटाएं : बड़े खाते में डाले जाने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के लिए प्रावधान	32	0
ज) डिपोजिट कार्य पर व्यय	0	0
घटाएं डिपोजिट कार्य के प्रति अग्रिम	0	0
झ) परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य पर व्यय राशि	0	0
स्व बीमा निधि से वसूली योग्य दावे	0	0
ञ) घटाएं : परियोजना/ठेकेदारों का अग्रिम मूल्य	0	0
	19235	5785
प्रावधानों का ब्योरा		
सदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *1		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	73	73
वर्ष के दौरान वर्धन	0	0
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0	0
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1	0
अंतिम शेष	72	73

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- भू विस्थापितों से संबंधित जिसमें टीडीएस की कटौती आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत अन्य दावों की वसूली विभिन्न एजेंसियों की व 8 लाख (पूर्व वर्ष के 9 लाख) भुगतान मुआवजा के रूप में रुपये 12 लाख (पूर्व वर्ष के 12 लाख) के लिए भू विस्थापितों को पहले ही किया जा चुका है।

टिप्पणी सं. 23 - प्रचालन से राजस्व

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) बिक्री		
बिजली की बिक्री	128467	91703
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर खाते में बिक्री समायोजन	0	0
घटाएं : टैरिफ समायोजन	0	0
घटाएं : बिजली उत्पादन से आय-कमीशन पूर्व (नोट 32ज (क) देखें)	0	0
उप-जोड़ क	128467	91703
ख) मूल्यहास के प्रति अग्रिम		
वर्ष के दौरान	1903	0
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	0	(137)
उप-जोड़ ख	1903	(137)
ग) संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
संविदा आय	0	0
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	0	0
उप-जोड़ ग	0	0
कुल योग (क)+(ख)+(ग)	126564	91840

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- वर्ष 2009-14 की टैरिफ अवधि के लिए कंपनी ने दोनों परियोजनाओं अर्थात् इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) और ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) के संदर्भ में शुल्क निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में टैरिफ याचिका दाखिल की है। वर्ष 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ अधिसूचना के लंबित रहते, दोनों विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में, वर्ष के लिए बिक्री को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2009 में वर्णित सिद्धांतों और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर हिसाब में लिया गया है, क्योंकि टैरिफ अधिसूचनाएं सीईआरसी की विवेकपूर्ण जांच के अधीन हैं। किन्तु, वर्ष के लिए बिलिंग सीईआरसी द्वारा अनुमोदित और कर समायोजनाओं के साथ 31 मार्च 2009 को लागू टैरिफ के अनुसार की गई है। तदनुसार वर्ष के लिए बिक्री में 2009-14 की अवधि के लिए लागू नए टैरिफ मानदंड के अनुसार बिलिंग और ओएसपी के संदर्भ में की गई बिलिंग के बीच अंतर के रूप में ₹ 1884 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2614 लाख) शामिल हैं।
- बिक्री के अंतर्गत वर्ष के दौरान कार्यान्वित और हिसाब में ली गई स्थगित कर देयता के संदर्भ में ₹ 1600 लाख भी शामिल हैं, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2009 के अनुसार लाभार्थियों से वसूल किए जाने हैं।

टिप्पणी सं. 24 - अन्य आय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) दीर्घावधि निवेश से आय		
i) व्यापार		
- अनुबंधियों से लाभांश	0	0
- लाभांश-अन्य	0	0
- ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां	0	0
ii) गैर-व्यापार		
- लाभांश आय -म्युचल फंड	0	0
- लाभांश-अन्य	0	0
- ब्याज-स्व बीमा निधि	0	0
- इंडियन बैंक में जमा राशि पर ब्याज	0	0
ख) अन्य आय		
i) ब्याज		
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	0	0
- जमा खाता	0	0
- जमा खाता-इंडियन बैंक	14405	8455
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	89	55
- अन्य	0	0
ii) लाभार्थी राज्यों से ब्याज	3297	1930
iii) विलंब भुगतान अधिभार	54	11
iv) परियोजना हस्तांतरण पर लाभ	0	0
v) म्यूचल फंड्स की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	0	0
vi) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0	0
vii) देयताएं/प्रावधान जिनके पथ लेखन की आवश्यकता नहीं है #	339	78
viii) अन्य	303	206
ix) विनिमय दर अंतर	0	0
कुल	18487	10735
जोड़े/(घटाएं) : सी ओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	0	0
कुल	18487	10735
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (टिप्पणी सं. 32ज(ख), और 32झ (ii) देखें।	0	0
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित आय (टिप्पणी सं. 30 देखें)।	0	0
घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	0	0
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	18487	10735
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
# प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पथ लेखन की आवश्यकता नहीं है।		
खराब तथा संदिग्ध ऋण	0	0
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0	0
खराब तथा संदिग्ध दावे	1	0
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	0	0
भण्डार तथा कलपुर्जों की कमी	0	0
गारंटी खर्च हेतु प्रावधान	0	0
हेजिंग कारोबार पर हानियों के लिए प्रावधान	0	0
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	243	0
प्रतिबद्ध पूंजी खर्च हेतु प्रावधान	0	0
लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	0	0
उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	0	11
टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान	0	0
अन्य	95	67
कुल	339	78

टिप्पणी सं. 25 - कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	4697	5789
ii) उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	816	766
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	412	429
iv) अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0	0
कुल	5925	6984
जोड़े/(घटाएं) : सी ओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	0	0
कुल	5925	6984
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी व्यय (टिप्पणी सं. 32क और 32ख (iii) देखें।	0	0
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित कर्मचारी व्यय (टिप्पणी सं. 30 देखें).	0	0
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0	0
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	5925	6984

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

- 1) उपरोक्त भुगतान में से निदेशकों को देय/अदा किया गया पारिश्रमिक .

(लाख रूपए में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
(i) वेतन और भत्ते	19	23
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	2	2
(iii) आवासीय परिसर के लिए किराया	2	3
(iv) अन्य लाभ	1	1

- 1) उपरोक्त आंकड़ों में ग्रेजुइटी, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस और सामान भत्ते के लिए प्रावधान शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए प्रावधान बीमाकिक आधार पर समूचे निगम के लिए किया गया है।
- 2) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ के अंतर्गत 153 लाख रुपये (विगत वर्ष 170 लाख रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।

टिप्पणी सं. 26 - वित्त लागत

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) निम्नलिखित पर ब्याज -		
i) भारत सरकार के ऋण	0	0
ii) बांड्स	0	0
iii) विदेशी ऋण	0	0
iv) सावधि ऋण	23053	24923
v) नकद ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	0	0
vi) अन्य ब्याज प्रभार	0	0
vii) लाभार्थी राज्यों को ब्याज	104	0
उप जोड़	23157	24923
ख) अन्य ऋण लागत		
हेजिंग कारोबार पर हानियां	0	0
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0	0
शेयर निर्गम परवर्ती व्यय	0	0
प्रतिबद्धता शुल्क	0	0
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	0	0
अन्य वित्त प्रभार	11	11
उप जोड़	11	11
ग) विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि		
ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	0	0
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	0	0
उप जोड़	0	0
कुल योग	23168	24934
जोड़े/(घटाएं) : सी ओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	0	0
कुल योग	23168	24934
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	0	0
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित वित्त लागत (टिप्पणी सं. 30 देखें).	0	0
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0	0
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	23168	24934

टिप्पणी सं. 27 - मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वर्ष के दौरान मूल्यहास	31529	30596
ii) विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन जोड़े/(घटाएं) : सी ओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	0	0
कुल	31529	30596
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्यहास	0	0
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित मूल्यहास (टिप्पणी सं. 30 देखें).	0	0
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0	0
घटाएं : सहायता अनुदान-आरक्षी (अनुदान पश्चलिखित) को प्रभारित (टिप्पणी संख्या 2 देखें)	5773	5581
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	25756	25015

टिप्पणी सं. 28 - उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) उत्पादन व्यय		
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	300	256
ख) मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	505	429
- मशीनरी	423	562
- अन्य	988	1010
ग) प्रशासनिक व्यय		
i) किराया	391	369
ii) दरें और कर	16	33
iii) बीमा	890	671
iv) सुरक्षा व्यय	602	390
v) विद्युत प्रभार	888	1078
vi) यात्रा एवं वाहन	92	106
vii) वाहनों पर खर्च	31	21
viii) टेलीफोन, टेलीक्स एवं डाक टिकटें	50	48
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	48	58
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	18	15
xi) दान या चंदा	0	0
xii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	85	63
xiii) पुस्तकें व पत्रिकाएं	3	6
xiv) परामर्शी प्रभार - स्वदेशी	119	164
xv) परामर्शी प्रभार - विदेशी	0	0
xvi) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सत्रक्षण पर खर्च	0	0
xvii) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	0	0
xviii) परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	2	1
xix) बड़े खाते डाला गया स्थगित राजस्व व्यय	0	0
xx) बड़े खाते डाला गया प्रारंभिक व्यय	0	0
xxi) बड़े खाते डाले गए सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय	0	30
xxii) बड़े खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे	0	0
xxiii) बड़े खाते डाले गए भंडार	0	0
xxiv) बड़े खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियां	0	0
xxv) पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	0	1
xxvi) ग्राहकों को छूट	955	798
xxvii) जल उपकरण और पर्यावरण संरक्षण उपकरण	2	4
xxviii) कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	665	430
xxix) अन्य सामान्य खर्च	400	504
xxx) विनिमय दर अंतर	0	0
xxxi) लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)	8	8
xxxii) निदेशक खर्च	0	0
xxxiii) अनुसंधान एवं विकास व्यय	0	0
कुल	7481	7055
जोड़े/(घटाएं) : सी ओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	0	0
कुल	7481	7055

टिप्पणी सं. 28 - उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घटाएं : ईडीसी को अंतरित उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (टिप्पणी सं. 32ख, 32ग और 32झ (ii) देखें।	0	0
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित प्रशासन एवं अन्य व्यय (टिप्पणी सं. 30 देखें)।	0	0
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0	0
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	7481	7055
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
1) लेखा परीक्षा भुगतान का ब्योरा नीचे दिया गया है :-		
i) सांविधिक लेखा-परीक्षक		
लेखा-परीक्षक के रूप में		
लेखा-परीक्षा शुल्क	5	4
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	2	2
अन्य क्षमता में		
कराधान मामले	0	0
कंपनी विधि मामले	0	0
प्रबंधन सेवाएं	0	0
अन्य मामले/ सेवाएं	0	1
खर्चों की अदायगी	0	0
ii) लागत लेखा परीक्षक		
लेखा-परीक्षा शुल्क	1	1
खर्चों की अदायगी	0	0
कुल	8	8
2) स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क	0	0
3) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान 45 लाख रुपये (पिछले वर्ष 30 लाख) किराये के रूप में दर्शाया गया है।		

टिप्पणी सं. 29 : प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	0	0
ii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	50	0
iii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	0	5
iv) भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	0	0
v) भंडार तथा कलपुर्जों में कमी के लिए प्रावधान	0	0
vi) निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	0	0
vii) प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	0	0
viii) अचल परिसंपत्तियों/भंडारों हेतु प्रावधान	30	0
कुल	80	5
जोड़े/(घटाएं) : सी ओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	0	0
कुल	80	5
घटाएं : ईडीसी को अंतरित प्रावधान (टिप्पणी सं. 32ड और 32झ (iv) देखें।	0	0
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित प्रावधान (टिप्पणी सं. 30 देखें)।	0	0
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0	0
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	80	5

टिप्पणी सं. 30 - संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) प्रत्यक्ष व्यय	0	0
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	0	0
- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान	0	0
- कर्मचारी कल्याण व्यय	0	0
ख) मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	0	0
- मशीनरी और निर्माण उपकरण	0	0
- अन्य	0	0
ग) प्रशासन तथा अन्य व्यय		
- किराया	0	0
- यात्रा एवं वाहन	0	0
- वाहनों पर व्यय	0	0
- बीमा	0	0
- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0	0
- विज्ञापन एवं प्रचार	0	0
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0	0
- अन्य व्यय	0	0
- दरें और कर	0	0
- सुरक्षा	0	0
- विद्युत	0	0
- आकस्मिक व्यय	0	0
- परामर्शी प्रभार	0	0
घ) मूल्यहास	0	0
ङ) ब्याज वित्त प्रभार	0	0
निर्माण संविदाओं पर हानि	0	0
च) प्रावधान	0	0
चालू कार्य		
- निर्माण संविदा	0	0
- परामर्शी कार्य	0	0
छ) जोड़े/(घटाएं) : सी ओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
अन्य आय	0	0
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	0	0
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	0	0
मूल्यहास	0	0
वित्त लागत	0	0
प्रावधान	0	0
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	0	0
कुल व्यय	0	0
ज) घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली	0	0
वर्ष के दौरान निवल व्यय	0	0
झ) पूर्वावधि समायोजन	0	0
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	0	0

टिप्पणी सं. 31 - पूर्वावधि व्यय

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
i) विद्युत की बिक्री	2224	0
ii) जोड़े : मूल्यहास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	0	0
iii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	0	0
iv) अन्य	0	0
उप जोड़	2224	0
व्यय		
i) वेतन तथा मजदूरी	0	2
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	31	0
iii) वित्त लागत	0	0
iv) मूल्यहास	100	42
v) अन्य	0	0
उप जोड़	131	44
कुल योग	(2093)	44
जोड़े/(घटाएं) : सी ओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	0	0
कुल योग	(2093)	44
घटाएं : ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय - (देखें टिप्पणी 32-छ)		
पूर्वावधि व्यय	0	0
घटाएं - पूर्वावधि आय	0	0
जोड़	(2093)	44
घटाएं : संविदा और परामर्शी कार्य को अंतरित पूर्व अवधि व्यय (देखें टिप्पणी सं. 30)	0	0
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	0	0
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	(2093)	44

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

2244 लाख रुपये की बिक्री स्थगित कर के खाते में की गई है जिसे वर्ष के दौरान के दौरान अंजाम दिया गया और हिसाब में लिया गया, जो सीईआरसी टैरिफ विनियम 2009 के अनुसार लाभार्थी राज्यों से वसूली योग्य है।

टिप्पणी सं. 32 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	0	0
ii) उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	0	0
iii) स्टाफ कल्याण व्यय	0	0
iv) अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0	0
उप जोड़	0	0
ख) मरम्मत तथा अनुरक्षण		
i) भवन	0	0
ii) मशीनरी	0	0
iii) अन्य	0	0
उप जोड़	0	0
ग) प्रशासन और अन्य व्यय		
i) किराया	0	0
ii) दरें और कर	0	0
iii) बीमा	0	0
iv) सुरक्षा व्यय	0	0
v) विद्युत प्रभार	0	0
vi) यात्रा एवं वाहन	0	0
vii) स्टाफ कार पर व्यय	0	0
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0	0
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	0	0
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार	0	0
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी	0	0
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0	0
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार		
xiii) स्वदेशी	0	0
xiv) विदेशी	0	0
xv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सफाई पर खर्च	0	0
xvi) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	0	0

टिप्पणी सं. 32 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
xvii) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	0	0
xviii) बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	0	0
xix) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0	0
xx) विनिमय दर अन्तर (ऋण)	0	0
xxi) अन्य सामान्य व्यय	0	0
उप जोड़	0	0
घ) ब्याज और वित्त प्रभार		
i) निम्नलिखित पर ब्याज -		
क) भारत सरकार के ऋण	0	0
ख) बॉण्ड	0	0
ग) विदेशी मुद्रा ऋण	0	0
घ) सावधि ऋण	0	0
ङ) नकद ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	0	0
ब्याज लागत को समायोजित समझे गए विनिमय अंतर	0	0
ii) हेजिंग कारोबार पर हानियां	0	0
iii) बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0	0
iv) प्रतिबद्धता शुल्क	0	0
v) ऋण पर गारंटी शुल्क	0	0
vi) अन्य वित्त प्रभार	0	0
उप जोड़	0	0
ङ) प्रावधान	0	0
उप जोड़	0	0
च) मूल्यहास	0	0
उप जोड़	0	0
छ) पूर्वावधि व्यय		
पूर्वावधि व्यय	0	0
घटाएं - पूर्व अवधि आय	0	0
उप जोड़	0	0
ज) घटाएं प्राप्तियां और वसूलियां		
झ) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	0	0
ञ) आय		
i) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	0	0
ii) विविध प्राप्तियां	0	0
iii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0	0
iv) विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)	0	0
v) पथ लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान	0	0
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	0	0
उप जोड़	0	0
ट) सी ओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय :		
i) अन्य आय	0	0
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	0	0
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	0	0
iv) मूल्यहास	0	0
v) वित्त लागत	0	0
vi) प्रावधान	0	0
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)	0	0
उप जोड़	0	0
कुल (क से ज) - झ)	0	0

टिप्पणी सं. 33 - कर व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	16987	7681
सम्पदा कर	5	4
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	16992	7685
ii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	24	138
iii) आस्थगित कर खाता	(203)	389
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन	(3231)	87
जोड़	3028	302
	20044	8125

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं.

टिप्पणी संख्या - 34 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भव विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.6 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जों

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जों मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जों को "भंडार एवं कलपुर्जों" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय" (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यहास तथा परिशोधन

5.1 अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यहास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यहास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी-11.25 प्रतिशत

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण-30 प्रतिशत

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती हैं।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है परंतु, यह परिशोधन अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार से संबद्ध भूमि को छोड़कर किया जाता है।

5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोत्तरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यहास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

- 7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।
- 7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बड़ेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

- 8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।
- 8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

- 9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

- 10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

- 10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।
- 10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

- 11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।
- 11.2 पॉवर स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।
- 11.3 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।
- 11.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेषित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभावी है।

14. सहायता अनुदान

“सिंचाई और आर एंड आर कंपोनेन्ट” के लिए मध्यप्रदेश सरकार से और “सरदार सरोवर कंपोनेन्ट” के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान की राशि, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबद्ध न होने के कारण, प्रारंभ में सहायता-अनुदान-आरक्षी के रूप में समझी गई और बाद में उसे उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जैसा कि ऐसे अंशदान से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास बड़े खाते डाला जाता है।

नोट संख्या - 35 लेखों का व्याख्यात्मक विवरण

1. क) निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है:-

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31/03/2012 को	31/03/2011 को
i) निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है- - पूंजीगत कार्य - भूमि मुआवजा मामले - अन्य	23050 128499 शून्य	26590 146660 3
ii) विवादित आयकर की मांग	6	6
iii) विवादित बिक्री कर मांग	शून्य	शून्य
iv) विवादित प्रवेश कर मांग	3	शून्य
v) अन्य	शून्य	शून्य
कुल	151558	173259

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) जिन मामलों में पंचाट/अदालत के निर्णय प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु अभी कंपनी के परीक्षणार्थी हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में जारी रखा गया है और बहियों में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

ङ) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति 'शून्य' रूप (पिछले वर्ष 'शून्य' रूप) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

2. क) पूंजीगत लेख पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिम की निवल) 3882 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3918 लाख रुपये) है। इसमें रेलवे अपवर्तन कार्यों हेतु निष्पादित न की गई 3461 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3461 लाख रुपये) की अनुमानित राशि शामिल है।

ख) भूमि हेतु मुआवजे और अन्य संबंधित व्यय के प्रति पूंजीगत प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि 7127 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6993 लाख रुपये) है।

3. मध्यप्रदेश सरकार ने संयुक्त उद्यम में भागीदार होने के नाते नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से सीसीईए अनुमोदन के अनुसार विभिन्न लेखों में नीचे दिए गए व्योरे के अनुसार योगदान दिया है :-

इंदिरा सागर परियोजना

(राशि लाख रुपये में)

(क) नकद या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	01/04/2011 तक संचयी	वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान	31/03/2012 तक संचयी
1. एनवीडीए द्वारा किया गया खर्च	127613	1045	128659
2. प्राप्त नकदी	55797	0	55797
3. ओएसपीएस खाते से हस्तांतरित राशि	856	0	856
कुल उपरोक्त (क)	184266	1045	185312
(ख) निम्नांकित के संदर्भ में देय/समायोजित			
1. इक्विटी पूंजी	66000	0	66000
2. सिंचाई घटक	37856	124	37981
3. एसएसपी घटक	48373	158	48531
4. अत्यधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	28459	848	29307
5. विद्युत प्रभार	279	0	279
6. सिंचाई/ओएसपीएस की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	0	3308
कुल उपरोक्त (ख)	184275	1130	185406
(ग) एनवीडीए से वसूली योग्य राशि यानी (ख-क)	9	85	94

ख) ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना

(राशि लाख रुपये में)

(घ) नकद या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	01/04/2011 तक संचयी	वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान	31/03/2012 तक संचयी
1. एनवीडीए द्वारा किया गया खर्च	8248	14	8262
2. प्राप्त नकदी	41476	0	41476
3. आईएसपी खाते से हस्तांतरित राशि	3308	0	3308
कुल उपरोक्त (घ)	53032	14	53046
(ङ) निम्नांकित के संदर्भ में देय/समायोजित			
1. इक्विटी पूंजी	30016	0	30016
2. सिंचाई घटक	17796	7899	25695
3. अत्यधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	5071	67	5138
4. आईएसपी खाते से हस्तांतरित राशि	856	0	856
कुल उपरोक्त (ङ)	53739	7966	61705
(च) एनवीडीए से वसूली योग्य राशि यानी (ङ-घ)	707	7952	8659
(छ) कुल राशि वसूली योग्य यानी (ग+च)	716	8037	8753

4. (क) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों तथा कम्पनी की ओर से एनवीडीए द्वारा किए व्यय हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति/लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।

(ख) संविदाकारों को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शायी गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, व्यापार प्राप्यों, संविदाकर्ताओं के लिए अग्रिम, व्यापारिक देयों, बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण तथा संविदाकारों से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण और संबंधित परिणामी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

(ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नांकित अनुसार रहा :-

(लाख रुपये में)

	वर्ष के 2011-12 लिए	वर्ष 2010-11 के लिए
(i) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(ii) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	शून्य	शून्य
(iii) निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv) चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(v) अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	19	8

6. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियां प्रारम्भ की गई/संशोधित/शाब्दिक संशोधित की गई, जिनका वर्ष के लाभ पर प्रभाव निम्नांकित रूप में रहा :

क्र.स.	विवरण	वर्ष 2011-12 के लाभ पर प्रभाव
1	लेखांकन नीति संख्या 2.6 (पुरानी) :- परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान/एजेंसी या डिपोजिट आधार पर हासिल/सूचित परिसंपत्तियां कम्पनी की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं की जाती, क्योंकि उनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता है, यह नीति निरर्थक होने के कारण हटायी जा रही है।	कोई प्रभाव नहीं
2	लेखांकन नीति संख्या 5.1 :- यह नीति मूल्यहास से संबंधित है। मौजूदा नीति में मामूली संशोधन किया गया है ताकि किसी परिसम्पत्ति के इस्तेमाल/निबटन की तारीख से/तक यथा अनुपात आधार पर मूल्य हास में परिवर्तन की पद्धति का प्रकटीकरण किया जा सके।	कोई प्रभाव नहीं

क्र.स.	विवरण	वर्ष 2011-12 के लाभ पर प्रभाव
3	लेखांकन नीति संख्या 5.2.3 :- मूल्यहास से संबंधित है। बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
4	लेखांकन नीति संख्या 5.2.4 :- अस्थायी संरचनाओं के बारे में मूल्यहास से संबंधित है। बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
5	लेखांकन नीति संख्या 5.5 :- अमूर्त आस्तियों के परिशोधन से संबंधित है। बेहतर प्रकटीकरण के लिए नीति में शाब्दिक परिवर्तन एवं संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
6	लेखांकन नीति संख्या 5.6 :- पट्टे पर धारित भूमि के परिशोधन से संबंधित है। नीति में संशोधन किया गया है और सीईआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इसे 5.6.1 और 5.6.2 के अंतर्गत दो उप नीतियों में प्रस्तुत किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
7	लेखांकन नीति संख्या 7.4 :- निर्माण स्थल पर भण्डार के लेखांकन से संबंधित है। निरर्थक होने के कारण नीति को हटा दिया गया है।	कोई प्रभाव नहीं

7. लेखांकन मानक (एस)-15 के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार है:
विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है:-

क. भविष्य निधि

कम्पनी की भविष्य नीधि योजना 30.11.2011 तक आरपीएफसी द्वारा अधिशासित थी और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। 01.04.2011 से 30.11.2011 तक की अवधि के लिए अदा किया गया/देय अंशदान खर्च के रूप में लिया गया है और वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित किया गया है। इसके अतिरिक्त 01.12.2011 से कम्पनी ने पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य नीधि का नियत अंशदान एक पृथक न्यास अर्थात् **एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि न्यास** में जमा कराया है। यह न्यास निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगा। वर्ष के लिए निधि के अंशदान को व्यय समझा गया है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित किया गया है। ऐसा नियत अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करना कम्पनी का दायित्व है। इस प्रकार यह एक परिभाषित योजना है।

ख. उपदान

कम्पनी की एक परिभाषित उपदान लाभ योजना है लगातार पांच वर्ष या उससे अधिक सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, विकलांगता, अथवा मृत्यु होने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन उपदान (15/26 X अंतिम आहरित वेतन + महंगाई भत्ता) के रूप में पाने का हकदार है। परंतु इसके अंतर्गत अधिकतम राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और आज दिनांक तक अनिधिक है।

ग. सेवा-निवृत्त कर्मचारी-स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस)

कम्पनी की एक अनिधिक सेवा-निवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी और उनके पति/पत्नी को कम्पनी अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पति/पत्नी दोनों ओपीडी उपचार की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह उपचार कम्पनी द्वारा निर्धारित अदायगी सीमा तक कराया जा सकता है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और आज दिनांक तक अनिधिक है।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के इयूटी/तैनाती के स्थान से कर्मचारी की इच्छानुसार सेवानिवृत्ति के बाद बसने के स्थान तक स्थानांतरण की वास्तविक लागत कारपोरेशन के नियमों के अनुसार अदा की जाती है। मृत्यु के मामले में मृतक कर्मचारी के परिवार को यह सुविधा प्रदान की जाती है और यह अनिधिक है। तत्संबंधित देयता का निर्धारण बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ङ. अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (पूरक अनुपस्थितियों सहित) और अर्धवेतन अवकाश लाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः तीस दिन और बीस दिन वार्षिक प्रदान किये जाते हैं। अर्जित अवकाश का 75 प्रतिशत नकदीकरण सेवाकाल में और अधिकतम 300 दिन के अवकाश का नकदीकरण सेवा निवृत्ति पर कराया जा सकता है। अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण कम्पनी के नियमानुसार सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 240 दिन तक कराया जा सकता है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और आज दिनांक तक अनिधिक है।

च. सामाजिक सुरक्षा योजना

करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के स्थान पर कम्पनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, परंतु इसके साथ यह शर्त है कि पेंशन योजना शुरू होने के बाद इसे वापस ले लिया जाएगा। इसके अंतर्गत कम्पनी प्रतिमाह प्रत्येक कर्मचारी के अनुसार समान अंशदान जमा कराती है, जो प्रथम आठ वर्ष तक जमा कराया जायेगा ताकि धन संग्रह हो सके। यह योजना 01.04.2009 से प्रचालित है। इस योजना की शुरुआत किसी कर्मचारी की मृत्यु होने या रोजगार के दौरान स्थाई रूप में पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकट ग्रस्त परिवार की देख-रेख के लिए की गई है। किसी कर्मचारी के त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति के मामले में उसके द्वारा स्वयं किए गए अंशदान के समान राशि ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान 31.03.2012 के अनुसार वर्ष के अंत में बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्तमान में एनएचपीसी में नियुक्त एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और केवल एचएचपीसी से प्राप्त जानकारी/सलाह के आधार पर लाभ एवं हानि खाते से खर्च में हिस्सेदारी डेबिट कर दी गई है। मध्यप्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। 31.03.2012 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए "कर्मचारी लाभ" के संबंध में मानक-15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है :-

तालिका 1 : प्रमुख मान्यताएं

	31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
मृत्युदर तालिका	इंडियन अश्योई लाइव्स मोर्टलिटी (1994-96) (संशोधित) अंतिम तालिका	मानक तालिका एलआईसी (1994-96) (संशोधित) अंतिम तालिका
छोड़ने की दर	30 वर्ष तक 3% वार्षिक 31 वर्ष से 44 वर्ष तक 2% वार्षिक 44 वर्ष से ऊपर 1% वार्षिक	2% वार्षिक
छूट दर	8.50%	8.20 प्रतिशत
मुआवजा स्तर में वृद्धि की दर	6.00%	7.5%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कर्मचारियों का प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	22	22

तालिका-2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2012 के अनुसार			31.03.2011 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के शुरू में पीवीओ	461	568	160	232	331	107
ब्याज लागत	37	47	13	19	26	9
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्तमान सेवा लागत	63	133	26	70	117	20
अदा किया गया लाभ	(11)	(35)	(1)	(16)	(46)	शून्य
बीमाकिक (लाभ)/हानि	(86)	(28)	15	156	140	24
एनएचपीसी से प्राप्त शेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में पीवीओ	464	685	213	461	568	160

तालिका-3 और 4 लागू नहीं।

तालिका-5 मान्य बीमाकिक (लाभ)/हानि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2012 के अनुसार			31.03.2011 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के लिए बीमाकिक (लाभ)/हानि-दायित्व	86	28	(15)	156	140	24
वर्ष के लिए बीमाकिक (लाभ)/हानियोजना परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल लाभ/हानि	(86)	(28)	15	156	140	24
वर्ष के लिए मान्य (बीमाकिक (लाभ)/हानि)	(86)	(28)	15	156	140	24
वर्ष के अंत में अमान्य बीमाकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तालिका-6 तुलन-पत्र में मान्य राशि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2012 के अनुसार			31.03.2011 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	464	685	213	461	569	160
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त-पोषण की स्थिति	(464)	(685)	(213)	(461)	(569)	(160)
न माने गए बीमाकिक लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	464	685	213	461	569	160

तालिका-7 लाभ एवं हानि लेखे में मान्य राशि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2012 के अनुसार			31.03.2011 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्तमान सेवा लागत	63	133	26	70	118	20
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	37	47	13	19	26	9
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के लिए निवल बीमाकिक लाभ/हानि	(86)	(28)	15	156	140	24
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में लिए गए व्यय	14	152	54	245	284	53

तालिका-8 तुलन-पत्र में मान्य देयता संचलन

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2012 के अनुसार			31.03.2011 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेज्युइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
प्रारम्भिक निवल देयता	461	568	160	232	331	107
उक्त के अनुसार व्यय	14	152	54	245	283	53
एनएचपीसी से प्राप्त शेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अदा किया गया लाभ	(11)	(35)	(1)	(16)	(46)	शून्य
अंतिम निवल देयता	464	685	213	461	568	160

(ख) छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2012 को क्रमशः 28 लाख रुपये और 1 लाख रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 32 लाख रुपये और शून्य) है।

8. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) निगम के दो पावर स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

9. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टों प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम
श्री ए बी एल श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
श्री के एम सिंह	मुख्य कार्यकारी निदेशक

10. प्रति शेयर अर्जन की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं:-

विवरण	वर्ष 2011-12 के लिए		वर्ष 2010-11 के लिए	
	प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत)	प्रति शेयर अर्जन (कम किया गया)	प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत)	प्रति शेयर अर्जन (कम किया गया)
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (₹)	646,90,17,516	646,90,17,516	304,12,92,813	304,12,92,813
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	19625800	19625800	19625800	19625800
प्रति शेयर अर्जन (₹)	329.62	329.62	154.96	154.96
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (₹)	1000	1000	1000	1000

11. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2012 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

12. निम्नांकित के संदर्भ में जानकारी -

(लाख रुपए में)

क्र. स.	विवरण	वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य i) पूंजीगत वस्तुएं ii) कलपुर्जे	शून्य शून्य	शून्य शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय i) ज्ञान ii) ब्याज iii) अन्य विविध मामले (क) पूंजी कार्य (ख) यात्राएं	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जे तथा घटकों का मूल्य i) आयातित ii) देशी;	शून्य 300	शून्य 256
घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन i) ब्याज ii) अन्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य

* बीमाकिक आधार ** नकद आधार।

13. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

क्र. स.	विवरण	(लाख रुपए में)
(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि।	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज।	शून्य
(iii)	सहमत समय से 15 दिन अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कर्तौतीयोग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

14. परिसमाप्त क्षति, यदि कोई हो, का लेखांकन वसूली प्रभावी होने पर किया जाता है और मामले को प्रबंधन द्वारा निपटाया गया समझा जाता है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

आर के तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

वी के त्रिपाठी
कम्पनी सचिव

आर एस बत्रा
महाप्रबंधक (वित्त)

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

आर के अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.-70755
एफआरएन-509955सी

नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें जोड़े -	84734	38538
- पूर्वावधि सहित मूल्यहास	25856	25057
- अन्य प्रावधान/समायोजन	80	5
- मूल्यहास के प्रति अग्रिम	1903	(137)
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	1	1
- छूट को छोड़कर ब्याज एवं वित्त प्रभार	23168	24934
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालनगत लाभ	135742	88398
कार्यशील पूंजी परिवर्तन		
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(29)	(147)
प्रकीर्ण देनदारों में (वृद्धि)/कमी	(16529)	8556
ऋणों और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	5160	7991
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(5494)	(1603)
चालू देयताओं और प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	39736	(9035)
	22844	5762
घटाएं - अदा किया गया कर	16541	8583
	16541	8583
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	142045	85577
ब) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय और सीडब्ल्यूआईआईपी का पुंजीकरण	(49293)	(1818)
पूंजी कार्य प्रगति पर	(335)	(1239)
निर्माण भंडार और अग्रिम	-	3
परिसंपत्तियों से प्राप्तियां	1	1
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(49627)	(3053)
ग) वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां	-	-
शेयर पूंजी जमा प्राप्तियां	-	-
ऋणों से प्राप्तियां	1500	4875
ऋणों का पुनर्भुगतान	(29626)	(32970)
मध्यप्रदेश सरकार से एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए प्राप्त निधि	1232	2923
अदा किया गया लाभांश	(3925)	(2123)
अदा किया गया लाभांश कर	(637)	(353)
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(23288)	(24934)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(54744)	(52582)
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क/ख/ग)	37674	29942
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	133009	103067
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	170683	133009

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां :-

- नकदी और नकदी तुल्य के अंतर्गत ₹ 1605 लाख (पिछले वर्ष 31.03.2011 को 1605 लाख) शामिल हैं, जो निगम द्वारा स्व बीमा आरक्षी के लिए रखे गए हैं, अतः अन्यथा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- ऋण की कुल स्वीकृत राशि रुपये 148500 लाख रुपये में 31.03.2012 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 2126 लाख रुपये (31.03.2011 को 2126 लाख रुपये) है।
- वर्ष के दौरान अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से प्राप्त नकद राशि (करों को छोड़कर) 1 लाख रुपये (31.03.2011 को 1 लाख) हैं।
- नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत ₹ 248 लाख (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं, जो निगम द्वारा माननीय अदालत के आदेश पर रखे गए हैं, अतः 31.03.2012 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

आर के अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य संख्या 71755
एफआरएन 509955सी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18.05.2012

आर के तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

आर एस बत्रा
महाप्रबंधक (वित्त)



लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. ('एलडीएचसीएल') के निदेशक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा के साथ कंपनी के निष्पादन के बारे में तीसरी वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. कंपनी के कार्यों का विवरण

क. परिचालन समीक्षा

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई तकनीकी आर्थिक मंजूरी के संदर्भ में लगायी गई शर्तों के अनुरूप परियोजना की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को अद्यतन बनाने के हिस्से के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा परियोजना के स्थलाकृतितगत सर्वेक्षण का पहला और दूसरा चरण पूरा कर लिया गया है। इसका तीसरा चरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जल्द शुरू किया जायेगा।

प्रचलित मूल्यों के स्तर पर परियोजना की लागत का अद्यतन आकलन प्रक्रियाधीन है, जो पहले 2006 के मूल्यों के स्तर पर किया गया था।

परियोजना की मंजूरी के एलएचडीसी लिमिटेड के पक्ष में सैद्धांतिक हस्तांतरण संबंधी आवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को प्रस्तुत किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। इससे पहले यह मंजूरी कंपनी के पक्ष में एनएचपीसी को प्रदान की गई थी।

जन सुनवाई रिपोर्ट के साथ पर्यावरण संबंधी मंजूरी का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जमा कराया गया है ताकि तत्संबंधी मंजूरी प्राप्त की जा सके।

211.5 हेक्टेयर वन भूमि को रूपांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी (चरण-1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पहले ही प्राप्त की जा चुकी है और उस पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन प्रगति पर है। 1.3 करोड़ रुपये मूल्य के क्षतिपूर्क वन रोपण की लागत जमा कराने और वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में अनुपालन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। रक्षा मंत्रालय से परियोजना की मंजूरी प्राप्त करने का काम भी प्रक्रियाधीन है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पहले 15.11.2006 को परियोजना के लिए मंजूरी प्रदान की थी। किन्तु, पीआईबी/सीसीईए द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत करने से पहले यह जरूरी है कि परियोजना के अद्यतन प्रस्ताव के साथ सभी सांविधिक मंजूरीयां और तकनीकी आर्थिक मंजूरी का कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण संलग्न किया जाये।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने परियोजना के बैरान घटक के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिसमें से 34.50 करोड़ रुपये शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

ख. वित्तीय समीक्षा

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है :-

वित्तीय विशेषताएं (करोड़ रुपये में)

विवरण	2011-12	2010-11
बिक्री	-	-
मूल्यहास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ	6.00	4.16
मूल्यहास	-	-
मूल्यहास के बाद किंतु ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	6.00	4.16
ब्याज एवं वित्त प्रभार	-	-
मूल्यहास और ब्याज के बाद किंतु कर से पूर्व लाभ	6.00	4.16
कर	1.95	1.45
मूल्यहास, ब्याज और कर के उपरांत लाभ	4.05	2.71
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि खाते का अधिशेष	1.54	(1.16)
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	-	-
विनियोजन	-	-
बॉड विमोचन रिजर्व से अंतरित स्व बीमा	-	-
आरक्षी को अंतरित लाभांश पर कर	-	-
पश्च लिखित स्व बीमा से पश्च लिखित राशि आरक्षी	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-
सामान्य आरक्षी को अंतरित आरक्षी	-	-
एवं अधिशेष को ले जाया गया शेष लाभांश	4.05	2.71

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रोत्साहकों से इक्विटी अंशदान के रूप में प्राप्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा के रूप में जमा करायी और 606.27 लाख रु. ब्याज

के रूप में कमाए हैं। 405.29 लाख रु. की राशि आरक्षी एवं अधिशेष खाते में अंतरित की गयी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है क्योंकि कंपनी का प्रचालन अभी शुरू नहीं हुआ है।

2. पूंजी संरचना

एनएचपीसी और मणिपुर सरकार के बीच हुए प्रमोटर्स ऐग्रीमेंट यानी प्रोत्साहक समझौते में कहा गया है कि कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में हिस्सेदारी का अनुपात क्रमशः 74 : 26 होगा। वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की चुकता पूंजी 98.46 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान मणिपुर सरकार ने इक्विटी पूंजी हिस्सेदारी के रूप में 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान किया।

3. वित्तीय वर्ष के अंत तक किए गए ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ, जिनका प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ा हो।

मणिपुर सरकार ने मार्च 2012 के अंतिम सप्ताह में इक्विटी पूंजी हिस्सेदारी के रूप में 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान किया। एनएचपीसी लिमिटेड को अनुरोध भेजा गया है कि वह भी स्वीकृत इक्विटी भागीदारी अनुपात के अनुसार पूंजी में अपना योगदान करे ताकि इक्विटी को मिश्रित रखा जा सके।

4. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेहन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन।

कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्योरे का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेहन से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की और विदेशी मुद्रा का कोई बहिर्गमन नहीं किया।

5. कर्मचारियों के ब्योरे

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए), जिसे कम्पनी (कर्मचारियों के ब्योरे) नियमावली 1975 के साथ पढ़ा जाता है, से संबंधित अपेक्षित जानकारी रिपोर्ट के संलग्नक-1 में दी गई है।

6. सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक ने मैसर्स कुंजाबी एंड कंपनी, इम्फाल को वर्ष 2011-12 हेतु कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया।

7. कारपोरेट अभिशासन

कारपोरेट अभिशासन के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में एक पृथक विवरण और इस रिपोर्ट के संलग्नक-2 के रूप में अनुपालन प्रमाण पत्र तथा संलग्नक-3 के रूप में प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की गयी है।

8. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एलडीएचसीएल, इम्फाल के वित्तीय परिणामों के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कम्पनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ क्रमशः अनुलग्नक-4 और 5 के रूप में संलग्न की गयी हैं।

9. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी के बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। इस समिति के संघटन सम्बन्धी सूचना और अन्य विवरण कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

10. निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के अनुसार निदेशक एतद्वारा निम्नांकित की पुष्टि करते हैं :

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में प्रचलित लेखांकन मानकों का इस्तेमाल किया गया है और महत्वपूर्ण विचलन होने की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं, जिनके आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत में कारपोरेशन की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश की जा सकी है;
- निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने पर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है ; और
- निदेशकों ने सतत सरोकार के आधार पर वार्षिक लेख तैयार किए हैं।

11. निदेशक मंडल

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद-40 के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष कम्पनी के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। तदनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जी. साइ प्रसाद को कम्पनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में आपकी कम्पनी के बोर्ड में निम्नांकित सदस्य हैं :

1. श्री जी. साइ प्रसाद	अध्यक्ष
2. श्री राजेश अग्रवाल	निदेशक
3. श्रीमती कल्याणी मिश्रा	निदेशक
4. श्री डी के राय	निदेशक
5. श्री विजय कुमार	निदेशक

12. सूचना अधिकार अधिनियम

इस निगम में सूचना अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कम्पनी की कोई अनुषंगी कम्पनी नहीं है। वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यापार के स्वरूप में अथवा व्यापार की श्रेणी, जिसमें कम्पनी का हित है, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया।

आभार

कम्पनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषकर विद्युत मंत्रालय, एनएचपीसी लिमिटेड, मणिपुर सरकार और उसके मंत्रालयों, विभागों/बोर्डों, कम्पनी के लेखा परीक्षकों और बैंकों से प्राप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के प्रति विशेष रूप से आभारी है। बोर्ड को यह विश्वास भी है कि कम्पनी के कर्मचारी आने वाले वर्षों में अपना उत्कृष्ट योगदान जारी रखेंगे।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(जी. साइ प्रसाद)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या: 00325308

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 06.08.2012

कम्पनी (बोर्ड के निदेशकों की रिपोर्ट के विवरण सम्बन्धी प्रकटीकरण) नियम 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध।

क. ऊर्जा का संरक्षण :

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय:

ऊर्जा की खपत बहुत कम है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए गए।

ख) ऊर्जा की खपत कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई, लागू किए जा रहे हैं :

ऊर्जा की खपत बहुत कम है, इसलिए खपत में कमी के लिए कोई प्रस्ताव लागू नहीं किया जा रहा है।

ग) उपरोक्त क) और ख) पर वर्णित उपायों के प्रभाव से ऊर्जा की खपत में कमी और नतीजतन वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर उसका प्रभाव:

लागू नहीं

घ) अनुसूची में वर्णित उद्योगों के संदर्भ में अनुलग्नक के प्रपत्र क के अनुसार ऊर्जा की कुल खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के अनुसार ऊर्जा खपत:

लागू नहीं

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन

(ड) प्रौद्योगिकी आमेलन में किए गए प्रयासों का ब्योरा संलग्न प्रपत्र ख में दिया गया है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन

(च) निर्यात से सम्बन्धित गतिविधियां: निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय: उत्पाद एवं सेवाओं के लिए नए बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं:

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की निर्यात की कोई योजना नहीं है।

(छ) कुल विदेशी मुद्रा प्रयुक्त और अर्जित

विवरण	2011-12	2010-11
1.* सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य :		
i) पूंजीगत सामान	शून्य	शून्य
ii) हिस्से पुर्जे	शून्य	शून्य
2.* विदेशी मुद्रा में व्यय		
i) जानकारी	शून्य	शून्य
ii) ब्याज	शून्य	शून्य
iii) अन्य विविध	शून्य	शून्य
3.* प्रचालन इकाइयों में प्रयुक्त किए गए हिस्से पुर्जों और उपकरणों का मूल्य		
- आयातित	शून्य	शून्य
- स्वदेशी	शून्य	शून्य
4.** विदेशी मुद्रा अर्जन		
i) ब्याज आय	शून्य	शून्य
ii) अन्य	शून्य	शून्य

* बीमांकिक आधार

** नकद आधार

प्रपत्र- ख

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया।

कम्पनी द्वारा कोई अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं किया गया।

2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप अर्जित लाभ।

लागू नहीं

3. 2012-13 के लिए भावी कार्य योजना।

वर्ष 2012-13 के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की कोई योजना नहीं है।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार

1. प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि निर्माण कार्य अभी प्रारंभ होना है।

2. उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात् उत्पाद सञ्चय, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि:

लागू नहीं

3. पिछले पांच वर्ष के दौरान आयात की गयी प्रौद्योगिकी

शून्य

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 क) के साथ पठित (कार्मिकों से संबंधित सूचना) नियम 1975 से संबंधित सूचना

पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान परिश्रमिक के तौर पर 60,00,000 रुपये वार्षिक से अधिक राशि प्राप्त करने वाले कार्मिकों की संख्या = शून्य
पूरे वित्तीय वर्ष के किसी भाग के दौरान परिश्रमिक के तौर पर 5,00,000 प्रति माह से अधिक राशि प्राप्त की थी।

नाम व कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का पदनाम व कार्य की प्रकृति	कर्मचारी की योग्यता व अनुभव	कर्मचारी की कार्य प्रारंभ करने की तिथि	आयु	परिश्रमिक	अंतिम रोजगार	टिप्पणी
केएसएच जॉयकुमार सिंह कर्मचारी संख्या 150095	प्रबंधक (प्रशासन) कंपनी के मानव संसाधन विभाग का कार्य भी देखते थे	बी. ए., 35 वर्ष, 11 माह	20/03/1976	60	20,75,844/- रु.	एनएचपीसी लिमिटेड	सेवानिवृत्ति

टिप्पणी :

- एलडीएचसीएल में कार्यरत सभी कर्मचारी एनएचपीसी से संबंध हैं।
- परिश्रमिक में शामिल ग्रेज्यूटी व अवकाश नकदीकरण आदि कंपनी के नियमों के अनुसार हैं।
- अपरोक्त वर्णित परिश्रमिक सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र लाभ आदि के अतिरिक्त हैं।
- उपरोक्त सूचीबद्ध कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।
- केएसएच जॉयकुमार सिंह के सेवा-निवृत्ति दिनांक 29.2.2012 से पहले नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। उनके रोजगार की नियम शर्तें अन्य कर्मचारियों के रोजगार की नियम व शर्तों के अनुरूप ही थी।
- केएसएच जॉयकुमार सिंह कंपनी के इक्विटी शेयर में हिस्सेदारी नहीं थी।

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

हमने केन्द्रीय लोक उद्यमों से संबंधित 'कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा (जिसे यहां आगे 'कंपनी' कहा जाएगा), 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन किये जाने की जांच कर ली है।

हमारी जांच उपर्युक्त दिशा निर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार तथा हमें कंपनी, अधिकारी और एजेंट द्वारा जो खुलासे किये गये उनके आधार पर हम अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, उपरोक्त वित्त वर्ष के लिए निम्नांकित बिन्दुओं को छोड़कर, अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है :-

- कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- कंपनी ने अभी तक बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित नहीं की है।
- कंपनी के निदेशक मंडल के पास बोर्ड चार्टर जैसा कोई औपचारिक घोषणा-पत्र नहीं है, जिसमें बोर्ड तथा निदेशकों की अलग-अलग भूमिकाओं और दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हों।

- कंपनी ने अपने बोर्ड के नए सदस्यों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। हालांकि इसके बोर्ड के सभी वर्तमान सदस्य व्यापार मॉडल में जोखिम के स्वरूप से भली-भांति परिचित हैं क्योंकि उनमें एनएचपीसी लिमिटेड से नामित निदेशक, प्रधान सचिव (ऊर्जा), मणिपुर सरकार और विद्युत मंत्रालय से नामित सदस्य शामिल हैं।
- चूँकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति में, सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में, कोई स्वतंत्र सदस्य है।
- समिति ने अभी तक पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।
- कंपनी ने अभी तक अपनी कोई जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित नहीं की है।
- समिति ने अभी तक पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

हम यह भी कहना चाहते हैं इस तरह का अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी व्यवहार्यता का और न कंपनी के कामकाज के प्रभावी संचालन में प्रबंधन की सक्षमता या दक्षता का आश्वासन है।

कृते गरिमा दुग्गल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव



हस्ताक्षरित
गरिमा दुग्गल
सदस्यता संख्या 21818
(प्रोप्राइटर)
सीपी नं. 8413

दिनांक : 06-08-2012
स्थान : फरीदाबाद

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कारपोरेट अभिशासन से अभिप्राय उन कानूनों, पद्धतियों और निहित नियमों से है, जो विवेकपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय करने, विशेष कर इसके दावेदारों, शेयरधारकों, ऋणदाताओं, ग्राहकों, सरकार और कर्मचारियों से संबंधित निर्णय करने में कंपनी की क्षमता को निर्धारित करते हैं। कारपोरेट अभिशासन का संबंध मूल्यों, नैतिक व्यापार संचालन और पारदर्शिता के प्रति वचनबद्धता के साथ है और इसमें किसी कंपनी के प्रबंधन में व्यक्तिगत और कारपोरेट निधि के बीच भेद को समझा जाता है। लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड ("एलडीएचसीएल") की प्रबंधन समिति हर समय अपने सभी शेयरधारकों के सर्वोत्कृष्ट हित में कार्य करने का प्रयास करती है।

1. अभिशासन संहिता के बारे में कंपनी का दर्शन :

- प्रचालन में समुचित नियंत्रण प्रणाली अपनाना और बोर्ड को पारदर्शितापूर्ण ढंग से समयवद्ध आधार पर जानकारी उपलब्ध कराना ताकि बोर्ड कंपनी के प्रबंधन के उत्तर दायित्व पर निगरानी रख सके।
- उद्यम और राष्ट्र की संपदा के निर्माण के लिए व्यापार उद्यम की सक्षमता में वृद्धि करना।
- यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी और बोर्ड के सदस्य कारपोरेट मूल्यों में योगदान कर सकें और उन्हें अपने आचरण में अपना सकें।

2. निदेशक मंडल का संघटन और श्रेणी :

(i) बोर्ड का संघटन

कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") में (5) पांच निदेशक हैं, जो सभी गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। वर्तमान में कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन और उसमें निदेशकों की संख्या तथा अन्य कंपनियों (लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति) में निदेशकों द्वारा धारित पदों का ब्योरा इस प्रकार है :

नाम	कार्यकारी/ गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र	धारित अन्य निदेशकशिप	अन्य समिति पद #	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
श्री ए बी एल श्रीवास्तव	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	3	शून्य	1
श्री लियांगसी पॉल गोंमेई	गैर-कार्यकारी निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती कल्याणी मिश्रा	गैर-कार्यकारी निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
श्री डी के राय	गैर-कार्यकारी निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
श्री विजय कुमार*	गैर-कार्यकारी निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य

* श्री विजय कुमार ने 16 जनवरी, 2012 को बोर्ड में कार्यभार संभाला।

निदेशकों द्वारा धारित निदेशकशिप, जैसा कि ऊपर वर्णित है, में वैकल्पिक निदेशकशिप, विदेशी कंपनियों में निदेशकशिप और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में निदेशकशिप शामिल नहीं है।

31 मार्च 2012 को कंपनी के बोर्ड में शामिल निदेशकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :

श्री ए बी एल श्रीवास्तव (डीआईएन : 01601682) आयु 57 वर्ष, आप व्यापार वित्त और वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। आप इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं और फरवरी 2008 से एनएचपीसी बोर्ड में निदेशक (वित्त) के पद पर आसीन हैं। इससे पहले वे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। वे आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के बोर्ड में भी रह चुके हैं। एनएचपीसी में उन्होंने कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे संसाधन जुटाने, वित्तीय पुनर्संरचना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से कंपनी के लिए धन जुटाने और उसके अनुकूलतम उपयोग सहित परियोजना वित्त के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं। वे एलडीएचसीएल में समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि कंपनी उत्कृष्ट कारपोरेट अभिशासन पद्धतियां अपना सके। वे मई 2008 से पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं।

श्री लियांगसी पॉल गोंमेई : आयु 58 वर्ष, हमारे निदेशक हैं। आप राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। आप 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में आप मणिपुर सरकार के अंतर्गत प्रधान सचिव (बिजली/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले उनके पास प्रधान सचिव (जनजातीय/पर्वतीय विकास)

का अतिरिक्त प्रभार रहा है और वे विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जैसे निदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क तथा पर्यटन, आयुक्त, बिक्रीकर एवं उत्पाद, उपायुक्त, चंदेल, उपायुक्त तामेंगलॉग, निदेशक, जनजातीय कल्याण, निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सचिव, सहकारिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाईएएस, बागवानी एवं मुद्रा संरक्षण, आयुक्त, कृषि एवं बागवानी, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जीएडी और जनजातीय विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति।

श्रीमती कल्याणी मिश्रा (डीआईएन-02695750), आयु 40 वर्ष, हमारी निदेशक हैं। आपने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से विश्लेषणात्मक एवं अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। आप भारतीय अर्थ सेवा (1999 बैच) से संबद्ध हैं। वर्तमान में आप भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में उप सचिव, हाइड्रो-1/आरटीआई पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे उप निदेशक, औद्योगिक संबंध (नीति), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उप निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और सहायक निदेशक (आयोजना), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, जैसे पदों पर काम कर चुकी हैं।

श्री डी के राय (डीआईएन-03435949), आयु 57 वर्ष, आप हमारे निदेशक हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। जल विद्युत क्षेत्र में आपको 30 वर्ष का व्यापक अनुभव है। कंपनी में निदेशक का पद संभालने से पहले वे कंपनी की स्थापना के समय से इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर कार्यरत थे। वे जनवरी 2009 से जनवरी 2011 तक एनएचपीसी की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक, लोकतक पावर स्टेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें जलविद्युत परियोजनाओं की चुनौतियों से निपटने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएचपीसी की विभिन्न परियोजनाओं में काम किया है और उन्हें जल विद्युत क्षेत्र में परियोजना विकास से लेकर उनके कार्यान्वयन तक विभिन्न पदों पर काम करने का विविध प्रकार का अनुभव है।

श्री विजय कुमार (डीआईएन-023021294), आयु 50 वर्ष, आप हमारे निदेशक हैं। आपने विज्ञान में स्नातक हैं। आप सुयोग्य लागत लेखाकार हैं और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं। आपको जल विद्युत क्षेत्र में लेखाविधि का 26 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आप एनएचपीसी लिमिटेड में महाप्रबंधक (वित्त) का पद धारण किए हुए हैं। आपको लेखों को अंतिम रूप देने, टैरिफ निर्धारण और वित्तीय प्रस्तावों के पुनरीक्षण का व्यापक अनुभव है। श्री विजय कुमार कंपनी की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं।

(ii) गैर-कार्यकारी निदेशक का पारिश्रमिक और प्रकटीकरण :

कंपनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान किसी निदेशक को किसी प्रकार के सीटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

(iii) बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और प्रक्रिया :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की कुल पांच बैठकें हुईं, जो पहले से निर्धारित थीं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के अनुसार कंपनी ने हर तीन महीने में बोर्ड की कम से कम एक बैठक आयोजित की। कंपनी का व्यापार संचालित करने के लिए इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। किंतु, सभी बड़े फैसले बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। विभिन्न गतिविधियों के बारे में बोर्ड को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है/प्रगति की स्थिति से अवगत कराया जाता है।

वर्ष के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों का ब्योरा इस प्रकार है :

क्र.स	तारीख	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	09 मई, 2011 ^{\$}	5	5
2	09 मई, 2011 ^{\$}	5	4
3	01 नवम्बर, 2011 [*]	5	4
4	01 नवम्बर, 2011	5	4
5	16 मार्च, 2012 ^{**}	5	5

^{\$} बोर्ड की 7वीं और 8वीं बैठक एक ही दिन अर्थात् 09 मई, 2011 को आयोजित की गई।

^{*} बोर्ड की 9वीं बैठक 04 अगस्त, 2011 को निर्धारित की गई थी लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण यह 01 नवम्बर, 2011 को आयोजित की गई।

^{**} बोर्ड की 11वीं बैठक 23 जनवरी, 2012 को निर्धारित की गई थी लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण यह 16 मार्च, 2012 को आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम और निदेशक की श्रेणी	2011-12 के दौरान बैठकों में उपस्थिति	
	बोर्ड बैठक	पिछली वार्षिक आम बैठक
श्री ए बी एल श्रीवास्तव (गैर-कार्यकारी)	5	हां
श्री लियांग्सी पॉल गोमेई (गैर-कार्यकारी)	5	नहीं
श्रीमती कल्याणी मिश्रा (कार्यकारी निदेशक)	2	नहीं
श्री पी सी वैश्य (गैर-कार्यकारी)*	4	हां
श्री डी के राय (गैर-कार्यकारी)	5	हां
श्री विजय कुमार (गैर-कार्यकारी)**	1	लागू नहीं

* एनएचपीसी लिमिटेड ने 05 दिसम्बर, 2011 से श्री पी सी वैश्य का नामांकन वापस ले लिया।

** श्री विजय कुमार ने 16 जनवरी, 2012 को कंपनी के बोर्ड में कार्यभार संभाला।

(iv) आचार संहिता :

निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कार्य व्यापार संचालन एवं आचार संहिता हालांकि अभी तक तैयार नहीं हुई, फिर भी बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी कारोबार की नैतिकता के उच्चतम मानदंडों के अनुसार कार्यव्यापार संचालित करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

(v) जोखिम प्रबंधन :

निदेशक मंडल ने यह सुनिश्चित किया है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली कारपोरेट एवं प्रचालन गत लक्ष्यों के साथ एकीकृत और समन्वय हो। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यापार पद्धति के रूप में समझा जाता है और निर्धारित समयों पर किसी पृथक कार्य के रूप में नहीं लिया जाता।

3. लेखा परीक्षा समिति :

कंपनी के निदेशक मंडल ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार निम्नांकित गैर-कार्यकारी निदेशक लेखापरीक्षा समिति में शामिल थे :

- श्री विजय कुमार अध्यक्ष
- श्री लियांग्सी पॉल गोमेई गैर-कार्यकारी निदेशक
- श्रीमती कल्याणी मिश्रा गैर-कार्यकारी निदेशक
- श्री डी के राय गैर-कार्यकारी निदेशक

कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है इसलिए समिति के अध्यक्ष सहित कोई भी सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

बैठकें और उपस्थिति :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कुल पांच बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	तारीख	समिति के सदस्यों की संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	09 मई, 2011	4	3
2	09 मई, 2011	4	3
3	04 अगस्त, 2011	4	2
4	17 नवंबर, 2011	4	4
5	16 मार्च, 2012	4	4

कंपनी सचिव ने लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही :

सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई बैठकें	2011-12 के दौरान बैठकों में उपस्थिति
श्री विजय कुमार *	1	1
श्री डी के राय	5	5
श्री पी सी वैश्य **	4	4
श्री लियांग्सी पॉल गोमेई	5	4
श्रीमती कल्याणी मिश्रा	5	2

* श्री विजय कुमार को 16 मार्च, 2012 को बोर्ड की 11वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति का सदस्य बनाया गया।

** श्री पी सी वैश्य को 05 दिसम्बर, 2011 को लेखा परीक्षा समिति से कार्यमुक्त कर दिया गया।

समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण पर निगरानी रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय ब्योरा सही, सक्षम और विश्वसनीय है।
- लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड को अनुशंसा करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गयी किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन करना।
- वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने से पहले, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन समिति के साथ उनकी समीक्षा करना :
 - कंपनी अधिनियम 1956 की धारा-217 के खंड (2ए) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के दायित्व विवरण से संबंधित अपेक्षित मामलों;
 - लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में किए गए परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
 - प्रबंधन द्वारा निर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करने के आधार पर लगाए गए अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
 - लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय ब्योरों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण समायोजन;
 - वित्तीय विवरणों से सम्बन्धित कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन;
 - किसी सम्बन्धित पार्टी ट्रांजैक्शन का प्रकटीकरण; और
 - लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शामिल किए गए मुद्दे।
- निदेशक वित्तीय विवरणों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन समिति के साथ उनकी समीक्षा करना।
- विभागीय लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में प्रबंधन समिति के साथ समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की व्यवस्था और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचा, आंतरिक लेखा परीक्षा की कवरेज और आवृत्ति जैसे विषय शामिल हैं।
- विभागीय लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किन्हीं महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर विचार-विमर्श करना और तत्सम्बन्धी अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- किसी संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता अथवा विभागीय नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण विफलता जैसे मामलों में विभागीय लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गयी किसी प्रकार की आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और ऐसे मामलों की जानकारी बोर्ड को देना।
- लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पहले लेखा परीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना तथा लेखा परीक्षा पूरी होने के बाद उनके साथ फिर से विचार-विमर्श करना ताकि किसी चिंताजनक मुद्दे का पता लगाया जा सके।
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयर धारकों (घोषित लाभंश का भुगतान न किए जाने की स्थिति में) और ऋणदाताओं को भुगतान में किसी महत्वपूर्ण विफलता के कारणों का पता लगाना।
- किसी प्रकार की अनियमितता का पता करने की व्यवस्था यानी विशाल ब्लोवर मैकेनिज्म की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा सम्बन्धी टिप्पणियों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- संसद की सार्वजनिक उद्यम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक, विभागीय लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संवाद के लिए एक मुक्त वातावरण प्रदान करना।
- कंपनी में सभी सम्बन्धित पक्ष ट्रांजैक्शनों की समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को निर्दिष्ट कर सकती है जो सम्बन्धित पक्ष ट्रांजैक्शनों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

स्पष्टीकरण: "सम्बन्धित पक्ष ट्रांजैक्शन" शब्द का अर्थ वही होगा जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 में निहित है।
- स्वतंत्र लेखा परीक्षा के साथ लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि कवरेज की पूर्णता, व्यर्थ के प्रयासों में कमी, और लेखा परीक्षा संसाधनों का कारगर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन समिति के साथ निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :
 - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की उपयुक्तता, और
 - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और विभागीय लेखा परीक्षक के सम्बद्ध निष्कर्ष और सिफारिशों और उनके बारे में प्रबंधन समिति के जबाब।

19. प्रबंधन समिति, विभागीय लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नांकित विषयों पर विचार करना और समीक्षा करना :

- लेखा परीक्षा सम्बन्धी पिछली सिफारिशों सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष;
- किसी अपेक्षित जानकारी तक पहुंच अथवा गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंध सहित परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।

20. लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषयों में वर्णित किसी अन्य कार्य को अंजाम देना।

लेखा परीक्षा समिति के अधिकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 293 क के अनुसार हैं।

4. कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है।

5. पारिश्रमिक समिति

कंपनी ने अभी तक किसी पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

6. आम बैठकें

कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक नयी दिल्ली में 4 अगस्त, 2011 को अपराह्न 4.30 बजे आयोजित की गयी। लेखा समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में मौजूद थे।

6.1 पिछले तीन वर्षों में पारित किए गए विशेष प्रस्तावों का ब्योरा:

क्र.स.	बैठक का ब्योरा	पारित विशेष प्रस्ताव
1.	17 मई 2010 को आयोजित असाधारण आम बैठक	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मत पत्र के जरिये कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक आम बैठक अगस्त 2012 के महीने में आयोजित किए जाने की संभावना है।

7. प्रकटीकरण:

- सम्बन्धित पार्टी ट्रांजैक्शन : प्रोत्साहकों या निदेशकों या प्रबंधन समिति आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण किस्म का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जिससे कंपनी के व्यापक हितों के साथ कोई संघर्ष होने की आशंका हो।
- कंपनी की स्थापना के बाद से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से सम्बन्धित किसी मामले में किसी सांविधिक अधिकारी द्वारा कंपनी को कोई चेतावनी नहीं दी गयी और कोई जुर्माना नहीं किया गया।
- अनियमितता को प्रकाश में लाने की (विश्ल ब्लोवर) नीति : कंपनी ने कोई विश्ल ब्लोवर नीति नहीं अपनाई है। किन्तु, किसी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।
- स्थापना के बाद से कंपनी को कोई अध्यक्षीय दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया।
- लेखा-बहियों में किसी ऐसे व्यय को डेबिट नहीं किया गया, जो कार्य व्यापार के प्रयोजन के लिए न किए गए हों।

(vi) ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो व्यक्तिगत प्रकार हो और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

(vii) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय खर्च की तुलना में वित्तीय व्यय और उसमें वृद्धि के कारणों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र. स.	विवरण	कुल व्यय का प्रतिशत	वृद्धि का कारण
1.	प्रशासनिक व्यय	5 प्रतिशत	प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय में वृद्धि का कारण
2.	कार्यालय खर्च	02 प्रतिशत	परियोजना निर्माण पूर्व गतिविधियों (सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यों) का कार्यान्वयन है।

(ix) लेखांकन व्यवहार : कंपनी ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया है। किन्तु, विचलन होने पर, यदि कहीं हो, उसे टिप्पणियों में वर्णित किया गया है, जो लेखों का अभिन्न अंग हैं।

(x) निदेशकों को पारिश्रमिक :

निदेशकों को कोई पारिश्रमिक या सीटिंग शुल्क नहीं दिया गया।

8. संचार के साधन

कंपनी के वार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी सदस्यों को भौतिक रूप में उपलब्ध कराई जाती है। कंपनी को तिमाही परिणाम प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

9. लेखा परीक्षा उपयुक्तता

लेखा परीक्षक या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां निदेशकों की रिपोर्ट के साथ अन्यत्र संलग्न हैं।

10. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत उत्पादन के व्यापार में संलग्न है। कंपनी के बोर्ड ने एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक, प्रधान सचिव (विद्युत), मणिपुर सरकार के प्रतिनिधि और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसलिए वे कंपनी के बिजनेस मॉडल, व्यापार के जोखिम के स्वरूप आदि के साथ भलीभांति परिचित हैं।

11. अनुपालन प्रमाण पत्र

पूर्ण कालिक प्रैक्टिसरत कंपनी सचिवों, मैसर्स गरिमा दुग्गल एंड एसोशिएट्स द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गयी है कि कंपनी ने केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन दिशा-निर्देश-2010 के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कृते एवं उनकी ओर से निदेशक मंडल

(जी.साइ प्रसाद)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या- 00325308

तारीख- 06.08.2012

स्थान- नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग-अवसरचना और विकास

बिजली किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, खास तौर पर भारत जैसे देश के विकास के लिए जहां बेहतर और उच्चतर जीवन-स्तर बिजली की वाजिब दामों पर पर्याप्त और भरोसेमंद उपलब्धता पर निर्भर करता है। अन्य वस्तुओं की तरह बिजली पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता क्योंकि बिजली को सामान की तरह जमा करके नहीं रखा जा सकता। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र ने विद्युत उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई है और राज्य तथा केन्द्र सरकार कुल संस्थापित क्षमता के 81 प्रतिशत का उत्पादन कर रहे हैं। 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है और इस समय 19 प्रतिशत के बराबर है।

मणिपुर में बिजली की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। आम उपभोक्ताओं को रोजाना 6-7 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती। राज्य को बिजली पूर्वोत्तर क्षेत्र के बिजलीघरों से मिलती है लेकिन कमी वाले मौसम में इन सभी बिजलीघरों का विद्युत उत्पादन न्यूनतम स्तर पर पहुँच जाता है जिससे मणिपुर में स्थिति आम तौर पर बदतर हो जाती है। बिजली के अधिकतम उपयोग की स्थिति में राज्य की कुल मांग करीब 180 मेगावाट है जबकि इसकी उपलब्धता अधिकतम मांग वाले मौसम में 120 मेगावाट से लेकर सर्दियों में 45-30 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर रहती है। आने वाले वर्षों में मांग और आपूर्ति का अंतर और बढ़ने की संभावना है। स्थिति से निपटने के लिए विद्युत विभाग ने दो जल विद्युत केन्द्र संयुक्त उपक्रम के तौर पर स्थापित करने की योजना बनायी है। ये हैं : लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना (66 मेगावाट) और तिपाईमुख जलविद्युत परियोजना (1500 मेगावाट)। इन परियोजनाओं से उत्पन्न सारी बिजली राज्य में ही उपयोग में लायी जाएगी जिससे बिजली की उपलब्धता में सन्नध होगा।

2. क्षमता

हमारी मान्यता है कि कंपनी की प्राथमिक प्रतिस्पर्धी क्षमताएं इस प्रकार हैं :

उपभोक्ताओं से दीर्घवधि बिजली खरीद समझौते

भारत सरकार द्वारा नयी परियोजनाओं के बारे में निवेश संबंधी फैसले करते समय कंपनी राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों और उनसे संबद्ध संस्थाओं के साथ नयी परियोजनाओं से बिजली की खरीद के बारे में करार करवा लेती है। कंपनी पर भी ये करार लागू होते हैं। पावर स्टेशनों से राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों और उनके उत्तरवर्ती संगठनों को विद्युत आबंटन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

सक्षम और निष्ठावान कर्मचारी

कंपनी के गठन के नियमों के अनुसार लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना को लागू करने के लिए श्रमशक्ति मूल संगठनों यानी एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी है। फिलहाल सभी कर्मचारी जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में अग्रणी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा तैनात किये गये कर्मचारियों को इस उद्योग में विस्तृत अनुभव है। कंपनी के इन वरिष्ठ कार्यपालकों के कौशल, उद्योग संबंधी जानकारी और प्राचलनात्मक अनुभव ने कंपनी को प्रतिस्पर्धा में आगे रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

मूल संगठनों के कर्मचारियों की मजबूत डिजाइन और इंजीनियरी टीम

कंपनी को अपनी मूल कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड से भरपूर सहयोग मिल रहा है जिसके पास परियोजना का डिजाइन तैयार करने के लिए अपने कर्मचारियों की एक टीम है और इसकी इंजीनियरी संबंधी क्षमताओं संकल्पना के चरण से लेकर परियोजनाओं के चालू होने तक की तमाम गतिविधियां शामिल हैं। टीम की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजना परामर्शदाता उपलब्ध हैं। कंपनी के इंजीनियरों को खास तरह की सुरंगों का डिजाइन तैयार करने का अनुभव है और वे ऐसी भूगर्भवैज्ञानिक परिस्थितियों के लिए भी सुरंगों का डिजाइन तैयार कर सकते हैं जो परिवर्तनशील है तथा जिनका पर्याप्तमान लगाना मुमकिन नहीं है। इंजीनियरों को विशेषज्ञता वाले कई तरह के विश्लेषण करने, डिजाइन तैयार करने और कम्प्यूटर की मदद से डिजाइन बनाने में काम आने वाले ("कैड") सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के उपयोग का अनुभव है और वे अपने नवोन्मेषी और पूर्णतः समन्वित दृष्टिकोण को अपनाकर तथा अपने कौशल व ज्ञान का पूरा उपयोग करके डिजाइन संबंधी किसी भी समस्या का सामधान उपलब्ध करा देते हैं।

3. अवसर

पूर्वोत्तर भारत में जलविद्युत क्षमता का ऐसा भंडार उपलब्ध है जिसका अबतक पूरा उपयोग नहीं हुआ है। जलविद्युत क्षमता के विकास को देश के इस अल्पविकसित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक शानदार उपाय माना जा रहा है। लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना के निर्माण से देश के इस हिस्से में तमाम क्षेत्रों के विकास में जबरदस्त तेजी आने की संभावना है।

4. खतरे, कमजोरियाँ, जोखिम और चिंताएं

कंपनी का प्रबंधन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित बातों को खतरे, कमजोरियों, जोखिम और चिंताओं के रूप में देखता है।

पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी

पर्यावरण संबंधी मंजूरी, वन संबंधी मंजूरी और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से मंजूरी लेने के नियम (जहां कहीं इसकी जरूरत पड़ती है) इतने कठोर और प्रक्रियाओं इतनी जटिल हैं कि इनसे परियोजनाओं के लिए मंजूरी लेने में बड़ी देरी हो जाती है। इससे क्षमता संवर्धन कार्यक्रम पर बुरा असर पड़ सकता है।

भूमि अधिग्रहण

जलविद्युत परियोजनाएं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं जिनके लिए आधारभूत अवसरचना संबंधी कार्यों, परियोजना के विभिन्न घटकों और डूब क्षेत्र के लिए बड़े भू-भाग की आवश्यकता पड़ती है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इसके कायदे-कानूनों को आसान बनाने की जरूरत है।

भूगर्भ वैज्ञानिक आश्चर्य

इस इलाके में भूगर्भ वैज्ञानिक आश्चर्य, खास तौर पर जमीन के अंदर किये जाने वाले निर्माण में इस तरह के आश्चर्य होना बड़ी आम बात है जिनसे परियोजना के पूरा होने में लगने वाला समय और लागत बढ़ जाती है।

प्राकृतिक आपदाएं

जलविद्युत परियोजना पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है जहां भूस्खलन, चट्टानें खिसकने, सड़कों के बंद होने, बाढ़ आने और बादल फटने से निर्माण कार्यक्रम बुरी तरह गड़बड़ा जाता है।

अप्रत्याशित जटिलताएँ

परियोजना के निर्माण पर अप्रत्याशित जटिलताओं और विलम्ब का असर पड़ सकता है जिससे वास्तविक निर्माण-लागत अनुमानित लागत से काफी अधिक हो सकती है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के प्रभार संबंधी विनियमों में बदलाव से आमदनी और परियोजना के प्रचालन संबंधी नतीजों पर बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जलवायु संबंधी कारणों से पानी के बहाव में उतार-चढ़ाव से उत्पादन क्षमता में भी भारी बदलाव आ सकता है जिससे आमदनी और मुनाफे में काफी घट-बढ़ हो सकती है।

5. खंड और उत्पाद के अनुसार कार्यनिष्पादन

निगम लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है जिसकी संस्थापित क्षमता 66 मेगावाट है। परियोजना को पूरा करने के अलावा इसके कोई और खंड या उत्पाद फिलहाल नहीं हैं और न प्रस्तावित हैं।

6. परिदृश्य

जलविद्युत क्षमता के विकास के क्षेत्र में निवेश करने वालों/परियोजना बनाने वालों के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध हैं। समूचे विद्युत क्षेत्र और खास तौर पर जलविद्युत क्षेत्र में समग्र सन्नध के लिए कई पहल की गयी हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 2001 में संभावित जलविद्युत परियोजना स्थलों की क्षमता का निर्धारण, विद्युत अधिनियम 2003 का पारित होना, 50,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता के सृजन के लिए मई 2003 में की गयी पहल और 2008 में जल-नीति लागू किया जाना। बदले हुए परिदृश्य में देश में जलविद्युत क्षमता के विकास के नये अवसर पैदा होंगे।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

निगम में शक्तियों का विशेष रूप से विकेंद्रीकरण किया गया है। इसके संगठनात्मक ढांचे में पदक्रम (हायरारकी) के किसी खास स्तर के लिए निर्दिष्ट अधिकारों/उत्तरदायित्वों को भली भाँति परिभाषित कर दिया गया है। एनएचपीसी लिमिटेड के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह कंपनी का लेखापरीक्षा करे जिसके पास सुयोग्य और अनुभवी कर्मी उपलब्ध हैं।

8. प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

क) वित्तीय कार्यनिष्पादन

कंपनी लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना के सर्वेक्षण और अन्वेषण में लगी है जिसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। इस धनराशि को अनुसूचित बैंकों के सावधि जमा खातों में रखा गया है जिससे कंपनी को ब्याज भी मिल रहा है।

ख) परियोजना कार्यनिष्पादन

परियोजना का सर्वेक्षण कार्य जारी है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने दूसरे चरण का भू-आकृति संबंधी सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है और तीसरे चरण का कार्य बरसात के मौसम के बाद अक्टूबर, 2012 में शुरू होगा। पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए प्रस्ताव और सार्वजनिक सुनवाई रिपोर्ट पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए 18.07.2011 को पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गयी है। प्रस्ताव पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने 12.11.2011 को चर्चा की। मंत्रालय द्वारा वांछित अन्य सभी आंकड़े पहले ही भेजे जा चुके हैं।

9. मानव संसाधनों, औद्योगिक संबंधों का विकास और कर्मचारियों की संख्या

आपकी कंपनी की मान्यता है कि कंपनी के निरंतर विकास और सफलता के लिए सुप्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की टीम का होना बहुत जरूरी है। कंपनी के तमाम कर्मचारी एनएचपीसी लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं। उन्हें एनएचपीसी लिमिटेड की प्रशिक्षण नीति के अनुसार विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी गयी है।

औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण और मधुर रहे. हड़ताल/तालाबंदी से श्रमदिवसों का कोई नुकसान नहीं हुआ. कर्मचारी कल्याण गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया. कर्मचारियों को काम करने की परिस्थितियों और कल्याण आदि से संबंधित क्षेत्रों में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया.

- स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी गयी.
- सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सवों और खेल-कूल गतिविधियों का आयोजन किया गया. कंपनी के कार्यपालक और गैर-कार्यपालक कर्मियों के क्लब पूरी तरह सुसज्जित हैं.
- मनोरंजन सुविधाओं जैसे केबल टेलीविजन की व्यवस्था के लिए आधारभूत ढांचा बनाया गया या इसे आउटसोर्स किया गया.
- लोकतक में केन्द्रीय विद्यालय के जरिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं.
- लोकतक में डॉक्टरों और प्रशिक्षित अर्धचिकित्साकर्मियों से युक्त अस्पताल/औषधालय की व्यवस्था की गयी है. अस्पताल के साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवार देश भर में विभिन्न सूचीबद्ध अस्पतालों के जरिए इलाज करा सकते हैं.

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. के लिए आरक्षण

कंपनी अ.जा./अ.ज.जा. और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अपना योगदान कर रही है. एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार के बीच हुए प्रायोजक-समझौते की शर्तों के अनुसार कंपनी के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था प्रायोजकों को ही करनी है इसलिए कंपनी अपनी ओर से कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं कर रही है. बहरहाल, दोनों प्रायोजक सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण और अन्य छूट दे रहे हैं.

कंपनी में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाली सूची इस प्रकार है :

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या 31.03.12 को	प्रतिनिधित्व					
		अ.जा.	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज. जा.	अ.ज. जा. प्रतिशत	अ.पि. जा.	अ.पि. जा. प्रतिशत
कुल	27	1	4	3	12	2	8

विकलांगों का कल्याण

31.03.2012 को कंपनी में शारीरिक रूप से विकलांग कोई भी कर्मचारी नहीं था.

10. पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी मानव जाति की अमूल्य धरोहर 'प्रकृति' के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है. इसके लिए वह परियोजना स्थलों पर अपनी गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण के कार्य में तालमेल बनाए रखने के उपाय करती है. अगर निर्माण गतिविधियों का कोई संभावित दुष्प्रभाव होता है तो उसकी भरपाई पूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र सन्तुलन, हरित पट्टी विकास, मत्स्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, खदान और मलबा फेंकने के स्थानों को हरा-भरा करने तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापना के जरिए करने का प्रयास किये जाते हैं.

11. कंपनी का सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के निर्वाह के प्रति वचनबद्ध है और न सिर्फ पर्यावरण के बारे में जागरूक है बल्कि नैतिक दृष्टि से अपनी गतिविधियों के लिए सजग है. वह अपने कारपोरेट अभिशासन, कर्मचारी कल्याण और पर्यावरण संबंधी अपनी वचनबद्धताओं निभाने में बेहतरीन तौर-तरीकों को अपनाने के प्रयास करती है.

आपकी कंपनी के पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजना की वजह से या अन्य कारणों से प्रभावित होने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सन्तुलन करना है. अपकी कंपनी पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति के जरिए परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है.

सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं. पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करनी चाहिए. कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नयी सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक जनसामान्य के लिए इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती.

वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

कृते एवं उनकी ओर से निदेशक मंडल

(जी.साइ प्रसाद)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या- 00325308

तारीख - 6.08.2012

स्थान - नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

हमने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उससे सम्बद्ध 31 मार्च, 2012 की अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाता, न. कदी प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखे की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बने और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है, और हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4 ए) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2004 (यथा संशोधित) की अपेक्षानुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
2. उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।
 - (ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

- (ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- (घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता नकदी प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखाकंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
- (ङ) कंपनी कार्य विभाग ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी अधिसूचना संख्या 8/5/2001-सीएल.वी के माध्यम से अधिसूचित किया है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (च) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे तत्संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (टिप्पणी संख्या-01) और व्याख्यात्मक लेखा-विवरण (टिप्पणी संख्या-35) के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं-
 - (क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 को कंपनी की स्थिति का;
 - (ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का;
 - (ग) नकदी प्रवाह के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह का, और
 - (घ) निर्माण के दौरान व्यय लेखा के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के व्यय का।

कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सन्दी लेखाकार
(एफ आर पंजीकरण संख्या 309115 ई)

(क्ष. कुंजाबी सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.-016593

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 18 मई, 2012

शाखा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित)

1. (क) कम्पनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।
 - (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, क्योंकि सत्यापन का एक तय कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप के अनुरूप है। इस सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नजर नहीं आयी।
 - (ग) चूंकि इस अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू महत्त्व आधार पर वित्तीय विवरण को तैयार किया जाना, इससे प्रभावित नहीं हुआ है।
2. (क) हमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।
 - (ख) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।
 - (ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में लेखा-बहियों के रिकार्ड की तुलना में कोई विसंगति नहीं पायी गई है।
3. (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य प्राइवेट पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।
 - (ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।
 - 4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची और अचल परिसंपत्तियों के क्रय के बारे में एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। परियोजना निर्माणाधीन होने के कारण इस अवधि में वस्तु एवं सेवाओं की कोई बिक्री नहीं की गई।
 - 5. (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो।
 - (ख) उपरोक्त उप-खंड (क) को देखते हुए यह उप-खंड लागू नहीं होता।
 - 6. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों में कवर होने वाले किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।
 - 7. कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उसके आकार एवं व्यापार के स्वरूप के अनुरूप है।
 - 8. कंपनी निर्माणावस्था में है इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित लागत रिकार्डों के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
 - 9. (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार लेखा-परीक्षाधीन अवधि में भविष्य निधि अंशदानों की जानकारी नियमित रूप से इसकी धारक कंपनी, एनएचपीसी लिमिटेड के कारपोरेट

कार्यालय को भेजी जा रही है ताकि उसे एनएचपीसी कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कराया जा सके और हमें दी गयी जानकारी के अनुसार ये अंशदान जमा कराने की वास्तविक तारीख देय होने की तारीखों के भीतर रही है तथा जहां तक पीएफ और ईडीएलआई पर प्रशासनिक प्रभार का प्रश्न है, वे देय होने पर निर्धारित तारीख से पहले उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा कराए गए हैं और जैसा कि हमें जानकारी दी गई है वर्ष 2011-12 के लिए आय कर को छोड़ कर, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क तथा उपकर की कोई राशि देय नहीं है, जो जमा न करायी गई हो।

10. आदेश का खंड 4(X) कंपनी पर लागू नहीं होता।
11. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है। अतः आदेश का खंड 4(XI) कंपनी पर लागू नहीं होता।
12. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर तथा ऋणपत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्य को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।
13. कम्पनी एक चिटपफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए आदेश का खंड 4(Xiii) कंपनी पर लागू नहीं होता।
14. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसलिए

आदेश का खंड 4(Xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अन्यो द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।
16. लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने किसी सावधि ऋण का उपयोग नहीं किया।
17. कंपनी ने अल्पावधि आधार पर किसी धन की उगाही नहीं की है।
18. कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।
19. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।
20. कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू से धन उगाही नहीं की है।
21. हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी प्रकाश में नहीं आयी है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते कुंजाबी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(एफ आर पंजीकरण संख्या 309115 ई)

(क्ष. कुंजाबी सिंह)

भागीदार

सदस्यता सं.-016593

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 18 मई, 2012

संलग्नक-5

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक लिमिटेड, लोकतक, मणिपुर के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक लिमिटेड, लोकतक, मणिपुर के वित्तीय ब्योरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय ब्योरो पर अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गयी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18 मई, 2012 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक लिमिटेड, लोकतक, मणिपुर के 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्योरो की पूरक लेखा परीक्षा न करने का निर्णय किया है। इसलिए, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षरित

(प्रवीण कुमार सिंह)

प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) और

पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3,

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 11 जून, 2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार तुलन-पत्र

		(राशि रूप में)	
विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	984,615,400	600,000,000
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	55,977,496	15,448,033
(2) लंबित आवंटन संबंधी शेयर आवेदन निधि	4	50,000,000	384,615,400
(3) गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	5	-	-
(ख) स्थगित कर देयता	6	-	-
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	7	-	-
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	8	-	-
(4) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	9	-	-
(ख) व्यापार प्राप्य	10	783,379	433,024
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	11	84,048,472	88,977,489
(घ) अल्पावधि प्रावधान	12	40,143,725	18,783,039
इक्विटी और देयताएं-कुल		1,215,568,472	1,108,256,985
II. आस्तियां			
(1) गैर-वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तियां	13.1	9,330,395	9,584,299
(ii) अगोचर आस्तियां	13.2	2,618	5,234
(iii) चालू पूंजी कार्य	14.1	418,015,182	389,632,208
(iv) विकासाधीन अगोचर आस्तियां	14.2	-	-
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	15	-	-
(ग) स्थगित कर आस्तियां	6	-	-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	16	987,089	407,000
(ङ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	17	-	-
(2) चालू आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	18	-	-
(ख) मालसूची	19	-	-
(क) व्यापार प्राप्य	20	-	-
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	21	674,033,614	682,096,447
(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	22	50,882,639	16,181,487
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	23	62,316,935	10,350,310
कुल		1,215,568,472	1,108,256,985
टिप्पणी 1 से 35 इस लेखे का अभिन्न अंग हैं।			-

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुंजाबी एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 (एफ. पंजीकरण- 309115ई)

ए.बी. एल. श्रीवास्तव
 अध्यक्ष
 डीआईएन : 01601682

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(विजय कुमार)
 निदेशक
 डीआईएन : 03021294

(क्ष. कुंजाबी सिंह)
 भागीदार
 सदस्यता संख्या-016593

(एस. के. चौहान)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(विपिन जैन)
 कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 18 मई 2012

31 मार्च, 2012 के अनुसार लाभ एवं हानि खाता

(राशि रूपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	24	-	-
ii) अन्य आय	25	60,719,161	36,471,302
कुल आय		60,719,161	36,471,302
व्यय			
i) कर्मचारी लाभ व्यय	26	-	-
ii) वित्त लागत	27	-	-
iii) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	-	-
iv) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	29	724,396	-
v) प्रावधान	30	-	-
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	31	-	-
कुल व्यय		724,396	-
पूर्व अवधि मर्दों, विशिष्ट और असाधारण मर्दें तथा सतत प्रचालन से कर पूर्व लाभ		59,994,765	36,471,302
पूर्ववधि समायोजन (निवल)	32	-	(5,119,825)
विशिष्ट और असाधारण मर्दें तथा कर पूर्व लाभ		59,994,765	41,591,127
असाधारण मर्दें		-	-
असाधारण मर्दें और कर पूर्व लाभ		59,994,765	41,591,127
असाधारण मर्दें		-	-
कर पूर्व लाभ		59,994,765	41,591,127
कर संबंधी व्यय	34		
i) वर्तमान कर		19,465,302	12,634,751
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		-	1,880,993
iii) विलंबित कर		-	-
घटाएं: वसूली योग्य विलंबित कर समायोजन		-	-
कर संबंधी कुल व्यय		19,465,302	14,515,744
सतत प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ		40,529,463	27,075,383
गैर प्रचालन कार्यों से लाभ		-	-
गैर प्रचालन कार्यों पर कर व्यय		-	-
गैर प्रचालन कार्यों से कर उपरांत लाभ		-	-
वर्ष के लिए लाभ		40,529,463	27,075,383
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
बुनियादी		0.41	0.45
तनूकृत		0.41	0.43

टिप्पणी 1 से 35 इस लेखे का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ. पंजीकरण- 309115ई)

ए.बी. एल. श्रीवास्तव
अध्यक्ष
डीआईएन : 01601682

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(विजय कुमार)
निदेशक
डीआईएन : 03021294

(क्ष. कुंजाबी सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या-016593

(एस. के. चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2012

टिप्पणी संख्या-01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भव विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

- 2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।
- 2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
- 2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।
- 2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।
- 2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।
- 2.6 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्ज

- 3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।
- (ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जें मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।
- (ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।
- 3.2 अन्य कलपुर्जों को "भंडार एवं कलपुर्जें" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

- 4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- 4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय" (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।
- 4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यहास तथा परिशोधन

- 5.1 अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यहास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।
- 5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.3 निर्माकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यहास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-
 - (i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी-11.25 प्रतिशत
 - (ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण-30 प्रतिशत।
- 5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।
- 5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।
- 5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती हैं।
- 5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है परंतु, यह परिशोधन अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार से संबद्ध भूमि को छोड़कर किया जाता है।
- 5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।
- 5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।
- 5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।
- 5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।
- 5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोत्तरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यहास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

- 7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।
- 7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपये अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखों पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बंटे खाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

- 8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।
- 8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखों में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

- 9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

- 10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भव आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 पॉवर स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

11.3 50,000 रुपये और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखों को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभावी है।

टिप्पणी 2 : शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
	संख्या में	(राशि रूप में)	संख्या में	(राशि रूप में)
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी	230,000,000	2,300,000,000	230,000,000	2,300,000,000
(ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या	98,461,540	984,615,400	60,000,000	600,000,000
(ग) अंकित मूल्य प्रति शेयर (रुपए)		10		10
(घ) परिशोधित इक्विटी शेयरों की संख्या और 31.03.2012 को बकाया शेयर पूंजी	संख्या में	शेयर पूंजी (राशि रूप में)	संख्या में	शेयर पूंजी (राशि रूप में)
दि. 31.03.2011 को अधिशेष	60,000,000	600,000,000	60,000,000	600,000,000
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/अभिदत्त शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	38,461,540	384,615,400	-	-
घटाए : शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	-	-
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	98,461,540	984,615,400	60,000,000	600,000,000
(ङ) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	प्रतिशत होल्डिंग	शेयरों की संख्या		
एनएचपीसी लिमिटेड	74.00%	72,861,540		
मणिपुर सरकार	26.00%	25,600,000		
कुल		98,461,540		
(f) नकदी से इतर आवंटन के लिए विचारार्थ शेयरों की कुल संख्या		-		-

शेयरधारकों के अधिकार/शर्तें

एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार द्वारा 26.09.2008 को हस्ताक्षरित प्रोमोटर करार के अनुसार शेयरों के हस्तांतरण पर विभिन्न प्रकार की शर्तें लगाई गई हैं। कोई भी शेयर हस्तांतरण तब तक वैध नहीं माना जायेगा जब तक कि वह पूर्ण रूप से उक्त प्रोमोटर समझौते के अनुरूप न हो।

टिप्पणी 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

विवरण	31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
	संख्या में	(राशि रूप में)	संख्या में	(राशि रूप में)
क) अधिशेष *		55,977,496		15,448,033
कुल		55,977,496		15,448,033
* अधिशेष				
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		40,529,463		27,075,383
अग्रणीत शेष		15,448,033		(11,627,350)
अग्रणीत शेष		55,977,496		15,448,033

टिप्पणी 4 : शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन

विवरण	31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
	संख्या में	(राशि रूप में)	संख्या में	(राशि रूप में)
शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन		50,000,000		384,615,400
शेयर आवेदन निधि निम्नांकित अनुसार प्राप्त हुई है :		50,000,000		384,615,400

मणिपुर सरकार 5000000

- प्रति शेयर 10/- रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर मौजूदा शेयरधारकों के समरूप उपरोक्त शेयरधारकों को जारी किए जाने हैं।
- प्रति शेयर 10/- रुपये मूल्य के 5000000 इक्विटी शेयर उपरोक्त शेयरधारकों को जारी करने का प्रस्ताव हैं।
- कंपनी की अधिकृत शेयरपूंजी 230 करोड़ रुपये हैं जो उपरोक्त शेयर आवेदनों में से शेयरों के आवंटन पर शेयर पूंजी राशि कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।
- उपरोक्त शेयर आवेदन निधि में से उपरोक्त शेयरों का आवंटन लंबित रहने का कारण यह है कि एनएचपीसी लिमिटेड से शेयर आवेदन निधि प्राप्त नहीं हुई है।

टिप्पणी 5 : दीर्घावधि ऋण

विवरण	31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
	संख्या में	(राशि रूप में)	संख्या में	(राशि रूप में)

टिप्पणी 6 : स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
	संख्या में	(राशि रूप में)	संख्या में	(राशि रूप में)
कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 "आय पर कर" का अनुपालन करते हुए 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान स्थगित कर देयता के लिए प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।		शून्य		शून्य

टिप्पणी 7 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	शून्य	शून्य

टिप्पणी 8 : दीर्घावधि प्रावधान

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	शून्य	शून्य

टिप्पणी 9 : अल्पावधि ऋण

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	शून्य	शून्य

टिप्पणी 10 : व्यापार देयताएं

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (30 से अधिक देय-शून्य रुपये)	-	-
ख) मझोले उद्यमों की कुल बकाया राशि (30 से अधिक देय-शून्य रुपये)	-	-
ग) अन्य	783,379	433,024
	<u>783,379</u>	<u>433,024</u>

टिप्पणी 11 अन्य चालू देयताएं

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	-	-
ख) वित्त लीज दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	-	-
ग) जमा राशियां	-	-
घ) ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	-	-
ङ) ऋणों पर प्रोदभूत और देय ब्याज	-	-
च) अग्रिम प्राप्त आय	-	-
छ) आद न किया गया लाभांश	-	-
ज) पूर्ण कार्य/आपूर्तियों के प्रति देयता	-	-
झ) जमा/प्रतिधारण निधि	60,753	56,599
ञ) होल्डिंग कंपनी को देय	80,905,882	88,797,447
ट) जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि	-	-
ठ) बांड आवेदन निधि	-	-
ड) अन्य देयताएं	1,761,581	112,572
ढ) अन्य भुगतान योग्य	1,320,256	10,871
न) अन्य देयताएं - स्व बीमा निधि	-	-
ण) डिपोजिट कार्यों के प्रति अग्रिम	-	-
घटाएं : डिपोजिट कार्यों पर व्यय की गई राशि	-	-
प) परियोजना प्रबंध/परामर्शों कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	-	-
फ) सहायता अनुदान-लंबित उपयोग	-	-
	<u>84,048,472</u>	<u>88,977,489</u>

टिप्पणी 12 : अल्पावधि प्रावधान

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	-	-
i) अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	-	-
ii) उपदान के लिए प्रावधान	-	-
iii) आरईएचएस के लिए प्रावधान	-	-
iv) यात्रा अवकाश रियायत (एलटीसी) के लिए प्रावधान	-	-
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	89,640	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	89,640
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	89,640	-
अंतिम शेष	-	89,640
v) अवकाश नकदीकरण पर एमसी हेतु प्रावधान	-	-

टिप्पणी 12 : अल्पावधि प्रावधान (जारी)

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
vi) टीटीए (सेवा-निवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए प्रावधान	-	-
vii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	9,628,128	4,577,688
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	923,402	5,767,808
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	9,628,128	542,717
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	174,651
सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि में अंतरित राशि	-	-
अंतिम शेष	923,402	9,628,128
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	923,402	2,807,903
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-
viii) उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,267,304	451,373
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	2,580,606	1,267,304
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	322,736
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	128,637
अंतिम शेष	3,847,910	1,267,304
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	198,738	-
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	3,649,172	1,267,304
ix) सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	2,513,507	-
वेतन संशोधन प्रावधान को अंतरित राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-
अंतिम शेष	2,513,507	-
ख) अन्य		
i) कराधान हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10,605,870	-
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	19,465,302	10,605,870
वर्ष के दौरान समायोजन	3,909,874	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-
अंतिम शेष	33,981,046	10,605,870
ii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	-	-
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर	-	-
iv) प्रावधान -अन्य	-	-
v) कारपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु प्रावधान व्यय	-	-
vi) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान	-	-
	40,143,725	18,783,039

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- 01.01.2007 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए प्रावधान, जो अंतिम तिमाही तक जारी था, का अब समाधान हो गया है परन्तु, इसमें से 0.09 करोड़ रुपये का प्रावधान अभी जारी है क्योंकि कर्मिक समायोजन वेतन (फिटमेंट बेनिफिट) का समाधान अभी नहीं हुआ है, जिसके लिए भारत सरकार का अनुमोदन अभी नहीं मिला है। कर्मिक समायोजन वेतन के संदर्भ में कर्मचारियों को रुपये 0.09 करोड़ का भुगतान किया गया है जिसे "कर्मिक समायोजन अग्रिम" के रूप में दर्शाया गया है।
- लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का कार्यान्वयन लंबित रहते 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान 0.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसे मिला कर कुल प्रावधान 0.25 करोड़ रुपये का हो गया है।
- लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य-निष्पादन आधारित वेतन योजना (पीआरपी) का अनुमोदन लंबित रहते वर्ष के दौरान इस मद में 0.165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसे मिला कर 31.03.2012 को पीआरपी के लिए संचयी प्रावधान 0.2325 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें से 0.02 करोड़ रुपये कर्मचारियों को अग्रिम अदा किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 13.1 गोचर परिसंपत्तियां

(राशि रूप में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2011	सकल ब्लाक		मूल्यहास		निवल ब्लाक	
			संवर्द्धन	कमी	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2012	31.03.2011
			अंतरण के कारण से	अंतरण के कारण से				
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-
iii)	सड़के और पुल	4,763,741	-	-	535,027	159,109	694,136	4,228,714
iv)	भवन	5,336,923	270,608	-	2,034,060	515,303	2,549,363	3,302,863
v)	रेलवे साइट्स	-	-	-	-	-	-	-
vi)	हाइड्रोलेक्ट्रिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकेनिकल गेट, सुरंग)	-	-	-	-	-	-	-
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-	-	-	-	-	-	-
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	-	-	-	-	-	-	-
x)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	94,554	-	-	64,190	4,992	69,182	30,364
xi)	निर्माण उपकरण	7,472,225	-	-	6,763,182	-	709,043	-
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-	-	-	-	-	-	-
xiii)	विद्युतीय संस्थापनों	-	-	-	-	-	-	-
xiv)	वाहन	5,630,248	-	1,399,478	5,067,223	(1,259,530)	423,077	563,025
xv)	विमान/नौका	-	-	-	-	-	-	-
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	895,154	250,900	-	827,311	29,549	878,987	67,843
xvii)	कम्प्यूटर	1,266,880	158,088	-	1,109,594	43,575	1,153,169	157,286
xviii)	संचार उपकरण	108,455	12,199	-	91,497	4,542	96,039	16,958
xix)	कार्यालय उपकरण	689,432	92,013	-	518,127	47,423	565,550	171,305
xx)	अनुसंधान और विकास	-	-	-	-	-	-	-
xxi)	अन्य आस्तियां	1,248,992	13,000	-	912,839	84,154	996,993	336,153
xxii)	उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	-	-	-	-	-	-	-
xxiii)	गौण मूल्य की अवल आस्तियां > 750 और < 5000 रुपये	1,498,624	19,769	-	1,497,879	16,760	1,517,638	745
xxiv)	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	29,005,228	816,577	1,399,478	19,420,929	905,407	19,091,932	9,584,299
	पिछले वर्ष	28,918,580	86,648	-	18,934,536	486,393	19,420,929	9,984,044

टिप्पणी सं. 13.2 : अगोचर परिसंपत्तियां

(राशि रूप में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2011	सकल ब्लाक		मूल्यहास		निवल ब्लाक	
			संवर्द्धन	कमी	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2012	31.03.2011
			अंतरण के कारण से	अंतरण के कारण से				
i)	भूमि-अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार	-	-	-	-	-	-	-
ii)	अगोचर परिसंपत्तियां	7,850	-	-	2,616	2,616	5,232	5,234
	कुल	7,850	-	-	2,616	-	5,232	5,234
	पिछले वर्ष	-	7,850	-	2,616	-	2,616	-

टिप्पणी 14.1-चालू पूंजी कार्य

(राशि रूप में)

विवरण	31.03.2011	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2012
i) सड़कें और पुल	1,948,004				1,948,004
ii) भवन	-				-
iii) रेलवे साइडिंग्स	-				-
iv) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-				-
v) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-				-
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-				-
vii) संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	-				-
viii) संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-				-
ix) निर्माण उपकरण	-				-
x) जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-				-
xi) संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	-				-
xii) उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एलडीएचसीएल के स्वामित्व में नहीं हैं।	-				-
xiii) सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार - नई परियोजनाएं	26,414,166	6,302,081			32,716,247
xiv) प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	-				-
xv) निर्माण के दौरान व्यय *	361,141,840	22,183,219	(102,326)		383,222,733
घटाएं : प्रावधान के लिए	-				-
उप-जोड़ (क)	389,504,010	28,485,300	(102,326)	-	417,886,984
* वर्ष के दौरान संवर्द्धन टिप्पणी संख्या 32 देखें					
निर्माण भंडार	31.03.2011	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2012
i) भंडार और कल-पुर्जे	257,198				257,198
ii) खुले औजार	-				-
iii) रद्दी माल सूची	-				-
iv) मार्गस्थ भंडार/निरीक्षण लंबित	-				-
v) संविदाकारों/फबरिकेटों को जारी सामग्री	-				-
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	129,000				129,000
उप-जोड़ (ख)	128,198	-	-	-	128,198
कुल जोड़	389,632,208	28,485,300	(102,326)	-	418,015,182
पूर्वावधि					

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

1) 'निर्माण के दौरान व्यय' को अंतरित पूंजीकृत ऋण लागत की राशि वर्ष के दौरान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

टिप्पणी सं. 14.2 : विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां

(राशि रूप में)

विवरण	01.04.2011	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2012
i) विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां					-
कुल	-	-	-	-	-
पूर्वावधि					

टिप्पणी सं. 15 : गैर चालू खर्चें

(राशि रूप में)

विवरण	शेयर/बांड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिशेयर/बांड/ प्रतिभूति/ अंतिम मूल्य	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	-	-	-	-

टिप्पणी 16 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) पूंजी अग्रिम		
i) प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-
ii) अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
- बैंक गारंटी के बदले	-	-
- अन्य	-	-
iii) अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	151,747	151,747
ख) जमा राशियां	-	-
ग) संबंधित पार्टियों ऋण और अग्रिम	-	-
घ) अन्य ऋण और अग्रिम		
i) कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	500,589	407,000
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	486,500	-
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-
ii) ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण		
iii) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-
घटाएं : संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान इ1	151,747	151,747
	<u>987,089</u>	<u>407,000</u>
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान इ1		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	151,747	1,531,747
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	1,380,000
अंतिम शेष	<u>151,747</u>	<u>151,747</u>

	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा		
वर्ष के दौरान देय राशि	शून्य	शून्य
ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।		

टिप्पणी 17 : अन्य दीर्घावधि निवेश

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को

टिप्पणी 18 : वर्तमान निवेश

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
		-

टिप्पणी 19 : मालसूची

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	शून्य	शून्य

टिप्पणी 20 : व्यापार प्राप्य (देनदार)

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	शून्य	शून्य

टिप्पणी 21 : नकदी एवं बैंक शेष

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) नकदी एवं नकदी समकक्ष		
i) स्टैम्प सहित हस्तगत नकदी (शून्य (पिछले वर्ष शून्य))	20,727	40,866
ii) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट	-	-
iii) बैंकों में शेष राशि		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
चालू खाते में - स्व-बीमा निधि	-	-
- अन्य	2,016,896	59,590
जमा खाते में * - स्व-बीमा निधि		
- आईपीओ प्राप्तियां		
- अन्य		
• अन्य बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
बैंक ऑफ भूटान फ्यून्डोलिंग	-	-
जमा खाते में *	-	-
* तीन महीने या कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा		
ख) अन्य बैंकों में शेष		
i) बैंकों में शेष (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि)		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
जमा खाते में - स्व-बीमा निधि	-	-
- आईपीओ प्राप्तियां	-	-
- अन्य	671,995,991	681,995,991
ii) जमा खाते में - भुगतान न किया लाभांश	-	-
iii) 12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ बैंकों में शेष		
- सावधि जमा-आईपीओ प्राप्तियां में से इस्तेमाल न की गई निधि	-	-
- सावधि जमा-अन्य	-	-
- सावधि जमा-बैंकों में जमा स्वबीमा निधि	-	-
	674,033,614	682,096,447

टिप्पणी 22 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) ऋण		
i) सम्बद्ध पक्षों को	-	-
ii) अन्यो को	-	-
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	148,013	459,655
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	20,460	86,137
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-
ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण	-	-
ख) अग्रिम		
i) सम्बद्ध पक्षों को	-	-
ii) अन्यो को		
कर्मचारी		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	726,650	151,960
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		
संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-
- बैंक गारंटी के साथ	-	-
- अन्य	15,483,735	15,483,735
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		
अन्य अग्रिम		
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान * 1	-	-
अग्रिम आय कर	34,503,781	-

टिप्पणी 22 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
ग) जमा राशि	-	-
घटाएं : संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	-	-
	50,882,639	16,181,487
प्रावधानों का ब्योरा		
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान *1	-	-
संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान *2	-	-
व्याख्यात्मक टिप्पणी		
निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2012 को
1) वर्ष के अंत में बकाया राशि	शून्य	शून्य
2) ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।		

टिप्पणी 23 : अन्य चालू आस्तियां

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
क) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-		
i) उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-	-
ii) जमा राशियां		
- आईपीओ	-	-
- स्व-बीमा	-	-
- अन्य जमा राशियां	62,208,315	10,346,916
iii) अन्य	-	-
ख) अन्य चालू आस्तियां	-	-
ग) प्राप्त की गई आस्थगित वसूली	-	-
ग) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे	-	-
घटाएं : सदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *1	-	-
घ) अन्य वसूली योग्य	108,620	3,394
ङ) निर्माण कार्य प्रगति पर	-	-
च) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	-	-
घटाएं : बड़े खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	-	-
छ) बड़े खाते में डाले जाने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियां	-	-
घटाएं : बड़े खाते में डाले जाने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के लिए प्रावधान	-	-
ज) डिपोजिट कार्य पर व्यय	-	-
घटाएं डिपोजिट कार्य के प्रति अग्रिम	-	-
झ) परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य पर व्यय राशि	-	-
घटाएं : परियोजना/संविदा की लागत के प्रति अग्रिम	-	-
झ) स्व बीमा निधि से वसूली योग्य दावे	-	-
	62,316,935	10,350,310
प्रावधानों का ब्योरा		
सदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *1	-	-
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		

टिप्पणी 24 : प्रचालन से राजस्व

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	शून्य	शून्य

टिप्पणी 25 : अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) दीर्घावधि निवेश से आय		
i) व्यापार	-	-
ii) गैर-व्यापार	-	-
B) अन्य आय		
i) ब्याज		
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-	-
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	-	-
- जमा खाता-स्व बीमा निधि-इंडियन बैंक	-	-
- जमा खाता-स्व बीमा निधि से इतर-इंडियन बैंक	60,627,878	36,471,302
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	91,283	29,270
- अन्य	-	-
ii) लाभार्थी राज्यों से ब्याज	-	-
iii) विलंब भुगतान अधिभार	-	-
iv) परियोजना हस्तांतरण पर लाभ	-	-
v) म्यूचुअल फंड्स की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	-	-
vi) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
vii) देयताएं/प्रावधान जिनके पक्ष लेखन की आवश्यकता नहीं है #	89,640	4,234,524
viii) अन्य	112,516	26,278
ix) विनिमय दर अंतर	-	-
कुल	60,921,317	40,761,374
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (टिप्पणी सं. 33ज(ख), और 33झ (ग)) देखें।	202,156	4,290,072
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	60,719,161	36,471,302
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
क्ष्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पक्ष लेखन की आवश्यकता नहीं है।		
खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	-
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-	1,380,000
खराब तथा संदिग्ध दावे	-	-
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	-	-
भण्डार तथा कलपुर्जों की कमी	-	-
गारंटी खर्च हेतु प्रावधान	-	-
हेजिंग कारोबार पर हानियों के लिए प्रावधान	-	-
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	-	174,651
प्रतिबद्ध पूंजी खर्च हेतु प्रावधान	-	-
लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	-	-
उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	-	128,637
टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान	-	-
अन्य	89,640	2,551,236
कुल	89,640	4,234,524

टिप्पणी 26 : कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	29,720,796	37,830,657
ii) उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	5,945,877	16,026,916
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	2,647,069	8,140,967
iv) अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	-	-
कुल	38,313,742	61,998,540
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी व्यय (टिप्पणी सं. 33क और 33झ (iii)) देखें।	38,313,742	61,998,540
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	-	-
स्पष्टीकरण टिप्पणी		
1) उपरोक्त भुगतान में से निदेशकों को देय/अदा किया गया पारिश्रमिक .		

(राशि रूप में)

	31.03.2012	31.03.2011
(i) वेतन और भत्ते	शून्य	शून्य
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	शून्य	शून्य
(iii) आवासीय परिसर के लिए किराया	शून्य	शून्य
(iv) अन्य लाभ	शून्य	शून्य

टिप्पणी 27 : वित्त लागत

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(राशि रूप में)		
क) निम्नलिखित पर ब्याज -		
भारत सरकार के ऋण	-	-
बांड	-	-
विदेशी ऋण	-	-
सावधि ऋण	-	-
उप जोड़	-	-
ख) अन्य ऋण लागत		
अन्य वित्त प्रभार	2,674	18,431
उप जोड़	2,674	18,431
ग) विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि		
उप जोड़	-	-
कुल योग	2,674	18,431
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत (टिप्पणी संख्या 33-घ और 33-झ (5) देखें)	2,674	18,431
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	-	-

टिप्पणी 28 : मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(राशि रूप में)		
i) वर्ष के दौरान मूल्यहास	908,023	489,009
ii) विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन	-	-
कुल	908,023	489,009
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्यहास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी सं. 33घ और 33झ (V) देखें। लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	908,023	489,009
	-	-

टिप्पणी 29 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(राशि रूप में)		
क. उत्पादन व्यय		
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	-	-
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	586,020	635,093
- मशीनरी	23,133	18,558
- अन्य	596,310	391,671
ग. प्रशासनिक व्यय		
i) किराया	283,484	-
ii) दरें और कर	40,060	48,180
iii) बीमा	55,579	49,962
iv) सुरक्षा व्यय	-	-
v) विद्युत प्रभार	11,000	-
vi) यात्रा एवं वाहन	1,000,213	756,917
vii) स्टाफ कार पर खर्च	358,710	217,305
viii) टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	113,204	22,595
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	496,520	1,660
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	37,962	9,000
xi) दान या चंदा	-	-
xii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	91,651	69,489
xiii) पुस्तकें व पत्रिकाएँ	3,198	1,699
xiv) परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	13,450	13,890
xv) परामर्शी प्रभार -विदेशी	-	-
xvi) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सफाई पर खर्च	-	-
xvii) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-	-
xviii) परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-
xix) बड़े खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे	-	-
xx) बड़े खाते डाले गए भंडार	-	-
xxi) बड़े खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियाँ	-	-

टिप्पणी 29 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
xxii) पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	-	-
xxiii) ग्राहकों को छूट	-	-
xxiv) जल उपकरण और पर्यावरण संरक्षण उपकरण	-	-
xxv) कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	-	-
xxvi) अन्य सामान्य खर्च	968,652	624,742
xxvii) विनिमय दर अंतर	-	-
xxviii) लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)	146,015	53,238
xxix) निदेशक खर्च	-	-
xxx) अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
कुल	4,825,161	2,913,999
घटाएं : ईडीसी को अंतरित उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (टिप्पणी सं. 33 ख, 33 ग और 33 झ (ii) देखें)	4,100,765	2,913,999
घटाएं : संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित प्रशासन एवं अन्य व्यय (टिप्पणी सं. 31 देखें).	-	-
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	724,396	-
स्पष्टीकरण टिप्पणी :-		
1) लेखा परीक्षा भुगतान का ब्योरा नीचे दिया गया है :-		
i) सांविधिक लेखा-परीक्षक	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2012 को
लेखा-परीक्षक के रूप में		
लेखा-परीक्षा शुल्क	55,562	22,060
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	-	-
अन्य क्षमता में	-	-
कराधान मामले	-	-
कंपनी विधि मामले	-	-
प्रबंधन सेवाएं	-	-
अन्य मामले/ सेवाएं	13,170	-
खर्चों की अदायगी	77,283	31,178
ii) लागत लेखा परीक्षक		
लेखा-परीक्षा शुल्क	-	-
खर्चों की अदायगी	-	-
2) स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क	-	-

3) पूर्णकालिक निदेशकों को यह छूट दी गई है कि वे एक वित्तीय वर्ष में 12000 किलोमीटर तक निम्नांकित दरों से भुगतान करके कंपनी की कार का इस्तेमाल आधिकारिक एवं निजी यात्राओं के लिए कर सकते हैं:-

	नॉन एसी कार	एसी कार
16 एचपी तक	शून्य	शून्य
16 एचपी से ऊपर	शून्य	शून्य

टिप्पणी 30 : प्रावधान

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	-	129,000
कुल	-	129,000
घटाएं : ईडीसी को अंतरित प्रावधान (टिप्पणी सं. 33* और 33झ (iv) देखें)	-	129,000
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	-	-

टिप्पणी 31 : संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

टिप्पणी 32 : पूर्वावधि व्यय

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
i) विद्युत की बिक्री	-	-
ii) जोड़े : मूल्यहास के प्रति अग्रिम पक्ष लिखित	-	-
iii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-	-
iv) अन्य	-	5,119,825
उप जोड़	-	5,119,825
व्यय		
i) वेतन तथा मजदूरी	(20,939,829)	-
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	-	-
iii) वित्त लागत	-	-
iv) मूल्यहास	-	-
v) अन्य	-	-
उप जोड़	(20,939,829)	-
कुल योग	(20,939,829)	(5,119,825)
घटाएं - ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय - (देखें टिप्पणी 33-छ)		
पूर्वावधि व्यय	(20,939,829)	-
घटाएं - पूर्वावधि आय	-	-
कुल योग	-	(5,119,825)
घटाएं - संविदा और परामर्शी कार्य को अंतरित पूर्व अवधि व्यय (देखें टिप्पणी सं. - 31)	-	-
घटाएं - डिपोजिट कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	-	(5,119,825)

टिप्पणी 33 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	29,720,796	37,830,657
ii) उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	5,945,877	16,026,916
iii) स्टाफ कल्याण व्यय	2,647,069	8,140,967
iv) अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	-	-
उप जोड़	38,313,742	61,998,540
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
i) भवन	586,020	635,093
ii) मशीनरी	23,133	18,558
iii) अन्य	596,310	391,671
उप जोड़	1,205,463	1,045,322
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय		
i) किराया	283,484	-
ii) दरें और कर	13,560	48,180
iii) बीमा	55,579	49,962
iv) सुरक्षा व्यय	-	-
v) विद्युत प्रभार	11,000	-
vi) यात्रा एवं वाहन	964,900	756,917
vii) स्टाफ कार पर व्यय	358,710	217,305
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	113,204	22,595
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	-	1,660
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार	-	9,000
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी	91,651	71,188
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	32,472	53,238

टिप्पणी 33 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार		
xiii) - स्वदेशी	13,450	-
xiv) - विदेशी	-	-
xv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सन्तुलन पर खर्च	-	-
xvi) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-	-
xvii) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-	-
xviii) बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	-	-
xix) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-
xx) विनिमय दर अन्तर	-	-
xxi) अन्य सामान्य व्यय	957,292	638,632
उप जोड़	2,895,302	1,868,677
घ. वित्त लागत		
i) निम्नलिखित पर ब्याज -		
ब्याज लागत के प्रति समायोजन समझे गए विनिमय दर अंतर	-	-
ii) हेजिंग कारोबार पर हानिया	-	-
iii) बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	-	-
iv) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
v) ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
vi) अन्य वित्त प्रभार	2,674	18,431
उप जोड़	2,674	18,431
ङ. प्रावधान	-	129,000
उप जोड़	-	129,000
च. मूल्यहास	908,023	489,009
उप जोड़	908,023	489,009
छ. पूर्वावधि व्यय		
पूर्वावधि व्यय	(20,939,829)	-
घटाएं - पूर्व अवधि आय	-	-
उप जोड़	(20,939,829)	-
ज. घटाएं प्राप्तियां और वसूलियों		
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	-	-
ख) अन्य		
i) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	-	-
ii) विविध प्राप्तियां	112,516	55,548
iii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
iv) विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)	-	-
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान	89,640	4,234,524
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	-	4,290,072
उप जोड़	202,156	4,290,072
कुल (क से ज)- झ)	22,183,219	61,258,907

टिप्पणी 34 : कर व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	19,465,302	12,634,751
सम्पदा कर	-	12,634,751
ii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	-	1,880,993
iii) आस्थगित कर खाता		
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन	-	-
जोड़	19,465,302	14,515,744

नोट संख्या-35 लेखों का व्याख्यात्मक विवरण

1. क) आकस्मिक देयताएं :-

(राशि रुपए में)

विवरण	01/04/2011 को अंतिम शेष	01/03/2012 को अंतिम शेष
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है:-		
- पूंजीगत कार्य	शून्य	शून्य
- भूमि मुआवजा मामले	शून्य	शून्य
- अन्य	शून्य	शून्य
- विवादित आयकर मांग	शून्य	शून्य
- विवादित बिक्री कर मांग	शून्य	शून्य
- विवादित सेवा कर मांग	शून्य	शून्य
- अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति 'शून्य' रुपए (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपए) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

ङ) उक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 'शून्य' रुपए (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपए) अदा किए गए हैं, जिन्हें चालू आस्तियों के रूप में दिखाया गया है।

2. मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड (कारपोरेशन) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना 22 अक्टूबर, 2009 को इसकी सभी चालू आस्तियों (रोकड़ एवं बैंक शेष सहित) और चालू देयताओं के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी (कारपोरेशन की अनुषंगी कंपनी) के रूप में परिवर्तित कर दी गयी, जिसका निगमीकरण 23 अक्टूबर, 2009 को चालू महत्त्व आधार पर लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के नाम एवं शैली के अंतर्गत किया गया। 22 अक्टूबर, 2009 के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना की आस्तियों और देयताओं का सकल मूल्य कंपनी द्वारा 23 अक्टूबर, 2009 को उसे हस्तांतरित आस्तियों के सकल मूल्य के रूप में समाहित किया गया। मूल्यहास का सकल मूल्य भी, जहां कहीं लागू हो, 22.10.2009 तक एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कंपनी को हस्तांतरित मूल्यहास के सकल मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

3. पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि शून्य रुपये हैं।

4. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

5. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) से यह राय प्राप्त हुई कि निर्माण के दौरान व्यय संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी को वापस लिए जाने के बाद, ऐसी परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, पर व्यय को सम्बद्ध वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाना चाहिए। कंपनी ने इस राय के विरुद्ध आईसीएआई की ईएसी को प्रतिवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्यय चूंकि किसी जल-विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अनिवार्य होते हैं, इसलिए उनके पूंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। ईएसी से आगे किसी राय/सूचना के लंबित रहते, प्रचलित लेखांकन पद्धतियों/नीतियों के अनुसार लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है।

6. (क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है -

(रुपये में)

	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2011 तक
(i) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(ii) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	शून्य	शून्य

	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2011 तक
(iii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv) चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv) अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	शून्य	शून्य

7. 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों में संशोधन/शाब्दिक परिवर्तन किया गया/को हटाया गया :

लेखांकन नीति	परिवर्तन	प्रभाव
मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.1	अचल परिसंपत्तियों में सकल ब्लाक से संवर्द्धन/कमी होने की स्थिति में मूल्यहास प्रभारित करने के तथ्य को प्रकट करने की मौजूदा नीति में मामूली संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी और कम्प्यूटर एवं अनुषंगी वस्तुओं पर मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.2.3	कुछ व्याकरण संबंधी त्रुटियां दूर की गई हैं।	कोई प्रभाव नहीं
अस्थायी संरचनाओं के बारे में मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.2.4	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
अमूर्त आस्तियों के परिशोधन से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.5	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
पट्टे पर धारित भूमि के परिशोधन से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 5.6	नीति में संशोधन किया गया है और अब इसे 5.6.1 और 5.6.2 के अंतर्गत दो उप नीतियों में प्रस्तुत किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
सहायता अनुदान संबंधी लेखांकन नीति संख्या 2.6	निरस्त	कोई प्रभाव नहीं
निर्माण स्थल पर इंजीनियरी अनुमान के अनुसार भण्डार के लेखांकन से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 7.4	निरस्त	कोई प्रभाव नहीं

8. कंपनी में तैनात सभी कर्मचारी एनएचपीसी लिमिटेड के रोल पर हैं और 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखांकन मानक-15 (संशोधित 2005) के अनुसार कर्मचारी लाभ के सभी प्रावधान एनएचपीसी लिमिटेड की बहियों में दर्ज किए गए हैं। किन्तु, 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ के खाते संबंधी प्रावधान में बढ़ोतरी को टिप्पणी संख्या-26 'कर्मचारी लाभ व्यय' से डेबिट किया गया है।

9. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

10. कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -

क) संबंधित पार्टी

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

कोई संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

(ii) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	अध्यक्ष
श्री श्री लियॉन्सी पॉल गोमेई	निदेशक
श्रीमती कल्याणी मिश्रा	निदेशक
श्री विजय कुमार	निदेशक
श्री डी के राय	निदेशक

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार

विवरण	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
निवेश	-	-

11. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं:

विवरण	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रुपये में)	4.05	2.71
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - आधारभूत - कम की गई	98461540 98502636	60000000 62575342
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत - कम किया गया	00.41 00.41	00.45 00.43
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

12. संयुक्त उद्यम में हित :-

कंपनी का नाम	स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2012	31.03.2011
	-	-

13. निम्नांकित के संदर्भ में जानकारी -

(करोड़ में)

सं.	विवरण	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर आकलित आयात का मूल्य : i) पूंजीगत वस्तुएं ii) कलपुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय: i) जानकारी ii) ब्याज iii) अन्य विविध मामले	शून्य	शून्य

सं.	विवरण	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ग)*	प्रचालन इकाइयों में इस्तेमाल किए गए कल पुर्जों और घटकों का मूल्य : i) आयातित ii) देशी:	शून्य शून्य	शून्य शून्य
घ)*	विदेशी मुद्रा में आय : i) ब्याज ii) अन्य	- -	- -

* प्रोद्भवन आधार पर

14. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:-

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए उपरोक्त (i) पर वर्ष में प्रोद्भवन तथा चुकाया न गया ब्याज।	शून्य
(iii)	31.03.2012 को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान सेवाएं वितरण/प्रदान करने की तारीख से सहमत समय अथवा 15 दिन से अधिक देरी से भुगतान की गई मूल राशि के साथ अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य
(iv)	31.03.2012 को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान मूल राशि पर देय लेकिन अदा न किया गया ब्याज	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

15. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कुंजाबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण 309115 ई)

(क्ष. कुंजाबी सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.-016593

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18 मई 2012

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष
डीआईएन 01601682

(एस के चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एचडीएचसीएल

विजय कुमार
निदेशक
डीआईएन 03021294

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2012 के अनुसार तुलन-पत्रक का सारांश और कंपनी का सामान्य स्वरूप

(राशि रूपए में)

(I) पंजीकरण विवरण			
पंजीकरण संख्या		राज्य कोड	तुलन-पत्रक की तारीख
यू 40101 एमएन 2009 जीओआई 008249		12	31.03.2012
(II) वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी			
पब्लिक इश्यू	शून्य	राइट इश्यू	शून्य
बॉनस इश्यू	शून्य	प्राइवेट प्लेसमेंट	शून्य
(III) निधि संग्रहण और अभिनियोजन			
कुल देयताएं	12155.68	कुल परिसंपत्तियां	12155.68
निधियों के स्रोत			
चूकता पूंजी	9846.15	राजस्व एवं अधिशेष	559.78
शेयर आवेदन निधि	500.00		
प्रत्याभूति ऋण	शून्य	अप्रत्याभूति ऋण	शून्य
निधियों का अनुप्रयोग			
निवल अचल परिसंपत्तियां			
(चालू पूंजी कार्य			
और पूंजी कार्य के			
प्रति अग्रिम सहित)	4283.35	निवेश	0.00
निवल चालू परिसंपत्तियां	6622.58	विविध व्यय	0.00
संचित हानि	शून्य		
(IV) कंपनी का कार्यनिष्पादन			
कारोबार (सकल राजस्व)	607.19	कुल व्यय	7.24
कर-पूर्व लाभ (हानि)	599.95	कर-उपरान्त लाभ (हानि)	405.29
प्रति शेयर अर्जन रुपये में	0.41	लाभांश प्रतिशत दर	शून्य
(V) कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों के सामान्य नाम			
(I) उत्पाद विवरण	शून्य		
आइटम कोड			
(II) उत्पाद विवरण	शून्य		
आइटम कोड			
(III) उत्पाद विवरण	शून्य		
आइटम कोड			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कुंजाबी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(एफ. पंजीकरण- 309115ई)

ए.बी. एल. श्रीवास्तव

अध्यक्ष

डीआईएन : 01601682

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(विजय कुमार)

निदेशक

डीआईएन : 03021294

(क्ष. कुंजाबी सिंह)

भागीदार

सदस्यता संख्या-016593

(एस. के. चौहान)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(विपिन जैन)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 मई 2012

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कराधान पूर्व निवल लाभ	59,994,765		36,471,302	
समायोजन				
- ब्याज/अन्य आय	60,719,161		(36,471,302)	
- बड़े खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय				
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालनगत लाभ	(724,396)		-	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
ऋणों और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(35,281,241)		4,601,751	
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(38,047,831)		(5,618,844)	
चालू देयताओं में (वृद्धि)/कमी	(4,413,588)		(263,907,311)	
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	1,895,384		13,753,978	
प्रचालन क्रियाकलापों से सृजित निवल नकदी	(76,571,672)		(251,170,426)	
अदा किया गया आय कर	(13,918,794)		(14,515,744)	
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		(90,490,466)		(265,686,170)
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(816,577)		(94,498)	
चालू पूंजी कार्य में वृद्धि	(27,474,951)		(67,006,766)	
निर्माण भंडार और कल-पुर्जों में वृद्धि			(11,809,012)	
ब्याज आय	60,719,161		36,471,302	
ब्याज आय (पूर्व अवधि)			5,119,825	
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		32,427,633		(37,319,149)
ग) वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
विविध व्यय			-	
शेयर आवेदन निधि से प्राप्तियां	50,000,000		384,615,400	
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		50,000,000		384,615,400
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि (क + ख + ग)		(8,062,833)		81,610,081
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य		682,096,447		600,486,366
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य		674,033,614		682,096,447

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते कुंजाबी एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 (एफ. पंजीकरण- 309115ई)

ए.बी. एल. श्रीवास्तव
 अध्यक्ष
 डीआईएन : 01601682

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(विजय कुमार)
 निदेशक
 डीआईएन : 03021294

(क्ष. कुंजाबी सिंह)
 भागीदार
 सदस्यता संख्या-016593

(एस. के. चौहान)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(विपिन जैन)
 कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 18 मई 2012



डाउनस्ट्रीम बांध स्थल- चमेरा ।।। परियोजना (231 मेगावाट)



निर्माण स्थल- निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)



NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर - 33, फरीदाबाद - 121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad - 121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com
EPABX : 0129-2278421 / 422 / 423